नवम माला, [illegible]

गुरुवार, 23 अगस्त, 1990
1 भाद्र, 1912 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## का

# हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 23 अगस्त, 1990/1 भाद्र, 1912 (शक)

का

## शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
| --- | --- | --- |
| 81 | 5 | शीर्षक में "दूरसंचार" के स्थान पर "दूरसंचार" पढ़िये । |
| 214 | 6 | "श्री हरि केवल प्रसाद" के स्थान पर "श्री हरि केवल प्रसाद" पढ़िये । |
| 230 | 4 | "तत्पश्चात" के स्थान पर "तत्पश्चात" पढ़िये । |
| 254 | नीचे से पंक्ति 12 | "प॰ 0 द॰प॰" के स्थान पर "4.00 म॰प॰" पढ़िये । |
| 283 | 4 | "श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये । |

# विषय-सूची

नवम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 10, गुरुवार, 23 अगस्त, 1990/1 भाद्र, 1912 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| अध्यक्ष द्वारा घोषणा | 1 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों के सम्बन्ध में संक्षिप्त निवेदन करने के बारे में | |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | 1 – 18 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 203 से 205, 207 और 208 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | 18—225 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 206 और 209 से 222 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 2351, 2352,2354 से 2544 और 2546 से 2586 | |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र | 225—226 |
| प्राक्कलन समिति | 226 |
| पांचवां और छठा प्रतिवेदन-प्रस्तुत | |
| लोक लेखा समिति | 227 |
| पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन-प्रस्तुत | |
| याचिका | 227 |
| (एक) इंडियन एयरलाइन्स में इन-फ्लाइट सर्विस विभाग का गठन | |
| (दो) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना | |
| स्थापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित | 227—228 |

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया | 228 |
| स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश | |
| विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक | 228 |
| पुर:स्थापित | |
| अध्यादेश के बारे में विवरण-सभा पटल पर रखा गया | 229 |
| विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश | |
| संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक | 229 |
| पुर:स्थापित | |
| चाय कम्पनी (रुग्ण चाय भूमियों का प्रबंध और अंतरण) संशोधन विधेयक | 229 |
| पुर:स्थापित | |
| नियम 377 के अधीन मामले | 232—236 |
| (एक) अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग | |
| श्री लेइता अम्बुली | 232 |
| (दो) महाभारत महाकाव्य के अन्तिम प्रसंगों को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने की मांग | |
| श्री वी० कृष्ण राव | 232—233 |
| (तीन) उत्तर प्रदेश के सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर जिलों में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग | |
| श्री राम लाल राही | 233 |
| (चार) बिहार में दूरसंचार सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण के लिए उद्योग स्थापित किए जाने की मांग | |
| श्री छेदी पासवान | 233 |
| (पांच) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाए जाने की मांग | |
| श्री मान्धाता सिंह | 234 |
| (छः) गिरिडीह और रांची के बीच रेल पथ निर्माण परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग | |
| श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा | 234 |

(सात) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, सिन्दरी की कृषि अनुसंधान शाखा का पुनर्गठन किए जाने की मांग

श्री ए० के० राय 234—235

(आठ) असम के कच्चे तेल की आपूर्ति अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री सूर्य नारायण सिंह 235

(नौ) जयपुर में रामगढ़ झील के निकट राष्ट्रीय नौकायन प्रशिक्षण अकादमी स्थापित किए जाने की मांग

श्री गिरधारी लाल भार्गव 236

नियम 193 के अधीन चर्चा 236—255

देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचार-जारी

डा० तम्बि दुरै 236—240

श्रीमती सुभाषिनी अली 240—243

श्रीमती विद्या चेन्नुपति 243—246

श्री बसुदेव आचार्य 246—247

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी 247—249

श्री ए० के० राय 250—252

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन 252—255

मन्त्री द्वारा वक्तव्य 255—262

खाड़ी संकट के संदर्भ में विदेश मन्त्री द्वारा मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत का दौरा

श्री इन्द्र कुमार गुजराल

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक-जारी 262—288

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बसन्त साठे 263—271

श्री सन्तोष भारतीय 271—279

प्रो० राम गणेश कापसे 279—288

# लोक सभा

---

गुरुवार, 23 अगस्त, 1990/1 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## अध्यक्ष द्वारा घोषणा

### अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों के सम्बन्ध में संक्षिप्त निवेदन करने के बारे में

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 24 अप्रैल, 1990 को मैंने सभा को सूचित किया था कि सदन में विभिन्न दलों और गुटों के नेताओं की इच्छानुसार, सात सदस्यों को प्रश्न काल के बाद अध्यक्ष पीठ की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में नोटिस 10.30 म० पू० तक मिल जायें। कल मेरी लोक सभा में विभिन्न दलों और गुटों के नेताओं के साथ एक और बैठक हुई थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर संक्षिप्त निवेदन करने हेतु सभा पटल पर नोटिस रखने का समय प्रश्न काल के पश्चात 10.30 म० पू० के बजाय 10.00 म० पू० रखा जाए।

इससे माननीय सदस्यों द्वारा उठाने जाने वाले मामलों पर विचार करने के लिए मुझे पर्याप्त समय मिलेगा।

---

11.02 म० पू०

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### वल्लरपदम में "कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल"

*203. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड के परामर्शदाताओं ने वल्लरपदम (कोचीन) में इंटरनेशनल कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल" के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) डच परामर्शदाता मैसर्स फ्रेडरिक

आर हैरिस ने व्यवहार्यता अध्ययन का केवल प्रथम चरण पूरा किया है। अध्ययन का दूसरा चरण इस वर्ष बाद में देश किए जाने की आशा है।

(क) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, माल के कन्टेनरीकरण से माल की ढुलाई और लदान तथा उतराई में काफी परिवर्तन आया है। कोलम्बो और कोचीन में 1973 में कन्टेनरों की ढुलाई और उतराई शुरू हुई थी। अब, कोलम्बो में पांच लाख टी० यू० कन्टेनरों की ढुलाई और उतराई की जाती है जोकि सारे भारतीय पत्तनों द्वारा ढुलाई किये गये कन्टनरों की संख्या के बराबर है। यह कोलम्बो का काफी तेजी से विकास दर्शाता है। यह भी देखा जा सकता है कि भारत से कोलम्बो या कोलम्बो से भारत की तरफ के 80 प्रतिशत यातायात की व्यवस्था कोलम्बो से की जाती है। इससे पता लगता है कि एक ऐसे आधुनिक पत्तन की आवश्यकता है जो 'ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों' की व्यवस्था कर सके। मेरा अनुरोध है कि चूंकि कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय जहाज रानी मार्ग के सबसे समीप है अत: यहां एक आधुनिक 'ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल' होना चाहिए। मैसर्स फ्रेड्रिक आर० हैरिस की सिफारिशों के आधार पर, जिन्होंने डच तकनीकी सहयोग से इसकी व्यवहार्यता के सम्बन्ध में अध्ययन किया है, और प्रथम चरण की अध्ययन रिपोर्ट दी है, यह पाया गया है कि कोचीन वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है। अत: इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या आप कोचीन में आधुनिक 'ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल' स्थापित करने के बारे में कार्यवाही करेंगे ?

श्री के० वी० उन्नीकृष्णन : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताये गए मुद्दों को नोट कर लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में कन्टेनरीकरण के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, कतिपय मुख्य पत्तनों पर लदान केन्द्र खोले गए हैं। कन्टेनर अवधारणा से अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भी ऐसा करें और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने पत्तनों का विकास करें। कोलम्बो के अलावा, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, हमारे पास हांग कांग और सिंगापुर के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया है और इस क्षेत्र के अधिकांश 'ट्रांसशिपमेंट' व्यापार पर कब्जा किया है तथा परिणाम स्वरूप आज सबसे बड़े पत्तनों में से एक बन गये है। वर्ष 1984 के आस-पास कोचीन पत्तन को कन्टेनर टर्मिनल में बदलने की आवश्यकता महसूस हुई थी और इस पत्तन के अधिकारी इसे 'कन्टेनर टर्मिनल' और 'ट्रांसशिपमेंट' केन्द्र बनाने के वास्ते भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय से मिले थे। भारत सरकार ने भी इस विचार को ठीक और व्यवहार्य पाया था। कोचीन पत्तन इस क्षेत्र के मुख्य व्यापारिक मार्गों पर पड़ता है और कई मुख्य जहाजरानी कम्पनियां इस मार्ग का इस्तेमाल करती हैं। अत: हमने सोचा कि कोलम्बो में इस समय किये जा रहे व्यापार से हम भी काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस विचार के आधारभूत मानदण्ड को स्वीकार किया और मैसर्स फ्रेड्रिक आर० हैरिस को अपने परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। जैसा कि मैंने कहा है, इस वक्त तक उन्होंने केवल रिपोर्ट का प्रथम चरण ही दिया है और अब हम आशा करते हैं कि उनकी अन्तिम रिपोर्ट भी बहुत जल्दी मिल जायेगी, जिसके आधार पर हम आगे निर्णय लेंगे।

प्रो० के० वी० थामस : यह भी देखा गया है कि हमारे देश में इस समय जो व्यापार विनियमन है वे भी विदेशी पोतों द्वारा भारतीय पत्तनों से माल के अन्तरण में आड़े आते हैं। यह विनियमन विशेष, भारतीय सीमा शुल्क विभाग की सहायता के लिए बनाया गया था लेकिन अब चूंकि समय बदल गया है और माल की ढुलाई और उतराई के आधुनिकीकरण के लिए माल का अन्तरण एक आवश्यकता हो

गई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि भारतीय पत्तनों के लिए इस व्यापार विनियमन में कुछ ढील दें जिससे इन्हें 'ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों' के रूप में विकसित किया जा सके। इस वक्त यह विनियमन केवल कोलम्बो के फायदे के लिए ही है क्योंकि इस विनियमन से कोलम्बो में माल के अन्तरण में रुकावट नहीं आती है। क्या सरकार इस पर गौर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस विनियमन में इतना परिवर्तन तो किया ही जाये ताकि हमारे भारतीय पत्तनों को, जो माल के अन्तरण की व्यवस्था कर सकते हैं, फायदा हो ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इससे सम्बन्धित कई मुद्दे हैं और व्यापार विनियमन में छूट भी एक मुद्दा है। मंत्रालय का एक अध्ययन दल पहले ही इस पर गौर कर रहा है और किसी भी वक्त यह रिपोर्ट मिल सकती है तथा हम उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, भारतीय पत्तनों में पिछले वर्षों में कितने कन्टेनरों को उतारा-चढ़ाया गया है और हमारे पत्तनों में इन्हें उतारने चढ़ाने को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कोचीन पत्तन इस समय लगभग 7.11 मिलियन टन कन्टेनरों को उतारने चढ़ाने की व्यवस्था करता है और यह आंकड़ा 40,000 टी० यू० सी० तक पहुंच गया है। लेकिन यदि अध्ययन के परिणाम स्वरूप तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट के मुताबिक काम हो और इसका कन्टेनर टर्मिनल के रूप में विकास किया जाये तो यह आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं।

श्री के० मुरलीधरन : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किन पत्तनों में माल के अन्तरण की सुविधा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, माल के अन्तरण की सुविधायें तो हैं लेकिन जैसे कि माननीय प्रो० थामस ने जिक्र किया है, पत्तनों में व्यापार विनियमनों की वजह से कतिपय प्रतिबन्ध हैं। अब चूंकि कतिपय प्रतिबन्ध हैं, अतः यह एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि वेल्लारपदम को पूरी तरह से एक कन्टेनर टर्मिनल बना दिया जाये। यह पूरी तरह से एक नया कन्टेनर टर्मिनल होगा जहां से कन्टेनरों को न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में भी अन्तरित किया जा सकेगा।

## सड़कों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र को विश्व बैंक से ऋण

[हिन्दी]

*204. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार को इस वर्ष सड़क विकास के लिए विश्व बैंक से कुल कितनी ऋण सहायता प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

[अनुवाद]

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) महाराष्ट्र में राज्य सड़कों के विकास के लिए विश्व बैंक ऋण सहायता के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में 18 करोड़ रु० खर्च किए जाने की संभावना है जिसमें से 9.00 करोड़ रु० की राशि की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक से की जाएगी।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित केवल एक प्रस्ताव है अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बेसीन क्रीक-मनोर खण्ड (कुल लम्बाई 58 कि० मी०) को चार लेन का बनाना, जिस पर 84 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है। इस प्रस्ताव को सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजा गया है। विश्व बैंक के साथ ऋण सम्बन्धी बातचीत अभी नहीं हुई है।

[हिन्दी]

**श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसमें थोड़ा सुधार करके यहां उत्तर दिया गया है और उसमें भी काफी कमी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया महाराष्ट्र सरकार की ओर से नेशनल हाईवे के सम्बन्ध में केवल एक ही प्रोपोजल केन्द्र सरकार को मिला है, जिसमें उसे 4 लेन बनाने के लिए 18 करोड़ रुपये के एस्टीमेट की बात कही गयी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अनेक स्टेट हाईवेज बनाने के प्रस्ताव भी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने स्टेट हाईवेज बनाने के प्रोपोजल्स को आपने मान लिया है और कितने आपके विचाराधीन हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कितने नेशनल हाईवेज के प्रोपोजल आपको भेजे हैं और उनमें से कितने आपके विचाराधीन हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पैसे की कमी के कारण आपने कितने ऐसे प्रोपोजल्स को महाराष्ट्र सरकार को वापस भेजा है। इसके अलावा, पिछले साल और इस साल, कुल मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट को कितनी धनराशि केन्द्र और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है मेरा अनुभव है कि वर्ल्ड बैंक की स्वीकृति लेने के लिये काफी समय लग जाता है और किसी प्रोपोजल को जब भारत सरकार की स्वीकृति मिलती है तभी वह वर्ल्ड बैंक की सहायता के लिये भेजा जाता है किसी प्रोजेक्ट की टैक्निकल सेंक्शन होने के बाद ही उसे वर्ल्ड बैंक की मंजूरी के लिये भेजा जाता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में रोड्स की कठिनाई को देखते हुए, एक विचार यह भी था कि कुछ उद्योगों को, एजेन्सियों को इसमें लगा दिया जाये ताकि नये रास्ते या रोड्स बन सकें, और उनकी मेन्टेनैंस की जा सके। महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव पर कितनी एजेंसियों ने अब तक रुचि दिखायी है, यदि दिखायी है तो किन मार्गों के सम्बन्ध में, किन पुलों के निर्माण में रुचि दिखायी है और उन एजेंसियों के नाम क्या हैं। उनमें से कितने प्रोपोजल्स को केन्द्र की स्वीकृति मिल चुकी है और उसके एस्टीमेट कितनी राशि के हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : महोदय, मैं एक स्पष्ट भेद करना चाहता हूं क्योंकि ···(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : आप अंग्रेजी में बोलिए ताकि सब समझ सकें।

[अनुवाद]

श्री के० मुरलीधरन : हिन्दी बोलने की कोशिश मत करिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अंग्रेजी में उत्तर दे सकते हैं। साथ-साथ व्याख्या चल रही है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, एक ओर तो हमारे पास 'एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट्स' सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं जिनके लिए विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया या नहीं कराया जा सकता है। दूसरी ओर हमारे पास राज्य सड़क क्षेत्र है जिसके लिए राज्य सरकारें परियोजनाएं तैयार करती हैं और जिन्हें विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक सहायता कार्यक्रम में शामिल करने हेतु हमारे पास आती हैं। यहां प्रश्न इस बात से सम्बन्धित है कि मैं मानता हूं और महाराष्ट्र सरकार पिछले वर्ष 14 परियोजनाओं को पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु हमारे पास आई थी। और अन्य 17 परियोजनाएं सड़कों पर तारकोल बिछाकर पक्का करने हेतु भेजी गई थीं। कुल मिलाकर ये 31 परियोजनाएं थीं, इनमें से, जैसा कि मैं कह चुका हूं विश्व बैंक ने पहले ही आठ परियोजनाएं स्वीकार कर ली हैं। मैं इन परियोजनाओं का विवरण देता हूं : वाडा—भिवंडी सड़क, पालघर—वाडा सड़क, औरंगाबाद—जालना सड़क, अकोला—हिंगोली सड़क, नागपुर—उमरेड कानगा सड़क तथा मालेगांव—कोपरगांव सड़क। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये होंगे।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं जानना चाहूंगा कि उसके लिए कितनी धनराशि तय की गई है ? भारी वर्षा के कारण पिछले साल और इस साल महाराष्ट्र में रास्तों को भारी क्षति पहुंची है और सड़कों पर काफी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। नासिक से बम्बई जाने का तीन घंटे का रास्ता है जो कि वर्षा के कारण 10-12 घंटों में तय हो रहा है और 15 दिन तक यह नेशनल हाईवे बन्द रहा। पुणे-बम्बई का भी तीन घंटे का रास्ता है, जबकि उसको तय करने में भी काफी समय करीब 8-10 घंटे लग रहे हैं। इस नुकसान को देखते हुए विश्व बैंक के अधीन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी है उसमें भारत सरकार कितनी धनराशि दे रही है और ज्यादा बारिश के कारण हुए नुकसान को देखकर महाराष्ट्र सरकार को भारत सरकार ज्यादा धनराशि दे रही है या नहीं ? मैंने पहले प्रश्न में भी पूछा था कि जो भारत की एजेंसी है उसमें वे कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं माननीय सदस्य द्वारा कुछ सड़कों, जिनका उन्होंने जिक्र किया है, के लिए व्यक्त चिन्ता से सहमत हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार को विशेष परियोजनाओं को भेजना चाहिए। हाल ही में, जब मैं मुम्बई से गुजरा तो बहुत से लोग महाराष्ट्र सरकार के कुछ प्रतिनिधियों सहित, चाहते थे कि मुम्बई-पुणे सड़क के लिए कुछ किया जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने इन सड़कों में से किसी के लिए भी विशेष परियोजना प्रस्ताव नहीं भेजे। इसलिए जब तक इन परियोजनाओं हेतु वे कुछ विशेष प्रस्ताव नहीं भेजते तब तक इस पर प्रक्रिया शुरू करना अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना, हमारे अपने लिए मुश्किल है।

जहां तक मेरे द्वारा उल्लखित स्वीकृत परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मेरे पास स्वीकृत लागत,

जो ऋण के रूप में दी जाएगी, की सूची मेरे पास है। यदि आपको वह चाहिए तो मैं उसे पढ़कर सुना सकता हूं।

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | लम्बाई (कि०मी० में) | स्वीकृत लागत (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | वाडा भिवंडी सड़क | 22.70 | 277.00 |
| 2. | पालघर—वाडा सड़क | 47.01 | 591.00 |
| 3. | पुणे—अहमदनगर सड़क | 113.60 | 1204.52 |
| 4. | अहमदनगर—औरंगाबाद सड़क | 90.00 | 1205.52 |
| 5. | औरंगाबाद—जालना सड़क | 121.80 | 1738.00 |
| 6. | अकोला—हिंगोली सड़क | 96.00 | 1069.00 |
| 7. | नागपुर—उरमेड कानपा सड़क | 70.00 | 1020.00 |
| 8. | मालेगांव—कोपेरगांव सड़क | 96.00 | 947.00 |

जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मेरे विचार में निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और शीघ्र ही निविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

[हिन्दी]

**एक माननीय सदस्य** : हमारे ऊपर भी निगाह रखें।

**अध्यक्ष महोदय** : सबके ऊपर निगाह है, लेकिन यह महाराष्ट्र का प्रश्न है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप महाराष्ट्र से लगाव नहीं रखते, श्री कापसे।

[अनुवाद]

**प्रो० राम गणेश कापसे** : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि जहां तक बारिश का संबंध है कुछ न कुछ करने की जरूरत है। बम्बई-पुणे सड़क पर कुछ समस्या है। परन्तु महाराष्ट्र के बारे में एक समस्या यह है कि वहां पर गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है। राजमार्गों के संबंध में भी दिल्ली, तमिलनाडु तथा गुजरात के सिवाय गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है। अतः कृपया करके क्या आप महाराष्ट्र सरकार को यह सुझाव देंगे कि सड़कों के निर्माण के समय गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में बहुत सतर्क रहे।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : मैं निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दूंगा और महाराष्ट्र सरकार के साथ इस पर चर्चा करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक** : अध्यक्ष जी, यह जो 4 लेन्स बनाने का, बम्बई से मनोर तक के 58 किलोमीटर के सैक्शन के बनाने का प्रस्ताव है, यह सारा का सारा रास्ता मेरे चुनाव क्षेत्र उत्तर मुम्बई से जाने वाला रास्ता है। अब इस रास्ते पर सारे हिन्दुस्तान में जो हाइवेज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ट्रीकल्स और हैवी ट्रक्स जाते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि उस पर इतनी भीड़ होती है कि वहां पर

15 किलोमीटर की स्पीड से भी वाहन नहीं जा सकते हैं इसके लिए सरकार क्या कर रही है और यह जो 4 लेन्स बनाने के प्रस्ताव की कैलकुलेशन की गई है कि 84 करोड़ का खर्चा आयेगा, यह एस्टीमेट कब वर्क-आउट किया गया, किस वर्ष में वर्क आउट किया गया।

[अनुवाद]

आप विश्व बैंक के पास कब जा रहे हैं और पिछले कई दिन से विश्व बैंक के पास न जाने के क्या कारण हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जैसाकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक हमारा संबंध है हमें सहायता हेतु अपने आप केवल 'एक्सप्रेस हाईवेज' या राष्ट्रीय राजमार्गों को ही लेते हैं। जहां तक राज्य क्षेत्र की सड़कों के लिए विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक से सहायता का संबंध है, उन्हें स्वयं योजना तैयार करके हमारे पास आना होगा; और मैं आपको सूची दे चुका हूं, जब तक वे इसे शामिल नहीं करते, हम असहाय हैं··· (व्यवधान)

श्री राम नाईक : आपके जवाब में भाग (ख) और (ग) का क्या हुआ ? मैंने आपसे यह पूछा था कि आपके जवाब के भाग (ख) और (ग) में उल्लखित 84 करोड़ रुपये की धनराशि में क्या शामिल किया गया है। कृपया इसे देखें। यह कहा गया है कि 84 करोड़ रुपये प्रक्षिप्त किया गया है। यह बसीन क्रीक—मनोर सेक्शन के लिए है। मैं आपसे इसके बारे में पूछ रहा हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसके बारे में, बातचीत शुरू की जाएगी। यह चालू दरों पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मुम्बई और आग्रा हाईवे, बड़ा महत्वपूर्ण हाईवे है। नासिक में गोदावरी नदी है, उसमें कन्डेमवारी पुल बैठ गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। यह प्रपोजल आपके पास आई है या नहीं, दूसरी बात यह कि इस हाईवे में दो-तीन पुलों की मांग है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या कोशिश होगी और तीसरी बात यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : पहले एक का जवाब आने दीजिए, फिर पूछिए, बैठ जाइए।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले : अध्यक्ष जी, इसी का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक से जो धनराशि मिलती है, वह कौन-कौन से हाईवे पर मिलती है और उसका क्या तरीका है ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध है, यदि कोई विशेष समस्या है तो हम विश्व बैंक की सहायता से या उसके बिना हम इसे लेंगे, परन्तु जहां तक सहायता के लिए आने का संबंध है, मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि राज्य सरकार को योजनाएं बनाकर हमारे पास भेजनी चाहिए, और फिर जैसा भी होगा हम इसे विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के साथ उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री एम० एस० पाल : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के अन्दर···

**अध्यक्ष महोदय** : पाल जी, यह बहुत स्पेसिफिक सवाल है, आप क्या चाहते हैं ?

**श्री एस० एस० पाल** : अध्यक्ष महोदय, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वे इतनी खस्ता हालत में हैं कि उनको कोई देखने वाला नहीं है। मान्यवर, उनको वहां राष्ट्रीय "राजमार्ग" के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि राष्ट्रीय "नाशमार्ग" के नाम से जाना जाता है। जितनी भी कारें या अन्य वाहन हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट वहां हो रहे हैं, अगर इस संबंध में रिकार्ड देखा जाये, तो आपको इस बात का पता लग जाएगा। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आप अपनी ओर से केन्द्र सरकार की ओर से, वर्ल्ड बैंक की ओर से उनको सुधारने की कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं, यह बताएं ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न, इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता है।

**डा० वेंकटेश काबडे** : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जो नेशनल हाईवे है उसके बारे में पहले भी मैंने प्रश्न भेजा था। महाराष्ट्र में 2900 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और मराठवाड़ा में केवल 40 किलोमीटर है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के बाद भी यहां पर नेशनल हाईवे नहीं बनाया गया है। मंत्री महोदय ने अभी जो उत्तर दिया है उसमें एक ही नेशनल हाईवे का प्रपोजल आया हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नांदेड में केला सबसे ज्यादा पैदा होता है और उसकी कीमत वहां पर तीन रुपये दर्जन है। (व्यवधान) मेरा प्रश्न यह है कि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों का विकास होना है। क्या मंत्री महोदय हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को इस बारे में कहेंगे ?

[अनुवाद]

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : यह प्रश्न विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता से संबंधित है। हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की पिछड़े हुए इलाके विशेषकर मराठवाडा के प्रति व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं। हम इस प्रश्न को सही समय पर उठायेंगे। मैं इस तरह के प्रश्न पर सभा में पहले ही उत्तर दे चुका हूं जिसमें कहा गया था कि यह हमारे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विश्व बैंक ने जिन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये धनराशि स्वीकृत कर दी है उस धनराशि को कहां-कहां खर्च किया गया है और किस-किस निर्माण कार्य में कितना खर्च किया गया है।

[अनुवाद]

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : राज्य सड़कें, राजमार्ग आदि विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित अनेकों परियोजनाएं हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में यह भिन्न-भिन्न है। जब तक मुझे इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नोटिस नहीं मिलता मैं इस प्रश्न के अलावा उत्तर नहीं दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आठ बैठ जाएं।

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या सड़कों के निर्माण के लिए हमें विदेशी कच्चे माल, विदेशी

तकनीक या विदेशी मशीनरी की आवश्यकता है ? यदि ऐसा नहीं है तो हम ऐसी गतिविधियों के लिए विश्व बैंक से ऋण क्यों मांगते हैं और और इस प्रकार ऋण माफी की समस्या को और बढ़ाते हैं ?

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** माननीय सदस्य ने अपना मत व्यक्त कर दिया है। कुछ हद तक मैं इससे सहमत हूं। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है।

**कृषि महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश) को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा**

[हिन्दी]

*205. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश) को राष्ट्रीय स्तर के कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में पहले से ही दो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनसे संबद्ध 13 महाविद्यालय (कालेज) हैं। ये इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानव-शक्ति तैयार कर रहे हैं।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मुझे बड़ी निराशा हुई है। श्रीमन, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रान्त है। देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रान्त है और इसमें अलग-अलग सम्भाग हैं, अलग-अलग क्षेत्र हैं, उनकी अलग-अलग परिस्थितियां हैं। यहां जो दो विश्वविद्यालय अभी काम कर रहे हैं. एक जबलपुर में है और एक रायपुर में है। विंध्य का जो इलाका है वह पुरानी देसी रियासतों को मिलाकर बना है। पहले प्रदेश था बाद में 1956 में मध्य प्रदेश में मिला दिया गया है। इस एरिया रीवा में 1954 से कृषि महाविद्यालय है। उस समय न तो जबलपुर में महाविद्यालय था न रायपुर में था। यह रीवा का सबसे पुराना महाविद्यालय है और वहां की परिस्थितियां अन्य स्थानों से बिल्कुल भिन्न हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 21 प्रतिशत सिंचाई है। सारे देश में 31 प्रतिशत है लेकिन मध्य प्रदेश में करीब 21 प्रतिशत है। विंध्य का जो इलाका है, वहां केवल तीन प्रतिशत जमीन सिंचित है। यहां की परिस्थितियां भी बिल्कुल भिन्न हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना अनुसंधान और शोध के लिये होती है···(व्यवधान)···

**अध्यक्ष महोदय :** आप इसके अलावा एक और सवाल पूछ सकते हैं। अभी आप जल्दी सवाल करिये।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** मैं यह कहना चाहता हूं कि विंध्य की परिस्थितियों को देखते हुए क्या सरकार यह बात नहीं सोचती और वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि इस संभाग की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए शुष्क कृषि को विकसित करने के लिये अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये। सरकार का यह विचार है कि शुष्क कृषि

का विकास अधिक होना चाहिये। जहां की जमीन जो ज्यादा सूखी है उसका विकास करने के लिए उसके अनुसंधान की पूर्ति जबलपुर या रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने से नहीं हो सकती है। इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और विंध्य सम्भाग की आवश्यकताओं के अनुरूप क्या रीवा में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की आप आवश्यकता महसूस कर रहे हैं या आप उस पर विचार कर रहे हैं ?

**श्री नीतीश कुमार :** अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सवाल है, इसके लिये राज्य सरकार निर्णय लेगी। केन्द्र की तरफ से कोई कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में पहले ही दो कृषि विश्वविद्यालय हैं। वहां चाहे रिसर्च की या एजुकेशन देने की जरूरत हो उसके लिये राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं। उन कार्यक्रमों को चलाने के लिये ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास करने वालों की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या दूसरी फैकेल्टिज में उनको प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वह उन दो विश्वविद्यालयों द्वारा पूरी की जा सकती है। इसलिये फिलहाल हम लोगों के पास कोई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में नहीं है। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि रीवा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये तो इसके बारे में राज्य सरकार निर्णय लेगी। वहां की विधान सभा और विधानमंडल में एक लैजिस्लेशन के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकती है।

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे लेकिन केन्द्र सरकार भी केन्द्रीय स्तर के विश्वविद्यालय खोल सकती है। उत्तर प्रदेश का पंतनगर विश्वविद्यालय केवल राज्य सरकार का नहीं है वह केन्द्र सरकार द्वारा भी संचालित होता है। पिछली सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण से रीवा में विश्वविद्यालय नहीं खोला। केवल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तैयार करना ही विश्वविद्यालय का काम नहीं है। विश्वविद्यालय का असली काम रिसर्च आदि करना होता है। मैं इस सम्बन्ध में दलहन और तिलहन का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश में दलहन का उत्पादन बढ़े। लेकिन देखने में आया है कि इनका उत्पादन कम होता जा रहा है जिससे सरकार को चिन्ता भी हो रही है। लेकिन इसका भी शोध नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि कई जगहों में दालों का उत्पादन अधिक होता है खास कर अरहर का उत्पादन। रीवा और विंध्य के दूसरे क्षेत्रों में इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। लेकिन इसमें अभी और अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है जिससे देश की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आपका यह प्रश्न हो गया है, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। क्या ये सब देखते हुए केन्द्र सरकार इनका अनुसंधान करने की आवश्यकता महसूस करती है या नहीं ? मेरे विचार से रीवा सबसे उपयुक्त स्थान है, दालों और तिलहनों के अनुसंधान करने के लिये। इसको दृष्टि में रखते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर रीवा में कृषि विश्वविद्यालय आप क्या स्थापित करेंगे ?

**श्री नीतीश कुमार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय शास्त्री जी ने यह कहा कि केन्द्र अपनी तरफ से विश्वविद्यालय खोलता है और उन्होंने इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया। पंतनगर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। आई० ए० आर० सी० और भारत सरकार द्वारा प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को ग्रान्ट दी जाती है।

अब जिस राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय है, उसको 50 लाख रुपया, जिस राज्य में दो हैं, दोनों को 35-35 लाख रुपया और जिस राज्य में दो से अधिक हैं, उसको प्रत्येक विश्वविद्यालय के हिसाब से 30 लाख रुपया एकमुश्त ग्राण्ट के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा जो रिसर्च कालेज होते हैं, उसके लिये अलग से अनुदान या धनराशि मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने स्तर से विश्वविद्यालय खोलने का जहां तक सवाल है, नार्थ ईस्टर्न स्टेट में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। 26 विश्वविद्यालय देश में हैं, 17 राज्यों में हैं और बाकी जो मुख्यत: नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बचते हैं, उनमें कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है तो वहां केन्द्र अपने स्तर से एक कृषि विश्वविद्यालय को प्रारम्भ करने का और उसको मदद करने का विचार रखता है, जिसके बारे में विचार चल रहा है, सरकार के अन्तर्गत और उसके लिए संभावना है कि विण्टर सेशन है, हो सकता है, इसके बारे में यह आये लेकिन इस पर अभी विचार चल रहा है, कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। रीवा की जो स्थिति है, मैंने बताया कि वहां जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं लेकिन राज्य सरकार चाहे तो उसको खोल सकती है। इस संबंध में जहां तक अनुदान का प्रावधान है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है।

**श्री सत्यनारायण जटिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि का महत्व कितना है, यह हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं और जो उनको केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान के माध्यम से जितना कार्य होना चाहिये और जिस दिशा में कार्य होना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य भी निर्धारित नहीं होगा तो हमने जो अनुदान दिया है, उससे कृषि की दृष्टि से ज्ञान देने के लिए, कृषि अनुसंधान के काम को अंजाम देने के लिए इनकी स्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिए। मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रान्त है, वहां केवल दो कृषि विश्वविद्यालय हैं···(व्यवधान) इस ओर विशेष रूप से यदि इस पर ध्यान दिया जाता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में इतनी क्षमता है कि वह कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान का लाभ ले सकता है। मेरा दूसरा यह कहना है कि जो अनुसंधान किये जाते हैं···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आर्डर रखें ताकि माननीय सदस्यों को सुना जा सके।

**श्री सत्यनारायण जटिया :** कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो अनुसंधान होते हैं, उनको खेतों तक पहुंचाने के लिए कारगर प्रणाली होनी चाहिये। इस दृष्टि से सरकार कृषकों को, जो वैज्ञानिक परीक्षण जो अनुसंधान किये जाते है, उनको खेतों तक पहुंचाने के लिए उनको कामयाब करने के लिए··· (व्यवधान)···मेरा प्रश्न यह है कि जो भी प्रयोगशाला में अनुसंधान होते हैं, विश्वविद्यालय में, उनको खेतों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रणाली उपलब्ध की जा रही है ? उसके बारे में जानकारी दें।

**श्री नीतीश कुमार :** हालांकि इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित यह सवाल नहीं है लेकिन जो अनुसंधान होते हैं, उनको खेतों तक पहुंचाने के लिए ही एक्सटेंशन के कार्यक्रम होते हैं और अनेक कार्यक्रम इस तरह के चलाये जाते हैं जैसे लैब टू लैण्ड कार्यक्रम है, कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रोग्राम हैं और कई अन्य कार्यक्रम उसके लिए चलाये जा रहे हैं।

**श्री बुद्धेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी इलाके से चुनकर आता हूं, जैसा शास्त्री जी ने कहा, वह सारा इलाका बुन्देलखण्ड, बघेलखंड यानी सारा पिछड़ा इलाका है और लोग सिर्फ कृषि

पर ही निर्भर करते हैं। अब आज सरकार कृषि को बढ़ावा देना चाहती है तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करके रीवा में यह विश्वविद्यालय खोला जाय, यह मेरा निवेदन है और आपने जो कहा, वह देश का सवाल है, प्रदेश की अनुमति मिलेगी लेकिन आप केन्द्र की तरफ से इसकी स्वीकृति दें, यही मेरा निवेदन है।

**श्री नीतीश कुमार** : अभी इसकी कोई स्थिति नहीं है और अगर माननीय सदस्य वहां वह जरूरत महसूस करते हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ इस सवाल को टेक अप करें।

[अनुवाद]

**प्रो० एन० जी० रंगा** : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का उत्तर संतोषप्रद नहीं है। उन्हें वित्त मंत्रालय से रीवा में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कुछ धनराशि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश देश के सबसे विशाल राज्यों में से एक है फिर भी यह सबसे कम विकसित राज्य है। रीवा में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

**श्री नीतीश कुमार** : इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

## अकबर होटल के कर्मचारियों को नियमित किया जाना

[अनुवाद]

*207. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा मई, 1986 में अपने नियंत्रण में लिये गए अकबर होटल के सभी कर्मचारियों को इस बीच नियमित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उन कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को वह लाभ देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो सेवाकाल के दौरान मर जाने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : (क) से (घ) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

### विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) इन कर्मचारियों को भारतीय पर्यटन विकास निगम ने पूरे सेवान्त लाभ देकर हटाया था। उसके फौरन बाद ही उन्हें इस मंत्रालय में रोजगार दे दिया गया था। इस समय वे "अस्थाई" हैं लेकिन उन्हें नियमित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। आवश्यक स्थायी पदों के सृजन के प्रश्न पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) और (घ) यह मामला उपरोक्त (क) और (ख) से प्रत्यक्षत: सम्बद्ध है। एक बार

उनका रोजगार नियमित हो जाए तो उनके परिवार सामान्य लाभ पाने के स्वत: ही पात्र हो जाएंगे ।

[हिन्दी]

**प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर के "ख" भाग में कहा है कि जो अस्थाई कर्मचारी हैं, उन्हें स्थायी और नियमित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या-क्या कदम उठाए हैं और उसका विवरण क्या है ? आपके कदमों के उठाए जाने के परिणामस्वरूप क्या कदम ही उठाए हैं या कुछ कर्मचारी नियमित भी कर दिए गए हैं ?

**श्री हरि किशोर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अकबर होटल 1986 में विदेश मंत्रालय ने लिया और वहां काफी मजदूर काम कर रहे थे। ऐसे कुछ लोगों को आई० टी० डी० सी० ने पुनर्नियुक्त कर लिया और इनमें काफी लोगों को कम्पैसेशन भी कर दिया गया है। इनमें 126 लोग ऐसे हैं, जिनके लिए पहले तो आई० टी० डी० सी० और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से आग्रह किया गया था कि वे अपने यहां इनको स्थायी तौर पर ले लें, लेकिन यह सम्भव नहीं हुआ तो इस कार्य को सचिव समिति को सुपुर्द कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इनको स्थायी कर दिया जायेगा और स्थायी होने के बाद जो भी बैनिफिट्स हैं, वे उनको मिलेंगे। हम लोग उनको रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट के साथ स्थायी करेंगे।

**प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं स्पष्ट उत्तर मन्त्री महोदय से चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने गोल-मोल-सी बात कही है । मैं यह जानना चाहूंगा, उस समय कुल कितने कर्मचारी काम अकबर होटल में कर रहे थे, जब आपने इनको नियन्त्रण में लिया ? इनमें से कितने स्थायी हो गए हैं और कितने ऐसे हैं, जिनको आप कहीं भी नहीं लगा सके हैं ?

**श्री हरि किशोर सिंह** : अध्यक्ष जी, कहीं पर भी नहीं लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता है । कुल 551 लोग थे, जिनमें से 414 को आई० टी० डी० सी० ने फ्रैश एप्वाइंटमेंट दिया है, बाकी 137 रह गये हैं। इनमें से कुछ को छांटने के बाद 126 आदमी हमारे विदेश मंत्रालय के पास हैं, जिनमें से तीन आदमी अस्थायी काम कर रहे थे, तीन आदमियों की मृत्यु हो गई है और जो बाकी बचे हैं उनको बहुत ही शीघ्र स्थायी कर दिया जाएगा । स्थायी होने के बाद जो सुविधा दी जा सकती है, वह उन सबको मिलेगी और मृतक परिवारों को भी वह सुविधा मिलेगी ।

**श्री जनार्दन यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, उस होटल में कितने कर्मचारी सेवा-काल में ही मर गए और उनके परिवारों के कितने लोगों को नौकरी मिली ?

**श्री हरि किशोर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि 126 में से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है । जैसे ही सचिव समिति की रपट आ जाती है, उनको स्थायी करने के लिये जो सुविधा और लोगों को मिलेगी फैमिली पैंशन वगैरह, वह उनको मिल जाएगी ।

[अनुवाद]

**श्री वसुदेव आचार्य** : अकबर होटल के पूर्व कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में देरी हुई है । इस भवन को भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया है । यह भवन

कब भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया जाएगा। इन कर्मचारियों का क्या होगा, क्या इन कर्मचारियों को नई नियुक्तियां दी जा रही हैं, उनके वेतनमानों और उनकी पिछली सेवाओं को जारी रखने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है? क्या सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को उनकी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों में शामिल करने पर विचार किया जायेगा ?

**श्री हरि किशोर सिंह** : महोदय, अकबर होटल को पर्यटन मंत्रालय को सौंपने के सम्बन्ध में उस मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और जैसे ही कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होगा हम होटल की इमारत को वापिस भारतीय पर्यटन विकास निगम को दे देंगे। जहां तक पिछली सेवाओं को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों के लिए शामिल करने की समस्या है हम उन सभी 126 कर्मचारियों को उस दिन से, जिससे उन्होंने विदेश मंत्रालय में सेवा प्रारम्भ की है, सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

**श्री वसुदेव आचार्य** : क्यों ?

**श्री हरि किशोर सिंह** : क्योंकि उन्होंने 36 लाख रुपये तक के सभी सेवानिवृत्ति लाभ शायद दे दिये हों।

**श्री वसुदेव आचार्य** : छंटनी या सेवानिवृत्ति लाभ ? छंटनी और सेवानिवृत्ति में अन्तर है।

**श्री हरि किशोर सिंह** : छंटनी के सभी लाभ। हम उस तिथि तक, जिस पर उनकी सेवाओं को कानून के अन्तर्गत विदेश मंत्रालय में लिया गया था, के सभी लाभ उनको दिये जायेंगे।

**आतंकवादियों की पंजाब में ग्रामीण सुरक्षा संगठनों को निष्क्रिय बनाने की योजना**

+

*208. **श्री यादवेन्द्र दत्त** :

**श्री कल्पनाथ राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि आतंकवादी पंजाब प्रशासन द्वारा गठित ग्रामीण सुरक्षा संगठनों को निष्क्रिय बनाने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

[हिन्दी]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) हाल ही में आतंकवादियों द्वारा सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा कर्मचारियों तथा ग्रामीण सुरक्षा समिति के सदस्यों पर आक्रमण किये गये।

(ख) राज्य सरकार स्थिति से अच्छी तरह अवगत है तथा आतंकवादियों के षड्यन्त्रों को विफल करने और ग्रामवासियों में विश्वास पैदा करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

**श्री यादवेन्द्र दत्त** : मैं जानना चाहता हूं कि पंजाब में जिन क्षेत्रों में आपने सुरक्षा समितियां गठित की थीं वहां गांव सुरक्षा समिति के लोगों पर कितनी बार हमले हुए हैं।

[हिन्दी]

**श्री सुबोध कान्त सहाय** : अभी तक 73 जगहों पर हुआ है ।

[अनुवाद]

**श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या आपने इन सुरक्षा समितियों को सुरक्षा के उद्देश्य से शस्त्र दिए हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि किस तरह के हथियार दिए गए हैं ? फिर आप इन समितियों का उत्साह कैसे बनाये रखेंगे जबकि आतंकवादियों द्वारा उन पर आधुनिक हथियारों से हमले किये जा रहे है ।

[हिन्दी]

**श्री सुबोध कान्त सहाय** : जहां तक आर्म्ड करने का सवाल है, मोराल बूस्टअप करने के लिए ही यह किया गया है । इसके साथ-साथ 5 से लेकर 7 एस० पी० ओज जो ट्रेंड किए हुए हैं और 15-20 के करीबन लोगों की संख्या इसमें होती है ।

**श्री यादवेन्द्र दत्त** : टाइप आफ वेपन्स ?

**श्री सुबोध कान्त सहाय** : इसमें जो वेपन्स दिए गए हैं उनमें डी० डी० बी० एल०, एस० बी० बी० एल०, रायफल्स, स्टेनगन, एस० एल० आर०, 12 बोर गन आदि दिए गए हैं । करीब 643 गांवों में इनको बनाया गया है, पर्टिकुलरली जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं, उनमें बनाया गया है और 3494 वेपन्स इंडीविजुअल्स को दिए गए हैं ।

[अनुवाद]

**प्रो० एन० जी० रंगा** : तरनतारन के विषय में क्या कहना है ?

**श्री सुबोध कान्त सहाय** : तरनतारन भी इसमें शामिल है ।

[हिन्दी]

इंडीवीजुअल्स को 3494 हथियार दिए गए हैं । इससे बहुत अधिक उनका मोराल बूस्ट-अप हुआ है । ऐसे इंसीडेंटस भी सामने आए हैं जिससे कहा जा सकता है कि गांव के लोगों ने आतंकवादियों को पकड़ा, उनके साथ मुकाबला किया और उनको पुलिस के हवाले किया । यहां तक कि एक गांव में औरतों ने आतंकवादियों को पत्थरों से मार-मार कर बेहोश किया । इसलिए मोराल बूस्ट-अप करने के लिए हमने जिला एक्शन प्लान बनाया है और उसमें गांव की जनता को इनवाल्व करने का काम किया है ।

[अनुवाद]

**श्रीमती सुखबंस कौर** : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब कभी गृह मंत्रालय को उत्तर देने होते हैं तब गृह मंत्री यहां मौजूद नहीं होते । पिछली बार जब प्रश्न काल समाप्त हुआ··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : वह भी मिनिस्टर आफ होम हैं । इसमें कोई दिक्कत नहीं है । आप अच्छा-सा सवाल पूछिये, आपको जवाब मिल जायेगा ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आपस में बात मत कीजिए ।

[अनुवाद]

**श्रीमती सुखवंस कौर** : महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि विशेष पुलिस अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए है । मैं उनसे यह जानना चाहूंगी कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि कम से कम एक सौ विशेष पुलिस अधिकारी त्यागपत्र देकर घर जा चुके हैं और जैसा उन्होंने कहा है क्या वह उन्हें ए० के०-47 राइफलों जैसे आधुनिक हथियार देंगे ।

[हिन्दी]

**श्री सुबोध कान्त सहाय** : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि 100 लोग रिजाईन करके गए हैं। बहुत-सी जगहों पर सर्विसिज में लोग काम करते हैं और किसी कारण से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन मोराल उनका डमजोर हुआ है । मुझे फख्र के साथ कहना पड़ रहा है कि गांव के लोगों का ही नहीं, पुलिस का मोराल भी हाई है, वे आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है ।

दूसरा सरकार की यह नीति है कि आतंकवादियों का मुकाबला जनशक्ति से किया जाए न कि ए० के०-47 देकर आतंकवादियों के साथ मुकाबला कराया जाए। पंजाब की समस्या का समाधान इसी दृष्टि से हम कर रहे हैं ।

[अनुवाद]

**श्री सन्तोष मोहन देव** : महोदय, मैं मंत्री महोदय के साथ पूर्णतया सहमत हूं । यह सही दिशा में उठाया गया सही कदम है और इन हथियारों से लोगों को स्वयं अपनी रक्षा करने में सहायता मिली है । लेकिन मंत्री महोदय ने भिन्न प्रकार के हथियार बताये हैं जैसे—एस० बी० बी० एल०, डी० बी० बी० एल० और एस० एल० आर० । मैं इस बात से सहमत हूं कि ए० के० 47 राईफल देना संभव नहीं है लेकिन लगभग नौ हजार गांवों में से 636 को ही चुना है । क्या मैं जान सकता हूं कि यही सहायता पंजाब के अन्य हिस्सों में वह कितनी जल्दी देने जा रहे है ताकि आतंकवादियों का सामना करने के लिए आम जनता स्वय अपनी सुरक्षा भी कर सके और हमें भी उनका अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो ।

[हिन्दी]

**श्री सुबोध कान्त सहाय** : महोदय, जैसा कि मैंने कहा पंजाब, में 42 पुलिस स्टेशन सैंसेटिव है जिनको हम लोगों ने चुना है । अभी तक हमने जितने गांवों को चुना है उनकी संख्या 643 है। इसमें 75 गांव और इनक्लूड किये जाने हैं । ये भी इन्हीं 42 पुलिस स्टेशन्स के अन्तर्गत आते हैं जो भी सोफैस्टीकेटिड आर्म्स वे चाहते हैं, वे उनको दिए जा रहे है । जहां जिस तरह की जरूरत है, उसके मुताबिक हथियार दिए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हमने जिला एक्शन प्लान बनाया है ताकि लोगों का इनवाल्वमेंट हो । उस एक्शन प्लान के तहत सरपंच, जो वहां पर चुने हुए जन प्रतिनिधि के रूप में है, उनके स्तर पर, जिला प्रखण्ड स्तर पर उनका सम्मेलन जिलाधिकारी कर रहे है । यह सम्मेलन गांव के स्तर पर भी कर रहे हैं । इसमें बड़ी संख्या में लोगों का पार्टीसिपेशन हुआ है, भागीदारी हुई है। इससे लोगों के दिल में विश्वास पैदा हुआ है। लोग खुलकर प्लेटफार्म पर आकर सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ भी बोल रहे हैं । सरकार के इस काम की लोग सराहना कर रहे है । इसलिए मैंने कहा कि विकास और जनता की भागीदारी, पुलिस प्रशासन का

पूरी तरह से इफैक्टिव होना और जिला प्रशासन के विकास की गति भी बढ़ी है। हर एक जिले में पंचायत स्तर पर कम से कम दस-दस लाख रुपया विकास के काम के लिए दिया जा रहा है ताकि लोग इससे जुड़े। इस तरह से मैं समझता हूं कि उनका मोराल हाई होगा।

**श्री कृपाल सिंह :** स्पीकर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने हौसला अफजाई [कर पिक्चर पेश की है कि गांव के लोगों को भरोसे में लेकर टैरोरीस्टों का मुकाबला करें। जब सरपंच और पंच साहिबान या विलेज डिफेंस कमेटी वाले किसी इनोसेंट आदमी के पकड़े जाने पर उसकी सफाई देने के लिए थाने में या पुलिस अफसरान के पास जाते हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है तो किसी तरह भी देहातियों का कॉफीडेंस या सरगर्म सपोर्ट हासिल नहीं हो सकती। क्या होम मिनिस्टर साहब पुलिस को ऐसी हिदायत देंगे कि वे गांवों के पंच-सरपंच साहेबान की बात को ध्यान से सुनें और उनकी गारन्टी पर पकड़े हुए इनोसेंट आदमियों को छोड़ दें।

**श्री सुबोध कान्त सहाय :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृपाल सिंह जी राय से सहमत हूं कि अगर सरपंच किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनकी बात को तवज्जुह दी जाए कि उनकी बात की जांच कर रहे हैं। पुलिस इस पर कार्यवाही करे। मेरा यह दृष्टिकोण है और यही मैं कहना चाहूंगा।

**श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री जी पंजाब का मोरल बढ़ाने के लिए पंजाब में कितनी बार गये हैं और कितनी बार जायेंगे।

**श्री सुबोध कान्त सहाय :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल साथ चलेंगे और साथ लेकर चलूंगा।

**श्रीमती सुभाषिनी अली :** अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने एक घटना का वर्णन किया कि एक गांव में औरतों ने आतंकवादियों को पकड़कर पीटा और मारा। मेरा यह निवेदन है कि इन औरतों का इन्टरव्यू दूरदर्शन पर आना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरे देश में उत्साहित किया जाए, क्या ऐसी कोई योजना है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आतंकवादियों द्वारा महिलाओं पर भीषण अत्याचार होते हैं तो दूरदर्शन पर या अपने प्रचार माध्यमों द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आना चाहिए। इससे जनता में उनके प्रति धारणा बना दी जाये।

**श्री सुबोध कान्त सहाय** . अध्यक्ष महोदय, जो लोग पंजाब में आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं, उनकी सराहना और उनके सम्मान के लिए माननीय सदस्या ने जो राय दी है, उस राय के मुताबिक कार्यक्रम बनाये जायेंगे।

**श्री भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सवाल के जवाब में जो बातें कही हैं, वह बहुत सही नहीं हैं। हरियाणा के साथ ही पंजाब लगा हुआ है। हम जानते हैं कि वहां कितनी बुरी हालत है। पिछले आठ महीनों में काफी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मारे गये। पुलिस ही नहीं बल्कि बी० एस० एफ० और आर्मी के काफी लोग वहां पर मरे हैं। बीस-पच्चीस लोग ही वहां पर रोज मरते हैं। पिछले आठ महीनों में कितने पुलिस आफिसर और आर्मी के लोग मारे गये और उससे पहले आठ महीनों में कितने अधिकारी और लोग मरे कितना अन्तर है बताने का कष्ट करें।

**श्री सुबोध कान्त सहाय :** अध्यक्ष महोदय, इससे सवाल उठता नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हाल के दिनों में पुलिस और पैरा-मिलिटरी फोर्स के ऊपर आतंकवादियों का हमला बढ़ा है। जनता और पुलिस प्रशासन भी साथ रहा है, इस वास्ते उन पर हमला बढ़ा है। जनवरी-90 में टैरोरीस्टों द्वारा 126 लोग मारे गये और 23 पुलिस वाले मारे गये और जनवरी में मरने वाले

टैरोरीस्टों की संख्या 53 है। फरवरी में 95 आतंकवादियों द्वारा मारे गये, 21 पुलिस वाले मारे गये और 77 आतंकवादी मारे गये। मार्च में 178 आतंकवादियों के द्वारा मारे गये, 26 पुलिस वाले मारे गये और 120 आतंकवादी मारे गये। अप्रैल में 70 आतंकवादियों द्वारा मारे गये, 22 पुलिस वाले मारे गये और 202 आतंकवादी मारे गये। मई में 195 आतंकवादियों द्वारा मारे गये, 13 पुलिस वाले मारे गये और 216 आतंकवादी मारे गये। जून में 173 आतंकवादियों द्वारा मारे गये, 23 पुलिस वाले मारे गये और 183 आतंकवादी मारे गये।

**श्री भजन लाल** : पिछले साल इन्हीं महीनों में कितने लोग मारे गये ?

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### विज्ञान भवन में आग

[हिन्दी]

*206. **डा० बंगाली सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान भवन में लगी आग के कारणों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसके द्वारा दिए गए सुझावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद)** : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित समिति ने 25-7-1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि जैसी विभिन्न एजेन्सियों के साथ परामर्श करके दिल्ली प्रशासन इसकी सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

आग लगने के कारण के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये इसकी और जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने यह मामला समिति को वापस भेज दिया है।

### केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कश्मीर छोड़कर अन्यत्र जाना

[अनुवाद]

*209. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में लगातार हिंसात्मक घटनाओं के कारण राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू और देश के अन्य स्थानों में चले गये हैं;

(ख) क्या सरकार उन कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान कर रही है;

(ग) क्या कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति बहाल होने तक इन कर्मचारियों को जम्मू क्षेत्र में अन्य स्थानों पर नियुक्त किया जा रहा है;

(घ) क्या कश्मीर छोड़कर आने वाले इन कर्मचारियों के लिए जम्मू में समुचित आवास व्यवस्था की गई है; और

(ङ) कश्मीर छोड़कर आए इन कर्मचारियों के बच्चों को विद्यालयों और कालेजों में दाखिला देने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने बताया है कि 12,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जम्मू में प्रवासियों के रूप में दर्ज किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने दर्ज किये गये प्रवासी सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2000 से अधिक बताई है। केन्द्रीय सरकार और जम्मू व कश्मीर सरकार ने पात्र प्रवासी कर्मचारियों को छुट्टी के वेतन (लीव सेलरी) का भुगतान करने के अनुदेश जारी कर दिये हैं।

2. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को घाटी में ड्यूटी पर आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि वे अपने परिवारों को अन्य स्थान पर रखने का निर्णय करते हैं, तो उन्हें स्थानांतरण अनुदान तथा मकान किराया भत्ते के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे कर्मचारियों को उनकी तैनातगी के स्टेशनों पर राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित स्थानों पर आवास उपलब्ध कराया जाता है।

3. फिर भी, काफी प्रवासी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अभी भी घाटी में लौटने को तैयार नहीं है। इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि अन्य स्थानों में संबंधित प्रतिष्ठानों में रिक्तियां होने पर उन्हें अस्थाई रूप से रख लिया जाए।

4. सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ प्रवासियों को जम्मू और दिल्ली में आवास उपलब्ध कराने के प्रबंध किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों सहित, प्रवासी परिवारों के बच्चों के दाखिले के करने में मामला मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य तथा कृषि मंत्रालयों, जम्मू व कश्मीर सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता के आधार पर उठाया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि तथा अन्य कालिजों और स्कूलों के छात्रों को प्रवेश दिलाने के बारे में प्रबन्धों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

## राज्यों में फालतू भूमि

[हिन्दी]

*210. श्री छीतूभाई देवजीभाई गामित :
श्री जे० चोक्का राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत कितनी भूमि को फालतू भूमि घोषित किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा इस भूमि में से कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है और गरीबों को आवंटित की गई है; और

(ग) क्षेत्र भूमि का अभिग्रहण कब तक किया जाएगा और सरकार द्वारा इस बारे में किन कठोर उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) फालतू घोषित की गई भूमि के बचे हुए हिस्से पर कब्जा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें से अधिकांश भूमि मुकदमेबाजी में फंसी हुई है और/अथवा विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेशों से प्रभावित है। राज्यों को विभिन्न न्यायालयों में लंबित इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है।

विवरण

(अनन्तिम आंकड़े) क्षेत्र एकड़ में

| | राज्य | फालतू घोषित क्षेत्र | कब्जे में लिया गया क्षेत्र | वितरित किया गया क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 688370 | 532813 | 405074 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | × | × | × |
| 3. | असम | 610370 | 545162 | 401179 |
| 4. | बिहार | 474621 | 376212 | 253636 |
| 5. | गुजरात | 248810 | 152671 | 107925 |
| 6. | गोवा | × | × | × |
| 7. | हरियाणा | 121303 | 113297 | 112984 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 284053 | 281462 | 3340 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 456000 | 450000 | 450000 |
| 10. | कर्नाटक | 284942 | 157056 | 115025 |
| 11. | केरल | 131870 | 92542 | 62467 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 315344 | 257916 | 168874 |
| 13. | महाराष्ट्र | 704329 | 624140 | 524645 |
| 14. | मणिपुर | 1705 | 1685 | 1685 |
| 15. | मेघालय | × | × | × |
| 16. | मिजोरम | × | × | × |
| 17. | नागालैंड | × | × | × |
| 18. | उड़ीसा | 174046 | 159379 | 146340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | पंजाब | 138825 | 103774 | 101267 |
| 20. | राजस्थान | 618;05 | 545808 | 421985 |
| 21. | सिक्किम | × | × | × |
| 22. | तमिलनाडु | 174765 | 168613 | 137797 |
| 23. | त्रिपुरा | 1995 | 1646 | 1598 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 523137 | 495595 | 355605 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1259119 | 1142915 | 869198 |

**बिहार के साहिबगंज जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना**

*211. श्री साइमन मरांडी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के साहिबगंज जिले में उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिनमें आधुनिक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली आरम्भ कर दी गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार साहिबगंज जिले में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) साहिबगंज जिले के किसी भी एक्सचेंज को अभी तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में नहीं बदला गया है। फिर भी, साहिबगंज में एक महीने के भीतर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरसंचार विभाग की नीति के अनुसार 8वीं एवं 9वीं योजना अवधि के दौरान सभी इलेक्ट्रा-मकेनिकल और करचल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना बनाई गई है।

**राजस्थान में डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक कारखाना**

*212. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाइ अमोनियम फास्फेट उर्वरक का अभाव है तथा इस अभाव को आयात के द्वारा पूरा किया जा रहा है;

(ख) क्या देश में रॉक फास्फेट की अधिकतम मात्रा राजस्थान से निकाली जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रॉक फास्फेट का उपयोग करने के लिए राजस्थान में एक

डाई अमोनियम फास्फेट कारखाना स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) अनुमानित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए फास्फेटिक उर्वरकों का आयात किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी० पी० सी० एल०) से कहा है कि वे एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें जिसमें अन्य बातों के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए सलादीपुरा (राजस्थान) के पाइराइट्स का समुपयोजन, सल्फ्यूरिक एसिड और राजस्थान रॉक फास्फेट का उपयोग करते हुए एक एस० एस० पी० संयंत्र स्थापित करना और एक डी० ए० पी० संयंत्र स्थापित करना शामिल है जो सलादीपुरा पाइराइट्स राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि० के रॉक फास्फेट साण्ड्र तथा राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे जिंक स्मैल्टर के सल्फ्यूरिक एसिड पर आधारित है।

## दिल्ली पुलिस कर्मियों का महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अन्तर्ग्रस्त होना

*213. प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के कितने कांस्टेबलों तथा अधिकारियों के विरुद्ध बलात्कार के मामले दर्ज किए गए; और

(ख) दिल्ली पुलिस के कुल कितने कांस्टेबलों तथा अधिकारियों को उक्त मामलों में दंडित किया गया और उनमें से कितनों के विरुद्ध न्यायालयों में मामले लम्बित हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) इस अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के पांच कांस्टेबलों के विरुद्ध इस प्रकार के मामले चलाए गए हैं।

(ख) पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमें चलाये जा रहे हैं। चार कांस्टेबलों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और पांचवां अभियुक्त निलम्बित है।

## बिहार में मनीहारीघाट-साहेबगंज के बीच नौका सेवा

[अनुवाद]

*214. श्री युवराज : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में मनीहारीघाट और साहेबगंज के बीच जो नौका सेवा पहले राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती थी, अब भारत सरकार द्वारा चलाई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से आरम्भ होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमारे देश की नदी प्रणालियों में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके लिए फेरी सेवाएं अपेक्षित हैं। संसाधनों के अभाव के कारण और नीति के तहत केन्द्र सरकार अथवा इसके किसी भी संगठन ने, सिवाय सीमित तौर के ऐसी सेवाएं नहीं चलाई हैं। तथापि माननीय सदस्य द्वारा बताए गए सेक्टर में समुचित सेवाओं की आवश्यकता को समझा गया है और इसे बिहार राज्य सरकार के साथ उठाया जाएगा।

**अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का विकास**

*215. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंतनगर विश्वविद्यालय ने गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि में खेती के लिए अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बीजों की कितनी मात्रा किसानों को जारी की गई; और

(ग) इस राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए इस विश्वविद्यालय द्वारा आरम्भ किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों के लिए उपयुक्त उच्च उपजशील किस्मों का कुल 885 क्विंटल प्रजनक, आधारभूत और प्रमाणित बीज विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है ताकि उसे किसानों तथा बीज उत्पादक एजेंसियों को जारी किया जा सके।

(ग) विश्वविद्यालय ने पहाड़ी क्षेत्र में चार अनुसंधान यूनिटों की स्थापना की है। ये हैं :— रानीचौरी (टिहरी) स्थित पहाड़ी परिसर मझेरा (नैनीताल) स्थित अनुसंधान केन्द्र, किरना(पिथौरागढ़) स्थित अनुसंधान केन्द्र और ओजार अनुसंधान तथा परीक्षण केन्द्र, पौड़ी (गढ़वाल)। कृषि, वानिकी, बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि इंजीनियरी, मृदा-जल प्रबंधन, पशु विज्ञानों, औषधीय तथा संगंधित पौधों, खुम्बी की खेती, शीतल जल मात्स्यिकी, मधुमक्खी पालन, परिस्थिति विज्ञान पादप सुरक्षा, कृषि मौसम विज्ञान, ऊतक संवर्धन और नाभिक बीज उत्पादन जैसे विषयों पर अनुसंधान कार्य किया गया है।

रानीचौरी स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और विकास एजेन्सियों के अधिकारी व कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केन्द्र के ही माध्यम से किसानों के खेतों में प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

**पंजाब में आतंकवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ें**

*216. **श्रीमती विमला कौर खालसा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में आतंकवादियों के साथ पुलिस की कितनी मुठभेड़ें हुईं;

(ख) इन मुठभेड़ों में कितने नागरिक और कितने पुलिस कर्मी हताहत हुए;

(ग) कितने मामलों में मजिस्ट्रेट से जांच करायी गयी थी और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या कुछ फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद)** : (क) प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान 1453 मुठभेड़ें हुई।

(ख) 57 नागरिकों और 162 सुरक्षा कार्मिकों ने इन मुठभेड़ों में अपने प्राण खोये।

(ग) 77 घटनाओं में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई। 57 मामलों में निर्णय दिए गए हैं, 53 मामलों में मुठभेड़ों को उचित ठहराया गया।

(घ) से (च) जी हां, श्रीमान। चार मामलों में जांच के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई है।

## गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की उत्पादन लागत

[हिन्दी]

*217. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 को स्थिति के अनुसार देश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं और ऐसे प्रत्येक संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या गैस पर आधारित संयंत्रों की उत्पादन लागत अन्य संयंत्रों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के स्थान और उत्पादन क्षमताएं —

| क्र० सं० | कम्पनी का नाम | संयंत्र का स्थान | नाइट्रोजन के रूप में वार्षिक उत्पादन क्षमता (000 मी० टन) |
|---|---|---|---|
| 1. | नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड | विजयपुर | 334.00 |
| 2. | राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० | ट्राम्बे-5 | 152.00 |
| 3. | —वही— | थाल | 683.00 |
| 4. | हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० | नामरूप-I | 45.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | —वही— | नामरूप-II | 152.00 |
| 6. | —वही— | नामरूप-III | 177.00 |
| 7. | इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० | कलोल | 182.00 |
| 8. | —वही— | आंवला | 334.00 |
| 9. | कृषक भारती कोआपरेटिव लि० | हजीरा | 668.00 |
| 10. | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० | बड़ोदा | 130.00 |
| 11. | इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर कैमिकल्स कारपोरेशन | जगदीशपुर | 334.00 |
| | कुल | | 3191.00 |

(ख) और (ग) उर्वरकों के उत्पादन की लागत निवेश पर निर्भर करती है, जो फीडस्टाक की किस्म, संयंत्र की क्षमता और उसकी मियाद तथा फीडस्टाक के मूल्य पर निर्भर है। चूंकि समान क्षमता और मियाद वाले विभिन्न फीडस्टाक पर आधारित संयंत्र विद्यमान नहीं हैं और चूंकि भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न फीडस्टाक की लागत में भी पर्याप्त अन्तर है अतः अलग-अलग फीडस्टाक वाले उर्वरक संयंत्रों की उत्पादन लागत की गणना संभव नहीं है तथापि प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० द्वारा किये गये विश्लेषण के अनुसार समान क्षमता वाले गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र के मामले में निर्धारित संचालन लागत में अंशदायी निवेश लागत नैफथा पर आधारित संयंत्र की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत कम, ईंधन तेल पर आधारित संयंत्र की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम और कोयले पर आधारित संयंत्र की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम होगी।

**भूमि सम्बन्धी रिकार्डों को अद्यतन बनाना**

*218. **श्री कंकर मुंजारे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों और कृषि विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भूमि सम्बन्धी रिकार्डों को अद्यतन बनाने पर जोर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक इस सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय प्रगति न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो भूमि सम्बन्धी रिकार्ड को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) :** (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेषकर भूमि सुधार कानूनों से होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के सर्वोच्च महत्व को स्वीकार किया गया था।

(ख) भूमि राज्य का विषय होने के कारण भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। किन्तु राज्यों ने इस कार्य में पर्याप्त प्रगति नहीं होने का कारण संसाधनों की तंगी को बताया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं है। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के नीति पत्र में इस कार्य के महत्व को स्वीकार किया गया है।

(घ) सातवीं योजना में राजस्व तन्त्र को सुदृढ़ बनाने तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के बारे में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शामिल की गई थी ताकि इस कार्य के लिए राज्यों को साधारण रूप से वित्तीय सहायता दी जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत, भू-अभिलेखों से सम्बन्धित आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा इसमें उच्च तकनीक को शामिल करने हेतु राज्यों को 13.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

सातवीं योजना के दौरान 14 राज्यों में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाएं भी शुरू की गई थीं।

चूंकि राज्य इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं और नौवें वित्त आयोग ने भी इस कार्य हेतु कोई भी संसाधन आवंटित नहीं किए हैं अतः योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि आठवीं योजना में उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को काफी अधिक आवंटन देकर जारी रखा जाए।

देश भर में चरणबद्ध तरीके से भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण करने की एक व्यापक स्कीम को भी आठवीं योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है।

भू-राजस्व प्रशासन के पुनर्जीवीकरण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग शीघ्र ही गठित किया जा रहा है जिसे सौंपे गए व्यापक विचारार्थ-विषयों में अन्य बातों के अलावा, भू-अभिलेखों को तैयार करने, रख-रखाव तथा अद्यतन करने की विद्यमान प्रणाली में सुधार के उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

## ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाना

[अनुवाद]

*219. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में काफी भू-क्षेत्र ऊसर है और यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में हाल ही में ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया था और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय क्षारीय भूमि अनुसंधान संस्थान, करनाल आदि द्वारा पहले भी इस बारे में इसी प्रकार की गोष्ठियों/चर्चाओं का आयोजन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) ऐसा अनुमान है कि ऊसर भूमि के तहत आने वाला क्षेत्र 70 लाख हैक्टर से भी अधिक है। ऊसर भूमि का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :

| राज्य | क्षेत्र लाख हैक्टर में |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 12.95 |
| गुजरात | 12.14 |
| पश्चिम बंगाल | 8.50 |
| राजस्थान | 7.28 |
| पंजाब | 6.88 |
| हरियाणा | 5.26 |
| महाराष्ट्र | 5.34 |
| उड़ीसा | 4.04 |
| कर्नाटक | 4.04 |
| मध्य प्रदेश | 2.24 |
| आंध्र प्रदेश | 0.42 |
| अन्य राज्य | 1.01 |
| कुल | 70.10 |

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऊसर भूमि क्षेत्र है।

वर्ष 1989 में नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में ऊसर भूमि के सुधार पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। विचार गोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी कि ऊसर भूमि में जलमग्नता और लवणता की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऊसर भूमि के सुधार के लिए अनुसंधान की प्राथमिकताएं तैयार की गई हैं।

पिछले दिनों में, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा० कृ० अ० परिषद और केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल ने ऊसर भूमि के सुधार से संबंधित तकनीकों के विभिन्न पहलुओं पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है। हाल के पिछले दिनों में कुछ विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया था जो निम्न प्रकार है :—

(I) लवण से प्रभावित मिट्टियों के सुधार और प्रबन्ध के लिए सिद्धान्त और प्रक्रियाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी (18—21 फरवरी, 1980)।

(II) जल-ग्रस्तता और लवण प्रभावित मिट्टियों के जल निकास पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी (11—14 फरवरी, 1986)।

(III) लवण प्रभावित मिट्टियों पर वन लगाने से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी (16—20 फरवरी, 1987)।

(IV) सिंचाई पद्धति के प्रबन्ध पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी (24—27 फरवरी, 1988)।

इन विचार गोष्ठियों में किये गये कार्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया और अनुसंधान संबंधी भावी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए जानकारी में कमियों का पता लगाया गया। विकसित की गई टेक्नोलॉजी का संबंधित राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा कारगर रूप से इस्तेमाल किया गया। ऐसा अनुमान है कि पिछले दशक के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख हैक्टर लवण प्रभावित क्षेत्र का सुधार किया गया और इसे उत्पादक मिट्टियों में परिवर्तित किया गया।

## उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं

*220. श्री नकुल नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता और मांग की उपलब्धता को देखते हुए उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सुविधाएं पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश के जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए इन क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था तक पहुंच तथा विश्वसनीयता में उल्लेखनीय रूप से सुधार लाने के लिए आठवीं योजना के प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने में विशेष प्राथमिकता दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आठवीं योजना के प्रस्तावों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(i) जनजातीय क्षेत्रों में सभी एक्सचेंजों से व्यावहारिक रूप से मांग पर टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था,

(ii) जनजातीय क्षेत्रों में सभी एक्सचेंजों का स्वचलीकरण,

(iii) जनजातीय क्षेत्रों में हर एक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में जिन व्यापक दूरसंचार सुविधाओं को प्रदान करने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :—

| क्र०सं० | मद | | उड़ीसा | मध्य प्रदेश | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निवल स्थानीय स्विचन क्षमता | संख्या | 21150 | 52000 | 19100 |
| 2. | सीधी एक्सचेंज लाइनें | ,, | 14800 | 41700 | 18500 |
| 3. | तार घर | ,, | 337 | 700 | 50 |
| 4. | लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन | | हर एक ग्राम पंचायत में एक | | |

**सचिव स्तरीय भारत-पाक वार्ताओं के परिणाम**

[हिन्दी]

*221. प्रो० रासा सिंह रावत :

**श्री समरेन्द्र कुण्डु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर पर हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : भारत ने 28 मई, 1990 को परस्पर विश्वास विकसित करने का जो एकमुश्त प्रस्ताव रखा था उसी के अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच अपने संबंधों के मौजूदा तनाव को दूर करने के उद्देश्य से तथा द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत के दो दौर हो चुके हैं। अब तक जो बातचीत हुई है उससे दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा अच्छी तरह समझने में और विश्वास पैदा करने के लिए भारत की ओर से सुझाए गए कई उपायों पर मतभेद कम करने में सहायता मिली है। सितम्बर, 1990 के आखिर में इस बातचीत का तीसरा दौर होने वाला है।

**उत्तर प्रदेश में सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन**

*222. श्री एम० एस० पाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल जिले के किन-किन खण्डों में सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित करने की सिफारिश की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम इन क्षेत्रों में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में नैनीताल जिले के निम्नलिखित छः खण्डों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के तहत शामिल करने की सिफारिश की है :—

1. रामगढ़
2. ओखलकाण्डा

3. भीमताल

4. बेतालघाट

5. धारी

6. कोटाबाग

(ख) और (ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित राष्ट्रीय समिति ने सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इन कार्यक्रमों को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए और इनका राज्य योजनाओं के साथ उपयुक्त रूप से विलय कर दिया जाए। अत: इसने इन कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के प्रस्तावों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है।

केन्द्रीय सरकार ने इस समिति की सिफारिशों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

**कर्नाटक में सिंचित भूमि**

[अनुवाद]

2351. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है; और

(ख) और अधिक भूमि को सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) 1987-88 के लिए भूमि उपयोग संबंधी नवीनतम सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में निवल सिंचित क्षेत्र 18.53 लाख हैक्टेयर था।

(ख) राज्य में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रमुख, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। राज्य में लघु सिंचाई के विकास में तेजी लाने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं :—

(1) 1990-91 के दौरान वर्धित सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का आवंटन;

(2) संस्थागत निवेश में वृद्धि करना;

(3) चालू लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई;

(4) विद्यमान लघु सिंचाई तालाबों की पुन: स्थापना;

(5) लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की संभावनाओं का पता लगाना।

**विवाहित महिलाओं द्वारा पासपोर्ट के लिए विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना**

2352. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** :

**श्री बलवन्त मनवर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये निदेशों के अनुसार पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले विवाहित महिलाओं को अपने विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पासपोर्ट के लिए विवाहित पुरुष आवेदकों के मामले में भी समान निदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस भदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए गुणावगुणों पर विचार किए जाने में विवाह प्रमाणपत्र किस प्रकार सहायक होता है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : (क) जी नहीं। ऐसा कोई नया निदेश नहीं है। मौजूदा निदेशों के अनुसार विवाह के प्रमाण पत्र/विवाह के प्रमाण की अपेक्षा तभी होती है जबकि कोई महिला आवेदक अपने विवाह के बाद अपने पासपोर्ट में नाम परिवर्तन का अनुरोध करे। जब कोई आवेदक विवाह का प्रमाण पत्र न दे पाए तो पासपोर्ट अधिकारी शपथ पत्र स्वीकार कर लेते हैं।

(ख) विवाह का प्रमाण पत्र एक प्रमाण के रूप में तभी मांगा जाता है जबकि कोई महिला विवाह के बाद अपना नाम/कुल नाम बदलने के लिए अनुरोध करे।

(ग) नाम परिवर्तन के लिए दस्तावेजी प्रमाण पुरुष आवेदक के लिए उतना ही बैध है। तथापि, उनके लिए विवाह का प्रमाण पत्र पैश करना अपेक्षित नहीं होता क्योंकि पुरुष आमतौर से अपने विवाह के परिणामस्वरूप अपना नाम नहीं बदलता।

(घ) इसका कारण ऊपर भाग (ग) में बताया गया है।

(ङ) विवाह के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा सिर्फ तभी होती है जब आवेदक विवाह के उपरान्त अपना नाम/कुल नाम बदलना चाहे।

**छोटे व्यापारियों को नई दिल्ली नगर पालिका की दुकानों का आवंटन**

[हिन्दी]

2354. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने पटरियों पर अपना सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) ये दुकानें कहां स्थित हैं और इनके कब तक आवंटित कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (घ) फेरी वाले/पटरियों पर सामान बेचने वालों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर, दिनांक 30-8-1989 को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, नई दिल्ली नगर पालिका को एक नीति

तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। तदनुसार, नई दिल्ली नगर पालिका ने एक नीति तैयार की है तथा उसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष रख दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत, फेरी वालों/पटरियों पर सामान बेचने वालों द्वारा किए गए दावों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है तथा, इस बीच, नई दिल्ली नगर पालिका को किसी प्रकार का आवंटन करने से रोक दिया गया है।

**ग्रामीण पेय जल/ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए केरल सरकार को आवंटन**

[अनुवाद]

2355. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए ग्रामीण पेय जल परियोजनाओं और ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु केरल सरकार को कोई धनराशि आवंटित की है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने गांवों को शामिल करने का विचार है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) भारत सरकार ने केरल राज्य को वर्ष 1990-91 में पालाघाट जिले में मिनी मिशन परियोजना के लिए 0.89 करोड़ रुपए के आवंटन के अलावा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 10.76 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 63.9619 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में 1990-91 के लिए आवंटन की राशि 1871 लाख रुपए की है जिसमें से केन्द्रीय अंश 935.56 लाख रुपए है। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कुल आवंटन 30.88 लाख रुपए है जिसमें से केन्द्रीय अंश 19.94 लाख रुपए है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल राज्य में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम मिनी मिशन तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समस्याग्रस्त गांवों का लक्ष्य निम्न प्रकार है।

| बिना जल स्रोत श्रेणी से गांव | आंशिक रूप से शामिल की गई श्रेणी (आंशिक से पूर्ण रूप के गांव) | समस्याग्रस्त गांवों के अलावा अन्य गांव | गांवों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 2 | 154 |

**महाराष्ट्र में खोले गए डाक घर**

2356. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में कुल कितने नये डाक घर खोले गये ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : 1-4-87 से 31-3-1990 तक की अवधि

के दौरान महाराष्ट्र में 213 नए डाक घर खोले गए थे। जिलावार ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

**राष्ट्रीय बीज निगम**

2357. **श्री सनत कुमार मंडल**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निगम को "लाभप्रद इकाई" बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)**: (क) निगम को 31 मार्च, 1989 तक 11.66 करोड़ रुपये की संचयी हानि हुई है।

(ख) निगम निम्न कारणों से गत कुछ वर्षों के दौरान अपने प्रचालनों में क्षति वहन कर रहा है:—

(1) बीज के मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि किए बिना बीज उत्पादकों को अदा किए जाने वाले आदान मूल्यों और अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करना।

(2) सामान्य मूल्य वृद्धि और निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम राहत की अदायगी के कारण निर्धारित अति शीर्ष खर्चों में वृद्धि।

(3) ब्याज का भारी बोझ।

(4) उत्पादन में कटौती के कारण बीज उत्पादन चरण-1 और 2 अन्तर्गत सृजित की गई बुनियादी सुविधाओं का कम उपयोग।

(5) आगे बढ़ाए गए संचित स्टाक के कारण क्षति; और

(6) अधिशेष कर्मचारी।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम की कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-3 के अन्तर्गत परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

**अण्डमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों में यात्री पोत सेवा में सुधार**

2358. **श्री मनोरंजन भक्त**: क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न द्वीपों को जोड़ने वाली वर्तमान अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप यात्री पोत सेवा में कोई सुधार करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)**: (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अण्डमान तथा निकोबार अन्तरद्वीपीय नौवहन सेवाएं

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न द्वीपों में मौजूदा पांच विशिष्ट अन्तरद्वीपीय जहाजों द्वारा नियमित अन्तरद्वीपीय नौवहन सेवा प्रदान की जाती है। इन जहाजों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा प्रचालित किया जाता है और इन पर कर्मचारियों की तैनाती/तकनीकी प्रबन्ध-व्यवस्था भारतीय नौवहन निगम लि० द्वारा की जाती है। अन्तरद्वीपीय नौवहन सेवाओं में सुधार करने के लिये अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने अन्तरद्वीपीय मार्गों पर प्रचालन के लिए निम्नलिखित यात्री जहाजों का आर्डर दिया है :—

| जहाज की किस्म | संख्या जिसका आदेश दिया | शिपयार्ड जिसे आदेश दिया गया | डिलीवरी की संभावित तारीख |
|---|---|---|---|
| 300 यात्री जहाज | 1 | गोवा शिपयार्ड, गोवा | अप्रैल, 1991 |
| 400 यात्री जहाज | 1 | हुगली डाकिंग, कलकत्ता | दिसम्बर, 1991 |
| 100 यात्री जहाज+5 व्हीकल फेरी | 4 | शालीमार, कलकत्ता | 2—1990 के अंत में<br>2—1991 के शुरू में |
| 50 पैसेंजर लोडिंग फेरी | 1 | हुगली डाकिंग, कलकत्ता | मार्च, 1991 |

लक्षद्वीप अन्तरद्वीपीय नौवहन सेवाएं

लक्षद्वीप में अन्तरद्वीपीय यात्री सेवाओं में सुधार करने के लिए दो अन्तरद्वीपीय यात्री नौकाएं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 100 यात्री है, के आदेश मई, 1989 में दिए गए थे। तीव्र गति वाली ये नौकाएं नीदरलैंड में बन रही हैं और लगभग अक्तूबर, 1990 के अन्त में इनके कोचीन में डिलिवर किए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2359. श्री हरीश पाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इनमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई;

(ख) क्या लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति की निगरानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान सूचित किए गए

रोजगार के श्रम दिनों के रूप में की जाती थी। 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के लिए रोजगार सृजन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उनकी उपलब्धि नीचे दर्शायी गई है :—

| राज्य | रोजगार सृजन लक्ष्य (लाख श्रम दिन) | |
|---|---|---|
| | निर्धारित | प्राप्त |
| उत्तर प्रदेश | 580.00 | 812.95 |
| मध्य प्रदेश | 361.10 | 392.36 |

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**राजस्थान में खोला गया इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज**

2360- श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गये हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में कुछ और नए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र/इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में राजस्थान में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र/इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में संलग्न विवरण में बताए गए स्थानों पर 35 स्थानीय इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं।

(ग) से (ङ) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 180 से अधिक स्थानीय इलैक्टानिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने और 830 सार्वजनिक टेलीफोन खोलने और शहरी क्षेत्रों में 200 सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की योजना है। स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनिक टेलीफोनों के स्थान मार्ग पर आधारित होंगे।

**विवरण**

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए इलैक्टानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान

| वर्ष | | खोले गए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के स्थान |
|---|---|---|
| 1987-88 | 1. | टोंक |
| | 2. | झुनझुनु |
| | 3. | सिरोही |

| | | |
|---|---|---|
| | 4. | झालावाड़ |
| | 5. | सवाई माधोपुर—रेलवे स्टेशन |
| | 6. | सवाई माधोपुर—सिटी |
| | 7. | जालोर |
| | 8. | जैसलमेर |
| | 9. | शिवदासपुरा |
| | 10. | बनेटी |
| | 11. | भावदा |
| | 12. | हिंगोनिया |
| 1988-89 | 1. | बूंदी |
| | 2. | बाड़मेर |
| | 3. | बैसू |
| | 4. | उमरैन |
| | 5. | हमीरपुर |
| | 6. | गंडाला |
| | 7. | शंडोली |
| | 8. | भिवूंसी |
| 1989-90 | 1. | जोधपुर |
| | 2. | जयपुर—सांगानेरी गेट |
| | 3. | जयपुर—बजाज नगर |
| | 4. | जयपुर एम० आई० रोड |
| | 5. | मकराना |
| | 6. | नागौर |
| | 7. | सिंघंडी |
| | 9. | समचड़ी |
| | 8. | पचपादरा |
| | 10. | धम्बूरी |
| | 11. | बहादुरपुर] |
| | 12. | सिवियसर |
| | 13. | चन्दौली |
| | 14. | बिचगांव |
| | 15. | छन |

**वलायार चेकपोस्ट के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना**

2361. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल और तमिलनाडु में अन्तर्राज्यीय सीमा पर वलायार चेक-पोस्ट के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि राज्य का लोक निर्माण विभाग, वालायार चैकपोस्ट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सड़क-विस्तार (लेवाई), आदि की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है ।

**दिल्ली में किरायेदारों पर हमला**

2362. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में दिल्ली में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की हत्या करने तथा उन पर हमला करने की घटनायें हुई हैं;

(ख) क्या पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई एफ० आई० आर० के मामले में कोई शीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो जहां किरायेदारों द्वारा दर्ज कराई गई एफ० आई० आर० पर शीघ्र कार्य-वाही न करने के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) दिनांक 1-1-1990 से 15-8-1990 तक की अवधि के दौरान, दिल्ली में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों पर किए गए हत्या के दो मामले तथा हत्या के प्रयास के तीन मामले सूचित किए गए हैं ।

(ख) जब कभी भी पुलिस को ऐसी कोई सूचना/शिकायत प्राप्त होती है तो तुरन्त कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पारादीप पत्तन द्वारा ऋण का भुगतान**

2363. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन द्वारा विभिन्न स्रोतों से आज तक कुल कितनी धनराशि के ऋण लिए गए; और

(ख) पत्तन प्राधिकारियों द्वारा इन ऋणों का किस प्रकार भुगतान करने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) पारादीप पत्तन न्यास ने अब तक विभिन्न स्रोतों से 210.10 करोड़ रु० का ऋण लिया है ।

(ख) पारादीप पत्तन द्वारा अर्जित लाभ में से ऋण और ब्याज का भुगतान किए जाने की सम्भावना है।

पारादीप पत्तन न्यास ने वर्ष 1983-84 तक की अपनी ऋण देयताओं का भुगतान पर दिया है और 1984-85 की देयताओं का आंशिक रूप से भुगतान कर दिया है। इसके अलावा, पारादीप पत्तन ने ऋण की वापस अदायगी पर अधिस्थगन और ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

**नारियल के पौधों की सप्लाई**

2364. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अधिक फल प्रदान करने वाले नारियल के पौधों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नारियल विकास बोर्ड ने सस्ती दरों पर जरूरत मन्द उत्पादकों को पर्याप्त मात्रा में पौधों की सप्लाई करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नारियल विकास बोर्ड केरल सरकार के कृषि विभाग द्वारा टी×डी तथा डी×टी संकर नारियल पौधों के उत्पादन और वितरण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन 50% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा केरल में उत्पादित तथा वितरित टी×डी संकर नारियल पौधों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | पौधों की संख्या |
|---|---|
| 1987-88 | 45,000 |
| 1988-89 | 42,000 |
| 1989-90 | 50,000 |

इसके अलावा, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के तहत प्रतिवर्ष एक लाख टी० × डी० तथा डी० × टी० नारियल संकर के पौध का उत्पादन किया तथा इसकी आपूर्ति की।

**मधुबनी पोस्टल डिवीजन के लिए भवन का निर्माण**

2365. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी पोस्टल डिवीजन, बेनीपट्टी तथा लोकाहा डाकघर और कर्मचारी क्वार्टरों के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोकाहा डाकघर के लिए जमीन का कब्जा वास्तव में मिल गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कितनी समयावधि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मधुबनी मण्डलीय कार्यालय के लिए मधुबनी प्रधान डाकघर भवन में कुछ मंजिलें और निर्मित करने का प्रस्ताव है। बेनीपट्टी डाकघर भवन और स्टाफ क्वार्टरों को पूरा कर लिया गया है तथा 2-12-87 को उनका कब्जा ले लिया गया है। लोकाहा डाकघर के लिए विभागीय भवन का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) जैसाकि उपरोक्त भाग (क) में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। लोकाहा डाकघर के लिए भू-खण्ड पर विभाग का वास्तविक कब्जा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रकाशनों को विदेश भेजने पर डाक प्रभार**

2366. श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारी परम्पराओं, संस्कृति और धर्म की जानकारी देने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या कुछ प्रतिष्ठित प्रकाशक हमारी संस्कृति, धर्म इत्यादि का प्रचार करने की दृष्टि से गीता, रामायण इत्यादि सहित सैकड़ों पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं;

(ग) क्या विदेशियों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा बड़ी संख्या में इन पुस्तकों की मांग की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रकार साहित्य को विदेश भेजने पर डाक व्यय से छूट देने अथवा न्यूनतम प्रभार लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरकार भारत की संस्कृति, परम्पराओं, कला आदि को विदेशों में दिखाने की जरूरत के प्रति जागरूक है और इस संबंध में प्रचार गतिविधियों का एक सुविकसित कार्यक्रम है। विदेशों में भारतीय मिशन पुस्तकों, पत्रिकाओं के वितरण, प्रदर्शनकारियों का आयोजन, दृश्य और काव्य प्रदर्शन जैसे विभिन्न मामलों के जरिये भारतीय परंपरा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार संलग्न है।

(ख) भारतीय प्रकाशक संस्कृति और धर्म के व्यापक विषयों पर पुस्तकों को छापते हैं।

(ग) विदेशों में वहां के नागरिकों तथा वहां रहने वाले भारतीयों में संस्कृति से सम्बन्धित भारतीय प्रकाशनों की अच्छी मांग है।

(घ) और (ङ) बुक पोस्ट की विभिन्न वर्गों के लिए विद्यमान दरों पर डाक विभाग ऐसी सेवाएं प्रदान करने की पूरी लागत उठाने और इससे होने वाले भारी नुकसान को बर्दाश्त करने में

असमर्थ है। इसलिए ऐसे प्रकाशकों को डाक प्रचार से छूट देना अथवा न्यूनतम प्रभार लेना संभव नहीं है।

**विशेष सशस्त्र बल बटालियनों की तैनाती के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान**

[हिन्दी]

2367. श्री एम० सी० वर्मा :

श्री राघवजी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की विशेष सशस्त्र बल बटालियनें समय-समय पर अन्य राज्यों में तैनात की जाती हैं;

(ख) यदि हां तो क्या जिन राज्यों में बल तैनात किए जाते हैं, उनका खर्च उठाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं राज्यों की होती है;

(ग) क्या असम, जम्मू और कश्मीर, लक्षदीप और त्रिपुरा भेजी गई ऐसी बटालियनों पर किये गये खर्च का भुगतान इन राज्यों ने नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों द्वारा राज्यवार अभी कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान करना शेष है और भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों की तैनाती के व्यय की अदायगी उधार लेने वाली सरकारों/प्रशासन द्वारा वहन की जाती है। तथापि त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर में ऐसी तैनाती के मामले में 31-3-1990 तक की गई तैनाती के संबंध में अदायगी केन्द्र सरकार द्वारा की जानी थी।

मध्य प्रदेश सरकार के दावों के अनुसार ऐसी तैनाती के लिए देय राशि निम्न प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| असम से | 23,99,91,379.40 रु० |
| लक्षदीप से | 4,12,99,667.00 रु० |
| जम्मू और कश्मीर से | 3,33,25,800.00 रु० |
| त्रिपुरा से | 4,82,04,534.00 रु० |

त्रिपुरा में एम० पी० एस० ए० एफ० बटालियन की तैनाती के कारण केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को मार्च, 1990 में 1.5 करोड़ रुपए की अनन्तिम अदायगी की गई। बकाया राशि का निपटारा औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लम्बित है। जम्मू और कश्मीर में तैनाती के सम्बन्ध में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

कठिन वित्तीय स्थिति के कारण असम सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अपने देय राशि का भुगतान नहीं किया है। लक्षदीप प्रशासन को कहा गया है कि वह मध्य प्रदेश को देय राशि का शीघ्र भुगतान करे।

**दिल्ली नगर निगम में अंकन मशीन (फ्रेंकिंग मशीन) का उपयोग**

[अनुवाद]

2368. **श्री शान्ताराम पोटवुखे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम और इसके जल प्रदाय संस्थान तथा नई दिल्ली नगर पालिका जैसे अन्य विग डाक टिकटों पर प्रतिवर्ष कई लाख रुपए खर्च करते हैं और इन निकायों में अंकन प्रणाली (फ्रेंकिंग मशीन) का प्रयोग आरम्भ नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन निकायों द्वारा शीघ्र डाक भेजा जाना और डाक टिकटों का किसी प्रकार का दुर्विनियोजन रोका जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में अंकन मशीनों का प्रयोग आरम्भ किए जाने में क्या कठिनाइयां है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)** : (क) और (ख) डाक विभाग को एम० सी० डी०, एन० डी० एम० सी० द्वारा फ्रेंकिंग मशीन प्रयोग करने के लिए अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं है बल्कि विभाग ने सभी मंत्रालयों को उनसे सम्बन्ध सभी सरकारी कार्यालयों को फ्रेंकिंग मशीन प्रयोग करने की सलाह देने का अनुरोध किया है जो कि 3 प्रतिशत छूट दिए जाने से उनके लिए न केवल मितव्ययी होगा बल्कि इससे डाक वस्तुओं के पारेषण में तेजी भी आएगी ।

**मालनपुर, भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं**

2369. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्रों में टेलीफोन और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जन प्रतिनिधियों और लिखित अभ्यावेदनों के माध्यम से जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) (i) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के मौजूदा 128 पोर्ट सी-डाट इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर 512 पोर्ट आई० एस० डी० इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने की योजना है ।

(ii) नोडल टेलेक्स को 1990-91 के दौरान संस्थापित करने की योजना है ।

(iii) एस० टी० डी० सुविधा आरम्भ करने के लिए आठवीं योजना के दौरान आप्टिकल फाइबर केबिल की व्यवस्था करने की योजना है ।

**पंजाब में विधवाओं को पेंशन**

2370. **श्री कृपाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार पंजाब में आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों की विधवाओं के कितने मामलों में पेंशन दी जा रही है; और

(ख) पेंशन के पात्र कितने विधवाओं के मामले सरकार के विचाराधीन है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पंजाब में 1128 विधवाओं, अनाथों, निराश्रितों और शत-प्रतिशत रूप से अक्षम व्यक्तियों को गुजारा भत्ता के रूप में पेंशन दिया जा रहा है। पात्र विधवाओं का संख्या जिसके मामले सरकार के पास लम्बित हैं, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## भूमि सुधार के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की सूची

2371. **श्री पलाई के० एम० मेम्यू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने उन वास्तविक लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की सूची भेजी है जिन्हें भूमि सुधार उपायों के परिणामस्वरूप भूमि आबंटित की गई है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : केन्द्र सरकार केवल 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की प्रगति की निगरानी करती है। इस संदर्भ में, राज्य सरकारें अधिग्रहण की गई अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, इसमें कितना क्षेत्र वितरित कर दिया गया है तथा उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें यह भूमि आबंटित की गई है, के बारे में सूचना भेजती है। वास्तविक लाभार्थियों की कोई सूची राज्यों से नहीं मांगी जाती है। इसलिए राज्यों द्वारा ऐसी कोई सूची भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

## पश्चिम बंगाल के गांवों को पेय जल उपलब्ध कराना

2372. **श्री पलास बर्मन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) उक्त दोनों वर्षों के दौरान इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) पश्चिम बंगाल में, वर्ष 1990-91 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2946 आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त श्रेणी के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। 1991-92 में पेयजल मुहैया कराये जाने वाले गांवों की संख्या के बारे में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निर्णय लिया जायेगा।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 16.48 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। राज्य सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के लिए 19.00 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन को वित्तीय वर्ष, 1991-92 के प्रारम्भ में अन्तिम रूप दिया जायेगा।

"पट्टन चेरी" नामक ड्रेजर का डूब जाना

2373. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन बंदरगाह के निकट डूबे "पट्टन चेरी" नामक ड्रेजर को निकालने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) क्या इसके डूबने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई न्यायिक जांच के आदेश दिए गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) ड्रेजर पट्टनचेरी --को निकालने का ठेका देने का निर्णय करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास सक्षम है। पत्तन न्यास द्वारा पहले ही निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और प्राप्त निविदाओं के गुणावगुणों की जांच करने के बाद ठेका दिया जाएगा।

(ख) जी हां। अधिनियम की धारा 361 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग XII के तहत एक औपचारिक न्यायिक जांच पड़ताल के आदेश दिए जा चुके हैं।

(ग) चूंकि यह एक न्यायिक जांच है इसलिए यह बतलाना संभव नहीं है कि जांच की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाएं

2374. श्री सी० एम० नेगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के बारे में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में वंशधारा नदी पर पुल का निर्माण

2375. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आर्थिक महत्व की अन्तर-राज्यीय सड़कें" योजना के अन्तर्गत कोरापुट जिले में वंशधारा नदी पर पुल के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार को पूरी धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या उक्त पुल के लिए राज्य सरकार ने भी अपने हिस्से की धनराशि जारी कर दी है ?

भूतल परिवहन मंत्री (श्री के पी० उन्नीकृष्णन) : (क) केन्द्र सरकार का 108 लाख रु० का संपूर्ण भाग पहले ही जारी किया जा चुका है।

(ख) वास्तविक प्रगति 50% हुई है।

(ग) राज्य सरकार ने अब तक 371.04 लाख रु० जारी किए हैं।

**तमिलनाडु के तंजावूर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची**

2376. श्री एस० सिंगरामवेलु : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तंजावूर शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्योरा क्या है;

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को कब तक टेलफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) तंजावूर कस्बे में 31-7-90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 1270 है।

(ख) श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| ओ० वाई० टी० विशेष | — 20 |
| ओ० वाई० टी० सामान्य | — 30 |
| गैर-ओ० वाई० टी० विशेष | — 143 |
| गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य | — 1077 |

(ग) और (घ) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को तंजावूर एक्सचेंज (मैक्स-I) में 1990-91 के कार्यक्रम के अनुसार 3000-4000 तक लाइनों का विस्तार करके निपटाये जाने की संभावना है। 800 की प्रतीक्षा सूची मार्च, 1991 से पहले निपटाये जाने की संभावना है। शेष प्रतीक्षा सूची को 91-92 के दौरान 4000 से 5000 लाइनों के आगामी विस्तार से निपटाये जाने की सम्भावना है।

**शिष्टमंडल का सऊदी अरब का दौरा**

2377. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष हज के अवसर पर एक आधिकारिक शिष्टमण्डल सऊदी अरब भेजा था;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन थे तथा उसका उद्देश्य और प्रयोजन क्या था, उसकी प्रमुख गतिविधियां तथा उपलब्धियां क्या-क्या थीं;

(ग) उनकी विमान यात्रा, स्थानीय परिवहन, आवास तथा मनोरंजन आदि पर कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या कुछ सदस्यों के परिवार के सदस्य भी उनके साथ गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर कितना व्यय, यदि कोई हो तो, किया गया ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है। प्रतिनिधिमण्डल, जो दोनों देशों के बीच सद्भाव पैदा करने के लिए भेजा गया था, सऊदी अरब में अपने प्रवास के दौरान सऊदी अरब के विभिन्न व्यक्तियों से मिला और अपने काम को पूरा करने में सफल रहा।

(ग) व्यय का विवरण इस प्रकार हैं :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | हवाई जहाज का किराया | 2,00,752.00 रुपये |
| 2. | स्थानीय परिवहन | 6,20,479.00 रुपये |
| 3. | आवास | 20,67,957.00 रुपये |
| 4. | मनोरंजन | शून्य |
| | कुल | 28,89,188.00 रुपये |

(घ) जी हां।

(ङ) प्रतिनिधिमण्डल के साथ गए उनके परिवार के सदस्यों पर हुए किसी प्रकार के व्यय को सरकार ने वहन नहीं किया है। प्रतिनिधिमण्डल के साथ गए उनके परिवारों के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

| | प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य का नाम | प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के साथ गए उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनका सम्बन्ध |
|---|---|---|
| 1. | श्री यूनुस सलीम, नेता | पुत्र |
| 2. | श्री रशीद मसूद, उपनेता | पत्नी, पुत्री और पुत्र-वधू |
| 3. | श्री खलीलुर रहमान | पत्नी |
| 4. | कुमारी आलिया | भाई |
| 5. | श्री हबीबुर रहमान | पत्नी |
| 6. | श्री असलम खान | पत्नी |
| 7. | श्री टी० के० हामजा | पत्नी |
| 8. | श्री सादिक पाशा | पत्नी |

विवरण

वर्ष 1990 के लिए हज सद्भाव प्रतिनिधिमण्डल

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री मोहम्मद यूनुस सलीम, बिहार के गवर्नर | नेता |
| 2. | श्री रशीद मसूद<br>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री | उपनेता |
| 3. | श्री मोहम्मद तसलीनुद्दीन, संसद सदस्य | सदस्य |
| 4. | श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान, संसद सदस्य | सदस्य |
| 5. | कुमारी आलिया, संसद सदस्य | सदस्य |
| 6. | श्री हबीबुर रहमान, असम सरकार के मंत्री<br>और असम राज्य हज समिति के अध्यक्ष | सदस्य |
| 7. | श्री सादिक पाशा, विधि मंत्री<br>तमिलनाडु सरकार | सदस्य |
| 8. | श्री टी० के० हामजा, मन्त्री केरल सरकार | सदस्य |
| 9. | श्री मोहम्मद असलम खान,<br>मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार | सदस्य |
| 10. | श्री अब्दुल गनी नामताहाली<br>भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, जम्मू एवं कश्मीर | सदस्य |
| 11. | श्री फजल उल बारी,<br>भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 12. | श्री नूर उदद्दीन कटारिया | सदस्य |
| 13. | डा० मोहम्मद अली जैदी | सदस्य |
| 14. | श्री मोहम्मद जाफर हमीद जंग | सदस्य |
| 15. | श्री हामिद अली राव,<br>विशेषाधिकारी (हज), विदेश मंत्रालय | सदस्य सचिव |

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जूट को शामिल करना

2378. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जूट को शामिल किए जाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पंजाब में कलाकारों की मांगें**

2379. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कलाकारों के एक समूह द्वारा अपनी मांगों और दिक्कतों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए 30 जुलाई, 1990 को एक जुलूस निकाला था और उन्होंने पंजाब सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था;

(ख) यदि हां, तो कलाकारों की क्या-क्या मांगें हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) और (ख) सरकार के पास इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है कि पंजाब सरकार को भेजे गए कथित ज्ञापन में कलाकारों की मांगों को शामिल किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**किदवई भवन टेलीफोन एक्सचेंज में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों को काटना**

2380. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर किदवई भवन एक्सचेंज में देय राशि का भुगतान सही समय पर करने के बावजूद कुछ अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों को काट दिया गया है;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेन वाला बनाना**

2381. **श्री अर्जुनभाई पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के वालसाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जिसे 357/0 किलोमीटर से 381/6 किलोमीटर तक चार लेन वाला करने का प्रस्ताव था और जिसे वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में भी शामिल किया गया था, बाद में यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का सड़क के इस भाग पर यातायात की अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए उक्त प्रस्ताव पर पुन: विचार करने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1990-91 में गुजरात में वालसाड़ जिले में रा० रा० सं० 8 के 357/0 कि०मी० से 381/6 कि०मी०

तक के खण्ड को चार लेन का बनाना शामिल नहीं है। इसलिए प्रस्ताव को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद उसके आकार और इस कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

**छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता**

2382. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता" योजना के अन्तर्गत राज्यों को 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान के रूप में देना 1 अप्रैल, 1990 से बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय की समीक्षा कर लघु सिंचाई नये कुएं और सामुदायिक सिंचाई निर्माण कार्यों जैसे कार्यक्रमों के लिए इस योजना को पुन: चालू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) से (घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता योजना 1983-84 में शुरू हुई थी और यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, अर्थात् सात वर्षों तक, क्रियान्वित की गई थी । इसके बाद, सरकार ने यह योजना क्रियान्वयन हेतु 1 अप्रैल, 1990 से राज्य क्षेत्र को सौंप दी है ।

तथापि, उथले नलकूपों/खुदे कुओं के निर्माण के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना जारी है तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए अभिज्ञात किए गए राज्यों के चुनिन्दा जिलों/खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है।

**पाकिस्तान और बंगलादेश से घुसपैठ**

2383. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और बंगलादेश से भारत में, विशेषकर पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान में कितने घुसपैठियों ने शरण ली है; और

(ख) इन लोगों का पता कैसे लगाया जाता है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) और (ख) बंगलादेश राष्ट्रिकों द्वारा भारत में घुसपैठ की गयी है । चूंकि वे घुसपैठ विरोधी बलों की नजर बचाकर चोरी-छिपे आते हैं और भूमिगत हो जाते हैं, अत: यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि कितने बंगलादेशी भारत में आए तथापि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

**डी० टी० सी० बसों का पुनः आवंटन**

2384. **श्री पी० एम० सईद** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न मार्गों के लिए डी० टी० सी० (दिल्ली परिवहन निगम) बसों के आवंटन के लिए कोई मापदण्ड है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। किसी रूट विशेष पर बसों का आवंटन, सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित ट्रैफिक लोड और चलने के समय को ध्यान में रखकर किया जाता है। बाद में, किसी रूट विशेष पर यात्री-ट्रैफिक के परिमाण और निगम के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बसों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाती है।

**संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग से याचिका**

2385. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने गत वर्ष सरकार को कोई याचिका भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी को उस याचिका पर की गयी कार्यवाही से सूचित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (घ) पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार केन्द्र ने मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघनों के कुछ मामले भारत सरकार को भेजे थे। भारत सरकार ने सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा इन आरोपों की छानबीन के लिए तुरन्त कार्रवाई की थी। इन छानबीन के निष्कर्षों के आधार पर मानवाधिकार केन्द्र को जवाब भेजे गए थे।

**"हज" ड्यूटी पर कर्मचारियों को तैनात करने सम्बन्धी मानदण्ड**

2386. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज ड्यूटी के लिए राजपत्रित अधिकारियों/गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के चयन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मानदण्डों का हज ड्यूटी-1990 के लिए कर्मचारियों का चयन करने हेतु दृढ़ता से पालन किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो चयन सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) हज ड्यूटी के लिए अधिकारियों के चयन के कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं है। तथापि, कार्य की प्रकृति और लम्बी अवधि के मौसम को देखते हुए सरकार सामान्यतया ऐसे अधिकारियों का चयन करती है जो 45 वर्ष से कम उम्र के हों, मेहनती हों और काफी-काफी देर तक काम कर सकते हों।

**फल और सब्जियों का निर्यात**

2387. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सेब तथा अन्य फलों और सब्जियों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया गया है;

(ख) फलों तथा सब्जियों की राज्यवार प्रति-व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के प्रभाव के अनेक मामलों के कारण उनके निर्यात में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सेबों तथा अन्य फलों को कीटों द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) गुणवत्ता वाली पौध रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करना, किसानों को वित्तीय सहायता, रियायती लागत पर आदानों की आपूर्ति आदि कई कदम उठाये गये हैं ताकि सेबों और अन्य फल एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ताजे फल एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं, जैसे कि उनका निर्यात स्वतन्त्रतापूर्वक करने की इजाजत देना, निर्यातकर्ताओं को हवाई जहाज से निर्यात करने के लिए 22 प्रतिशत की दर से समुद्र द्वारा निर्यात करने के लिए 10 प्रतिशत की दर से नकद प्रतिपूर्ति सहायता देना, 10 प्रतिशत की दर से आयात की भरपाई करना आदि।

(ख) फल एवं सब्जियों की राज्यवार प्रति व्यक्ति उपलब्धता का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न फल एवं सब्जियों के लिए संस्तुत वनस्पति रक्षण उपायों से एम० आर० एल० (अधिकतम अनुज्ञेय अवशिष्ट स्तर) के महत्व से परे कीटनाशी अवशेष जमा नहीं होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक रसायन और फसल के लिए निर्धारित अवधि तक इन्तजार करने के बाद मानव द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सुरक्षित हो जाती हैं।

**कार्यालय बन्द होने के बाद स्टाफ कार का गैर-सरकारी उपयोग**

[हिन्दी]

2388. **श्री छत्रपाल सोनकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभागों के अधिकारी/ड्राइवर व्यय में मितव्ययिता की घोषणा किये जाने के बावजूद अब भी स्टाफ कार के गैर-सरकारी उपयोग के लिए अपने निवास-स्थान को ले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का किस प्रकार रोक लगाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) से (ग) ड्राइवर/भारत सरकार में सचिव से नीचे रैंक के अधिकारियों को स्टाफ कार का निजी प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अलबत्ता भारत सरकार में सचिव के रैंक के अधिकारियों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निर्धारित राशि का भुगतान करके और एक निश्चित दूरी तक स्टाफ कार के निजी प्रयोग की सुविधा दी गई है।

## दिल्ली में बेचे गये वाहनों से बिक्री कर की प्राप्ति

[अनुवाद]

2389. श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों में बेचे गये वाहनों (कार, बसों और ट्रकों) की वाहन-वार संख्या कितनी है और दिल्ली प्रशासन द्वारा इनसे कितना बिक्री कर प्राप्त किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में बाहर से लाये गये कितने वाहनों (कारों, बसों और ट्रकों) का दिल्ली में पंजीकरण किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली के बाहर बिक्री कर कम होने के कारण लोग वहां से वाहन खरीद कर दिल्ली ला रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन वाहनों पर लगने वाले बिक्री कर की दरों में समानता लाने का कोई प्रस्ताव है ताकि दिल्ली प्रशासन को होने वाली राजस्व हानि को रोका जा सके;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली में वाहनों के अनुचित प्रवेश को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों द्वारा परिसम्पत्तियों की घोषणा

2390. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह वघेला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मन्त्रियों को प्रधान मंत्री को अपनी परिसम्पत्तियों का ब्यौरा देना होता है;

(ख) यदि हां, तो उसकी समय अवधि क्या है;

(ग) क्या आम चुनाव के प्रारम्भ होने से पहले भी चल और अचल संपत्ति के संबंध में ऐसी घोषणा करने का प्रावधान करने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या जनता की जानकारी के लिए केन्द्रीय मन्त्रियों की परिसंपत्तियों के विवरण के प्रकाशन का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) मंत्रियों के लिए एक आचार संहिता है। इस संहिता के अन्तर्गत, व्यक्ति को केन्द्रीय मंत्री के रूप में कार्यालय ग्रहण करने के पहले अपने और अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्तियां और देनदारी का विवरण प्रधानमंत्री को देना होता है। कार्यालय ग्रहण करने के बाद, और जब तक वह पद पर रहती है, केन्द्रीय मंत्री को प्रति

वर्ष 31 मार्च तक अपनी संपत्तियों और देनदारियों के संबंध में एक घोषणा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करनी होती है। इनके विवरणों को प्रकट करने की प्रथा नहीं है।

**एमनेस्टी इन्टरनेशनल द्वारा विश्व भर के लोगों को अपील करने हेतु आमंत्रित करना**

2391. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा विश्व भर के लोगों को ऐसे मामलों में भारत के विरुद्ध अपील करने हेतु आमंत्रित करने की ओर दिलाया गया है जिनमें अशांत जम्मू तथा कश्मीर में लोग "संभवतः न्यायिकेतर मृत्युदंड" के शिकार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : (क) से (ग) एमनेस्टी इण्टरनेशनल की इस कथित अपील के कारण सरकार को कोई बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा है। सरकार की नीति ऐसे पत्रादि का उत्तर न देने की है जिनमें आरोप तो लगाए हों, लेकिन समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत न किए गए हों।

**स्वतन्त्रता सेनानियों को विधवाओं को पेंशन**

[हिन्दी]

2392. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को स्वतन्त्रता सैनानी सम्मान पेंशन दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) ऐसे सभी स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन प्रदान की जाती है, जो स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे थे। जिन स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं ने अपने जीवन काल में कभी भी सम्मान पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी सम्मान पेंशन पाने के पात्र हैं, यदि वे इसके लिए आवेदन करें और वे भारत सरकार द्वारा पेंशन मंजूरी की शर्तें पूरी करती हों।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन**

[अनुवाद]

2393. **श्री राम सजीवन** :

**श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कीटनाशकों के नियमित पंजीकरण की दृष्टि से एक विधेयक प्रस्तुत करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी हां। प्रस्तावित संशोधन कीटनाशी ओषधियों के पंजीकरण सहित कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को कवर कर सकता है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

**तमिलनाडु में ए... का**

2394. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सड़कों के विकास और गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित करके इसके लिए विशेष अनुदान स्वीकृत कर दिये जाएंगे ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से सड़कों के विकास तथा गांवों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो कि कार्रवाई हेतु विभाग में लम्बित पड़ा हो। तथापि, राज्य के 7 जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार से 1981 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। लेकिन यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रस्ताव को ऋण सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष न रखा जाए क्योंकि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कोई विशेष टैक्नालॉजी एवं उपकरण शामिल नहीं किए जाते हैं तथा लागत मानदण्ड भी बहुत ऊंचे थे।

**साम्प्रदायिक दंगों के लिए अलग पुलिस बल बनाया जाना**

2395. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए पृथक पुलिस बल बनाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध मे राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) यद्यपि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है, फिर भी भारत सरकार ने सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए 23-4-1990 को राज्य सरकारों को पुनः मार्ग निर्देश भेजे हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, समाज विरोधी तत्वों पर रोक लगाने, प्रेस की भूमिका, पुलिस की भूमिका, विशेष न्यायालयों आदि का गठन करने पर जोर दिया गया है।

### इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुदान

[हिन्दी]

2396. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इंदिरा आवास योजना" के अन्तर्गत मकानों का निर्माण करने के लिए कितनी अनुदान राशि मंजूर की गई है ... ... क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उक्त अनुमोदित राशि बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) से (ग) निर्माण लागत में वृद्धि होने तथा राज्य सरकारों आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों के कारण इन्दिरा आवास योजना के मकानों की एक इकाई पर होने वाले व्यय की उच्च अनुमेय सीमा को साधारण तथा दुर्गम/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः 10,200 तथा 12,000 रुपये के पूर्व मौजूदा मानदण्ड से बढ़ाकर 1990-91 के दौरान साधारण तथा दुर्गम/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः 12,700 रुपये तथा 14,500 रुपये कर दिया गया है।

### तिलहनों की खेती

[अनुवाद]

2397. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों में अच्छे किस्म के और अधिक उपज देने वाले तिलहनों की बड़े पैमाने पर खेती करने का है जिससे कि खाद्य तेलों के बढ़ते मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक, तामिलनाडु और महाराष्ट्र में तोरिया-सरसों की बेहतर तथा अधिक उपज देने वाली किस्म लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यवाही की गई है महाराष्ट्र राजस्थान तथा कर्नाटक में सोयाबीन की खेती को लोकप्रिय बनाया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भागों में सोयाबीन की रबी ग्रीष्म खेती की क्षमता प्रदर्शित की गई है। दक्षिण मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार का छोटा नागपुर पठार में किए गए प्रारम्भिक परीक्षणों से अच्छी क्षमता प्रदर्शित हुई है। हाल में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि पंजाब में सूरजमुखी की संकर किस्मों की खेती करने की काफी अच्छी सम्भावनाएं हैं।

### दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के दूध की जांच

[हिन्दी]

2398. **स० अतिन्दर पाल सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना के अधीन वितरित किये जाने वाले दूध के नमूनों की जांच की जाती है;

(ख) क्या दिल्ली में वितरित किये जाने वाले दूध के परीक्षण से दूध में कीटनाशक तत्व पाये गये है;

(ग) जांच रिपोर्टों का ब्योरा क्या है और दूध में कौन-कौन से कीटनाशक तत्व पाए गए हैं;

(घ) इन कीटनाशक तत्वों का मानव शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली में अच्छे किस्म के दूध की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) किए जा रहे परीक्षणों में रसायन एवं जीवाणु-आधारीय क्वालिटी की जांच की जा रही है। दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी कीटनाशियों का पता लगाने के लिए कोई परीक्षण नहीं कर रही हैं।

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा विपणित किए जाने वाले दूध की जांच सप्लाई करने से पहले और पी० एफ० ए० मानकों के अनुरूप सख्ती से की जाती है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में जल का समान वितरण**

[अनुवाद]

2399. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी, पर्वतीय और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जल की अत्यन्त कमी है, इसका समान रूप से वितरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उदेभान सिंह वर्मा)** : (क) और (ख) जी हां। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में आदिवासी, पर्वतीय और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के समस्या वाले गांवों सहित मनुष्यों के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से स्वच्छ पेयजल की सप्लाई करने का प्रावधान है। उन 8139 समस्या वाले गांवों जो आठवीं योजना के लिए बच गए हैं, को पेयजल उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम है। इसमें से 5295 समस्या वाले गांवों को 1990-91 में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और शेष को 8वीं योजना के दूसरे वर्ष में पेयजल मुहैया कराया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजनाओं में पाइप द्वारा जल सप्लाई, ग्रेविटी फ्लो स्कीम, स्प्रींग चेम्बर, इंडिया मार्क-2 हैंडपम्प, वर्षा जल एकत्रीकरण ढांचे आदि शामिल हैं। उचित वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक भू-भौतिकीय सर्वेक्षण एवं सैटेलाइट इमेजरीज के जरिए भू-अल स्रोतों का पता लगाया जाता है। समान जल वितरण के लिए सभी क्षेत्रों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मानक मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

## मध्य प्रदेश के गांवों में पेयजल

[हिन्दी]

2400. श्री मानकूराम सोढी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गांवों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए एक दीर्घकालिक नीति हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## नई दिल्ली नगर पालिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नियमों का क्रियान्वयन

[अनुवाद]

2401. श्री अनादि चरण दास :

श्री अरविन्द नेताम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भर्ती और पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नियमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आरक्षण सम्बन्धी नियमों को क्रियान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले के सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका में जून 30 जून, 1990 को कार्यपालक अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं और कनिष्ठ अभियन्ताओं के आरक्षित पदों का पिछला बकाया कुल कितना था और सरकार द्वारा चलाये गये वर्तमान विशेष भर्ती अभियान के दौरान इस बकाया को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कोई भी वास्तविकता नहीं पायी गयी।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विवरणिका में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक रोस्टर रखा जा रहा है।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका में अनुसूचित जनजाति के कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति कोटे में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के दो पदों को नहीं भरा जा सका।

**सन् 2000 ई० में दक्षिणी राज्यों में पेयजल की आवश्यकता**

2402. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य दक्षिणी राज्यों में सन् 2000 ई० में, पेयजल की आवश्यकता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पेयजल की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार का पेयजल की समस्या को हल करने हेतु एक दीर्घकालिक योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने को कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) ग्रामीण जनसंख्या के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल की अनुमानित आवश्यकता निम्न प्रकार से होगी :—

| | |
|---|---|
| कर्नाटक | 1478.736 मिलियन लीटर प्रति दिन |
| केरल | 1158.192 मिलियन लीटर प्रति दिन |
| तमिलनाडु | 1817.538 मिलियन लीटर प्रति दिन |
| आंध्र प्रदेश | 2299.472 मिलियन लीटर प्रति दिन |
| | 6753.938 मिलियन लीटर प्रति दिन |

(ख) ग्रामीण जनसंख्या की पेयजल की आवश्यकता को भू-जल की निकासी तथा जहां कहीं संभव हो, उपयुक्त टेक्नालॉजी के प्रयोग से भूजल और सतही जल का संयुक्त रूप से उपयोग करके पूरा किया जायेगा। जल एकत्रीकरण ढांचों, जैसे तालाब, चैक बांध, परिसुवण होज, बणधारा गली प्लगिंग, उप सतही बांध, कन्टूर बन्डिंग आदि की मार्फत विद्यमान भूजल स्रोतों को पुन: भरने के लिए भी कदम उठाये गये हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल सप्लाई योजनाएं अनुमानित जनसंख्या के लिए दीर्घकालीन अवधि हेतु पाइप द्वारा जल सप्लाई के मामले में 15 वर्ष की अवधि हेतु तथा हैंडपम्पों पर आधारित योजनाओं के लिए इंडिया मार्क-2 हैंडपम्प के मामले में 5-7 वर्षों के लिए बनायी और कार्यान्वित की जाती है।

**पश्चिम बंगाल में भूमि कटाव**

2403. **श्री आर० एन० राकेश** :

**श्री मानिकराव होडल्या गावीत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, विशेषकर उत्तर बंगाल के टेरा और डुआर्स क्षेत्र के चाय बागानों को भूमि कटाव से गंभीर खतरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमि कटाव से चाय बागान उद्योग को कुल कितनी हानि हुई है और अनुमानतः कितना क्षेत्र नष्ट हो गया है;

(घ) क्या सरकार का चाय बागान क्षेत्रों को भूमि कटाव से बचाने के लिए कोई ठोस उपाय करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सरकार को पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार से भूमि कटाव के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिससे कि उत्तर बंगाल के टेरा और डुआर्स क्षेत्रों के चाय के बागानों को गम्भीर खतरा हो गया है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

## पाकिस्तानी घुसपैठियों को राशन कार्ड

2404. श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पहचान पत्र जारी किए जाने का कार्य आरम्भ कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1989 तक तथा जनवरी-जून, 1990 के दौरान इस कार्य में जिलावार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने राशन कार्ड प्राप्त कर लिए हैं, अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करा लिए हैं और अब पहचान पत्र भी प्राप्त कर लिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान। राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों, अर्थात जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर तथा बीकानेर में पहचान पत्र जारी करने की एक प्रायोगिक योजना हाथ में ली गयी है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जारी किए गए पहचान पत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

| जिला | 31-3-90 को | 30-6-90 को |
|---|---|---|
| जैसलमेर | 32,536 | 32,536 |
| गंगानगर | 63,313 | 63,313 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| बाड़मेर | | 101,589 | | 127,448 |
| बीकानेर | | 11,112 | | 11,120 |
| | कुल | 2,08,550 | कुल | 2,34,417 |

(ग) और (घ) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, इस संबंध में राजस्थान सरकार को लिखा गया है तथा उत्तर की प्रतीक्षा है।

**बिहार को पेयजल हेतु वित्तीय सहायता**

[हिन्दी]

2405. श्री तेज नारायण सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को गत दो वर्षों के दौरान गावों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि की सहायता मंजूर की गयी;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजना में कमियों और अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) बिहार राज्य सरकार को 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान क्रमशः 32.92 करोड़ रुपये तथा 28.63 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गयी थी।

(ख) और (ग) भारत सरकार को बिहार के जहानाबाद क्षेत्र में हैंडपम्पों के लगाये जाने के सम्बन्ध में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अनुमोदित स्थलों के बजाए अन्य स्थलों पर हैंडपम्प लगाये जाने के बारे में जहानाबाद तथा भोजपुर जिलों से सूचना मिली थी।

(घ) ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच-पड़ताल की गयी है। पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय अधिकारियों से लगाये गये सभी हैंडपम्पों की सूची मंगायी गयी है तथा पर्यवेक्षण एवं निगरानी व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।

**खाड़ी के देशों को लड़कियां भेजने वाले गिरोह का भण्डाफोड़**

2406. श्री हरिशंकर बहादुर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नकली पासपोर्ट के आधार पर खाड़ी के देशों को भारतीय लड़कियां भेजे जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या हाल में ऐसे ही एक गिरोह का पता लगा है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(घ) सरकार नकली पासपोर्टों अथवा अन्य तरीकों से भारतीय लड़कियों को विदेशों में भेजे जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कभी-कभी संदिग्ध चरित्र की महिलाओं ने जाली पारपत्रों पर टूरिस्ट वीजा के साथ गल्फ देशों का दौरा किया है ।

(ख) हाल ही में ऐसे किसी गिरोह का पता नहीं चला है, परन्तु 12-6-1990 को सपना भवन भट्ट के साथ मोहम्मद युनुस तबस्सुम को जाली पारपत्र से दुबई जाते हुए तथा 3-8-1990 को दुबई से सहर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाली पारपत्र द्वारा पहुंचते हुए श्रीमती प्रेमा नारायण नागर को आप्रवास अधिकारी द्वारा पकड़ा गया। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि वे गल्फ में वेश्यावृत्ति के लिए जा रही थीं।

(ग) ऐसे दो मामलों का पता चला है तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं।

(घ) गल्फ जाने वाली महिलाओं के पारपत्रों, वीजा, उनके प्रायोजकों तथा अन्य दस्तावेजों का आप्रवास अधिकारी बड़ी बारीकी से जांच करते हैं। जिन व्यक्तियों के पास कोई विशिष्ट व्यवसाय नहीं होता, उनको आप्रवास की स्वीकृति देने से पहले उनसे पूछताछ की जाती है। कानूनी कार्रवाई किए जाने योग्य पाये गये मामलों में तुरन्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

## महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा

[अनुवाद]

2407. श्री सुधाम दत्तात्रेय देशमुख : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गयी है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने स्थापित करने का विचार है;

(ख) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 5000 से अधिक जनसंख्या वाले (1981 की जनगणना) ऐसे कितने गांव हैं जिनमें अभी तक टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं; और

(ग) विदर्भ क्षेत्र के कस्बों/शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची इस समय कितनी है और उसके कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 1213 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। 8वीं योजना के दौरान लगभग 400 नये एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) आठ (8)

(ग) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार विदर्भ क्षेत्र के कस्बों/शहरों (1981 की जनगणना में किये गये वर्गीकरण के अनुसार) में टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 29300 नाम दर्ज हैं। वर्तमान प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को 8वीं योजना के अन्त तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन देने की योजना बनाई गई है।

**फास्फोरिक एसिड की आवश्यकता**

2408. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में फास्फोरिक एसिड की आवश्यकता है, और इसका कुल उत्पादन कितना है और उसे किस तरह पूरा किया जाता है;

(ख) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमरीका में चालू हालत वाले एक फास्फोरिक एसिड संयंत्र को खरीदने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता पर आधारित उर्वरक उद्योग की फास्फोरिक एसिड की कुल आवश्यकता तथा स्वदेशी उत्पादन निम्न प्रकार थे :—

(000 मी० टन में)

| वर्ष | कुल आवश्यकता | स्वदेशी उत्पादन |
|---|---|---|
| 1987-88 | 1788 | 307 |
| 1988-89 | 1935 | 329 |
| 1989-90 | 1935 | 344 |

कमी की यथासम्भव आयातों के माध्यम से पूर्ति की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**वेदारण्यम में उर्वरक कारखाने की स्थापना**

2409. **श्री वी० राज रवि वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वेदारण्यम में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**"इफ्को" का उत्पादन**

2410. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इफ्को" का पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान उत्पादन कितना था;

(ख) "इफ्को" का वर्ष 1988-89 के दौरान कुल आय और व्यय कितना रहा है तथा आयातित

आदानों का मूल्य कितना था, जो सीधे खरीदे गये अथवा आयातित मद देने वाले अन्य एजेन्सियों द्वारा सप्लाई किए गये थे;

(ग) क्या "इफको" का बड़े स्तर पर जैविक खाद का उत्पादन आरम्भ करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) इफको ने 1988-89 के दौरान 23.36 लाख टन उर्वरक सामग्री उत्पादित की जबकि इसकी तुलना में 1987-88 में 15.77 लाख टन उत्पादन हुआ।

(ख) लेखा वर्ष में जुलाई-जून से अप्रैल मार्च में परिवर्तन के कारण जुलाई, 1987 से मार्च, 1989 तक की अवधि के लिए लेखे तैयार किए गए थे। 21 महीने की इस अवधि के दौरान इफको की कुल आय 1374.13 करोड़ रुपए थी तथा कुल व्यय 1353.53 करोड़ रुपए था, जिसमें से इफको ने आयातित निवेशों की लागत के प्रति 375.50 करोड़ रुपए खर्च किए (323.33 करोड़ रुपए फास्फोरिक एसिड पर, 17.02 करोड़ रुपए अमोनिया पर और 35.19 करोड़ रुपए पोटाश पर)।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इफको मुख्यत: रासायनिक उर्वरकों का उत्पादक और विपणक है।

**मध्य प्रदेश में कोरबा में कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र**

[हिन्दी]

2411. श्री रेशम लाल जांगड़े : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कोरबा में प्रस्तावित कोयला-आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) इस उर्वरक संयंत्र के लिए कितनी लागत पर कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इस संयंत्र के लिए मशीनों और अन्य उपकरणों का आयात किया गया और ये निर्माण स्थल पर कब से अप्रयुक्त पड़ी है, उनकी वर्तमान हालत क्या है और उनकी वर्तमान अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) उक्त संयंत्र के लिए कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं और इन कर्मचारियों पर कितनी धनराशि वार्षिक खर्च की जा रही है और वह राशि कब से खर्च की जा रही है; और

(ङ) इस संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार कोयले पर आधारित कोरबा उर्वरक संयंत्र पर कुल व्यय की गई राशि 19.89 करोड़ रुपए है।

(ख) फैक्टरी और टाउनशिप के लिए फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ० सी० आई०) द्वारा 1137 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। अधिकांश भूमि राज्य सरकार द्वारा बिना किसी

लागत के दी गई। 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार विकास लागत सहित भूमि की लागत 16.77 लाख रुपये है।

(ग) कोरबा संयंत्र के लिए कुछ मशीनरी और उपस्कर चेकोस्लोवाकिया से आयात किये गये थे, इसमें से कुछ का एफ० सी० आई० के अन्य संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ 1972 से कार्य स्थल पर पड़े हैं। मशीनरी और उपस्करों का भण्डारण कार्य-स्थल पर किया गया है। और उनका इस्तेमाल एफ० सी० आई० के अन्य संयंत्रों को चलाने के लिये किया जा रहा है और वे अच्छी स्थिति में हैं। 31-3-90 की स्थिति के अनुसार कार्यस्थल पर पड़ी ऐसी मदों की वर्तमान अनुमानित लागत 1190 लाख रुपये (खाता मूल्य) है।

(घ) इस समय कोरबा में 76 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 65 कामगार और 11 अधिकारी हैं। 1989-90 के दौरान इन कर्मचारियों पर खर्च किया गया व्यय 45.12 लाख रुपये था और 1972 से 31-3-90 तक संचित व्यय 386.81 लाख रुपये हैं।

(ङ) सरकार ने कोरबा उर्वरक संयंत्र को बंद करने का निर्णय ले लिया है।

## महाराष्ट्र में उपनगरीय रेल व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थानीय टेलीफोन सेवा देना

[अनुवाद]

2412. श्री राम नाईक : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में उपनगरीय रेल व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थानीय टेलीफोन की सुविधा देने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) काल प्रभार, कालिंग और काल्ड एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्रों के बीच की दूरी पर आधारित है। एक तरफ बरार और दूसरी तरफ कारजत तक विस्तृत उपनगरीय रेलवे प्रणाली अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में पड़ती है। इसलिए मांग स्वीकार करना संभव नहीं है।

## राष्ट्रीय दूरसंचार सम्बन्धी नीति

[हिन्दी]

2413. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री इरा अन्बारासु :

श्री सुधीर गिरि : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार संबंधी नई नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब की जाएगी;

(ग) इस नई नीति में क्या-क्या मुख्य परिवर्तन शामिल हैं;

(घ) इस नीति को लागू करने से दूरसंचार सुविधाओं में कितना सुधार होगा; और

(ङ) क्या नई दूरसंचार नीति से काफी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। नई दूरसंचार नीति, जो सरकार के विचाराधीन है, को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## उत्तर प्रदेश में पेय जल समस्या

2414. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों में पेय जल की समस्या को हल करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि का आवंटन किए जाने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं, 1-4-90 को उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों के सभी समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के जिलावार आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा।

## हालिडे होम और अतिथि गृह

[अनुवाद]

2415. प्रो० यदुनाथ पांडेय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उचित दर पर उपलब्ध किये जाने वाले उनके मंत्रालय के अधीन हालिडे होम्स/अतिथि/विश्राम गृहों आदि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन हालिडे होम्स/अतिथि गृहों के आवंटन की प्रक्रिया क्या है;

(ग) इन हालिडे होम्स/अतिथि गृहों में औसतन कितना किराया लिया जाता है;

(घ) इनका आवंटन किन व्यक्तियों को किया जाता है;

(ङ) क्या नये हालिडे होम्स/अतिथि गृहों/विश्राम गृहों का निर्माण करने का विचार है; और

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह)।

डाक विभाग

(क) डाक विभाग के विभिन्न सर्किलों मे 16 हालिडे होम और 164 इन्स्पेक्शन क्वार्टर/रूम है। हील स्टेशनों, पर्यटन स्थलों आदि में स्थित हाली-डे-होम नियमित कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए छुट्टियां बिताने के प्रयोजन से बनाए गए हैं। इन्स्पेक्शन क्वार्टर कर्मचारियों के निरीक्षण और दौरों के दौरान उनके ठहरने के लिए प्रत्येक सर्किल में सभी महत्वपूर्ण शहरों में बनाए गए हैं। इन्स्पेक्शन क्वार्टर जब नियमित कर्मचारी छुट्टी पर होते हैं तो उन्हें और उनके परिवारों को भी उपलब्ध कराये जाते हैं। सेवा निवृत्त कर्मचारी भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागों के कर्मचारी भी आदान-प्रदान के आधार पर इन्स्पेक्शन क्वार्टरों/रूम्स का उपयोग कर सकते हैं। हाली-डे होम डाक और दूर संचार विभागों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भी उपलब्ध है।

(ख) जहां तक हाली-डे होम के लिए आरक्षण कराने का संबंध है, संबंधित सर्किल के नामित अधिकारी को 10 रु० का क्रास्ड इंडियन पोस्टल आर्डर भेजा जाना होता है। इन्स्पेक्शन क्वार्टरों की बुकिंग के लिए उस प्रशासनिक अधिकारी को एक आवेदन भेजना होता है जिसके अधीन इन्स्पेक्शन क्वार्टर होते हैं।

(ग) किराया कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर लिया जाता है। 1640 रु० तक वेतन पाने वालों के मामले में हाली डे होम का किराया 2 रु० प्रतिदिन है और जिनका मूल वेतन 1640 रु० से अधिक है उनके मामले में यह किराया 5 रु० प्रतिदिन है। जहां तक इन्स्पेक्शन क्वार्टरों का संबंध है, 5,000 रु० तक वेतन पाने वाले के लिए यह किराया 4 रु० प्रतिदित है और जिनका वेतन 5,000 रु० से अधिक है उनके लिए यह किराया 6 रु० प्रतिदिन है। किराये के अलावा उनसे बिजली-शुल्क भी लिया जाता है।

(घ) जैसा उपर्युक्त (ख) में उल्लेख किया गया है।

(ङ) और (च) गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पांडिचेरी और अण्डमान निकोबार में 17 और हाली डे होम खोलने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार विभाग

(क) जहां तक दूरसंचार विभाग का सम्बन्ध है विभिन्न राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 12 हाली डे होम हैं। हील स्टेशनों, पर्यटन स्थलों आदि में जो हाली डे होम्स स्थित हैं, वे नियमित कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए छुट्टियां बिताने के प्रयोजन से बनाए गए हैं। हाली डे होम डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के बाद केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध होते हैं।

(ख) जहां तक हाली डे होम के होम के लिए आरक्षण कराने का सम्बन्ध है, सम्बन्धित सर्किल के नामित अधिकारी को 10 रु० का क्रास्ड इन्डियन पोस्टल आर्डर भेजा जाना होता है।

(ग) प्रतिमाह 1640 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए हाल्मी डे होम का किराया 2 रु० प्रतिदिन है और प्रतिमाह 1640 रु० से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए किराया 5 रु० प्रतिदिन है। बिजली प्रभार किराये के अतिरिक्त हैं।

(घ) जैसा उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है।

(ङ) और (च) मेघालय, बिहार, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और दिल्ली में चरणबद्ध ढंग से 20 और हाल्मी डे होम खोलने का प्रस्ताव है।

अतिथि/स्वागत कक्ष के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाना**

2416. **श्री अजीत कुमार पांजा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खनेश्वर मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता दूरसंचार प्रणाली की टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

1. इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना।
2. भूमिगत केबिलों की डक्टिंग।
3. पुराने भूमिगत केबलों को बदलना।
4. रोटरी डायल किस्म के उपकरण को पुश बटन किस्म के उपकरण में बदलना।
5. ओवरहैड तारों को ट्राप तारों में बदलना।
6. अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय माध्यमों जैसे पी० सी० एम० और डिजीटल सूक्ष्म-तरंग पर इन्टर एक्सचेंज संबंधनों की व्यवस्था करना।

**कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) के पालमपुर में एस० टी० डी० सुविधा**

2417. **श्री डी० डी० लखोरिया :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) के पालमपुर में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान।

**खाड़ी के देशों की जेलों में भारतीय नागरिक**

2418. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों की जेलों में कितने भारतीय नागरिक बंद हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति केरल से हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**नवापुर, नन्दूरबार, शहादा और दोनदेया में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना**

[हिन्दी]

2419. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवापुर, नन्दूरबार, शहादा और दीनदेया में कोएक्सेल लाइन पर कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को चालू न करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का इन शहरों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और ये कार्य करना आरम्भ कर देंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लाइनें पहले से ही चालू हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे निम्नलिखित हैं, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों :—

(I) नन्दूरबार में पहले से ही 700 लाइनों की क्षमता वाला मैक्स-II एक्सचेंज है जिसमें 638 चालू कनेक्शन हैं तथा 319 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। तथापि, 1990-91 के दौरान एन. एच. डी. उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है तथा वर्ष 1991-92 के दौरान मौजूदा मैक्स-II एक्सचेंज को 1500 लाइनों वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है।

(II) नवापुर में 240 लाइनों की क्षमता वाला सी० डी० एम० मैनुअल एक्सचेंज जिसमें 235 चालू कनेक्शन और 66 उपभोक्ता के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं। इसको 1991-92 के दौरान 512 पोर्ट आई० एन० टी० एक्सचेंज द्वारा बदले जाने की योजना है।

(III) 480 लाइनों की क्षमता वाले लहादा के मौजूदा सी० बी० एम० एक्सचेंज को जिसमें 453 चालू कनेक्शन हैं तथा 61 आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं, 1991-92 के दौरान 512 पोर्ट आई० एल० टी० एक्सचेंज की दो यूनिटों द्वारा बदले जाने की योजना है।

(VI) दोनराइपा में 360 लाइनों के मौजूदा सी० बी० एम० एक्सचेंज को जिसमें 351 चालू कनेक्शन हैं तथा 97 उपभोक्ताओं के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज है, 1991-92 के दौरान 512 पोर्ट आई० एल० टी० एक्सचेंज द्वारा बदले जाने की योजना है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**निर्यात कार्गो का आरक्षण**

[अनुवाद]

2420. प्रो० राम गणेश कापसे : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम सहित भारतीय नौवहन कम्पनियां एक विधेयक पारित करने की मांग कर रही हैं कि सरकार द्वारा अनुमोदित संयुक्त राष्ट्रीय संहिता के अनुसार समुद्री जहाज निर्यात कार्गो का 40 प्रतिशत भारतीय जहाजों को दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) भारतीय नौवहन कम्पनियां, जिनमें भारतीय नौवहन निगम भी शामिल है, इस प्रश्न की बाबत भारत सरकार से अनुरोध करती रही है कि भारतीय जहाजों के लिए 40% समुद्रगामी लाइनर निर्यात कार्गो सुनिश्चित करने हेतु, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित लाइनर कांफ्रेंस के लिए संयुक्त राष्ट्र की आचार संहिता में परिकल्पना की गई है, एक उपयुक्त कानून बनाया जाय।

(ख) भारतीय जहाजों के लिए कार्गो समर्थन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त कानून लागू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

**सीधी डायलिंग फोन सेवा से डोम्बीवली को बम्बई से जोड़ना**

2421. श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सीधी डायलिंग फोन सेवा के द्वारा डोम्बीवली को बंबई से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक जोड़ दिया जाएगा;

(ग) ऐसे अंतर्नगरीय टेलीफोन व्यवस्था करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) थाणे जिले में टेलीफोन सुविधा के लिए कितने आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) डोम्बीवली का बंबई से सीधा डायलिंग संपर्क पहले से ही है। इसका कोई कोड नम्बर 0251 है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**दिल्ली बहादुरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कब्जा**

2422. **श्री चांद राम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगलोई तथा टीकरी-कला क्षेत्र के पास दिल्ली-बहादुरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) पंजाबी बाग से दिल्ली बार्डर तक सड़क की चौड़ाई कितनी है; और

(ग) अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, जो सड़क के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है, नांगलोई और टीकरी कला क्षेत्र के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 10 पर सड़क भूमि की चौड़ाई में अतिक्रमण किए गए हैं।

(ख) पंजाबी बाग (कि० मी०-12) से दिल्ली सीमा (कि० मी० 29.7) तक सड़क की चौड़ाई निम्न प्रकार है :—

| | खंड (कि० मी०) | मार्गाधिकार (भूमि की चौड़ाई) | वाहन चलने वाले रास्ते (कैरिजवे) की चौड़ाई |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.0 से 16.50 | 60.96 मी० (200 फुट) | 6 लेनों में विभाजित कैरिजवे (2 × 10.5 मी०) |
| 2. | 15.50 से 22.30 | —तदैव— | 4 लेनों में विभाजित कैरिजवे (2 × 7 मी०) |
| 3. | 22.30 से 23.45 | 46.33 मी० (152 फुट) | —तदैव— |
| 4. | 23.45 से 60.96 | 60.96 मी० (200 फुट) | —तदैव— |
| 5. | 28.0 से 29.0 | 55.93 मी० (183.5 फुट) | —तदैव— |
| 6. | 29.0 से 29.70 (200 फुट) | 60.95 मी० (200 फुट) | —तदैव— |

(ग) इस मामले को दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली पुलिस के साथ उठाया गया है।

**देश में आपराधिक मामलों की संख्या**

[हिन्दी]

2423. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार गत छः महीनों के दौरान चोरी, डकैती, बलात्कार और महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों के अपहरण की कितनी-कितनी घटनायें हुई हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : वर्ष 1990 की प्रथम छिमाही के दौरान देश में दर्ज किए गए चोरी, डकैती, बलात्कार और महिलाओं, पुरुष और बच्चों के अपहरण के मामलों का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

## विवरण

**वर्ष, 1990 की प्रथम छिमाही के दौरान देश में दर्ज किए गए चोरी, डकैती, बलात्कार और महिलाओं, पुरुष और बच्चों के अपहरण के मामलों का राज्य-वार ब्योरा**

| क्र० सं० | राज्य | बलात्कार | डकैती | चोरी | अपहरण बच्चे | महिलाएं | पुरुष | इस अवधि तक की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **राज्य** | | | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 104 | 132 | 3629 | 5 | 6 | 118 | फरवरी, 1990 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 9 | 13 | 136 | — | 5 | 8 | मई, 1990 |
| 3. | असम | 96 | 322 | 1962 | — | 10 | 264 | मार्च, 1990 |
| 4. | बिहार | | | | | उ० न० | | |
| 5. | गोवा | 5 | 1 | 407 | — | — | 14 | मई, 1990 |
| 6. | गुजरात | 24 | 53 | 3456 | — | 39 | 77 | फरवरी, 1990 |
| 7. | हरियाणा | 46 | 10 | 903 | 1 | 22 | 126 | मार्च, 1990 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 11 | 2 | 405 | — | 12 | 42 | मई, 1990 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 19 | 3 | 544 | — | — | 83 | मार्च, 1990 |
| 10. | कर्नाटक | 67 | 115 | 6891 | 2 | 11 | 199 | मई, 1990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | केरल | 66 | 21 | 1614 | — | 3 | 78 | मई, 1990 |
| 12. | मध्य प्रदेश | | | | | उ० न० | | |
| 13. | महाराष्ट्र | 340 | 300 | 23320 | 4 | 63 | 448 | मई, 1990 |
| 14. | मणिपुर | 15 | 8 | 176 | — | 14 | 45 | |
| 15. | मेघालय | 10 | 8 | 181 | — | 1 | 2 | अप्रैल, 1990 |
| 16. | मिजोरम | 22 | 5 | 258 | — | 1 | 4 | मई, 1990 |
| 17. | नागालैण्ड | 2 | 14 | 92 | — | 1 | 2 | मार्च, 1990 |
| 18. | उड़ीसा | 76 | 77 | 3367 | — | 9 | 92 | अप्रैल, 1990 |
| 19. | पंजाब | 26 | 37 | 1173 | 2 | 6 | 155 | मई, 1990 |
| 20. | राजस्थान | | | | उ० न० | | | |
| 21. | सिक्किम | 1 | — | 29 | — | — | — | |
| 22. | तमिलनाडु | 86 | 36 | 7328 | 8 | 1 | 295 | अप्रैल, 1990 |
| 23. | त्रिपुरा | 28 | 34 | 409 | — | 3 | 34 | अप्रैल, 1990 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | | | | उ० न० | | | |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 72 | 93 | 5019 | 4 | 18 | 106 | फरवरी, 1990 |

टिप्पणी :—(1) आंकड़े राज्यों से प्राप्त मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित है जिन्हें अस्थायी समझा जाये :

(2) "———" शून्य सूचना दिखाता है ।

(3) उ० न० का अर्थ उपलब्ध नहीं है ।

## आतंकवादी गतिविधियां

2424. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार आतंकवादी गतिविधियों के कारण कितने नागरिक तथा सरकारी कर्मचारी मारे गए; और

(ख) अब तक राज्य-वार कितने आतंकवादी मारे गए, कितने गिरफ्तार किए गए तथा कितने रिहा किए गए ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## पंजाब में उर्वरकों की खपत

[अनुवाद]

2425. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विभिन्न किस्म के उर्वरकों की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) सहकारी समितियों और गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सप्लाई किए गए उर्वरकों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) नकद तथा उधार बेची जाने वाले उर्वरकों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्धारित समय पर अदायगी न कर पाने की स्थिति में और सामान्य रूप से किसानों से किस दर पर ब्याज लिया जाता है;

(ङ) क्या सरकार का प्रभावी ढंग से उर्वरक वितरण के लिए गांवों में उर्वरक एजेंसियों को बेरोजगार युवकों को आवंटित करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) 1988-89 के दौरान पंजाब में उर्वरकों की अनुमानित खपत निम्न प्रकार है :—

| | | (लाख मीटरी टन में) |
|---|---|---|
| एन० | : | 7.96 |
| पी० | : | 3.02 |
| के० | : | 0.19 |
| कुल योग | | 11.17 |

(ख) से (ज) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी :

**उलुबेरिया टेलीफोन एक्सचेंज को बदलना**

2426. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा जिले में उलुबेरिया टेलीफोन एक्सचेंज में व्याप्त समस्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार उलुबेरिया में टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार का उलुबेरिया में आर० ए० एक्स० के स्थान पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह)** : (क) जी, नहीं, उलुबेरिया टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यचालन सामान्यत: संतोषजनक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1991-92 के दौरान।

**भारतीय पोत स्वामियों पर लगी शर्तें**

2427. **डा० सुधीर राय** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोत स्वामियों के लिए इस शर्त का पालन करना अनिवार्य है कि यदि कोई एक जहाज का आयात करता है तो उसे एक जहाज भारतीय पोत-प्रांगण से भी अवश्य खरीदना होगा;

(ख) क्या गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों की सहायता करने के उद्देश्य से इन शर्तों में ढील दे दी गई थी जिसके अनुसार उन्हें जहाज की लागत का केवल 10 प्रतिशत देना होता है और लागत का शेष 90 प्रतिशत के लिए उन्हें उदार शर्तों पर ऋण दे दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पोत प्रांगण की कीमत पर गैर-सरकारी पोत मालिकों के प्रति इतनी अधिक उदार नीति अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त, 1988 को जारी किए गए संशोधित समरूप (पैरी-पैसू) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत नये जहाजों की खरीद के मामले में समरूप दायित्व डेड वेट टनेज में बने रहेंगे। तथापि, विदेशों से खरीदे गये प्रत्येक तीन जहाजों पर यह दायित्व एक जहाज से कम का नहीं होगा। पुराने जहाजों की खरीद के सम्बन्ध में समरूप दायित्व मूल्य के संदर्भ में और पुराने जहाजों के लिए अदा किए गए मूल्य की सीमा तक बना रहेगा।"

(ख) और (ग) समरूप शर्तों को छोड़ दिया जाता है यदि भारतीय शिपयार्ड (हिन्दुस्तान शिप-

यार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) 36 महीनों में जहाजों की डिलीवरी देने सहित आर्डर स्वीकार करने की स्थिति में न हों।

**बिहार द्वारा प्याज के सम्बन्ध में मार्किट इन्टरवेंशन स्कीम का कार्यान्वयन**

2428. **श्री राम मंगल मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने प्याज के सम्बन्ध में "मार्किट इन्टरवेंशन स्कीम" को कार्यान्वित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये जाने के बावजूद इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस योजना को बिहार में कार्यान्वित करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) और (ख) मंडी हस्तक्षेप योजना (एम० आई० एस०) भारत सरकार, राज्य सरकार के अनुरोध पर उस राज्य में क्रियान्वित करती है, जिसमें आपस में तय की गई लक्षित मात्रा की खरीद केन्द्र और राज्य द्वारा पदनामित एजेंसियों द्वारा की जाती है। इस कार्य में होने वाले नुकसान को राज्य और केन्द्र सरकार 50 : 50 के आधार पर शेयर करती है। बिहार सरकार से प्याज में मंडी हस्तक्षेप योजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार बिहार में प्याज के लिए मंडी हस्तक्षेप योजना के प्रस्ताव पर तभी विचार करेगी जब बिहार सरकार अनुरोध करेगी।

**भारत के विदेश व्यापार को बढ़ावा**

[हिन्दी]

2429. **श्री बृज भूषण तिवारी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूतावासों ने विदेशों में भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या-क्या विशेष प्रयास किये हैं;

(ख) क्या इन प्रयासों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय व्यापारियों को दी जा रही अपर्याप्त सहायता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) :** (क) विदेश स्थित सभी भारतीय मिशन प्रमुखों को यह निदेश है कि वे भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन से सम्बद्ध मामलों को प्राथमिकता दें। बहुत से भारतीय मिशनों में इस काम के लिए वाणिज्यिक प्रतिनिधि हैं। इसमें वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन, व्यापार मेलों में साझेदारी तथा वाणिज्यिक सूचना आदि का संग्रह और वितरण शामिल है।

(ख) और (ग) निर्यात संवर्धन प्रयासों का मूल्यांकन मिशनों में और मुख्यालय पर बैठकों के माध्यम से, रिपोर्टों और सूचना प्रेषण के माध्यम से बराबर किया जाता है।

(घ) और (ङ) मोटे तौर पर प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठनों और पक्षों ने भारतीय मिशनों के

काम को सराहा है। कभी-कभार अगर सरकार को किसी मिशन विशेष के विरुद्ध कोई खास शिकायत मिलती है तो मुख्यालय में उनकी जांच की जाती है और अगर जरूरी हो तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष निर्देश दिए जाते हैं।

**प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का दिल्ली में स्थानान्तरण**

[अनुवाद]

2430. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिन्दरी के डिजाइन कर्मचारी लम्बे अर्से से आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के आहिस्ता-आहिस्ता टूटने और दिल्ली में निर्माणाधीन नये भवन में इसके कुछ भागों में शिफ्ट करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस आशंका को पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) और (ख) डिजाइन स्टाफ एसोसिएशन आफ प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० ने 7 मई, 1990 से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। उनका मांग पत्र निम्न प्रकार था :—

(1) अनिच्छुक उम्मीदवारों को सिन्दरी से बाहर अस्थायी स्थानान्तरण पर जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

(2) विस्तृत इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में ठेके पर कार्य देना बन्द करना।

(3) आलेखन तथा इंजीनियरिंग नफरी के अध्यधीन तीन कार्यालयों के बीच विस्तृत इंजीनियरिंग जाब का समान वितरण।

(4) फरवरी, 1990 में पहले ही जारी किए गए अस्थायी स्थानान्तरण पत्रों को वापस लेना।

(ग) श्रम मंत्री, बिहार सरकार ने प्रबन्धकों तथा डिजाइन स्टाफ एसोसिएशन के साथ 17 अगस्त, 1990 को विचार विमर्श किया और 20-8-1990 को आन्दोलन वापस ले लिया गया था। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ प्रबन्धकों द्वारा यह इंगित किया गया था कि अनिच्छुक श्रमिकों पर सिन्दरी से बाहर जाने का दबाव नहीं डाला जाएगा तथा भविष्य में सिन्दरी से परियोजना कार्य करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिएं।

(घ) और (ङ) कम्पनी के मुख्यालय को सिन्दरी से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई इरादा नहीं है। तथापि कम्पनी के कार्य परामर्शी/ठेकेदार के होने के कारण कार्यों के निष्पादन में ग्राहकों की इच्छाओं पर उचित ध्यान देना पड़ता है।

**पंजाब में बम विस्फोट**

2431. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1990 के दौरान पंजाब में बसों, रेल गाड़ियों तथा अन्य स्थानों पर हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विस्फोटों में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए और कितने मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) कितने मामलों को सुलझाया गया तथा इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(घ) पंजाब में बम विस्फोट की घटनाओं तथा अन्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) और (ख) जनवरी से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान सूचित की गयी बम विस्फोटों की 62 घटनाओं में 297 व्यक्ति घायल हुए और 83 मारे गये। सम्पत्ति को हुए नुकसान की राशि निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) सरकार ने मामलों की जांच-पड़ताल का कार्य शुरू किया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी उसने उचित उपाय किए हैं।

**केरल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची**

2432. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केरल में 30 जून, 1990 को सामान्य, विशेष और ओन योर टेलीफोन श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए कुल कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार केरल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं, उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| सामान्य | : | 137504 |
| विशेष | : | 9248 |
| ओवाईटी | : | 8026 |

**जम्मू-कश्मीर में सेना की तैनाती**

2433. **श्री जगपाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों द्वारा कानून और व्यवस्था के लिए उत्पन्न किए गए खतरे का मुकाबला करने के लिए जम्मू-कश्मीर में सेना तैनात कर दी गई है; और

(ख) सेना की तैनाती से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा सेना के संचालन में है। आवश्यकता पड़ने पर कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सेना की सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं।

(ख) राज्य पुलिस की समन्वित कार्रवाई से अर्ध-सैनिक बल और सेना, राज्य प्राधिकारी अधिक समक्ष हो गए हैं।

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का उपयोग में न लाई गई धनराशि**

2434. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से राज्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को उपयोग में नहीं लाए; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आवंटित समूची धनराशि को पूरी तरह उपयोग में लाया जाए ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है तथा इसमें केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदान दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88, 88-89 तथा 89-90 के दौरान निधियों का उपयोग आवंटन का क्रमशः 118.6%, 111.7% तथा 102.4% था। मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवंटन के 25 प्रतिशत का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में कर सकती हैं। उपयोग की गति सब राज्यों में अलग-अलग है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटन का 90 प्रतिशत से कम का उपयोग करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी मासिक व त्रैमासिक आधार पर की जाती है। उन राज्यों को जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं, चेतावनी दी गई है कि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन को तीव्र करें। इसके अतिरिक्त, प्रभावी तथा नियमित कार्यान्वयन तथा निधियों के उपयोग हेतु त्रैमासिक बजट बनाना भी शुरू किया गया है। त्रैमासिक बजट के लक्ष्य को प्राप्त न करने वाले राज्यों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दूसरी किस्त की रिलीज करने के समय आवंटन/रिलीज में कटौती की जाती है।

**विवरण**

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 से 1989-90 के दौरान आवंटन का 90 प्रतिशत से कम उपयोग करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कुल आवंटन के उपयोग की प्रतिशतता | | |
|---|---|---|---|
| | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
| 1. अरुणाचल प्रदेश | 79 | 79 | 60 |
| 2. अण्डमान एवं निकोबार | 86 | — | — |
| 3. दमन और दीव | — | — | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. बिहार | — | — | 85 |
| 5. उड़ीसा | — | — | 85 |
| 6. दिल्ली | — | 84 | 88 |
| 7. लक्षद्वीप | — | 49* | 28** |
| 8. कर्नाटक | — | — | 87 |

* 44.50 लाख रुपये के कुल आवंटन के मुकाबले केवल 5.64 लाख रुपये रिलीज किए गए।

** 48.90 लाख रुपये के कुल आवंटन के मुकाबले केवल 13.23 लाख रुपये रिलीज किए गए।

### दिल्ली नगर निगम में वित्तीय प्रबन्ध

2435. **कुमारी उमा भारती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली नगर निगम के वित्तीय प्रबन्ध के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 1989 वर्ष की रिपोर्ट में (1990 की संख्या 4) की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या निगम के मासिक एबस्ट्रैक्टस एनुअल अकाउन्ट्स और एनुअल एपरोपरिएशन अकाउन्ट्स बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) जनरल विंग के माह दिसम्बर, 1989 तक के मासिक लेखे मुख्य नगरपालिका लेखा-परीक्षक को लेखा परीक्षण के लिए पहले ही भेजे जा चुके हैं। तथापि, यह छः माह का बकाया है। वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए लेखों के वार्षिक विनियोजन के बारे में आवश्यक कारंवाई की गई है। वर्ष 1989-90 के विनियोजन लेखे तैयार किए जा रहे हैं। वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखों को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और लेखा परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है।

### दिल्ली में प्रदूषण निवारण अभियान

2436. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने प्राइवेट पेट्रोल पम्पों को जून, 1990 से मोटर वाहनों के प्रदूषण की जांच करने के निर्देश दिये हैं;

(ख) क्या मोटरयान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है कि ये पेट्रोल पम्प किस प्रकार ऐसे प्रदूषण की जांच करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) जी हां। दिल्ली प्रशासन ने पैट्रोल से चलने वाले निजी वाहनों का प्रदूषण स्तर मापने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 21 पैट्रोल पम्पों को अधिकृत किया है।

(ख) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदूषण मानक निर्धारित किए गए हैं तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए वाहनों द्वारा करवाई जाने वाली जांच की व्यवस्था की गई है। वाहनों का प्रदूषण स्तर मापने के लिए पैट्रोल पम्पों को प्राधिकृत करना, उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा की जाने वाली एक प्रशासनिक व्यवस्था है।

(ग) और (घ) जी हां। परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन सभी प्राधिकृत पैट्रोल पम्पों का समय-समय पर सर्वेक्षण करता रहा है तथा प्रदूषण जांच की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आने वाले (दुपहिया तथा चार पहिया) वाहनों की संख्या, प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र जारी किए गए वाहनों की संख्या, ट्यूनिंग सुविधा प्राप्त कर रहे वाहन मालिकों की संख्या, इत्यादि से संबंधित सूचना एकत्र करता रहा है। सर्वेक्षण दल, प्रदूषण स्तर मापने के लिए प्रयोग किए जा रहे उपकरणों और उनकी अशोधन एवं क्षमता की भी जांच करते हैं।

## अमृतसर से अहमदाबाद तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

**[हिन्दी]**

2437. **श्री दौलत राम सारण** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्री गंगा नगर-अनूपगढ़ कोलायत, जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए अमृतसर से अहमदाबाद तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) से (ग) अमृतसर और अहमदाबाद पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग 15 और 8 ए द्वारा जुड़े हुए हैं (जैसे अमृतसर श्रीगंगानगर-बिकानेर-कोलायत-जैसलमेर-बाड़मेर-राधापुर-सांखियाली, रा० रा० मार्ग 15 द्वारा और सांखियाली से अहमदाबाद तक रा० रा० मार्ग 8 ए द्वारा) राष्ट्रीय राजमार्ग को अनूपगढ़ से गुजारने का कोई प्रस्ताव अथवा आवश्यकता नहीं है।

## नागपुर में डाक सेवाएं

**[अनुवाद]**

2438. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर जिले में डाक वितरण सेवा अत्यधिक खराब है;

(ख) क्या डाक बांटे जाने की संख्या में कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो नागपुर में डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :** (क) रूटीन किस्म की कुछ शिकायतों के अलावा, नागपुर जिले में डाक वितरण सेवाओं की स्थिति अधिक खराब नहीं रही है।

(ख) डाक वितरण की संख्या में कमी नहीं की गई है।

(ग) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

**दीर्घावधिक दूरसंचार नीति**

2439. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :**

**श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'असोसियटेड चैम्बरर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री आफ इंडिया' ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में जिम्मेदारियों के स्पष्ट बंटवारे के लिए एक दीर्घावधिक दूरसंचार नीति तैयार की जाए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का एसोसियेशन चैम्बरर्स आफ कामर्स के सुझावों की जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :** (क) इस प्रकार के कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**मुरैना जिले (मध्य प्रदेश) में सरसों अनुसंधान केन्द्र**

[हिन्दी]

2440. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक सरसों अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र किस स्थान पर खोला जाएगा, और उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) यह अनुसंधान केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारम्भ करेगा ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली परिवहन निगम में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरना**

2441. **श्री नन्द लाल मीणा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम में वर्ष 1986 के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम में श्रेणी क, ख, ग और घ में रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम में श्रेणी क, ख, ग और घ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर अब तक नियुक्त किए गए इन व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) से (ग) विभिन्न पदों को भरने के लिए भर्ती के प्रयोजनार्थ दिल्ली परिवहन निगम अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवार भेजने हेतु रोजगार कार्यालय के पास मांग पत्र भेजता रहा है। रोजगार कार्यालय से उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में पदों को अपनी समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। कोई उत्तर न आने अथवा कम उत्तर आने की स्थिति में दोबारा विज्ञापन दिये जाते हैं। यह अनुभव रहा है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पदों पर नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार सरलता से उपलब्ध नहीं होते। विभिन्न श्रेणियों में पदों के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हता प्राप्त उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता के अध्यधीन पदों को प्रयास किए जा रहे हैं। गत 3 वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित ग्रुप 'ग' का केवल एक पद भर सका है। वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान रिक्तियों और भरे गए पदों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

| | वर्ष | रिक्तियों की संख्या | भरे गए पद |
|---|---|---|---|
| समूह 'क' | 1987 | 1 | — |
| | 1988 | 1 | — |
| | 1989 | 1 | — |
| समूह 'ख' | 1987 | 3 | — |
| | 1988 | 3 | — |
| | 1989 | 3 | — |
| समूह 'ग' | 1987 | 29 | — |
| | 1988 | 211 | 1 |
| | 1989 | 298 | — |
| समूह 'घ' | 1987 | 4 | — |
| | 1988 | 11 | — |
| | 1989 | 58 | — |

**हाथरस को दिल्ली से सीधे डायल करके टेलीफोन करने की सुविधा से जोड़ा जाना**

2442. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हाथरस को दिल्ली से सीधे डायल करके टेलीफोन करने की सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1990-91 के दौरान यह सुविधा दे दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 'धारा' खाद्य तेल का विज्ञापन**

[अनुवाद]

2443. श्री बाबूभाई मेघजी शाह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जून, 1990 तक, महीनेवार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा धारा ब्रांड के खाद्य तेल के, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, फिल्म स्लाइडों, दूरदर्शन और वृतचित्रों आदि के माध्यम से विज्ञापन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) विभिन्न एजेंसियों को सौंपे गए उक्त कार्य तथा इस संबंध में उन्हें किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) धारा की शुरूआत से विज्ञापन पर हुए खर्च का माहवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

| माह | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|
| जनवरी | — | 0.29 | 12.43 |
| फरवरी | — | 0.27 | 10.65 |
| मार्च | — | 6.25 | 10.28 |
| अप्रैल | — | 10.25 | 9.70 |
| मई | — | 4.33 | 7.42 |
| जून | — | 9.18 | 6.70 |
| जुलाई | — | 5.16 | 0.36 |
| अगस्त | — | 1.02 | |
| सितम्बर | 4.48 | 5.18 | |
| अक्तूबर | 3.38 | 12.75 | |
| नवम्बर | 2.21 | 14.32 | |
| दिसम्बर | 5.02 | 12.17 | |

धारा का विज्ञापन केवल उनके विज्ञापन एजेन्ट, मैसर्स मुद्रा कम्यूनिकेशन लिमिटिड, द्वारा ही किया गया है ।

**जानकारी प्राप्त करने का अधिकार**

2444. **श्री राम सागर (संबपुर)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उपलब्ध कराने और इस प्रयोजन के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम और सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स में संशोधन करके यदि कोई प्रगति हुई है तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : जानकारी प्राप्त करने के अधिकार और शासकीय गुप्त बात अधिनियम में उचित संशोधन करने के लिए अन्तर-मन्त्रालय अध्ययन ग्रुप द्वारा तैयार किए गए अभिगम-पत्र पर सचिवों की समिति द्वारा विचार किया गया। जानकारी प्राप्त करने के अधिकार और उससे संबधित अन्य मामलों पर ठोस प्रस्तावों के लिए एक टास्क-फोर्स गठित किया गया है।

**कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की हत्या**

[हिन्दी]

2445. **श्री जनार्दन यादव** :

**श्री रामदास सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में गत तीन माह के दौरान कितने सुरक्षा कर्मी तथा अन्य सरकार कर्मचारियों की हत्या की गई है :

(ख) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) से (ग) पिछले तीन महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में 31 सुरक्षा कार्मिक मारे गए। मारे गए अन्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में अलग से सूचित नहीं किया गया है, तथापि, प्राप्त सूचना के आधार पर जम्मू और कश्मीर में 31-7-1990 तक उग्रवादियों द्वारा 396 व्यक्ति मारे गए।

2. सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसमें आसूचना तंत्र को मजबूत करना, संवेदनशील स्थानों पर अधिक सुरक्षा बलों को तैनात करना और सरकारी कर्मचारियों को ले जाने वाली बसों को मार्गरक्षी प्रदान करना शामिल है।

**"कैरा" नामक कीट को नियन्त्रित करना**

[अनुवाद]

2446. **श्री ललित विजय सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल प्लांट प्रोटेक्शन नेटवर्क्स द्वारा कीट नियंत्रण सेवा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) क्या "कैरा" कीट रबी फसल, मुख्यतः बिहार के ताल क्षेत्रों में चने की फसल को क्षति पहुंचाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कीट को नियंत्रित करने के लिए तीव्र उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के नागपुर-रायपुर सैक्शन को चौड़ा करना**

[हिन्दी]

2447. डा० खुशाल परशराम बोपचे : क्या जल- भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान नागपुर और देवरी के बीच यातायात में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के नागपुर-रायपुर सैक्शन को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का आवश्यक सर्वेक्षण करने के बाद नये प्रस्ताव बनाने का विचार है ?

जल--भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) यातायात में वृद्धि के कारण रा० रा० मार्ग-6 को दुर्ग और रायपुर के बीच चौड़ा करके चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है । 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में इसके लिए एक प्रावधान किया गया है और प्रारम्भिक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है । तथापि, महाराष्ट्र में नागपुर-देवरी खंड को जिसकी चौड़ाई दो लेन की है और जिसे आजकल के यातायात के लिए पर्याप्त समझा जाता है, चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**जनजातीय क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदण्डों में छूट देना**

[अनुवाद]

2448. श्री के० प्रधानी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों में नये शाखा और उप डाकघर खोलने के लिए मानदण्डों में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) शाखा डाकघरों को डिलीवरी एजेन्ट उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) उन शर्तों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) उप एवं शाखा डाकघरों को खोलने सम्बन्धी मौजूदा मानदण्डों में जनजातीय क्षेत्रों को रियायत दी जा रही है ।

(ख) शाखा डाक घर :

(i) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में एक डाक घर खोलने के लिए 1500 की न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित किया किया गया है।

(ii) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों 33-1/3 प्रतिशत की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में डाक घर के लिए न्यूनतम राजस्व लागत का 15 निर्धारित किया गया है।

उप डाक घर (योजना के अन्तर्गत खोले गए)

जनजातीय क्षेत्रों में क्षति की अनुमत्य सीमा प्रति वर्ष 4800/-रु० प्रति डाक घर है जबकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा 2400/-रु० की हैं।

(ग) और (घ) कोई शर्त नहीं रखी गई है उस स्थिति में वितरण एजेंट की व्यवस्था की जाती है जब निर्धारित कार्य अवधि में भीतर शाखा पोस्टर मास्टर द्वारा वितरण का कार्य स्वयं न किया जा सकता हो और यदि वितरण एजेंट की लागत और डाक घर के लिए स्वीकृत अन्य स्थापना को ध्यान में रखते हुए शाखा डाकघर की लागत के प्रतिशत के रूप में इसकी अनुमानित आय के निर्धारित सीमा तक होने की संभावना हो।

**टेलीफोन खराब होने के संबंध में शिकायतें**

[हिन्दी]

2449. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश मे पृथक-पृथक रूप ने खराब टेलीफोन होने की औसत कितनी शिकायतें प्राप्त होती है;

(ख) क्या सरकार का इन शिकायतों को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध करने का विचार है। और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) दिल्ली में प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की औसत संख्या 5336 है और उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की औसत संख्या 3309 है।

(ख) और (ग) इन शिकायतों को लगातार दूर करने की व्यवस्था विद्यमान है।

**मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडियों का विकास**

2450. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 1987-88 के दौरान संघ सरकार को बीनागंज (जिला बूना) डाबरा (जिला ग्वालियर) और उज्जैन में कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार प्रस्ताव की स्वीकृति कब तक दे देगी और राज्य सरकार को आवश्यक निधियां कब तक देगी;

(ग) क्या संघ सरकार की केन्द्रीय अनुमोदन समिति ने महिदपुर (जिला उज्जैन) में कृषि उपज मंडी के विकास के लिए 4 लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी थी;

(घ) क्या इस बीच राज्य सरकार को यह राशि दी गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह राशि कब तक दे दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1987-88 में भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि भारत सरकार की योजना में अप्रैल, 1988 में संशोधन कर दिया गया था। राज्य सरकार को अपने प्रस्तावों में संशोधन करना पड़ा था। बीनागंज मंडी के लिए 4.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अनुदान के लिए प्रशासनिक अनुमोदन संशोधित योजना के अंतर्गत 6 अगस्त, 1990 को दे दिया गया है। दाबरा मंडी के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव की जांच की रही है। उज्जैन मंडी के प्रस्ताव में संशोधन किए जाने की जरूरत थी तथा राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा जी जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार को धनराशि रिलीज कर दी गई है।

**सतना जिले में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना**

2451. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां इलैक्ट्रोनिट टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गये हैं और कितने जिलों में इनके लगाएं जाने की संभावना है,

(ख) क्या सतना के लिए कोई इलैक्ट्रोनिक केन्द्र की स्वीकृत दी गई है, यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी;

(ग) क्या सतना जिले में मेहर, नागोड, अमर पाटन और ढंचे हुया टेलीफोन केन्द्रों को भी इलैक्ट्रोनिक केन्द्र में बदला जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक, और वे कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश के 23 जिला मुख्यालयों में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किये गये हैं। शेष 22 जिला मुख्यालयों में आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान करने की योजना है।

(ख) जी, हां। 1993-94 में 2000 लाइनों के एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) मेहर—इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू हो चुका है।

अमर पाटन—इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू हो चुका है।

चेहुया—मार्च, 91

नागोड—मार्च, 92

मुलबैगल के निकट एक उप-मार्ग का निर्माण

[अनुवाद]

2452. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या अल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-मद्रास राजमार्ग पर मुलबैगल के निकट एक उप-मार्ग का निर्माण करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या उप-मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अल भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) इस बाई पास के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त 28.85 लाख रु० के एक प्राक्कलन पर स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है । भूमि का अधिग्रहण करने के बाद ही बाई पास के निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जैव-रसायन में पी० एच० डी० हेतु प्रवेश

2453. श्रीमती वासवराजेश्वरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जैव-रसायन में पी० एच० डी० हेतु प्रवेश के मामले में अनियमितता बरती गई है जैसा कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा हाल ही में इस मामले में दिये गये निर्णय से पता चलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए कोई ठोस फार्मूला अथवा प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर सुधारने के लिए और क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदया, न्यायाधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को यह सलाह दी है कि स्नातकोत्तर कैलेन्डर/सूचना बुलेटिन में जैव-रसायन विषय के प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में उपयुक्त संशोधन किया जाए ।

(ख) न्यायाधिकरण के निदेशों के अनुसार, जैव-रसायन सहित विभिन्न विषयों में एम० एस० सी० तथा पी० एच० डी० कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यताओं में संशोधन किया गया है ताकि उन्हें बहुत ही विशिष्ट बनाया जा सके ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की शैक्षणिक परिषद, जो कि इस संस्था के स्नातकोत्तर शिक्षा के संबंध में नीति निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च निकाय है, प्रत्येक शैक्षणिक शिक्षा वर्ष के लिए प्रवेश नीति की समीक्षा करती है तथा संस्थान के शैक्षणिक स्तर को लगातार सुधारने के उद्देश्य से विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रवेश के तरीके तय करती है ।

## सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

2454. श्री हुरि केवल प्रसाद : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 की प्रथम छमाही में देश में कुल कितने नये डाकघर खोले गये; और

(ख) वर्ष 1990 में कितने डाकघर खोलने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) 1-1-1990 से 30-6-1990 की अवधि के दौरान 286 नए डाक घर खोले गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान अब तक 807 नए डाकघरों की मंजूरी दी गई है। संशोधित मानदण्ड तैयार करने के बाद और अधिक के बारे में विचार किया जा सकता है।

## फार्म नीति को नया रूप देना

[अनुवाद]

2455. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग संघ ने कृषि नीति बनाते समय फार्म नीति को नया रूप देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग संघ द्वारा दिए गए सुझावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) कृषि नीति तैयार करते समय खेती सम्बन्धी नीति को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग संघ से प्राप्त नहीं हुआ है।

## दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण

2456. श्री हेत राम : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैर-सरकारी वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है;

(ख) क्या दिल्ली में सरकारी वाहनों तथा अन्य यात्री वाहनों पर भी विभिन्न प्रकार का वाहन प्रदूषण नियंत्रण लागू होता है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने गैर-सरकारी, सरकारी यात्री वाहनों का चालान किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करना सभी मोटर वाहनों पर लागू होता है चाहे वाहन का मालिक कोई भी हो। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में इस बात की जांच करने के लिए कि वाहन निर्धारित मानकों को पूरा

करते हैं अथवा नहीं, मुख्यत: परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा वाहनों की जांच की जाती है। केवल निजी वाहनों की ही जांच नहीं की जाती, अपितु सरकारी वाहनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के वाहनों की भी जांच की जाती है।

(ग) प्रदूषण मानकों से सम्बन्धित विनियम, 1 मार्च, 1990 से लागू हुए हैं। अब तक जांच के परिणामस्वरूप, परिवहन निदेशालय ने 585 सरकारी वाहनों का चालान किया है जिनमें 376 बसें दिल्ली परिवहन निगम की हैं 75 निजी वाहनों का भी चालान किया गया है।

**जल प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा पेयजल की समस्याओं का अध्ययन किया जाना**

[हिन्दी]

2457. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा पेयजल की समस्या का परीक्षण के तौर पर अध्ययन करने के लिए किसी जिले को लघु मिशन परियोजना के रूप में चुनने हेतु किन-किन मापदंडों को अपनाया जाता है;

(ख) इसके लिए बिहार में किन-किन जिलों को चुनने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रूपेन्द्र नाथ बर्मा)** : (क) मिनी मिशन परियोजना जिलों का चयन राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया गया था। परियोजना जिले मुख्य रूप से पेयजल की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं के आधार पर चुने गए थे। पता लगायी गयी समस्याएं थीं—बार-बार सूखा, लवणता, जीवाणु संदूषण, स्रोत समस्या, फ्लोराइड की अधिकता, रसायनिक संदूषण, भूजल का नीचा हो जाना आदि।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत पांच मिनी मिशन परियोजना क्षेत्र (जिले) अर्थात गिरिडीह, सिंहभूम, पलामू, रोहतास तथा साहिबगंज को पहले ही शामिल कर लिया गया है। इस समय किसी नये जिले को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**हिन्द महासागर से महाशक्तियों की वापसी**

[अनुवाद]

2458. **श्री सी० ओनिवासन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोपीय देशों में अमरीका तथा सोवियत संघ द्वारा सैन्य बलों में की गयी पर्याप्त कटौती को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हिन्द महासागर से महाशक्तियों द्वारा अपने सैन्य बलों को वापस बुलाए जाने/उनमें कटौती किए जाने के लिए उनसे बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणीकृत बीजों पर राजसहायता**

2459. **श्री के० एस० राव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में चावल-उत्पादक, मक्का-उत्पादक और बाजरा-उत्पादक जिलों में प्रमाणित बीजों पर राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा राजसहायता का कितना भाग स्वयं वहन किया गया;

(ग) क्या धान की बुवाई के क्षेत्रफल और चावल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या चावल के निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) जी, हां ।

(ख) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—चावल के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान इस कार्यक्रम को शत-प्रतिशत (100%) सहायता पर क्रियान्वित किया गया था, जिसका वहन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर रूप से किया जाना था। वर्ष 1989-90 से सहायता की पद्धति को संशोधित करके भारत सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के बीच 75 : 25 का अनुपात किया गया था। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान 150/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी के तौर पर सहायता दी गयी थी। वर्ष 1990-91 से, मक्का तथा बाजरा के प्रमाणित बीज के वितरण पर 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर तथा मक्का और बाजरा के संकर किस्म के प्रमाणित बीज पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर सब्सिडी दी गयी है। चालू वर्ष से बाजरा को भी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसका सम्पूर्ण खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) और (घ) चावल के क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि निम्नानुसार है :

| वर्ष | क्षेत्र (मिलियन है०) | उत्पादन (मिलियन मीटरी टन) |
|---|---|---|
| 1987-88 | 38.81 | 56.86 |
| 1988-89 | 41.86 | 70.67 |

वर्ष 1989-90 के दौरान लगभग 72.80 मिलियन मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है।

(ङ) चावल का निर्यात निम्नानुसार रहा है :—

| वर्ष | निर्यातित मात्रा (क्विंटलों में) |
|---|---|
| 1987-88 | 3,88,919 |
| 1988-89 | 3,85,440 |
| 1989-90 | 4,23,600 |

**नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन**

2460. डा० सी० सिलवेरा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने वर्ष 1989-90 के दौरान देश में नाइट्रोजन उर्वरकों का रिकार्ड उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की अनेक यूनिटों को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये हैं;

(घ) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने देश में प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने का विचार है कि आगामी वर्षों में नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन अधिकाधिक बढ़ता जाये; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर लि० ने वर्ष 1989-90 में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का 1012.4 हजार मी० टन तक का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त किया है । संयंत्रवार उत्पादन निम्न प्रकार है :—

| | (000 मी० टन एन) |
|---|---|
| नांगल-I | 62.1 |
| नांगल-II | 131.6 |
| पानीपत | 219.7 |
| भटिंडा | 224.0 |
| विजयपुर | 375.0 |
| | 1012.4 |

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) एन० एफ० एल० के सभी चारों एककों ने राज्य/केन्द्र सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार गैस युक्त/तरल निस्राव के निकास के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय/व्यवस्थाएं की हैं ।

(च) और (छ) जी, हां ।

विभिन्न संयंत्रों के कार्यकरण के सम्बन्ध में मासिक/तिमाही पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि आने वाले वर्षों के दौरान नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन की उच्च गति बनी रहे।

**खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक**

2461. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी देशों में कार्यरत कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) मृतकों के कितने आश्रितों को नियोक्ताओं से मुआवजे की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई; और

(ग) मुआवजा मिलने में विलम्ब के क्या कारण है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**ग्रामीण जल सप्लाई योजना संबंधी द्विपक्षीय समझौता**

2462. **श्री रमेश चेन्नीथाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत छह महीनों के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई योजना के संबंध में कितने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुये; और

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में भर्ती**

2463. **श्री पी० सी० थामस :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबलों/जवानों के कितने पद रिक्त हैं :

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये कितने रिक्त पद आरक्षित किये गये हैं;

(ग) इनमें से कितने रिक्त पद खिलाड़ियों और महिलाओं की नियुक्ति द्वारा भरे जाने की संभावना है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) :** (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल में 30-6-1990 को कांस्टेबल के पद की 6376 रिक्तियां थीं, जिनमें से 2079 रिक्तियां अनुसूचित

जातियों के लिए आरक्षित थीं तथा 510 रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। खिलाड़ियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में दिनांक 30-6-1990 को कांस्टेबल का कोई भी पद खाली नहीं था।

(घ) ऊपर बतायी गई रिक्तियों के लिए सीमा सुरक्षा बल में नियुक्ति हेतु 3005 अभ्यार्थियों को पहले ही दर्ज किया जा चुका है। शेष रिक्त स्थानों को भरने की कार्रवाई की जा रही है।

**महाराष्ट्र में परभनी में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना**

[हिन्दी]

2464. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में परभनी में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) परभनी में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश से आए शरणार्थी**

[अनुवाद]

2465. **श्री जी० एम० बालयराव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश से भारी संख्या में शरणार्थी भारत में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में इस समय ऐसे कुल कितने शरणार्थी हैं;

(ग) उनके लिये किये गये प्रबंधों का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी राशि का खर्चा हुआ; और

(घ) इन शरणार्थियों को वापस भेजने के लिये क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) और (ख) श्रीलंका सरकार द्वारा एल० टी० टी० ई० के खिलाफ चलाए गए सैनिक अभियान के शुरू होने के बाद से श्रीलंका शरणार्थियों का बड़ी मात्रा में भारत में आगमन हुआ है। बंगलादेश के जनजातीय शरणार्थियों का त्रिपुरा में आगमन अप्रैल, 1986 में शुरू हुआ। वर्ष 1990 के दौरान, जनवरी से मार्च, 1990 तक की अवधि में ऐसे 237 शरणार्थी भारत में आए। हाल ही के महीनों के दौरान पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के विदेशियों का भारत में आगमन बढ़ा है।

दिनांक 16 अगस्त, 1990 तक श्रीलंका से भारत आने वाले शरणार्थियों की कुल संख्या 1,66,239 थी तथा 4-8-1990 तक बंगलादेश से भारत आने वाले चकमा शरणार्थियों की कुल संख्या 56,021 थी।

(ग) सरकार के पास सहायतार्थ आने वाले ऐसे शरणार्थियों को जब तक वे अपने घरों को वापस नहीं चले जाते हैं तब तक उन्हें भारत में विभिन्न शिविरों में रखा गया है तथा उन्हें मानवीय आधार पर खाना, कपड़ा, आवास, चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रीलंका से आए शरणार्थियों को राहत सुविधाएं उपलब्ध कराने और आवास देने के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1983 से जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान 17.40 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। चकमा शरणार्थियों के लिए राज्य सरकार को 21.86 करोड़ रुपये (लगभग) की राहत राशि दी गई है।

(घ) सरकार बंगलादेश सरकार पर निरंतर जोर दे रही है कि वह इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जिससे शरणार्थियों में अपने घरों को लौटने के लिए विश्वास उत्पन्न हो। श्रीलंका शरणार्थियों के बारे में सरकार श्रीलंका सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। परन्तु, इन शरणार्थियों की वापसी मुख्यत: श्रीलंका में शान्ति और सामान्य स्थिति की बहाली पर निर्भर करेगी।

**केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की संख्या**

2466. **श्री एम० डेनिस :**

**श्री के० चोक्का राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या इसके कार्मिकों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :** (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की इस समय 93 ड्यूटी बटालियनें और 6 गौण बटालियनें है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए अतिरिक्त बटालियनें मंजूर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**प्राइवेट बस रूटों का रद्द किया जाना**

[हिन्दी]

2467. **श्री रामेश्वर प्रसाद :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उन प्राइवेट रूटों को रद्द करने का प्रस्ताव है, जिन पर प्राइवेट आपरेटरों द्वारा बसें चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) :** (क) और (ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली की यात्री परिवहन प्रणाली में, 1964 से, कुछेक निजी बसें, सार्वजनिक

परिवहन सेवाओं को संपूरित करती रही हैं और यह महसूस किया गया है कि इससे यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि हुई है। दि० प० नि० के पास उपलब्ध बसें उसकी आवश्यकता से कहीं कम हैं और इसलिए निजी क्षेत्र को एक अनुपूरक भूमिका अदा करनी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र (पट्टा समापन और विनियमन) विधेयक को स्वीकृति**

[अनुवाद]

2468. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा सितम्बर, 1989 में पारित किया गया आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र (पट्टा समापन और विनियमन) विधेयक 1989 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने में विलम्ब के क्या कारण है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विधेयक पर भारत सरकार विचार कर रही है।

**कश्मीर समस्या का हल करने के लिए जी-7 द्वारा भारत और पाकिस्तान की सहायता करने का निर्णय**

2469. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जी-7 नाम से जानी जाने वाली महाशक्तियों ने कश्मीर समस्या के संबंध में मतभेदों को दूर करने के लिये भारत और पाकिस्तान की सहायता करने का निर्णय किया है :

(ख) क्या इस संबंध में किसी की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : (क) और (ख) जी-7 शिखर सम्मेलन के बारे में अमरीकी विदेश मंत्री के संवाददाता सम्मेलन में, बताया जाता है कि उन्होंने यह कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की दिशा में हाल ही की कार्रवाई से शिखर नेता प्रोत्साहित हुए हैं तथा वे इस प्रक्रिया को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए सभी साधनों का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं।

(ग) सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मतभेदों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा शांतिपूर्वक दूर किया जाना है।

**गंगटोक में महाप्रबंधक, दूरसंचार कार्यालय**

2470 **श्री नग्दू चापा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगटोक में महाप्रबंधक, दूरसंचार कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रस्ताव मंजूर होने के तीन माह के अन्दर कार्यालय अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।

**जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना**

2471. श्री चित बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब शुरू की गई और किस प्रकार शुरू की गई है; और

(ग) उठाये गये कदमों में कितनी सफलता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सरकार जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। चूंकि सरकार प्रत्येक उपयुक्त अवसर पर लोगों से बातचीत करने के लिए इच्छुक है, परन्तु भारत के संविधान अथवा उसकी एकता तथा अखण्डता को चुनौती देने वाले अलगाववादी तथा राष्ट्र विरोध समूहों के साथ सरकार कोई भी वार्ता नहीं करेगी। किसी भी आशयपूर्ण वार्ता के लिए आतंकवादी और अलगाववादी ताकतों को कुचल दिया जाएगा ताकि लोग आतंकवादियों की किसी भी बदले की भावना से निडर होकर रह सके और स्वतंत्रतापूर्वक बोल सकें।

**जब्त किए गए पासपोर्टों को पुन: जारी करना**

2472. डा० ए० के० पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने जब्त किए गए कुछ व्यक्तियों के पासपोर्ट जनवरी, 1990 से अब तक पुन: जारी कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या-क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

**मत्स्यन का विकास**

2473. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मत्स्यन के विकास तथा मछुआरों के कल्याण के लिए कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा मात्स्यिकी विकास तथा मछुआरों के कल्याण के लिये कई योजनाएं/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनायें/प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) 43.59 करोड़ रुपये की लागत से केरल में 148 ग्रामों के विकास के लिए समेकित मात्स्यिकी विकास कार्यक्रम चरण-III/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इस प्रस्ताव की जांच कर ली है तथा केरल सरकार से और अधिक स्पष्टीकरण मांगे हैं।

(2) विवलोन तथा कन्नानोर में खारे पानी के मछली-पालकों की विकास एजेंसी/झींगा पालन के लिये हर वर्ष 50 हैक्टेयर खारे पानी के क्षेत्र के विकास हेतु प्रत्येक खारा पानी मछली पालक विकास एजेंसी के लिये 21.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर खारे पानी में मछली पालन के समेकित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इस प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है।

(3) पथनमथिट्टा, इडुकी तथा वायनाड में मछली पालक विकास एजेंसी की स्थापना/इन मछली पालक विकास एजेंसियों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।

(4) समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम/नियमावली को लागू करना। केरल सहित सभी समुद्र तटीय राज्यों में समुद्री विनियम लागू करने के काम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई है।

(5) केरल में प्राइवेट क्षेत्र में 159.6 लाख रुपये की लागत से खारे पानी की झींगा हैचरी के विकास की परियोजना जिसके लिये जापानी सहायता मांगी जा रही है। जापानी प्राधिकारिकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया, क्योंकि यह तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं पाया गया।

**उपभोक्ताओं को टेलीफोन के किराए में रियायत**

2474. **श्री बी० कृष्ण राव :**

**श्री सी० पी० मुथाल गिरियप्पा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन लाइन के सात दिन अथवा इससे अधिक दिनों तक खराब रहने पर उपभोक्ता को टेलीफोन के किराए में रियायत देने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :** (क) और (ख) टेलीफोन, टेलेक्स सेवाओं, पी० ए० बी० एक्स/पी० बी० एक्स० की पट्टे पर दी गई लाइनों और जंक्शन लाइनों की सेवाएं विभागीय कारणों से लगातार सात दिन या अधिक समय तक खराब रहने पर किराए में छूट की अनुमति देने संबंधी निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ये निर्देश 15-6-90 से लागू है।

**बम्बई पत्तन-न्यास द्वारा जमीन का किराया बढ़ाना**

2475. **श्री वामनराव महाडीक :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने अपने कानूनी पट्टेदारों का जमीन का किराया कई गुना बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई पत्तन न्यास की सम्पदाओं के किराए, पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा किर्लोस्कर कन्सल-टेन्ट्स द्वारा निर्धारित भूमि की कीमत के आधार पर 1-10-1982 से संशोधित किए गए थे। किराए के ढांचे का सम्बन्ध जमीन की कीमत से है जिसे जमीन की कीमत के अनुसार 36 जोनों में विभाजित किया गया है। आवासीय उपयोग के लिये किराए की गणना भूमि के 12% के हिसाब से की जाती है, और वाणिज्यिक/औद्योगिक व्यवसायों के लिये 15% पर।

(ग) और (घ) बम्बई पत्तन न्यास भूमि प्रयोक्ता कार्य समिति से प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों के आधार पर बम्बई पत्तन न्यास ने मामले की समीक्षा की और इस शर्त पर किरायों में बढ़ोतरी को मामूली बनाते हुए भूमि प्रयोक्ता कार्य समिति को 11-1-1987 को संशोधित प्रस्ताव पेश किए कि संशोधित प्रस्तावों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाना चाहिए अन्यथा इस पेशकश को वापस ले लिया जाएगा। भूमि प्रयोक्ता कार्य समिति ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया। इसलिए बम्बई पत्तन न्यास ने 27-1-1938 को वह पेशकश वापस ले ली। पत्तन न्यास ने यह निर्णय लिया था कि पहले 1982 में संशोधन किए गए किराए लागू रहेंगे।

## विभागेतर कर्मचारियों को सुविधा

[हिन्दी]

2476. श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लगभग तीन लाख विभागेतर कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के शाखा डाकघरों में कार्यरत ये कर्मचारी जनहित में अपनी ड्यूटी के निर्धारित घंटों के बाद भी स्वेच्छा से ड्यूटी करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन कर्मचारियों को इन कर्मचारियों द्वारा की जा रही अपरिहार्य सेवा को देखते हुए वही सुविधायें देने का विचार है जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों (ई डीए) की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उनको देय भत्ते में 1-1-86 से भारी वृद्धि की गई है जिसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :—

| श्रेणी | 1-1-86 से पहले के भत्ते | | 1-1-86 से प्रभावी भत्ते | |
|---|---|---|---|---|
| | न्यूनतम | अधिकतम | न्यूनतम | अधिकतम |
| ईडीएसपीएम तथा ईडी सोटंर | 310 | 373 | 385 | 620 |
| ई० डी०बी०पी०एम० | 217 | 265 | 275 | 440 |
| ई०डी०एम०बी० | 217 | 265 | 270 | 420 |
| अन्य सभी ई०डी०ए० के लिए | | | | |
| (i) 2 घंटे से कम कार्य करने के लिए | (191) | निर्धारित | 240 | निर्धारित |
| (ii) 2 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए | 214 | 254 | 270 | 420 |

(iii) ई०डी०ए० श्रेणी के निम्नलिखित भत्तों को भुगतान :—

ई०डी०बी०पी०एम० को विवरण तथा वाहन भत्ता जहां लागू हो 50 रु० प्रतिमाह।

ई०डी०एस०पी०एम०/ई०डी०पी०एम० को कार्यालय के रखरखाव का भत्ता—25 रु० प्रतिमाह।

ई०डी०एस०पी०एम०/ई०डी०बी०पी०एम० को लेखन सामग्री हेतु निर्धारित भत्ता—3 रु० प्रतिमाह।

ई०डी०ए० की अन्य श्रेणियों के लिए लेखन सामग्री हेतु निर्धारित भत्ता—1 रु० प्रतिमाह।

अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों तथा अतिरिक्त विभागीय डाक वाहकों को साईकिल भत्ता—20 रु० प्रतिमाह।

(iii) जिस दर पर और जितनी बार विभागीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है उसी दर पर और उतनी ही बार इन्हें भी महंगाई भत्ते का भुगतान करना। इस समय इन्हें इनके मूल भत्ते का 38% महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाता है।

(iv) काल्पनिक सैद्धान्तिक मजदूरी के बजाय वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान करना।

(v) अनुग्रह उपदान की राशि की सीमा 1000 रु० से 3000/- रु० तक बढ़ाना और न्यूनतम सेवा शर्त को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष तक करना।

(ङ) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के लिए कुछ निश्चित कार्य के घंटों में केवल अंशकालिक तौर पर कार्य करते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आजीविका के लिए दूसरे काम भी करें। अतः उनकी नौकरी अंशकालिक होने के कारण विभाग उनके प्रति पूर्ण-कालिक सरकारी कर्मचारियों वाला रवैया नहीं अपना सकता है और इसी वजह से उनको नियमित कर्मचारियों की भांति दूसरे लाभ भी नहीं दिए जा सकते हैं। तथापि, ई०डी०ए० की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने संबंधी कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इनमें यथानुपात मजदूरी प्रदान करना, अनुग्रह उपदान राशि की सीमा बढ़ाना, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बचत से जुड़ी बीमा योजना (ग्रुप सेविंग्स लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) के अंतर्गत बीमा करना और कार्य से बाहर रहने की अवधि (पुट आफ ड्यूटी पीरियड) के दौरान निर्वाह भत्ते का भुगतान करना शामिल है। चूंकि इन प्रस्तावों के लिए वित्त की आवश्यकता होगी, इसलिए इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

**लाइबेरिया में रह रहे भारतीयों के वापस लौटने के लिए किए गए प्रबन्ध**

2477. **श्री काशीराम राणा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइबेरिया में रह रहे भारतीयों के सुरक्षित वापस भारत लौटने के लिए कोई प्रबंध किए हैं;

(ख) क्या सरकार को इन भारतीयों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) लाइबेरिया में रहने वाले लगभग 7000 भारतीयों में से 6,500 भारतीय मौजूदा संघर्ष आरम्भ होने से पहले ही हमारी मदद से छोटे-छोटे दलों में उस देश से निकल आए थे। सरकार ने अमरीका की सरकार की सहायता से 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 378 भारतीयों को निकाला था। इन व्यक्तियों को अमरीकी हेलीकाप्टरों द्वारा फ्रीटाउन ले जाया गया जहां भारतीय अधिकारियों के एक दल के हवाले उन्हें कर दिया गया जो उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 50 व्यक्तियों के एक और दल को वहां से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ भारतीयों ने व्यक्तिगत कारणों से लाइबेरिया में ही ठहरने का फैसला किया है। भारतीय जहाजरानी का एक जहाज एम० वी० हर राय भी इन लोगों को लाने की व्यवस्था में मदद करने के लिए फ्रीटाउन ठहरा हुआ है। हाल ही में अमरीकी हेलीकाप्टरों ने लगभग 350 और व्यक्तियों को वहां से निकाला है।

**मोतीहारी डिविजनल डाक घर को पुनः चालू करना**

[अनुवाद]

2478. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन के डिविजनल डाकघर, जिसका मुख्यालय मोतीहारी में है, को तीन वर्ष पूर्व बंद करके इस डाकघर का कार्य क्षेत्र बिहार में छपरा डिविजनल डाकघर से सम्बद्ध कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मोतीहारी डिविजनल डाकघर को पुनः चालू करने का है ताकि पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिले के लोगों को हो रही भारी असुविधा को दूर किया जा सके ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :** (क) जी नहीं,

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**उड़ीसा के सूखा प्रभावित जिले**

2479. **श्री बाल गोपाल मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सूखे से प्रभावित जिलावार किन-किन ब्लाकों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम में इन क्षेत्रों को कब शामिल किया गया था;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत इन ब्लाकों में 1 जून, 1990 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) कुल कितनी भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) :** (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए उड़ीसा के खण्डों के जिलावार नाम संलग्न विवरण में दी गई सूची में दर्शाए गए हैं।

(ख) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय शामिल किए गए 39 खंडों में से फूलबनी जिले के 14 खंडों तथा कालाहांडी जिले के 11 खंडों को 1974-75 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इसके बाद, 1982-83 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में बोलंगीर जिले के 8 खंडों तथा सम्बलपुर जिले के 6 खंडों को भी शामिल किया गया था।

(ग) उड़ीसा में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के आरम्भ से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 55.26 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जल संसाधन विकास योजनाओं के तहत 40,082 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है।

**विवरण**

**सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए खण्डों की सूची**

| क्र० सं० | जिले का नाम | सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कब किए गए खण्डों के नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | फूलबनी | 1. टिकाबाली |
| | | 2. हाराभंगा |
| | | 3. कंढामल |

| क्र० सं० | जिले का नाम | सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए |
|---|---|---|
| | | 4. खजूरीपाड़ा |
| | | 5. फिरंगिया |
| | | 6. बालीगुडा |
| | | 7. चकापाड़ा |
| | | 8. नौगांव |
| | | 9. कोठागढ़ |
| | | 10. तुमुडीबंधा |
| | | 11. दारंगीबाद |
| | | 12. जी० उदयगिरी |
| | | 13. रैंकिया |
| | | 14. फुलबनी |
| 2. | कालाहांडी | 1. केसिंगा |
| | | 2. गोलामुंडा |
| | | 3. नारला |
| | | 4. एम० रामपुर |
| | | 5. टी० एच० रामपुर |
| | | 6. लांजीगढ़ |
| | | 7. खैरियार |
| | | 8. सिनापली |
| | | 9. बोडन |
| | | 10. नवापाड़ा |
| | | 11. कोमना |
| 3. | बोलनगीर | 1. पटनागढ़ |
| | | 2. खपराखोल |
| | | 3. बेलपाड़ा |
| | | 4. तितलागढ़ |
| | | 5. तुरिईकेला |
| | | 6. बंगोमुडा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 7. मुरीबहल |
| | | 8. सैनताला |
| 4. | सम्बलपुर | 1. पद्मपुर |
| | | 2. बीजेपुर |
| | | 3. पैकमल |
| | | 4. सोहल्ला |
| | | 5. झारबंध |
| | | 6. गैसीलेट |

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए कुल खण्ड—39

**भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम**

2480. **प्रो० गोपालराव मायकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम पारित कर दिये है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने शेष राज्यों पर अधिकतम सीमा अधिनियमों को पारित करने के लिए दबाव डाला है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की तत्संबंधी नीति क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) :** (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने भूमि अधिकतम सीमा कानून बना लिये हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में अधिकतम भूमि सीमा कानून नहीं है तथा वहां साम्प्रदायिक स्वामित्व का अधिपत्य है तथा कुल मिलाकर यहां अब तक सही भूमि रिकार्ड पद्धति स्थापित नहीं की गई है। गोवा सरकार जिसने अभी तक एक भी अधिकतम भूमि सीमा कानून नहीं बनाया है, ने सूचित किया है कि जब तक सभी गांवों के रिकार्डों की घोषणा को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृषि काश्तकारी अधिनियम के 5 वें संशोधन के बारे में की गई अपील के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जाता, भूमि अधिकतम सीमा विधेयक को विधानसभा मे पेश करना संभव नहीं होगा।

**सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी द्वारा कुल कार्गो में अपना शेयर पुन: प्राप्त करने का प्रयास**

2481. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी ने भारत तथा सोवियत संघ, जर्मनी, पोलैंड और

रोमनिया के बीच व्यापार मार्गों पर, जो भारत और अन्य देशों की सरकारों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों के अन्तर्गत आते हैं, कार्गो में अपना शेयर पुनः प्राप्त करने हेतु भारतीय नौवहन निगम के साथ विवाद खड़ा कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) और (ख) भारत और सोवियत संघ/पोलैंड/जर्मन जनवादी गणतन्त्र/महाद्वीप के बीच व्यापार मार्गों पर भारतीय कम्पनियों को आबंटित कार्गो, भारतीय नौवहन निगम (एस० सी० आई०) इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी लि०) (आई एस एस) तथा सिंधिया स्टीम नेविगेशन लि० (एस एस एन) द्वारा इन कम्पनियों के बीच पारस्परिक समझौते के अनुसार आपस में बांटा जा रहा था। यह व्यवस्था सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन द्वारा अपनी लाइनर सेवाओं का प्रचालन बंद करने तक जारी रही उसके पश्चात् उक्त कार्गो भा० नौ० नि० और इण्डिया स्टीमशिप द्वारा बांटा जाता था। सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन द्वारा जनवरी, 1990 से अपनी लाइनर सेवाएं पुनः शुरू किए जाने के फलस्वरूप कार्गो का 10 हिस्सा इसे आबंटित कर दिया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 15 % कर दिया गया। भारतीय नौवहन निगम ने बताया है कि फिर से 25% का पूरा हिस्सा दिए जाने की बाबत जैसाकि पारस्परिक समझौते में व्यवस्था की गयी है, सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन द्वारा लाइनर प्रचालन में और अधिक जहाज लगाने के बाद विचार किया जाएगा।

**कन्नानोर में झींगा मछली पालन परियोजना**

2482. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कन्नानोर में झींगा मछली पालन के लिए कोई परियोजना स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित उत्पादन क्षमता और इसके लिए आबंटित धन-राशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान केरल के समुद्री तट के साथ-साथ खारे पानी में झींगा मछली पालन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)**: (क) और (ख) सरकार ने 1990-91 के दौरान कन्नानोर, कालीकट तथा कसारगोड़ जिलों में झींगा मछली पालन के विकास के लिए एक खारा जल मछली पालन विकास एजेंसी को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। जिसका मुख्यालय कन्नानोर में होगा। खारा जल मछली पालन विकास एजेंसी को प्रतिवर्ष कुल अनुमानित लागत 21.70 लाख रुपए है।

केन्द्रीय सरकार इसको 7.63 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तथा इसके बराबर ही राशि केरल सरकार द्वारा दी जाएगी। शेष राशि वाणिज्यिक बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त की जाएगी। यह खारा जल पालक विकास एजेंसी, झींगा मछली पालन के लिए प्रतिवर्ष लगभग 50 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र का विकास करेगी।

(ग) केन्द्रीय बजट में, 1990-91 के दौरान केरल में खारे पानी में झींगा पालन के लिए 20

लाख रुपए का एक सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। तथापि, धनराशि की निर्मुक्ति, केरल सरकार द्वारा की गई मांग तथा पिछले वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि के उपयोग द्वारा शासित की जाएगी।

**केरल में अरालम फार्म का विकास**

2483. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में कन्नानोर के अरालम फार्म का और अधिक विकास करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन करने का विचार है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) और (ख) (I) अरालम फार्म, भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा चलाया जाता है, जो निम्नलिखित विकास संबंधी कार्यकलाप चला रहा है :

(1) नारियल को ड्रिप सिंचाई पद्धति के तहत लाया जा रहा है।

(2) लिफ्ट सिंचाई से सिंचाई बागानों वाले क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है।

(3) मौजूदा बागान जहां-जहां क्षतिग्रस्त हो गए हैं वहां पर उन्हें ठीक किया जा रहा है।

(4) रबड़ शीट तैयार करने का कार्य बन्द किया जा रहा है और अधिक आय प्राप्त करने के लिए अमोनीकृत रबड़ लेटेक्स की बिक्री शुरू हो गई है।

(5) संकर नारियल बीज बागान का विकास किया जा रहा है जहां नर्सरी को उगाने के लिए बड़े मूल नारियल के पेड़ों से संकरित बौने मूल पेड़ और बौने मूल पेड़ों से संकरित बड़े मूल पेड़ों का संवर्धन किया जा रहा है। इससे फार्म को अधिक आय प्राप्त होगी। इस उद्देश्य के लिए पराग प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

(II) विकास कार्यों के लिए संसाधनों का आबंटन भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा किया जाता है जो उनके निजी वित्तीय संसाधनों पर आधारित है। इन विकास कार्यों के लिए किसी भी सरकारी सहायता का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**चित्रिपारम्बा, केरल में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना**

2484. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नोर, केरल के चित्रिपारम्बा में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) वहां पर कार्य शुरू न करने के कारण क्या हैं;

(ग) इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की आशा है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) उपयुक्त स्थान एवं उपस्कर का उपलब्ध न होना।

(ग) 1990-91.

(घ) चित्रिपारम्बा, केरल में टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के संबंध में माननीय संसद सदस्य से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

## भारतीय नौवहन निगम द्वारा आस्ट्रेलिया के लिए नौवहन सेवा बन्द करने का प्रस्ताव

2485. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने आस्ट्रेलिया के लिए अपनी नौवहन सेवा बन्द करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) क्या इस बीच भारतीय नौवहन निगम ने नौवहन सेवा को निलम्बित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने निलम्बन पर आपत्ति की है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत से आस्ट्रेलिया को गत 12 माह के दौरान भेजे गये "कारगो" का ब्यौरा क्या है; और

(च) भारतीय नौवहन निगम के प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० प० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) किसी लाइनर सेवा के प्रचालन का निर्णय वाणिज्यिक कारणों को ध्यान में रखकर भारतीय नौवहन निगम द्वारा लिया जाता है। भारतीय नौवहन निगम ने इस सेवा को बन्द करने के अपने निर्णय से जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय को अवगत कराया है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने आस्ट्रेलिया के लिए इस सेवा को 30-6-1990 से अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया है क्योंकि इस सेवा पर कई वर्षों से भारी घाटा हो रहा है और इस सेवा के आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने की तत्काल कोई सम्भावना नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

## कृषि उत्पादन में कमी

2486. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री" द्वारा किए गए एक अध्ययन के उन निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह पता चलता है कि कृषि उत्पादन विकास दर में काफी गिरावट आई है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कृषि उत्पादन में इतनी गिरावट आने के कारणों के संबंध में सरकार का अनुमान क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। कृषि उत्पादन की वृद्धि दर हरित क्रान्ति से पहले की अवधि (1949-50 से 1964-65) के 3.13 प्रतिशत से गिरकर हरित क्रान्ति के बाद की अवधि में (1967-68 से 1988-89) 2.64% रह गई है।

(ख) और (ग) पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने अपने अध्ययन में वर्ष 1964-65 की तुलना की दोनों अवधियों में शामिल कर लिया है, जो वांछनीय नहीं है। साथ ही वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 के दो वर्षों में देश में पड़े गम्भीर सूखे के कारण परम्परा से ही इन दो सालों को आमतौर पर दोनों में से किसी अवधि में शामिल नहीं किया जाता।

कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में कमी आने का मूल कारण यह है कि क्षेत्र में वृद्धि की दर कम हो गई है। हरित क्रान्ति से पहले की अवधि में यह दर 1.61 प्रति वर्ष थी तथा हरित क्रान्ति के बाद की अवधि में यह कम होकर 0.26 प्रतिशत प्रतिवर्ष रह गई है। साथ ही, हरित क्रान्ति के बाद की अवधि में तुलना का आधार पड़ा होने के कारण दोनों अवधियों में उत्पादन में हुई समान मूल वृद्धियों के फलस्वरूप हरित क्रान्ति से पहले की अवधि की तुलना में हरित क्रान्ति के बाद की अवधि में वृद्धि दर कम ही निकलती है। फिर भी, "सभी फसलों" की उत्पादकता की वृद्धि दर में काफी वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति से पहले यह दर 1.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जो हरित क्रान्ति के बाद की अवधि में 1.92 प्रतिशत हो गई। हरित क्रान्ति के बाद की अवधि में गेहूं, मूंगफली, तोरिया और सरसों, तिल तथा कपास की उत्पादकता में वृद्धि विशेष तौर पर बहुत अधिक रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988-89 में चावल, गेहूं, खाद्यान्नों, तिलहनों तथा गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 1989-90 में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की आशा है।

**आउट आफ टर्न आधार पर टेलीफोन कनेक्शन**

2487. श्री कैलाश मेघवाल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 के पश्चात् अब तक मन्त्री महोदय के आदेशों के अंतर्गत कितने उपभोक्ताओं को आउट ऑफ टर्न प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ख) मन्त्री महोदय टेलीफोन कनेक्शन किन-किन मानदण्डों के आधार पर देते हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) मामले के गुणावगुण के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों को मंजूरी दी जाती है।

**छोटा नागपुर और संथाल परगना में कृषि विकास**

[हिन्दी]

2488. श्री साइमन मरांडी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर और संथाल परगना (झारखंड) क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)। (क) और (ख) कृषि राज्य का विषय है। फिर भी, भारत सरकार द्वारा, छोटा नागपुर और संथाल परगना (झारखंड) के क्षेत्र सहित बिहार राज्य में, कृषि के विकास के लिए, मिनिकिट प्रदर्शन, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, कृषि विकास योजना के लिए छोटे और सीमांत किसानों की सहायता, राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

## पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि उत्पादन

[अनुवाद]

2489. श्री हरीश पाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि उत्पादन के मामले में हाल के वर्षों में कोई सफलता नहीं मिली है;

(ख) क्या सरकार का इन राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन में वर्षानुवर्ष उतार-चढ़ाव आते रहे हैं क्योंकि यहां कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर है। अपेक्षाकृत कम विकसित बुनियादी सुविधाओं तथा क्षेत्रीय स्थिति के कारण यहां कृषि में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है।

(ख) और (ग) फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल है—

(1) त्रिपुरा तथा असम में चावल विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम;

(2) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा त्रिपुरा में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना;

(3) त्रिपुरा, सिक्किम और असम में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम; तथा

(4) मेघालय, त्रिपुरा और असम में विशेष जूट विकास कार्यक्रम।

## राज्यों के भीड़-भाड़ वाले शहरों में "रिंग रोड्स" के निर्माण के लिए कोष का प्रस्ताव

2490. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या भू-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने उन राज्यों के भीड़-भाड़ वाले शहरों में "रिंग रोड्स" के निर्माण के लिए धनराशि देने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं,

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूर करने तथा धनराशि देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्निकृष्णन)** : (क) से (ग) संवैधानिक तौर पर भारत सरकार का संबंध मूलत: केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों से ही है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के लिए मूल दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। गुजरात सरकार ने 163 लाख रु० की अनुमानित लागत से राजकोट-मोरबी और राजकोट-जामनगर (राज्य सड़क) को जोड़ने वाली रिंग सड़क के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजा है। यह स्कीम अभी अनुमोदित नहीं की गई है क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है।

**अनुसंधान कार्यों में समन्वय**

2491. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित कीटनाशक अवशिष्ट योजना के अन्तर्गत तेरह प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं जैसे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में भी पौधों जैसे पान के पत्तों, नीम इत्यादि के बारे में इसी प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा किन-किन कृषि पदार्थों, कृषि उत्पादों का परीक्षण किया गया, कीटनाशकों का विश्लेषण किया गया तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) इसमें शामिल अनुसंधान और विकास यूनिटों में सक्रिय तथा सार्थक सहयोग किस प्रकार स्थापित किया जाता है और अति व्याप्ति से किस प्रकार बचा जाता है;

(घ) क्या इन उत्पादों के जहाजों पर लदान से पूर्व कोई बैठक तथा विचारविमर्श किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य सी० एस० आई० आर० द्वारा किए जा रहे कार्य का पूरक है। भा० कृ० अ० परिषद कटाई से पहले के अवशिष्ट विश्लेषण पर जोर दे रही है, सी० एस० आई० आर० ने प्रमुख रूप से कटाई के बाद की अवस्था में कीटनाशक रसायनों के अवशिष्ट प्रभाव तक अपने कार्यों को केन्द्रित रखा है।

(ख) भा० कृ० अ० परिषद के अनुसंधान के फलस्वरूप देश में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न कीटनाशी रसायनों की प्रतिरोधिता-सीमा और इन्तजार की अवधि निश्चित हुई है। इसके अलावा विभिन्न फसलों के नाशीकीटों के लिए नीम उत्पादों पर परीक्षण किया गया है। केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी अनुसंधान संस्थान, सी० एस० आई० आर० खाद्य पदार्थों में अवशिष्ट प्रभावों के

मूल्यांकन के कार्य में लगा है। संस्थान ने कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी की कड़ी के रूप में खाद्य पदार्थों के परिरक्षण और सुरक्षा के लिए विशिष्ट टेक्नोलोजी और सूत्र विकसित किये हैं। सी० एस० आई०आर० का राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान अपने कार्यकारी अनुसंधान प्रायोजना के अंग के रूप में कीटनाशियों के पान के पत्तों पर अवशिष्ट प्रभाव की जांच कर रहा है।

(ग) कार्यक्रमों में सार्थक सहयोग और एक दूसरे टकराव को टालने के उद्देश्य से वार्षिक कार्य गोष्ठियों, विचार गोष्ठियों के रूप में दोनों के वैज्ञानिकों की संयुक्त बैठकें रखी जाती है और भा० कृ० अ० परिषद और सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं में आपसी दोनों का आयोजन किया जाता है।

(घ) हां, महोदया।

(ङ) कीटनाशियों के अवशिष्ट प्रभाव, पान और नीम पर भा० कृ० अ० परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक कार्य गोष्ठियों और विचार गोष्ठियों में सी० एस० आई० आर० के वैज्ञानिक नियमित रूप से भाग लेते हैं।

**कर्नाटक में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित श्रम-दिवस**

2492. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान, अब तक कर्नाटक में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने श्रम-दिवसों का सृजन किया गया; और

(ख) आगामी छह महीनों के दौरान कितने श्रम-दिवसों के सृजन का प्रस्ताव है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) कर्नाटक में जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के अन्तर्गत जनवरी, 1990 से लेकर जून, 1990 तक लगभग 267 लाख श्रम-दिनों का सृजन किये जाने की सूचना मिली है।

(ख) अगले 6 महीनों अर्थात् जुलाई से दिसम्बर, 1990 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 346 लाख श्रम दिनों का सृजन किए जाने की संभावना है।

**खाद्य तेल का आयात**

2493. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, एर्थवार, खाद्य तेल की कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया और प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई;

(ख) तिलहनों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किए जाने के पश्चात् तिलहनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और तिलहनों के आयात में कितनी कटौती हुई है; और

(ग) देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्षवार और राज्यवार तिलहनों की कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गई और उनकी मांग का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा तथा आयातों का मूल्य निम्न प्रकार से है—

| तेल वर्ष | खाद्य तेलों का आयात (लाख मीटरी टन) | आयातों का मूल्य (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| 1986-87 | 14.97 | 667.67 |
| 1987-88 | 18.19 | 1060.95 |
| 1988-89 | 3.73 | 245.71 |

(ख) 1986 में तिलहनों पर तकनोलोजी मिशन स्थापित करने के बाद तिलहनों का उत्पादन निम्न प्रकार से बढ़ा है—

| तेल वर्ष | तिलहन उत्पादन (मिलियन मीटरी टन) |
|---|---|
| 1986-87 | 11.27 |
| 1987-88 | 12.65 |
| 1988-89 | 17.89 |
| 1989-90 (अनुमानित) | 17.16 |

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहनों की मांग तथा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा की गई आपूर्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

पिछले तीन वर्षों (1987-88, 1988-89 तथा 1989-90) के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक सप्लाई किए गए तिलहनों की मात्रा

| क्रम सं॰ | राज्य | 1987-88 | | 1988-89 | | 1989-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मांग | सप्लाई | मांग | सप्लाई | मांग | सप्लाई |
| 1. | गुजरात | 125 | 667·91 | 26 | 712·28 | — | 967·95 |
| 2. | कर्नाटक | 2500 | 814·98 | 2600 | 349·93 | 1500 | 756·35 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 494 | 559·58 | — | 34·18 | 385 | 2346·77 |
| 4. | पश्चिमी बंगाल सिक्किम और उड़ीसा | 9130 | 584·39 | 820 | 868·52 | 4520 | 3063·64 |
| 5. | पंजाब और हरियाणा | 96 | 326·71 | 25 | 327·89 | शून्य | 94·46 |
| 6. | दिल्ली | 66 | 376·05 | — | 356·61 | — | 485·93 |
| 7. | उत्तर-पूर्वी | 3529 | 3627·06 | 3000 | 4419·54 | 4515 | 3634·15 |
| 8. | आंध्र प्रदेश | 140 | 1196·66 | — | 127·76 | — | 107·77 |
| 9. | राजस्थान | 588 | 914·50 | 220 | 917·95 | 710 | 1724·84 |
| 10. | तमिलनाडु व अंडमान और निकोबार | 85 | 82·80 | 150 | 274·12 | — | 667·97 |
| 11. | महाराष्ट्र | 642 | 1124·90 | 1625 | 709·10 | 787 | 490·24 |
| 12. | बिहार | 4850 | 1709·18 | 2270 | 2218·73 | 1000 | 1349·71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | जम्मू व कश्मीर | 397 | 425·38 | 377 | 411·27 | 130 | 15·20 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 600 | 441·32 | 637 | 386·69 | 1450 | 534·58 |
| 15. | केरल | 1210 | 398·61 | — | 570·84 | 1000 | 379·85 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 9500 | 3940·62 | 6070 | 1143·89 | — | 213·47 |
| | कुल | 33752 | 17189.83 | 17823 | 13835·39 | 16497 | 16832·88 |

## जयपुर की टेलीफोन डायरेक्ट्री छापना

[हिन्दी]

2494. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर की टेलीफोन डायरेक्ट्री अंग्रेजी भाषा में कितने समय से नहीं छपी है;

(ख) सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों के अधिकारियों के कितने प्रतिशत टेलीफोन नम्बर बदले गए हैं;

(ग) क्या टेलीफोन डायरेक्ट्री प्रति वर्ष छापना आवश्यक करने के लिए कोई नियम बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) अंग्रेजी टेलीफोन डायरेक्ट्री का पिछला संस्करण 1986 में छपा था। टेलीफोन नंबरों में परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर दिखाने वाली एक अनुपूरक डायरेक्ट्री अप्रैल, 1990 में जारी की गई है।

(ख) सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों के अधिकारियों के टेलीफोन नम्बरों में परिवर्तन का प्रतिशत लगभग 16 है।

(ग) और (घ) टेलीफोन डायरेक्टरियों को प्रति वर्ष छापना होता है, जयपुर के मामले में इस पर अमल नहीं किया जा सका, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्ट्री के तीन संस्करण छापने के लिए अनुमोदित ठेकेदार द्वारा, ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया गया। अब नया ठेका मंजूर किया गया है और अंग्रेजी डायरेक्टरी का 1990 का संस्करण दिसम्बर तक छप जाने की आशा है।

## केरल बीड़ी और सिगार कामगार निधि विधेयक को मंजूरी

[अनुवाद]

2495. श्री टी० बशीर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रशासनिक मंजूरी के लिए भेजा गया केरल बीड़ी और सिगार कामगार निधि विधेयक, काफी समय से लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। केरल बीड़ी और सिगार कामगार निधि विधेयक, 1990 22-6-1990 को प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ।

## वीजा जारी करना

[हिन्दी]

2496. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु भारत आने वाले पर्यटकों को वीजा जारी करने के मामले में प्रतिबन्ध लगा है; और

(क) क्या दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में भवन अग्नि से सुरक्षित नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसका कारण इन भवनों को प्रमाण पत्र देने वाले दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या गत एक वर्ष से हुए अनेक विनाशकारी अग्नि कांडों को देखते हुए लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) दिल्ली में वर्ष 1983 से पहले निर्मित 187 गगनचुम्बी इमारतों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं हैं। इन गगनचुम्बी इमारतों के मालिक न्यूनतम अग्नि सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने के उपाय कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पंजाब से आए शरणार्थियों को सहायता हेतु उच्चतम न्यायालय के मार्ग निर्देश**

2501. प्रो० के० वी० थामस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब से आये शरणार्थियों की सहायता हेतु उच्चतम न्यायालय के मार्गनिर्देशों की जानकारी है;

(ख) क्या ये मार्ग निर्देश कश्मीर और श्रीलंका से आये शरणार्थियों पर भी लागू होंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकार का लेना है।

जहां तक श्रीलंका के शरणार्थियों का सम्बन्ध है उनका आधार अलग है और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राहत दी जाती है।

**केरल में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास**

2502. प्रो० के० वी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिये आरम्भ की गई केन्द्रीय योजना क्या है, और

(ख) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में केरल में कुल कितना खर्च किए जाने का अनुमान है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) पश्चिमी तट नहर के कोवलम-केलरगोड खण्ड के जलीय सर्वेक्षणों और तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों के अलावा, जिन्हें केंद्रीय स्कीमों के रूप में शुरू किया गया है, केरल में अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शुरू की गई हैं—

| | |
|---|---|
| (i) चम्पाकारा नहर का सुधार (चरण-II) | 155·25 लाख रु० |
| (ii) उद्योग मण्डल नहर का सुधार | 189·80 लाख रु० |

केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित कार्य केरल सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) केरल की स्कीमों सहित अन्तर्वेशीय जल परिवहन स्कीमों के लिए निवेश हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990-95 के लिए निधियों के आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और उसका आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद पता चलेगा। तथापि, केरल में अन्तर्वेशीय जलमार्गों के विकास के लिए वार्षिक योजना 1990-91 के अंतर्वेशीय केन्द्रीय योजना में 1.20 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।

**मध्य प्रदेश के रीवां और सतना जिले में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना**

[हिन्दी]

2503. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां जिले के हनुमान और गोविन्दगढ़ में और सतना जिले के रामपुर बघेलन कस्बे में माइक्रोवेव प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो रीवां जिले के हनुमान, गोविंदगढ़, मंगावन और सेमेरिया में तथा सतना जिले के रामपुर बघेलन कस्बे में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कब तक स्थापना किए जाने का विचार है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) हनुमान-सिवी के बीच 30 चैनल यू० एच० एफ० प्रणाली का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। जिला रीवां के गोविन्दगढ़ द्वारा जिला सतना के रामपुर बघेलन के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 में जिला रीवां के सेमेरिया में 128 पोर्ट सी-डॉट का एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो। हनुमान गोविन्दगढ़, मंगावन एवं रामपुर बघेलन जैसे अन्य स्थानों के लिए 8वीं योजना की शेष अवधि के दौरान छोटे आकार के इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाएंगे।

**मध्य प्रदेश के रीवां शहर में टेलीकाम ब्यूरो की स्थापना तथा टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करना**

2504. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां नगर में टेलीकाम ब्यूरो की स्थापना करने तथा टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) और (ख) रीवां नगर में दूरसंचार सुविधाएं विभागीय तारघर के माध्यम से प्रदान की जा रही है। फिलहाल, रीवां नगर में दूरसंचार ब्यूरो की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नोडल टेलेक्स संस्थापित किया जा रहा है और इसे 1990-91 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।

**पंजाब और हिमाचल प्रदेश मंडल में विभागेत्तर शाखा डाकपालों को सुपुर्दगी भत्ता**

[अनुवाद]

2505. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1989 को डाकिया संवर्ग के वर्ग 'घ' में कितने पद रिक्त थे;

(ख) इन रिक्त पदों पर कितने विभागेत्तर कर्मचारी लगाये गये;

(ग) क्या पंजाब और हिमाचल प्रदेश मंडलों में कार्यरत सभी विभागेत्तर शाखा डाकपालों को 1 जनवरी, 1986 से डाक पहुंचाने के अतिरिक्त काम के बदले में डाक सुपुर्दगी भत्ता दिया दिया जा रहा है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सभी विभागेत्तर हरकारों/डाक ले जाने वालों को डाक सुपुर्दगी के अतिरिक्त कार्य के लिये प्रतिपूर्ति की जा रही है; यदि हां, तो उन्हें दी जा रही प्रतिपूर्ति राशि कितनी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)** : (क) 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या नीचे दी गई है :—

| | |
|---|---|
| समूह 'घ' संवर्ग | —2549 |
| पोस्टमैन संवर्ग | —3857 |

(ख) उन पदों पर लगाए गए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

| | |
|---|---|
| समूह 'घ' संवर्ग | —531 |
| पोस्टमैन संवर्ग | —1003 |

(ग) पंजाब और हिमाचल प्रदेश डाक सर्किलों में उन सभी विभागेत्तर शाखा पोस्ट मास्टरों को जो वितरण कार्य भी करते हैं, 1-1-86 से 50/- रु० प्रतिमाह की दर से वितरण भत्ता दिया जा रहा है।

(घ) डाक वितरण का कार्य करने वाले अतिरिक्त विभागीय रनरों/अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियरों के कार्यभार का परिकलन उनके द्वारा किए गए वितरण कार्य यदि कोई हो, की गणना करने के बाद किया जाता है और तदनुसार उनके भत्तों को निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में, वितरण कार्य अतिरिक्त कार्य नहीं होता है बल्कि उनकी सामान्य ड्यूटी का ही भाग होता है जिसकी उन्हें, भत्तों का समुचित रूप से समजंन करके क्षतिपूर्ति की जाती है।

## गुजरात के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

[हिन्दी]

2506. **श्री सी०डी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1990 तक गुजरात के स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने मामलों में पेंशन के लिए स्वीकृति दी गई और वस्तुत: कितनों को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है; और

(ग) शेष आवेदकों को पेंशन कब तक मिलने लगेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) मार्च, 1990 तक गुजरात से 6753 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 31.7.1990 तक इन आवेदनों में से 3518 मामलों में पेंशन मंजूर की गई उन आवेदकों की संख्या के संबंध में जिन्होंने वास्तविक रूप से पेंशन प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है के बारे में कोई सूचना गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जेल यातना के दावे के बारे में जेल प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण केवल एक आवेदन पत्र लम्बित है। सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही मामले को अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

## गुजरात में खाद्य तेल और तिलहनों की मांग और पैदावार

2507. श्री सी०डी०गामित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खाद्य तेलों और तिलहन की वार्षिक मांग और पैदावार कितनी है;

(ख) क्या संघ सरकार ने गुजरात में खाद्य तेलों और तिलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या किसानों को इसके लिए कोई विशेष सुविधा दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) गुजरात में खाद्य तेलों की वार्षिक अनुमानित मांग और उत्पादन क्रमश: 3 लाख मीटरी टन और 5 लाख मीटरी टन हैं। गुजरात राज्य में वर्ष 1989-90 के लिए खाद्य तिलहनों का अनुमानित उत्पादन 24.37 लाख मीटरी टन है।

(ख) और (ग) मूंगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल तथा अरण्डी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जुलाई, 1990 से शुरू की गई नए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित योजना गुजरात राज्य के 15 जिलों में लागू की जा रही है। इस परियोजना के विकासात्मक घटक हैं :—

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रजनक बीज का उत्पादन।

2. राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/राज्य बीज निगम/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आधारी बीज का उत्पादन।

3. अच्छी क्वालिटी के बीज उत्पादन के लिए बीज ग्राम योजना।

4. राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/राज्य बीज निगमों द्वारा प्रमाणित बीज का वितरण।

5. बीज के मिनिकिटों का वितरण।

6. पौध उत्पादन रसायनों का वितरण।

7. पौध रक्षण उपकरणों की सप्लाई।

8. गश्ती पौध रक्षक दल।

9. राज्यों द्वारा प्रदर्शनों का आयोजन।

10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुख्य प्रदर्शन।

11. खेतों के उन्नत उपकरणों का वितरण।

12. सिंचित मूंगफली के लिए छिड़काव सेटों का वितरण।

13. मूंगफली और सोयाबीन के लिए राइजोवियम कल्चर की सप्लाई।

14. तोरिया-सरसों और मूंगफली के लिए जिप्सम/पाइराइट की सप्लाई। 1990-91 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कुल परिव्यय 70 करोड़ रुपए हैं जो 75:25 के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

**हाजीरा में शिपयार्ड की स्थापना**

2508. **श्री सी०डी० गामित** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के हाजीरा में शिपयार्ड स्थापित करने का निर्णय काफी पहले ले लिया था; और

(ख) यदि हां, तो हाजीरा में निर्माण कार्य अब तक भी प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) गुजरात में हाजिरा पर शिपयार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**गुजरात में स्पीड पोस्ट सेवा**

2509. **श्री सी०डी० गामित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितने स्थानों पर स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है;

(ख) राज्य में वर्ष 1990-91 के दौरान और कितने स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; और

(ग) यह सुविधा उपरोक्त स्थानों पर कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)** : (क) स्पीड पोस्ट सेवा तीन नगरों नामत: अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत में उपलब्ध है।

(ख) इस समय सेवा के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार के साहिब गंज जिले में पटना डाकघर की किराया देनदारी**

2510. **श्री साइमन मरांडी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के साहिबगंज जिले में पटना डाकघर किराये की बिल्डिंग में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका मासिक किराया कितना है;

(ग) क्या इसका किराया नियमित रूप से दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) साहेबगंज जिले में पटना नाम का कोई डाकघर मौजूद नहीं है। तथापि, पटना डाकघर की स्थिति यह है कि साहिबगंज जिले (बिहार) का यह डाकघर किराए के भवन में कार्य कर रहा है।

(ख) 1-12-82 से मासिक किराया 80/- रु० मासिक निर्धारित किया गया है।

(ग) दिसम्बर, 1989 से किराए का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) किराए का भुगतान न हो पाने कारण यह है कि मालिक मकान मौजूदा दर पर किराया लेने का इच्छुक नहीं है और वह किराया बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहा है। किराया बढ़ाने के मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

**वापसी पत्र कार्यालय जयपुर के कार्य का विकेन्द्रीकरण**

2511. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वापसी पत्र कार्यालय जयपुर के कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिए और इसके कार्य को जिला मुख्यालयों को बांटने के आदेश जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डाकघर अधिनियम, 1898 के तहत डाक विभाग के कर्मचारी विशेष डाक खोलने के लिए प्राधिकृत हैं;

(घ) राजस्थान में डाक खोलने के लिए प्राधिकृत इन कर्मचारियों को क्या आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है; यदि हां, तो कितनों को और कितने समय का प्रशिक्षण दिया गया; और

(ङ) डाक से हेराफेरी रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जयपुर के पुन: प्रेषण केन्द्र का काम प्रयोग के तौर पर विकेन्द्रित करने के लिए और उसे राजस्थान के प्रधान डाकघर को सौंपने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था। इस प्रयोग को 6 महीने तक चलना था लेकिन इसे 1 अगस्त, 1990 से स्थगित कर दिया गया।

(ख) पुन: प्रेषण केन्द्र विभाग की पुरानी संस्था है जो पुरानी पद्धतियों पर काम कर रही है। पुन: प्रेषण केन्द्र के काम का एक भाग का विकेन्द्रीकरण इस संस्था को पुनर्गठित करके इसे और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए किया गया है।

(ग) पुन: प्रेषण केन्द्र के कर्मचारी जो इस प्रयोजन के लिए नियुक्त हैं, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के अधीन डाक खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रायोगिक विकेन्द्रीकरण स्थगित कर दिया गया है।

(ङ) अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई से डाक में हेरा-फेरी नहीं होती है।

पंजाब के बारे में कोर ग्रुप

2512. श्री हरीश रावत :

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब समस्या पर कोई कोर ग्रुप गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समूह और इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समूह के अधिकार और इसका क्षेत्राधिकार क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर को अल्मोड़ा, नैनीताल, बरेली तथा हल्द्वानी से एस० टी० डी० से जोड़ा जाना

2513. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर का अल्मोड़ा, नैनीताल, बरेली तथा हल्द्वानी से एस० टी० डी० सेवा से जोड़ने का विचार है ।

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, 1993 तक ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पृथक राज्य की मांग करने वाले संगठनों से बातचीत

2514. श्री हरीश रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार पृथक राज्यों की मांग कर रहे संगठनों से बातचीत कर रही है; .

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं और उनसे बातचीत कब से की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग कर रहे संगठनों से भी बातचीत करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) असम के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर भारत सरकार, असम सरकार और अखिल बोड़ो छात्र संघ के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेने पर सहमत हो गयी है । 28-8-1989 से बातचीत जारी है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रानी खेत में एस० डी० ओ० (टेलीफोन) का कार्यालय खोला जाना

2515. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले अल्मोड़ा में दूर संचार सेवाओं का सुधार करने हेतु रानीखेत में एस० डी० ओ० का कार्यालय खोले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालय वहां कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) रानीखेत में एस० डी० ओ० कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि फिलहाल इसका औचित्य नहीं बनता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में डाकघरों का खोला जाना**

2516. श्री शंकर मुंजारे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिले वार डाक घरों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या बाला घाट जिले के विभिन्न पंचायतों में नये डाक घर खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान कितने नये डाक घर खोले जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार का इस क्षेत्र में नये डाकघर कब तक खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह) : (क) जानकारी (संलग्न विवरण) में दी गई है।

(ख) से (ङ) : विभाग इस समय सातवीं योजना के कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रहा है ताकि आठवीं योजना में डाकघरों को खोलने संबंधी समुचित मानदण्ड निर्धारित किए जा सके। तत्पश्चात् राज्य एवं जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आशा है।

**विवरण**

**मध्य प्रदेश**

| क्र० सं० | जिला | डाकघरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | मोरेना | 250 |
| 2. | भिंड | 242 |
| 3. | ग्वालियार | 188 |
| 4. | दतिया | 98 |
| 5. | शिवपुरी | 218 |
| 6. | गुणा | 181 |
| 7. | टिकमगढ़ | 178 |
| 8. | छत्तरपुर | 210 |
| 9. | पन्ना | 142 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | सागर | 218 |
| 11. | दमोह | 155 |
| 12. | सतना | 269 |
| 13. | रीवा | 312 |
| 14. | शाहडोल | 487 |
| 15. | सीधी | 191 |
| 16. | मन्दसौर | 299 |
| 17. | रतलाम | 174 |
| 18. | उज्जैन | 199 |
| 19. | शाजापुर | 168 |
| 20. | देवास | 166 |
| 21. | झाबुआ | 160 |
| 22. | धार | 184 |
| 23. | इन्दौर | 158 |
| 24. | पश्चिम निमार | 291 |
| 25. | पूर्व निमार | 214 |
| 26. | राजगढ़ | 163 |
| 27. | विदीशा | 159 |
| 28. | भोपाल | 128 |
| 29. | सेहोर | 167 |
| 30. | रायसेन | 196 |
| 31. | सेतूल | 216 |
| 32. | होशंगाबाद | 247 |
| 33. | जबलपुर | 387 |
| 34. | नरसिंगपुर | 182 |
| 35. | मान्डला | 213 |
| 36. | छिन्दवाड़ा | 261 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 37. | सिओनी | 188 |
| 38. | बालघाट | 217 |
| 39. | सरगुजा | 268 |
| 40. | बिलासपुर | 634 |
| 41. | रायगढ़ | 403 |
| 42. | राजनन्दगांव | 207 |
| 43. | दुर्ग | 324 |
| 44. | रायपुर | 577 |
| 45. | बस्तर | 444 |

**मध्य प्रदेश में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना**

2517. **श्री शंकर मुंजारे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कोई नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलना चाहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

**संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र)** : (क) मध्य प्रदेश में 31-3-90 की स्थिति के अनुसार 1092 टेलीफोन एक्सचेंजों में से केवल 324 एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची है। प्रतीक्षा सूची के एक्सचेंज वार ब्योरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में 130 नये टेलीफोन एक्सचेंज जिनका ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि प्रत्येक स्थान पर कम से कम 10 उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त हो और उपस्कर समय पर उपलब्ध हो।

(घ) लागू नहीं।

**विवरण-1**

| क्रम सं० | एक्सचेंज का नाम | 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची |
|---|---|---|
| | **जिला बालाघाट** | |
| 1. | बोहर | 18 |
| 2. | बालाघाट | 152 |
| 3. | कटांगी | 32 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | लालबुरा (कसबा) | 52 |
| 5. | मलाजखांड | 1 |
| | कुल जोड़ | 255 |
| | **जिला बस्तर** | |
| 6. | बछेली | 1 |
| 7. | भानु प्रतापपुर | 4 |
| 8. | बिजापुर | 1 |
| 9. | दनतवादा | 3 |
| 10. | गीदुम | 1 |
| 11. | जगदलपुर | 164 |
| 12. | कनकेर | 21 |
| 13. | किरनदुल | 10 |
| 14. | नरायण पुर | 4 |
| 15. | सुकमा | 1 |
| | कुल जोड़ | 210 |
| | **जिला बेतुल** | |
| 16. | अमला | 28 |
| 17. | बेतुल | 187 |
| 18. | चिचोली | 10 |
| 19. | घोरानदो नगरी | 9 |
| 20. | मुलताई | 5 |
| 21. | साहपुर | 12 |
| | कुल जोड़ | 251 |
| | **जिला भिण्ड** | |
| 22. | भिण्ड | 286 |
| | **जिला भोपाल** | |
| 23. | आदमपुर | 10 |
| 24. | बेरसिया | 72 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25. | भोपाल (ए) आर॰ एम॰ यू॰ | 500 |
| 26. | भोपाल | 805 |
| 27. | भोपाल सीहोर | 1370 |
| 28. | भोपाल (सी॰) आर॰ एम॰ यू॰ | 1200 |
| 29. | भोपाल (जी॰ पी॰) आर॰ एम॰ यू॰ | 505 |
| 30. | बी॰ पी॰ एल॰ बैरागढ़ | 50 |
| 31. | बंगा | 5 |
| 32. | मिसरोद | 5 |
| | कुल योग | 4528 |
| | जिला बिलासपुर | |
| 33. | बनाहार | 4 |
| 34. | बिलासपुर | 465 |
| 35. | कोरबा | 222 |
| 36. | नाइला | 19 |
| | कुल योग | 710 |
| | जिला छतरपुर | |
| 37. | बडामलाहेरा | 22 |
| 38. | बिजावर | 33 |
| 39. | चन्द्रनगर | 1 |
| 40. | छतरपुर | 108 |
| 41. | घरहीमलाहेरा | 3 |
| 42. | हरपाल पुर | 2 |
| 43. | ईशानगर | 4 |
| 44. | खजुराहो | 35 |
| 45. | महाराजा पुर | 3 |
| 46. | नवगांव | 16 |
| | कुल योग | 227 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **जिला छिदवाड़ा** | |
| 47. | अमड़ोरा | 7 |
| 48. | छिदवाड़ा | 307 |
| 49. | दमुवा | 11 |
| 50. | परसोया | 84 |
| | कुल जोड़ | 409 |
| | **जिला दमोह** | |
| 51. | दमोह | 193 |
| 52. | हट्टा | 16 |
| 53. | हिनदोरिया | 4 |
| 54. | नरसिंगढ़ | 2 |
| 55. | पतेरा | 1 |
| | कुल जोड़ | 216 |
| | **जिला दतिया** | |
| 56. | दतिया | 100 |
| 57. | सेवनढ़ा | 10 |
| | कुल जोड़ | 110 |
| | **जिला देवास** | |
| 58. | देवास | 449 |
| 59. | हुटपिपलीया | 10 |
| 60. | विजयगंज मंडी | 2 |
| | कुल जोड़ | 461 |
| | **जिला धार** | |
| 61. | बेगदुन | 49 |
| 62. | धकनेर | 4 |
| 63. | धार | 179 |
| 64. | डिगधान | 4 |
| 65. | धाटबिलोर | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 66. | कनवान | 4 |
| 67. | केसूर | 1 |
| 68. | लोहारी | 1 |
| 69. | नगदा | 1 |
| 70. | पीथामपुर | 33 |
| 71. | सागरकुट्टी | 5 |
| 72. | सिमवा | 1 |
| | कुल जोड़ | 300 |
| | जिला दुर्ग | |
| 73. | बालोद | 9 |
| 74. | बेमितरा | 46 |
| 75. | भिलाई | 900 |
| 76. | दल्लिराजहरा | 25 |
| 77. | दुर्ग | 1356 |
| 78. | कुमहारी | 32 |
| | कुल जोड़ | 2368 |
| | जिला गुना | |
| 79. | अशोक नगर | 83 |
| 80. | गुना | 256 |
| 81. | विजयपुर | 38 |
| | कुल जोड़ | 377 |
| | जिला ग्वालियर | |
| 82. | भानडेर | 32 |
| 83. | डबरा | 116 |
| 84. | ग्वालियर | 4639 |
| 85. | ग्वालियर मोटर | 179 |
| 86. | मोहना | 1 |
| | कुल जोड़ | 4967 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | जिला होशंगाबाद | |
| 87. | बबाइल | 26 |
| 88. | बंखेड़ी | 27 |
| 89. | हरदा | 54 |
| 90. | होशंगाबाद | 216 |
| 91. | इटारसी | 250 |
| 92. | आपड़खेड़ा | 6 |
| 93. | खिड़किया | 20 |
| 94. | पिपरिया | 26 |
| 95. | रहतगांव | 1 |
| 96. | सनधिया | 5 |
| 97. | सेमरिहरचंद | 7 |
| 98. | शिवपुर | 3 |
| 99. | शोभापुर | 7 |
| 100. | शोहागपुर | 26 |
| | कुल जोड़ | 674 |
| | जिला इन्दौर | |
| 101. | अजनोद | 5 |
| 102. | देवला | 37 |
| 103. | डाकचिया | 23 |
| 104. | देपालपुर | 50 |
| 105. | धरमपुरी | 19 |
| 106. | हुचिया | 47 |
| 107. | गांधीनगर | 106 |
| 108. | गौतमपुरा | 16 |
| 109. | तलावपुर | 13 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 110. | हटोद | 36 |
| 111. | इन्दौर एन पी यू-I | 15015 |
| 112. | इन्दौर-टी पी एम | 11538 |
| 113. | कछालिया | 4 |
| 114. | कमपेल | 1 |
| 115. | कनाडिया | 22 |
| 116. | खुरेल | 13 |
| 117. | मगलिया | 184 |
| 118. | मानपुर | 7 |
| 119. | माहो | 500 |
| 120. | पालिया | 17 |
| 121. | राव | 14 |
| 122. | सनवेर | 34 |
| 123. | सिमरोल | 8 |
| 124. | ढिलोरे खुर्द | 34 |
| | कुल जोड़ | 27723 |
| | जिला जबलपुर | |
| 125. | बंबाही | 2 |
| 126. | बघेला | 14 |
| 127. | बार्गी | 1 |
| 128. | भेड़ाघाट | 7 |
| 129. | बोड़िया | 5 |
| 130. | जबलपुर | 6416 |
| 131. | खजोनी (बे० वी० पी०) | 6 |
| 132. | कटनी | 698 |
| 133. | कयमोरे | 2 |
| 134. | माछगांवसिरोली | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | जिला होशंगाबाद | |
| 87. | बबाई | 26 |
| 88. | बनखेड़ी | 27 |
| 89. | हरदा | 54 |
| 90. | होशंगाबाद | 216 |
| 91. | इटारसी | 250 |
| 92. | खापरखेड़ा | 6 |
| 93. | खिड़किया | 20 |
| 94. | पिपरिया | 26 |
| 95. | रहटगांव | 1 |
| 96. | सनखिया | 5 |
| 97. | सेमरीहरचंद | 7 |
| 98. | शिवपुर | 3 |
| 99. | शोभापुर | 7 |
| 100. | सोहागपुर | 26 |
| | कुल जोड़ | 674 |
| | जिला इन्दौर | |
| 101. | अजनोद | 5 |
| 102. | बेटमा | 37 |
| 103. | डाकचिया | 23 |
| 104. | देपालपुर | 50 |
| 105. | धरमपुरी | 19 |
| 106. | दुधिया | 47 |
| 107. | गांधीनगर | 106 |
| 108. | गौतमपुरा | 16 |
| 109. | तलावपुर | 13 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 110. | हटोद | 36 |
| 111. | इन्दौर एन पी यू-I | 15015 |
| 112. | इन्दौर-टी पी एम | 11538 |
| 113. | कछालिया | 4 |
| 114. | कमपेल | 1 |
| 115. | कनाडिया | 22 |
| 116. | खुरेल | 13 |
| 117. | मगलिया | 184 |
| 118. | मानपुर | 7 |
| 119. | माहो | 500 |
| 120. | पालिया | 17 |
| 121. | राव | 14 |
| 122. | सनवेर | 34 |
| 123. | सिमरोल | 8 |
| 124. | डिलोदे खुर्द | 34 |
| | कुल जोड़ | 27723 |
| | जिला जबलपुर | |
| 125. | बंबाही | 2 |
| 126. | बघेला | 14 |
| 127. | बार्गी | 1 |
| 128. | भेड़ाघाट | 7 |
| 129. | बोडिया | 5 |
| 130. | जबलपुर | 6416 |
| 131. | जहांगी (जे० बी० पी०) | 6 |
| 132. | कटनी | 698 |
| 133. | कपमोरे | 2 |
| 134. | माछमांर्वसिरोली | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 135. | मानेगांव | 15 |
| 136. | नुमसार | 5 |
| 137. | पामागढ़ | 50 |
| 138. | पाडन | 1 |
| 139. | पिपरिया | 20 |
| 140. | साहपुर | 8 |
| 141. | सिहोरा | 2 |
| 142. | सिलोण्डी | 1 |
| 143. | सिगोद | 2 |
| | कुल जोड़ | 7256 |
| | जिला झबुआ | |
| 144. | अलीराजपुर | 15 |
| 145. | बामनिया | 10 |
| 146. | जोबाट | 10 |
| 147. | मेघनागढ़ | 5 |
| 148. | थानडला | 15 |
| | कुल जोड़ | 55 |
| | जिला खंडवा | |
| 149. | बरहामपुर | 566 |
| 150. | हरसुद | 4 |
| 151. | खंडवा | 466 |
| | कुल जोड़ | 1036 |
| | जिला खड़गोन | |
| 152. | अनजद | 1 |
| 153. | बरवाहा | 44 |
| 154. | बरवानी | 6 |
| 155. | कसराबाद | 2 |
| 156. | खड़गोन | 120 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 157. | सिन्धवा | 36 |
| | कुल जोड़ | 120 |
| | **जिला मंडला** | |
| 158. | डामनीय नजर | 9 |
| 159. | मंडला | 51 |
| 159ए. | मैनपुर | 1 |
| 160. | पिनडारी | 1 |
| | कुल जोड़ | 67 |
| | **जिला मंदसौर** | |
| 161. | भानपुरा | 8 |
| 162. | गरौठ | 14 |
| 163. | जावद | 15 |
| 164. | मन्सा | 5 |
| 165. | मंदसौर | 474 |
| 166. | नरायणगढ़ | 3 |
| 167. | सिंगोली | 6 |
| 168. | सितामाऊ | 6 |
| | कुल जोड़ | 531 |
| | **जिला मोरैना** | |
| 169. | मोरैना | 141 |
| | कुल जोड़ | 141 |
| | **जिला नरसिंगपुर** | |
| 170. | आमगांव | 3 |
| 171. | छितापार | 1 |
| 172. | डागिघाना | 2 |
| 173. | गादरवाड़ा | 8 |
| 174. | गोलगांव | 2 |
| 175. | गोटेगांव | 20 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 176. | कमबास | 2 |
| 177. | करकबेल | 2 |
| 178. | करेली | 8 |
| 179. | मालानवादा | 1 |
| 180. | नरसिंगपुर | 100 |
| 181. | साइखेड़ा | 15 |
| 182. | सालीचैकक | 5 |
| 183. | सिहोरा | 10 |
| 184. | टेनदुखेदा | 16 |
| | कुल जोड़ | 195 |
| | जिला पन्ना | |
| 185. | अजयगढ़ | 6 |
| 186. | अमनगंज | 15 |
| 187. | दवेन्द्रनगर | 31 |
| 188. | पन्ना | 9 |
| 189. | पवई | 6 |
| | कुल जोड़ | 67 |
| | जिला रायगढ़ | |
| 190. | बरसिया | 15 |
| 191. | रायगढ़ | 242 |
| | कुल जोड़ | 257 |
| | जिला रायपुर | |
| 192. | अभानपुर | 2 |
| 193. | बालोदा बाजार | 3 |
| 194. | भाटपाड़ा | 57 |
| 195. | धामतारी | 228 |
| 196. | गरोरा | 5 |
| 196ए. | मंडीराहसुड | 5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 197. | नवापराराजीम | 2 |
| 198. | मिश्रोरा | 10 |
| 199. | पामारी | 4 |
| 199ए. | पीराड़ा | 4 |
| 200. | पिथौरा | 3 |
| 201. | रायपुर | 4370 |
| 202. | सरागांव | 2 |
| | कुल जोड़ | 4695 |
| | जिला रायसेन | |
| 203. | बरेली | 18 |
| 204. | गौराहगंज | 25 |
| 205. | बाड़गोम | 13 |
| 206. | मंडीद्वीप | 66 |
| 207. | अबदुलागंज | 40 |
| 208. | सलामतपुर | 12 |
| 209. | सांची | 18 |
| 210. | उदयपुरा | 5 |
| | कुल जोड़ | 186 |
| | जिला राजगढ़ | |
| 211. | बियावड़ा | 52 |
| 212. | बोड़ा | 3 |
| 213. | छपिहेरा | 10 |
| 214. | खुजनेड़ | 18 |
| 215. | पुरावार | 8 |
| 216. | मंगला | 3 |
| 217. | मऊपाडला | 5 |
| 218. | नरसिंगगढ़ | 47 |
| 219. | पचोरे | 22 |
| 220. | सारंगपुर | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 221. | मधानिया | 4 |
| 222. | जिरापुर | 35 |
| | कुल जोड़ | 209 |
| | **जिला राजनांदगांव** | |
| 223. | दोगड़गढ़ | 17 |
| 224. | राजनांदगांव | 342 |
| | कुल जोड़ | 359 |
| | **जिला रतलाम** | |
| 225. | भाटीबडोदीया | 3 |
| 226. | धोधार | 10 |
| 227. | जौरा | 149 |
| 228. | रतलाम | 1137 |
| | कुल जोड़ | 1299 |
| | **जिला रीवां** | |
| 229. | रीवां | 426 |
| 230. | सेमा रिया | 17 |
| | कुल जोड़ | 443 |
| | **जिला सागर** | |
| 231. | बीना | 38 |
| 232. | गोरझामड | 4 |
| 233. | खुराई | 20 |
| 234. | रेहली | 13 |
| 235. | सागर | 929 |
| | कुल जोड़ | 1004 |
| | **जिला सरगुजा** | |
| 236. | अम्बिकापुर | 310 |
| 237. | बिश्रामपुर | 3 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 238. | चिरीमिरी | 18 |
| 239. | चुरजाकोसियारी | 3 |
| 240. | मनेन्दरगढ़ | 39 |
| 241. | सूरजपुर | 7 |
| | कुल जोड़ | 380 |
| | जिला सतना | |
| 242. | अमरपाटन | 7 |
| 243. | अमडारा | 1 |
| 244. | अतरा | 3 |
| 245. | भटिया | 1 |
| 246. | बिरसींघपुर | 2 |
| 247. | चितराकूट | 16 |
| 248. | जयतवाड़ा | 4 |
| 249. | मयहर | 24 |
| 250. | मझगावान | 12 |
| 251. | नगौद | 30 |
| 252. | रामपुर बाघेलान | 2 |
| 253. | रज्जनपुर | 1 |
| 254. | सतना | 858 |
| 255. | अम्बेहेडा | 11 |
| | कुल जोड़ | 972 |
| | जिला सेहोर | |
| 256. | अहमदपुर | 5 |
| 257. | अमलाहा | 3 |
| 258. | अशता | 20 |
| 259. | बागेर | 27 |
| 260. | बकतारा | 12 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 261. | बिलकिसगंज | 4 |
| 262. | बुधनी | 5 |
| 263. | डोराहा | 3 |
| 264. | इच्छावर | 3 |
| 265. | कुरावर | 7 |
| 266. | नासूरुल्लागंज | 6 |
| 267. | रेहटी | 19 |
| 268. | सेहोर | 15 |
| 269. | शाहगंज | 19 |
| | कुल जोड़ | 248 |
| | जिला सेवनी | |
| 270. | बरघाट | 9 |
| 271. | बारघाट | 30 |
| 272. | छपरा | 5 |
| 273. | गोपालगंज | 1 |
| 274. | कन्हीवाड़ा | 12 |
| 275. | लखनादोहन | 43 |
| 276. | सेवनी | 128 |
| | कुल जोड़ | 228 |
| | जिला शाहडोल | |
| 277. | बेवडी | 7 |
| 278. | बिरसींघपुरपाली | 2 |
| 279. | बुढ़ार | 7 |
| 280. | धानपुरी | 27 |
| 281. | जयसिंघनगर | 1 |
| 282. | यमुनाकोलियारी | 2 |
| 283. | कोटमा | 17 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 284. | शाहडोल | 125 |
| | कुल जोड़ | 188 |
| | **जिला शाहजापुर** | |
| 285. | अभयपुर | 7 |
| 286. | बारोद | 14 |
| 287. | कालापिपल | 9 |
| 288. | खोछराकालान | 6 |
| 289. | मकसी | 10 |
| 290. | मोमनबड़ौडिया | 15 |
| 291. | नलखेड़ा | 12 |
| 292. | शाजापुर | 59 |
| 293. | शुजालपलुर | 45 |
| | कुल जोड़ | 177 |
| | **जिला शिवपुरी** | |
| 294. | शिवपुरी | 284 |
| | कुल जोड़ | 284 |
| | **जिला सिधी** | |
| 295. | सिधी | 6 |
| 296. | सिंगरौली | 14 |
| | कुल जोड़ | 20 |
| | **जिला टीकमगढ़** | |
| 297. | जतारा | 5 |
| 298. | मोहनगढ़ | 2 |
| 299. | प्रचमीपुर | 2 |
| 300. | तरीचर | 1 |
| 301. | टिकमगढ़ | 39 |
| | कुल जोड़ | 49 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | जिला उज्जैन | |
| 302. | अकायखगीर | 6 |
| 303. | बडगवोन | 2 |
| 304. | बड़ानगर | 13 |
| 305. | बतनामाटाना | 1 |
| 306. | घाटिया | 6 |
| 307. | गिनोड़ा | 3 |
| 308. | जलौडिया | 4 |
| 309. | घार्दा | 1 |
| 310. | खरसोदखलान | 1 |
| 311. | खरसोदखुर्द | 6 |
| 312. | महिदपुर शहर | 3 |
| 313. | मकेडोनि | 2 |
| 314. | नगदा | 92 |
| 315. | नरवाड | 2 |
| 316. | ताजपुर | 3 |
| 317. | उज्जैन | 1036 |
| | कुल जोड़ | 1181 |
| | जिला विदिसा | |
| 318. | गंजबसोड़ा | 65 |
| 319. | गुलाबगंज | 17 |
| 320. | विदिशा | 333 |
| | कुल जोड़ | 415 |
| | उप जोड़ | 66117 |

कुल एक्सचेंज 324 हैं

(159ए, 196ए, और 199ए, सहित)

विवरण

वर्ष 90-91 के दौरान मध्य प्रदेश सहित में खोले जाने वाले प्रस्तावित नए एक्सचेंज

1. जिला बालाघाट
   (i) परसवाड़ा
   (ii) महकेपर
   (iii) चारगांव
2. जिला बस्तर
   (i) दोंगपाल
   (ii) सोनारपाल
3. जिला भिंड
   (i) ओहकी
   (ii) ओला
   (iii) अचनी
   (iv) देहगांव
4. जिला बिलासपुर
   (i) पंडतराय
   (ii) अचनार
5. जिला छतरपुर
   (i) बमिथा
   (ii) बक्सकहा
   (iii) गुलगंज
6. जिला छिन्दवाड़ा
   (i) सोनाखर
   (ii) भंडारगोंडी
   (iii) पाण्डरी खेड़ा
7. जिला दमोह
   (i) ताजगढ़
   (ii) मडियादोह
   (iii) हिनोटा

8. जिला दतिया

(i) चिराल

(ii) भोपली

(iii) कसौली

9. जिला देवास

(i) कमलपुर

(ii) कूस्मानियां

(iii) देवगढ़

(iv) बिजागवाड़ा

10. जिला धार

(i) तमलाई

11. जिला दुर्ग

(i) छटई

(ii) साजा

(iii) अम्बा

12. जिला गुना

(i) बनियाखेड़ी

(ii) नगेश्वरी

(iii) बनमोरे

13. जिला ग्वालियर

(i) दाडा खिरिक

14. जिला होशंगाबाद

(i) गुनेगांव

(ii) सेपूल

(iii) सियोल

(iv) उगांव

(v) बनवास

(vi) संगाखेड़ा

(vii) कोस्ला

(viii) गत्रिक

(ix) अरी

15. जिला जबलपुर

(i) रोधी

(ii) धामा

16. जिला झबुआ

(i) गोरे

17. जिला खण्डवा

(i) पनासा

(ii) माडला

(iii) बर्मा

(iv) बोरगमेन

(v) मोमी

(vi) गिबल

(vii) बार्वी

(viii) सिरपुर

18. जिला खरगांव

(i) पिपलगांव

(ii) पाटी

(iii) लनौरा

(iv) सोनारा

(v) मंगेसोन

19. जिला मण्डला

(i) अन्जनिया

(ii) नारायणगंज

20. जिला मन्दसौर

(i) कवबाड़ा

(ii) अफजयलपुर

(iii) कप-पुरवावल

(iv) पिपली राव जी

(v) कन्जोड़ा

(vi) बाजूभाई पंत

(vii) कनिष्क

(viii) कस्वापू

(ix) खेड़ावाड़ा

(x) झाम्पला

21. जिला मोरेना

(i) प्रेमसर

(ii) टिमनी

(iii) इकलोद

22. जिला नरसिंहपुर

(i) देवगढ़

(ii) लोकिपार

(iii) बरहावाड़ा

(iv) लीलवानी

23. जिला पन्ना

(i) तलेहो

(ii) मजगाव

24. जिला रायगढ़

(i) लुबे

(ii) जामगाव

25. जिला रायपुर

(i) बरेली

(ii) शान्तिपुर

(iii) तरपोंगी

26. जिला रायसेन

(i) पाजबा

27. जिला राजगढ़
(i) मन्डावाड
28. जिला राजनन्दगांव
(i) तोमेरीबाद
29. जिला रतलाम
(i) परवारा कलां
(ii) टिकरी
(iii) हरनारा
(iv) मम्माडखेड़ा
30. जिला रीवां
(i) सिवास
(ii) मन्जोली
31. जिला सागर
(i) चुकला
(ii) बाडा
(iii) हिरापुर
(iv) सिलगांव
(v) बलोदियां कलां
(vi) रासेना
(vii) शाहजापुर
32. जिला सरगुजा
(i) बोरपुर
(ii) राजनगर कोल्लीयरी
33. जिला सतना
(i) रायगांव
(ii) पुनवाड़ा
34. जिला सेहोरा
(i) नपालाखेड़ी
(ii) सिहीनबे

35. जिला सेवनी

(i) मोहगांव

(ii) कहानी

(iii) उगली

36. जिला शहडोल

(i) अमजोर

(ii) खन्नोढी

(iii) सागरा

37. जिला शाहजापुर

(i) जयसिंहपुरा

(ii) पोलाईखुरा

(iii) नल्वानी

38. जिला शिवपुरी

(i) सिरई

(ii) मानपुरा

(iii) मालावली

(iv) बमोरीकला

39. जिला टिकमगढ़

(i) बलेरा

40. जिला उज्जैन

(i) अवसुबा]

(ii) रामगढ़

(iii) मोहनपुरा

(iv) सम्बा

(v) इन्डोक

41. विदिशा

(i) भीखनपुरा

(ii) बराव

(iii) अटाली खेजड़ा

(iv) नारिकवा

(v) बटारो

**आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में तूफान का सामना करने के उपाय**

[अनुवाद]

2518. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में बार-बार तूफान आने के कारण भीषण विनाश हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राहत कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक ने तूफान की प्रचण्डता में कमी करने हेतु अल्पाधिक उपाय के रूप में तेजी से बढ़ने वाले उपयुक्त वृक्षों को पंक्तियों में लगाने का सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में की गई प्रस्तावित कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) आंध्र प्रदेश में हर वर्ष औसतन एक या दो चक्रवाती तूफान आते ही हैं जो तटवर्ती इलाके पर मार करते हैं या मार करते हुए गुजर जाते हैं तथा उनसे जान और माल की भारी हानि होती है।

(ख) पिछले तीन सालों में चक्रवाती-तूफान आने पर राहत कार्यों पर निम्नलिखित खर्च हुआ है :—

| वर्ष | चक्रवाती तूफान सम्बन्धी राहत पर हुआ खर्च (रुपए करोड़ों में) |
|---|---|
| 1987-88 | 11.01 |
| 1988-89 | 12.03 |
| 1989-90 | 9.53 |

(ग) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार या कृषि मंत्रालय को ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली के लिए नई टेलीफोन डायरेक्टरी**

2519. **श्री नकुल नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए वर्ष 1990-91 की टेलीफोन डायरेक्टरी अब तक जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण है;

(ग) दिल्ली के प्रयोक्ताओं को नई टेलीफोन डायरेक्टरी कब तक जारी करने का विचार है; और

(घ) इसे शीघ्र जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) दिल्ली की 1990-91 की टेलीफोन

डायरेक्टरी जारी नहीं की गई है। तथापि, एक अनुपूरक डायरेक्टरी (1990-91) 27-7-1990 को जारी की गई है।

(ख) से (घ) विलम्ब के कारण यह बताए गए हैं कि छपाई के ठेकेदार को डायरेक्टरी के कागज और छपाई पर होने वाले व्यय की तुलना में विज्ञापनों से कम राजस्व मिलने से भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। दिल्ली की नई टेलीफोन डायरेक्टरी फरवरी, 1991 तक जारी होने की आशा है।

**आठवीं योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शन**

2520. **श्री नकुल नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के अन्त तक देश में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने में अभी तक हुई प्रगति का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा-सूची को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह)** : (क) 8वीं योजना अवधि के दौरान कुल 52 लाख टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 31 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मांग सप्लाई से अधिक है।

(घ) 8वीं योजना के प्रस्तावों में मार्च, 1995 के अन्त तक 5 हजार लाइनों की क्षमता तक की सभी स्थानीय एक्सचेंज प्रणालियों में मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने और 5 हजार लाइनों से अधिक की क्षमता की स्थानीय एक्सचेंज प्रणालियों में प्रतीक्षा सूची को औसतन एक वर्ष तक सीमित रखने के लिए नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

**विवरण**

| क्र०सं० | सर्किल का नाम | 31 मई, 1990 तक उपलब्धि (लाइनें) |
|---|---|---|
| | (क) दूरसंचार सर्किल | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3091 |
| 2. | असम | 227 |
| 3. | बिहार | 1059 |
| 4. | गुजरात | 2671 |
| 5. | हरियाणा | 154 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 232 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 104 |
| 8. | कर्नाटक | 3112 |
| 9. | केरल | 1703 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 3422 |
| 11. | महाराष्ट्र | 3130 |
| 12. | उत्तर पूर्व | 593 |
| 13. | उड़ीसा | 924 |
| 14. | पंजाब | 1014 |
| 15. | राजस्थान | 2268 |
| 16. | तमिलनाडु | 1915 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 2627 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 516 |
| | (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि० और बंद्रो जिले | |
| 1. | बम्बई | 5285 |
| 2. | दिल्ली | 2526 |
| 3. | कलकत्ता | 690 |
| 4. | मद्रास | 1094 |
| | कुल | 38357 |

राजस्थान में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

2521. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के किन-किन स्थानों पर एस० टी०-डी० सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(ख) किसी एक स्थान पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या किशनगढ़ और विजयनगर जो कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र हैं तथा अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में भी एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में 117 स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराए जाने की योजना है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया इस प्रकार है :—

निम्नलिखित को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करना :—

(I) सभी जिला मुख्यालय

(II) तहसील के समकक्ष सभी उप-मण्डल मुख्यालय/खण्ड विकास मुख्यालय।

(III) 500 लाइनों और उससे अधिक की क्षमता वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंज (1-4-90 की स्थिति के अनुसार)

(IV) सभी पर्यटन केन्द्र, औद्योगिक विकास केन्द्र, तीर्थ स्थल।

(V) व्यवहार्य होने पर सभी अन्य स्वचल एक्सचेंज।

(ग) जी, हां।

(घ) कृष्णगढ़—मार्च, 1991

विजयनगर—दिसम्बर, 1992

नसीराबाद—दिसम्बर, 1993

**पाकिस्तान से आए सिंधी शरणार्थी**

2522. प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री जे० चोक्का राव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में हुई गड़बड़ियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में आये हिन्दू शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन शरणार्थियों पर राज्य सरकार ने अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की है और इसमें केन्द्र सरकार का क्या योगदान है; और

(ग) क्या इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले के हलद्वानी, बाजपुर और काशीपुर में एस० टी० डी० सुविधा**

2523. श्री एम० एस० पाल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नैनीताल जिले के हलद्वानी, बाजपुर और काशीपुर में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ख) क्या उपरोक्त शहरों में इसके लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) काशीपुर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किया जा चुका है। हलद्वानी और बाजपुर के लिए उपस्करों का आबंटन किया जा चुका है।

**मोरक्कन फर्म से फास्फोरिक एसिड का आयात**

[अनुवाद]

2524. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह वघेला : क्या कृषि मन्त्री भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा फास्फोरिक एसिड के आयात के बारे में 24 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989-90 के दौरान मोरक्कन फर्म से आयात किये गये तीन लाख टन फास्फोरिक एसिड के आयात की जांच एजेंसी द्वारा जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप देकर कब तक सरकार को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

**दिल्ली में आई० टी० ओ० के समीप यमुना पर दूसरे पुल का निर्माण**

2525. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री जे० पी० अग्रवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में आई० टी० ओ० के समीप यमुना पर दूसरे पुल के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं, और इस पर आगे क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इस क्षेत्र में यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के विचाराधीन वैकल्पिक प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली प्रशासन ने जो प्रस्तावित पुल के लिए जिम्मेदार है, उसका व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया है और परियोजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) चूंकि उक्त स्थान पर दूसरे पुल के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है, अत: कोई वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**अमृतसर के स्कूलों में प्रात:कालीन प्रार्थना में राष्ट्रीय गान का गाया जाना**

2526. डा० ए० के० पटेल :

श्री शंकर सिंह वघेला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर जिले के स्कूलों में प्रात:कालीन प्रार्थना के समय राष्ट्रीय गान गाए जाने की प्रथा कुछ उग्रवादियों द्वारा बन्द कर दिए जाने पर पुलिस अधिकारी इसको पुन: शुरू करवाने में सफल हो गए हैं;

(ख) यदि नहीं, अमृतसर के कितने स्कूलों में प्रात:कालीन प्रार्थना अभी तक शुरू नहीं की गई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसी तरह की स्थिति किसी अन्य जिले में भी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार स्कूलों में राष्ट्रीय गान का गाया जाना एक नियम नहीं है बल्कि यह केवल एक परम्परा है । सभी स्कूलों में यह नहीं गाया जाता है । किसी भी ऐसे स्कूल के बारे में सूचना नहीं मिली है, जहां प्रात:कालीन की प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

**खेसरी दाल की पैदावार**

2527. श्री रवि नारायण पाणि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेसरी दाल की पैदावार और खपत का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) खेसरी दाल का उपयोग क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में खेसरी दाल के उत्पादन पर रोक लगाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राज्यों के नाम तथा उनका वर्ष 1988-89 के दौरान खेसारी दाल का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है—

| राज्य | उत्पादन ("000" मीटरी टन) |
|---|---|
| 1. बिहार | 219.6 |
| 2. मध्य प्रदेश | 151.4 |
| 3. महाराष्ट्र | 24.4 |
| 4. पश्चिम बंगाल | 35.2 |
| अखिल भारतीय | 430.6 |

उत्पादकों, व्यापारियों द्वारा धारित स्टाक में तथा उपभोक्ताओं में परिवर्तन संबंधी आंकड़े के अभाव में खेसारी दाल की खपत के वास्तविक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) खेसारी दाल का उपयोग दाल, रोटी, बेसन तथा पापड़ आदि के रूप में मानव उपभोग के लिए किया जाता है। डण्ठल तथा पत्तियां चारे के तौर पर प्रयुक्त की जाती है।

(ग) असम तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी खेती तथा बिक्री पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को भी खेसारी दाल/विपणन पर रोक लगाने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

(घ) खेसारी दाल के उत्पादन पर रोक लगाना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का विषय है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों को खेसारी दाल के उत्पादन/विपणन पर रोक लगाने पर विचार करने के लिए पहले ही सलाह दे दी गई है।

**दिल्ली में अपराध**

2528. **श्री आर० एन० राकेश :**

**श्री मानिकराव होडल्या गावित :**

**श्री जनार्दन यादव :**

**श्री रामलाल राही :**

**श्री मदन लाल खुराना :**

**श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

**प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

**श्री गोपाल पचेरवाल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विशेषकर डाकाजनी, हत्या के प्रयासों, अपहरण, अगुवाई और बलात्कार जैसे अपराधों की घटनायें दिन-बदिन बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन अपराधों की संख्या का श्रेणीवार और वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(घ) अपराधों में कमी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :** (क) इस प्रकार के अपराधों की श्रेणियों में वर्ष, 1989 तथा 1990 में थोड़ी-सी बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना तथा पिछले कुछ वर्षों में तीव्र गति से हुआ शहरीकरण इसके मुख्य कारण हैं।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रत्येक पुलिस स्टेशन को क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है तथा क्षेत्र अधिकारी के

लिए जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। पी० सी० आर० गाड़ियों तथा मोटर साईकिलों की गश्त बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं तथा आसूचना व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है। अपराधियों के छुपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारे जाते हैं।

विवरण

सूचित किए गए मामलों की संख्या

| वर्ष | डकैती | हत्या | हत्या का प्रयास | लूटपाट | बलात्कार | अपहरण/उठा ले जाना |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 26 | 312 | 276 | 197 | 104 | 766 |
| 1988 | 9 | 296 | 250 | 202 | 127 | 737 |
| 1989 | 15 | 349 | 364 | 213 | 161 | 868 |
| 1990 (30-6-90 तक) | 11 | 177 | 189 | 110 | 93 | 472 |

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के पुनरीक्षण हेतु समिति

[हिन्दी]

2529. श्री आर० एम० राकेश :

श्री संजय लाल : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बने नियमों व विनियमों के प्रावधानों की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी,

(ख) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) समिति को मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी उपबंधों और इसके अधीन बने नियमों की प्राप्त हुए अनेक अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा करने और संशोधनों, सुधारों आदि के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है। इसमें बहुत अधिक कार्य अंतर्ग्रस्त था। समिति ने अपना विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके 15-9-90 तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टापों पर शैड

[अनुवाद]

2530. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस स्टापों पर शैडों के निर्माण के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या यमुना-पार क्षेत्र में बस स्टाप शैडों की संख्या वास्तविक जरूरत से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) दिल्ली परिवहन निगम के लिए बस क्यू शैल्टरों का निर्माण, दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा स्वीकृत डिजाइनों के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। बड़ी संख्या में यात्रियों के चढ़ने और उतरने के स्थानों, मुख्य सड़क से पर्याप्त सेट बैक सहित स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाता है।

(ख) इस समय यमुना पार के इलाके में 276 बस क्यू शैल्टर हैं। दिल्ली परिवहन निगम के मूल्यांकन के अनुसार, यमुना-पार इलाके में 100 और बस शैल्टर बनाने की आवश्यकता है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम का 1990-91 में, यमुना पार इलाके में 80 बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्यक्रम है।

## बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हुआ खर्चा

[हिन्दी]

2531. **श्री तेज नारायण सिंह :**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितना खर्चा हुआ;

(ख) जिला-वार कितने श्रम दिवस पैदा किए गए; और

(ग) भविष्य में इस योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) जवाहर रोजगार योजना के प्रारम्भ होने वाले वर्ष अर्थात् 1989-90 से अब तक सूचना के अनुसार बिहार में जवाहर रोजगार योजना के तहत किये गये खर्च का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है—

| वर्ष | किया गया खर्च (लाख रुपए में) |
|---|---|
| 1989-90 | 31690.69 |
| 1990-91 | 8967.22* |

*जुलाई, 1990 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

(ख) भारत सरकार केन्द्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में जिलेवार सृजित किये गये रोजगार की निगरानी नहीं करती है। तथापि, सूचना के अनुसार 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार में सृजित किये गये रोजगार के श्रम दिनों की संख्या निम्न प्रकार है—

| वर्ष | सृजित किया गया रोजगार (लाख श्रम दिन) |
|---|---|
| 1989-90 | 907.31 |
| 1990-91 | 246.16* |

*जुलाई, 1990 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

(ग) कार्यान्वयन एजेंसियों तथा अन्य संबंधित पक्षों से पुनर्निवेशन के आधार पर कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना की पुन: संरचना की गई है।

**भोजपुर, बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन**

2532. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भोजपुर जिले के लिये कितने सार्वजनिक टेलीफोन स्वीकृत किये गये हैं;

(ख) ये सार्वजनिक टेलीफोन कब तक लगाये जायेंगे; और

(ग) इन सार्वजनिक टेलीफोनों को शीघ्रातिशीघ्र लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर सिंह)** : (क) बिहार में भोजपुर जिले के लिए दो सार्वजनिक टेलीफोनों की मंजूरी दी गई है।

(ख) इन सार्वजनिक टेलीफोनों का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थापित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) इन पी० सी० ओ० को शीघ्र लगाए जाने के लिए स्टोर की सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।

**जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सरकारी भवनों तथा अन्य भवनों का विनाश**

2533. **श्री तेज नारायण सिंह** :

**श्री प्यारे लाल हांडू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1989 में तथा वर्ष 1990 के पहले छ: महीनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा कितने सरकारी भवनों तथा अन्य व्यक्तिगत मकानों का विनाश किया गया अथवा उन्हें जलाया गया;

(ख) सरकार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या नुकसान का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(ङ) क्या उन पीड़ित व्यक्तियों को कोई राहत दी गई है, जिनके घर जला दिये गये; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) से (च) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

## राजस्थान में डाक व तार घरों का खोला जाना

[अनुवाद]

2534. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में खोले गये नये डाक व तार घरों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान राजस्थान में कुछ नये डाक व तार घर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका जिला-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) जहां तक डाकघरों का सम्बन्ध है, योजना आयोग के साथ परामर्श करके आठवीं योजना के मसौदे को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ब्यौरे, तैयार किये जाने हैं। तार घरों के सम्बन्ध में जिलावार लक्ष्य अलग से नहीं रखे गये हैं।

### विवरण

राजस्थान में खोले गये नये डाकघर एवं तारघर

| क्रम सं॰ | जिला | डाकघर | तार घर |
|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | — | 8 |
| 2. | अलवर | 33 | — |
| 3. | बंसवाड़ा | 13 | 4 |
| 4. | बाड़मेर | 18 | 11 |
| 5. | भरतपुर | 1 | 34 |
| 6. | भिलवाड़ा | — | 6 |
| 7. | बीकानेर | 1 | 19 |
| 8. | बूंदी | — | 4 |
| 9. | चितौड़गढ़ | 8 | 3 |
| 10. | चुरू | 2 | 8 |
| 11. | धोलपुर | — | 3 |
| 12. | डूंगरपुर | 4 | 2 |
| 13. | जयपुर | 26 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | जईसलमेर | 2 | — |
| 15. | जलौन | 1 | 5 |
| 16. | झलवाड़ा | 13 | 8 |
| 17. | जोधपुर | 15 | 6 |
| 18. | झुंझुनु | — | 16 |
| 19. | कोटा | 4 | 12 |
| 20. | नागौर | 7 | 32 |
| 21. | पाली | — | 6 |
| 22. | सवाई माधोपुर | — | 5 |
| 23. | सीकर | — | 23 |
| 24. | सीरोही | 1 | 2 |
| 25. | श्रीगंगा नगर | 27 | — |
| 26. | टोंक | — | 3 |
| 27. | उदयपुर | 3 | 8 |
| | | 179 | 229 |

**सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षरित प्रोटोकाल/संयुक्त विज्ञप्ति**

2535. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और सोवियत संघ के बीच पिछले छः महीने में कितने प्रोटोकाल/संयुक्त विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष इसी अवधि में कितने प्रोटोकाल हस्ताक्षर किये गये थे;

(ग) सोवियत संघ के बेहतर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये है; और

(घ) उनका ब्योरा क्या है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी से जुलाई, 1990 के अन्त तक सैंतालीस प्रोतोकाल/संयुक्त विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) इक्तीस।

(ग) और (घ) हाल ही में किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

1. प्रधानमन्त्री की हाल ही की सोवियत संघ यात्रा के दौरान भावी भारत-सोवियत आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे;

2. भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की परिधि में एक उच्च-स्तरीय मोडल ग्रुप स्थापित किया जायेगा;

3. आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिये एक आर्थिक सहयोग सन्धि/दीर्घकालिक कार्यक्रम पर शीघ्र हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है;

4. सोवियत गणराज्यों के साथ सीधे आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित किये जायेंगे;

5. भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की अगली बैठक इस वर्ष के अन्त में होगी।

**ग्रामीण क्षेत्रों में चल डाक-घर**

2536. **श्री बी० राजा रवि वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार ऐसे कितने गांव है जहां पर डाक घर सुविधा नहीं है;

(ख) क्या सरकार का इन गांवों में चल डाक-घर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है और कब तक इन सभी गांवों में ऐसी डाक सुविधाएं प्रदान करने की सम्भावना है ?

**संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विभाग की नीति के अनुसार ग्रामों के समूहों के लिये डाकघर खोले जाते है न कि प्रत्येक ग्राम के लिए। हालांकि इन ग्रामों में कोई डाकघर नहीं है तथापि, डाक के विवरण तथा मनी-आर्डरों के भुगतान के लिए शाखा पोस्टमास्टर/डिलीवरी एजेंट/गांव का डाकिया आदि इन ग्रामों में जाते हैं। इन कर्मचारियों के पास विक्रय हेतु डाक-टिकटें तथा अन्य लेखन-सामग्री भी होती है तथा इनको प्रेषण हेतु पंजीकृत पत्रादि को बुक करने और अन्य पत्रों को लेने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है। इस प्रकार के अनेक गांवों में डाक से पत्र भेजने के लिए लेटर बाक्स भी लगाए गये है। अतः वहां के लिए चलते-फिरते डाकघरों की कोई आवश्यकता नहीं है।

**विवरण**

ऐसे ग्रामों की संख्या जहां पर डाक घर नहीं है।

| | |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 12594 |
| असम | 18689 |
| बिहार | 56947 |
| दिल्ली | 101 |
| गुजरात | 10630 |

| | |
|---|---|
| हरियाणा | 4569 |
| हिमाचल प्रदेश | 14369 |
| जम्मू और कश्मीर | 5127 |
| कर्नाटक | 18739 |
| केरल | 50 |
| मध्य प्रदेश | 61619 |
| महाराष्ट्र | 29239 |
| उत्तर पूर्व | 13848 |
| उड़ीसा | 39480 |
| पंजाब | 9072 |
| राजस्थान | 26029 |
| तमिलनाडु | 6207 |
| उत्तर प्रदेश | 107877 |
| पश्चिम बंगाल | 31428 |
| कुल | 466614 |

टिप्पणी : जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या ऊपर नहीं दी गई है उनको निम्नानुसार अन्य राज्यों में शामिल किया गया है—

| | |
|---|---|
| (i) दमन/दीव/दादरा और नगर हवेली | गुजरात |
| (ii) लक्षद्वीप | केरल |
| (iii) अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय मिजोरम, त्रिपुरा | उत्तर-पूर्व |
| (iv) चंडीगढ़ | पंजाब |
| (v) पांडिचेरी | तमिलनाडु |
| (vi) सिक्किम/अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह | पश्चिम बंगाल |

**अधिकृत ऑटो-रिक्शा स्टैंड**

2537. **श्री भवानी शंकर झोटा** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में और देश के अन्य भागों में टैक्सी के मामले में जिस प्रकार टेलीफोन कनैक्शन सहित टैक्सी स्टैंड उपलब्ध हैं, उस प्रकार के टेलीफोन कनैक्शन सहित अधिकृत ऑटो-रिक्शा स्टैंड होने के कारण ऑटो रिक्शा चालकों और जनता दोनों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमानपत्तनों पर आधारित टैक्सियों को सिटी टैक्सी स्टैंडों पर और सिटी टैक्सी स्टैंडों पर आधारित टैक्सियों को विमानपत्तन टैक्सी स्टैंड पर खड़ा करने की अनुमति नहीं है जिसके कारण बचाये जाने योग्य ईंधन की क्षति हो रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आम जनता की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस प्राधिकारी ऑटो रिक्शा स्टैंड अधिसूचित करते रहे हैं। प्रस्तावित स्टैंडों के लिए अनुरोधों पर उनके द्वारा यातायात की दृष्टि से विचार किया जाता है। ऐसे स्थानों को जिनसे किसी रुकावट अथवा ट्रैफिक का खतरा न हो, सम्बन्धित भू-स्वामी प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद और जगह की उपयुक्तता, पार्किंग स्थान के लिए इसकी क्षमता और क्षेत्र की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर अधिसूचित किया जाता है जिनमें वाहनों की निर्दिष्ट संख्या के लिए प्राधिकार विनिर्दिष्ट किया जाता है।

ऐसे स्टैंडों पर सामान्य टेलीफोन कनैक्शनों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियों से प्राप्त अनुरोधों पर टेलीफोन विभागों/प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) सामान्य टैक्सी स्टैंड, वहां पर जगह की उपलब्धता और क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट संख्या में टैक्सियों की पार्किंग के लिए, अधिसूचित किये जाते हैं। चूंकि ये सामान्य टैक्सी स्टैंड होते है इसलिए पार्किंग स्लाट की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। शहर की कोई टैक्सी इस स्थल का उपयोग कर सकती है। हवाई अड्डे पर आधारित टैक्सियों द्वारा किसी सामान्य टैक्सी स्टैंड का उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, हवाई अड्डे पर आधारित टैक्सियां और विशेषकर वे जो प्री-पेड टैक्सी सेवाओं से सम्बद्ध हैं, सामान्यत: उस पार्किंग क्षेत्र से चलती हैं जो इस प्रयोजन के लिए सम्बन्धित हवाई अड्डे के टर्मिनलों पर आवंटित किये गये होते हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को लिखा जा रहा है कि वे आम जनता के उपयोग के लिए समुचित सुविधाओं के साथ टैक्सी/ऑटो रिक्शा स्टैंडों के लिए जगह अधिसूचित करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।

## उचित ढंग से खेती

2538. श्री भवानी शंकर होटा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि भूमि का कटाव एक बड़ी समस्या है, कीटनाशकों औषधियों का कीड़ों पर प्रभाव नहीं होता है और प्रमुख फसलों की आनुवंशकी विविधता में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारत में सही मायने में खेती करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) मृदा संरक्षण उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने मृदा और जल संरक्षण का निम्नांकित योजनाएं प्रारम्भ की है!

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के कैचमेंटों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों मे समेकित जलधारा प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(3) उत्तर प्रदेश में चम्बल और यमुना के ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त समेकित जलधारा प्रबन्ध।

(4) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के डकैती प्रवण जिलों के ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का पुनरुद्धार।

कीटनाशकों के उपयोग पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार समेकित कीट प्रबन्ध नीति की वकालत कर रही है। कीट नियन्त्रण के कल्चरल, मैकेनिकल और बायोलोजिकल विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक बल दिया जा रहा है। कीट रोधक किस्मों, बीज उपचार और प्राकृतिक जैव नियन्त्रण क्षमताओं के संरक्षण/वृद्धि इस नीति के मुख्य प्रष्ट क्षेत्र हैं।

दूरस्थ संकरकरण के माध्यम से, जहां भी सम्भव हो, मुख्य फसलों में जेनेटिक विविधता विस्तृत की गयी है, तथा विदेश से उत्पन्न प्रजनन पदार्थों और निश्चित किस्मों के आयात के माध्यम से वर्म प्लाजम के परिष्करण के माध्यम से भी ऐसा किया गया है।

**खरीफ की फसलों के बीजों का उत्पादन**

[हिन्दी]

2539. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों, सहकारी समितियों और गैर-सरकारी भारतीय और बहु राष्ट्रीय व्यवसायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान खरीफ की विभिन्न फसलों के बीजों के उत्पादन के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : बीज उत्पादन के लिये एजेन्सी-वार कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

**फिजी सरकार द्वारा भारतीय मूल की भूमि अधिग्रहण करना**

[अनुवाद]

2540. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री धरमपाल भारद्वाज : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिजी सरकार भारतीय मूल के लोगों द्वारा जोती जा रही भूमि का अधिग्रहण करके इसे पट्टे पर देने का अधिकार फिजी मूल के लोगों को देना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) और (ख) 25 जुलाई, 1990 को लागू किए गए नए संविधान के अन्तर्गत कृषि भूमि धर एवं काश्तकार अधिनियम 1970 के संविधान की तरह ही अनुच्छेद 78 (2) के अधीन संस्थापित कानून के रूप में संरक्षित है। भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फिजी की अन्तरिम सरकार संविधान के अन्तर्गत निर्धारित किसी तरीके से कृषि भूमिधर एवं काश्तकार अधिनियम की शर्तों में कोई परिवर्तन करने की कार्रवाई कर रही है। तथापि, भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में कुछ मामले ऐसे हुए हैं जबकि भारतीय मूल के किसानों के नाम पट्टे एक बार मियाद पूरी हो जाने के बाद नवीकृत नहीं किए गए हैं। भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार अब भी "नेटिव लैंड्स बोर्ड" के ही हाथ में है जिस 1970 के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार अब भी प्राप्त हैं।

(ग) भारत सरकार को चिन्ता इस बात की है कि फिजी में वहां की अन्तरिम सरकार महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत रूप देने के प्रयास कर रही है। 10 मई, 1990 को अपने बयान में विदेश राज्य मंत्री ने फिजी की अन्तरिम सरकार की इन नीतियों की कड़े शब्दों में निन्दा की थी।

**मुम्बई पत्तन न्यास पर बंधी-नौकाओं के चालक सदस्यों द्वारा आन्दोलन**

2541. श्री राम नाईक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1990 के दौरान मुम्बई पत्तन न्यास में बंधी-नौकाओं के कर्मचारी सदस्यों ने आन्दोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा और कारण क्या है;

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप पेट्रोरसायन उत्पादों की सप्लाई पर बुरा प्रभाव पड़ा और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है और यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बम्बई पत्तन न्यास में नौबंध-लांचों (मूरिंग लांचिस) के लगभग 48 नौचालन कर्मचारियों ने, जवाहरद्वीप की चौथी तेल बर्थ पर कार्य करना खतरनाक होने के कारण 250 रु० प्रतिमाह के विशेष भत्ते का भुगतान किए जाने की अपनी मांग को लेकर 5 जून, 1990 से हड़ताल कर दी थी। नौचालन कर्मचारियों ने तटीय कर्मचारियों को जवाहरद्वीप से पीरपाऊ द्वीप तक ले जाने से भी इंकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप जवाहरद्वीप और पीरपाऊ द्वीप समूह में चौथी तेल बर्थ पर कार्य बन्द हो गया था। हालांकि पी०ओ०एल० जहाज जवाहरद्वीप की अन्य तीन बर्थों में हैंडल किए गए थे लेकिन रासायनिक कार्गो (अमोनिया) ले जाने वाले जहाज पीरपाऊ में बर्थ पर नहीं लग सके।

(घ) इस विवाद को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) बम्बई द्वारा समझौते हेतु लिया गया।

इसके साथ-साथ बम्बई पत्तन न्यास के प्रबंधकों और बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी यूनियन के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श होता रहा जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधकों और यूनियन के बीच 15 जून, 1990 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते की शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(i) जवाहरद्वीप से सम्बद्ध मूरिंग लांच क्रू को, जो पीरपाऊ पर कार्यरत है तटीय क्रू के समान उन्हीं शर्तों पर 'पीरपाऊ भत्ता' दिया जाएगा जब भी वे पीरपाऊ पर कार्य करेंगे।

(ii) जवाहरद्वीप की गहरे डुबाव वाली चौथी तेल बर्थ पर तैनात मूरिंग लांच क्रू की, प्रति कार्य प्रति व्यक्ति 10/- रु० के भुगतान द्वारा टैंकरों की बर्थिग/अनबर्थिग/टर्निग राऊंड के लिये प्रतिपूर्ति की जाएगी।

तदनुसार, 16 जून, 1990 से सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई और आन्दोलन से प्रभावित हुए एक अमोनिया वेसल को 16 जून, 1990 को पीरपाऊ पर बर्थ पर लाया गया तथा खाली होने के बाद वह 17 जून, 1990 को रवाना हुआ।

## कृषकों को दृश्य-श्रव्य शिक्षा

2542. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेती के विभिन्न पहलुओं पर अनेक वीडियो फिल्मों का निर्माण करके कृषकों के लिए दृश्य-श्रव्य माध्यम द्वारा उन शिक्षा कार्यक्रम चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश में कृषकों को हिन्दी में बनाई गई इन फिल्मों को दिखाने हेतु एक दल भेजने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) जी, हां।

(ख) अब तक पांच फिल्में तैयार की गयी हैं :—

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (हिन्दी और अंग्रेजी)

(ii) धान की भरपूर फसल की ओर (हिन्दी और अंग्रेजी)

(iii) सुनहरी फसल-सरसों (हिन्दी और अंग्रेजी)

(iv) टूवर्ड्स ए सैकिंड ग्रीन रिवोल्यूशन-व्हीट (अंग्रेजी में), और

(v) अण्डर ग्राउंड पाइप लाइन (अंग्रेजी)।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## कृषि विज्ञान केन्द्र

2543. श्री समरेन्द्र कुण्डु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा के बलियापाल में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र को ढंग प्रभावी से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस केन्द्र के लिए वर्ष 1990-91 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इस केन्द्र द्वारा पूर्ण रूप से कब से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) महोदय, पर्याप्त भूमि की कमी के कारण बलियापाल (उड़ीसा) में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र कारगर रूप से काम नहीं कर पाया। यह निर्णय लिया गया है कि कृषि विज्ञान केन्द्र का मुख्य केन्द्र रानीताल (बलियापाल) स्थापित किया जाए जहां उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। प्रमुख केन्द्र का एक उप-केन्द्र मौजूदा स्थान बलियापाल में कार्य करता रहेगा।

(ख) 5.45 लाख रुपये।

(ग) दो वर्षों में।

**दिल्ली में प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की समय-सूची**

2544. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन निदेशालय द्वारा तैयार की गई समय-सूची के अनुसार राजधानी में सभी मोटर वाहन मालिकों को जनवरी, 1991 तक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित की गई समय-सूची का ब्योरा क्या है; और

(ग) वाहन मालिकों को अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) और (ख) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहनों द्वारा जनवरी, 1991 तक "नियंत्रित प्रदूषण" प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक अनुसूची तैयार कर ली है और अखबारों के माध्यम से उसका प्रचार भी कर दिया है। यह अनुसूची वाहनों की पंजीकरण श्रृंखला के अनुरूप तैयार की गई है। समय अनुसूची संलग्न विवरण में दी गई है।

वाणिज्यिक वाहनों की प्रदूषण जांच उनकी सड़क पर चलने की योग्यता के प्रमाणन हेतु जांच के एक भाग के तौर पर की जाती है।

(ग) परिवहन निदेशालय के पास निजी वाहनों के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 57 अधिकृत निजी गैराजों/पैट्रोल पम्पों के अतिरिक्त सात स्थाई तथा ग्यारह चलते-फिरते प्रदूषण जांच स्टेशन हैं।

परिवहन निदेशालय ने वाणिज्यिक वाहनों की जांच के लिए दो वाहन निरीक्षण इकाईयां स्थापित की हैं।

विवरण

निजी वाहनों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई समय अनुसूची

समय सारणी

| क्र० सं० महीना जिसमें जांच की जानी है | शृंखला का ब्यौरा |
|---|---|
| 01. जुलाई, 1990 | डी एल ए, डीएलबी, डीएलसी, डीएलडी, डीएलई, डीएलएफ, डीएलएच, डीएलआई, डीएलजे, डीएलके, डीएलएम, डीएलएन, डीएलओ, डीएलपी, डीएलओ, डीएलएस, डीएलयू, डीएलवी, डीएलडब्ल्यू, डीएलएक्स, डीएलवाय, डीएनजेड ।<br>डीएचए, डीएचबी, डीएचसी, डीएचडी, डीएचई, डीएचएफ, डीएचएच, डीएचआई, डीएचजे डीएचके, डीएचएम, डीएचएन, डीएचओ डीएचपी, डीएचक्यू, डीएचएस, डीएचटी, डीएचयू, डीएचवी, डीएच डब्ल्यू, डीएचएक्स, डीएचवाय, डीएचजेड । |
| 02. अगस्त, 1990 | डीईए, डीईबी, डीईसी, डीईडी, डीईई, डीईएफ, डीईएच, डीईआई, डीईजे, डीईके, डीईएम, डीईएन, डीईओ, डीईक्यू, डीईएस, डीईटी; डीईयू, डीईवी, डीईडब्ल्यू, डीईएक्स, डीईवाय, डीईजेड । |
| 03. सितम्बर, 1990 | डीआईए, डीआईबी, डीआईसी, डीआईडी डीआईई, डीआईएफ, डीआईएच, डीआईआई, डीआईजे, डीआईके, डीआईएम, डीआईएन, डीआईओ, डीआईपी, डीआईक्यू, डीआईएस, डीआईटी, डीआईयू, डीआईवी, डीआईडब्ल्यू, डीआईएक्स, डीआईवाय, डीआईजेड । |
| 04. अक्तूबर, 1990 | डीबीए, डीबीबी डीबीसी, डीबीडी, डीबीई, डीबीएफ, डीबीजी, डीबीएच, डीबीआई, डीबीजे, डीबीके, डीबीएम, डीबीएन, डीबीओ, डीबीक्यू, डीबीएस, डीबीटी, डीबीयू, डीबीवी, डीबीडब्ल्यू, डीबीएक्स, डीबीवाय, डीबीजेड । |
| 05. नवम्बर, 1990 | डीडीए, डीडीबी, डीडीसी, डीडीडी, डीडीई, डीडीएफ, डीडीएच, डीडीआई, डीडीजे, डीडीके, डीडीएम, डीडीएन, डीडीओ, डीडीपी, डीडीक्यू, डीडीआर, डीडीएस, डीडीटी, डीडीयू, डीडीवी, डीडीडब्ल्यू, डीडीएक्स, डीडीवाय, डीडीजेड । डीएए, डीएबी, डीएसी, डीएडी, डीएई, डीएएफ । |
| 06. दिसम्बर, 1990 | डीएएच, डीएआई, डीएजे, डीएके, डीएएम, डीएएन, डीएक्यू, डीएटी, डीएवी, डीएनए, डीएनबी, डीएनसी, डीएनडी, डीएनई, डीएनएफ, डीएनएच, डीएनआई, डीएनजे, डीएनके, डीएनएम, डीएनएन, डीएनएस, डीएन-यू, डीएनवी, डीएनडब्ल्यू, डीएनएक्स । |
| 07. जनवरी, 1990 | डीएल-2एस, डीएल-2एसए, डीएल-3एस, डीएल-3एसए, डीएल-4एस, डीएल-4 एस ए डीएल-1सी, डीएल-2सी, डीएल-3सी, डीएल-4सी । |

## शिक्षा के विस्तार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

2546. श्री माधवराव सिंधिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित शिक्षा के विस्तार पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सरकार से अनेक सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) विचार गोष्ठी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की विस्तार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई थी ताकि राज्यों के विस्तार-तन्त्रों को ठोस सहायता दी जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि अनुसंधान विस्तार सम्पर्क को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(ग) सिद्धान्त रूप में सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं।

## केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत उड़ीसा को आवंटित धनराशि

2547. श्री अजीत चरण दास : क्या अल भूतल-परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार केन्द्रीय सड़क कोष से कुल कितनी धन-राशि मांगी तथा उसे कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत कितने पुलों और सड़कों को मंजूरी दी गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) इस कार्यक्रम के तहत निधियों संभृतियों के आधार पर अनुमोदित स्कीमों की लागत, पहले जारी की जा चुकी निधियों, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कुल राशि को ध्यान में रख कर उपलब्ध कराई जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई तथा उन्हें उपलब्ध कराई गई धनराशि इस प्रकार है :

(लाख रु०)

| वर्ष | मांगी गई धनराशि | उपलब्ध कराई गई धनराशि |
|---|---|---|
| 1987-88 | 40.00 | 25.00 |
| 1988-89 | 5.00 | — |
| 1989-90 | 5.40 | — |

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत पुल अथवा सड़कों से संबंधित कोई स्कीम स्वीकृत नहीं की गई है।

**विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता**

2548. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी सहायता दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के लिए वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) वर्ष 1990-91 में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) और (ख) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम खरीफ 1988 से प्रारम्भ किया गया था। चावल और अरहर ऐसी मुख्य फसलें हैं जिनको उड़ीसा राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया गया है। रागी को वर्ष 1990-91 से आरम्भ किया गया है। उड़ीसा को 1988-89 से दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | निर्मुक्त की गई राशि (लाख रुपये में) | |
|---|---|---|
| | चावल | अरहर |
| 1988-89 | 211.39 | 3.00 |
| 1989-90 | 537.90 | 3.00 |

1988-89 के दौरान चावल का उत्पादन 60 लाख मीटरी टन लक्ष्य की तुलना में 52.64 लाख मीटरी टन था। 1989-90 के लिए यह लक्ष्य 63.30 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था। संभावना है कि वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन को पार कर जायेगा। 1990-91 के लिये 64.95 लाख मीटरी टन का लक्ष्य रखा गया है। अरहर की फसल के लिये कोई अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि 1988-89 के लिये अनुमानित उत्पादन 1.05 लाख टन था और 1989-90 के लिये प्राक्कलन राज्य सरकार से देय नहीं हुये हैं।

(ग) 1990-91 के लिये चावल उत्पादन का लक्ष्य 64.95 लाख मीटरी टन निश्चित किया गया है। रागी और अरहर के लिये कोई अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—चावल, जिसका पुनर्नामकरण समेकित चावल विकास कार्यक्रम के रूप में किया गया है, के अन्तर्गत 1990-91 के लिये 560.04 लाख रुपये की धन-राशि प्रदान की गई है। 1990-91 के लिये अरहर और रागी फसलों के लिये क्रमशः 9 लाख व 20 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं।

**ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा को धन दिया जाना**

2549. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि दी गई हैं और उसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिये पृथक-पृथक कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सूखा प्रवण कार्यक्रम के अधीन पूरा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के अधीन कितनी दिन काम करने की गारंटी दी गई है ?

**कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) :** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

भारत सरकार द्वारा उड़ीसा को उपलब्ध कराई गई निधियों तथा पूरे किए गए कार्यों आदि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

| | 1987-88 | 1988-89 | 1990-91 |
|---|---|---|---|
| **(क) उपलब्ध कराई गई निधियां** | | | |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 1460.05 | 1503.50 | 1714.96 |
| ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा) | 56.66 | 52.65 | 21.44 |
| ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना | 28.96 | 34.45 | 29.43 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम/जवाहर रोजगार योजना | 6728.88 | 4707.55 | 10124.65 |
| त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | 1509.00 | 1231.00 | 918.9 |
| ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | 23.00 | 39.00 | — |
| सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम | 199.60 | 291.460 | 305.155 |
| राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाना तथा भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाना | 100.00 | — | — |
| अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता | 53.00 | 37.72 | 23.16 |
| आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें | 8.33 | 6.04 | 8.77 |
| ग्रामीण गोदामों की स्थापना | 16.125 | — | 3.70 |
| | 10183.645 | 7900.33 | 13150.165 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (ख) पूर्ण किए गए कार्यों, सृजित किए गए श्रमदिनों तथा किए गए खर्च का विवरण | | | |
| | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम | जवाहर रोजगार योजना | |
| | 87-88 | 88-89 | 89-90 |
| सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर) | 35195.21 | 19554.36 | 25877.65 |
| वृक्षारोपण (संख्या लाख में) | 206.15 | 335.58 | 13.30 |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाने वाले कार्य (सं०) | 4647 | 8548 | 16239 |
| ग्रामीण तालाबों का निर्माण (सं०) | 1253 | 858 | 1060 |
| लघु सिंचाई तथा बाढ़ बचाव कार्य (है०) | 9021.00 | 5684.02 | 245.00 |
| भू-संरक्षण कार्य (हैक्टेयर) | 845 | 1092.00 | 2674.00 |
| पेयजल कुंए तथा तालाब (सं०) | 1393 | 2048 | 1696 |
| ग्रामीण सड़कें (किलोमीटर) | 8215.00 | 4459.08 | 7681.28 |
| महिला मण्डल भवन (सं०) | 110 | 37 | 75 |
| मकानों का निर्माण (सं०) | 2157 | 1605 | 586 |
| मकानों का विकास (सं०) | 112 | 58 | 84 |
| बालवाड़ी/पंचायत घर (सं०) | 247 | 122 | 65 |
| स्कूल भवन (सं०) | 2213 | 2752 | 1171 |
| स्वच्छ शौचालय (सं०) | 82 | 32 | 2551 |
| अन्य कार्य | 1225 | 2679 | 1636 |
| खाद्यान्नों के मूल्य सहित किया गया खर्च (लाख रुपए में) | 3718.86 | 3132.64 | 9980.98 |
| सृजित किए गए श्रमदिन (लाख में) | 224.99 | 181.26 | 491.31 |
| सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) | | | |
| (क) राज्य अंश सहित किया गया खर्च (लाख रुपए में) | 657.22 | 472.84 | 537.55 |
| (ख) भू-संरक्षण तथा विकास कार्य (है० में) | 6584.00 | 9776.00 | 6235.00 |
| (ग) जल संसाधन विकास (हैक्टेयर में) | 2369.00 | 3291.00 | 2072.00 |
| (घ) वानिकी तथा चारागाह विकास (हैक्टेयर में) | 4568.00 | 6518.00 | 8867.00 |

## उड़ीसा में मछुआरों का उत्थान

2550. श्री अनादि चरण दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा, उड़ीसा में मछुआरों के उत्थान सुधार के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उड़ीसा में राजसहायता प्राप्त कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सारी राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) विगत तीन वर्षों (1987-88 से 1989-90) के दौरान मछुआरों के उत्थान के लिये केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को 371.78 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी है।

(ख) उड़ीसा में क्रियान्वित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें इस प्रकार हैं :—क्रियाशील मछुआरों के लिये सामूहिक दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण, तट पर उतरने वाले उन्नत जलयानों को चलाया, मत्स्य पालक विकास एजेन्सी, खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेन्सी, मत्स्य उद्योगीय सम्पदा तथा छोटे व बड़े मत्स्य बन्दरगाहों का विकास 1987-88 से 1989-90 के दौरान योजनावार स्वीकृत राजसहायता/सहायक अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| योजना | 1987-88 से 1988-89 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|
| सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना | 5.37 |
| राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि | 19.24 |
| परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण करना | 16.54 |
| तट पर उतरने वाले उन्नत जलयानों का चलाना | 18.38 |
| मत्स्यपालक विकास एजेन्सी | 166.00 |
| खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेन्सी | 39.42 |
| मत्स्य औद्योगिक सम्पदा | 16.34 |
| छोटे मत्स्य बन्दरगाह | 169.49 |
| बड़े मत्स्य बन्दरगाह | 21.00 |
| योग | 371.78 |

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**मध्य प्रदेश में बारानी खेती के लिए विश्व बैंक योजना**

[हिन्दी]

2551. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 1984 के दौरान मध्य प्रदेश के तीन जिलों में बारानी खेती के लिए कोई योजना बनायी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में शामिल जिलों और विकासीय खण्डों के नाम क्या हैं और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा विकास को विश्व बैंक सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना 1984 में आरम्भ की गई थी।

मध्य प्रदेश में, भोपाल जिले का फांदा ब्लाक और सिहोर जिले का सिहोर ब्लाक इस परियोजना में शामिल किये गये हैं।

राज्य सरकार ने अब भोपाल और सिहोर में क्षेत्र का विस्तार करने और परियोजना के कार्यकलापों का विस्तार धार जिले को एक पनधारा तक करने का प्रस्ताव रखा है।

**जीवन धारा योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को धनराशि आवंटित करना**

2552. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन धारा योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा कितने कुओं के लिए धन-राशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता अपर्याप्त है तथा इस सहायता राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) 1990-91 के दौरान दस लाख कुओं की योजना (योजना का सही नाम) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश को क्रमशः 52.80 करोड़ रुपये, 25.61 करोड़ रुपये तथा 2.20 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। 1990-91 के दौरान योजना के अन्तर्गत निधियां न केवल खुले सिंचाई के कुओं के निर्माण के लिए अपितु (जहां कहीं भू-वैज्ञानिक कारणों की वजह से कुएं खुदवाना संभव नहीं है) लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं जैसे सिंचाई तालाबों, जल एकत्रीकरण ढांचों और अधिकतम सीमा से फालतू भूमि तथा भूटान भूमि आदि जो उन्हें आवंटित की गई है, सहित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व मुक्त बंधुआ मजदूरों की भूमि के विकास के लिए भी आवंटित की गई है। इन गतिविधियों के लिए लागत/क्षेत्र मानदण्ड का निर्णय सम्बन्धित राज्य/केन्द्रशासित सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण केन्द्र स्तर पर करना संभव नहीं था।

(ख) योजना के प्रावधान में अपर्याप्तता के बारे में सरकार को राज्य/केन्द्र शासित सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**स्वदेश जाने के आदेशों को वापस लेना**

2553. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन तीन ईसाई पादरियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1985 में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था लेकिन बाद में वे आदेश वापस ले लिए गए थे; और

(ख) किन-किन परिस्थितियों के अन्तर्गत आदेशों को वापस लिया गया था ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) और (ख) तीन ईसाई मिशनरी नामत: श्री ब्रुक बरस्ट्रेईट श्री जेकोगस जोसफस सोमर और श्री फ्रास जोन बानन्त, बेल्जियम राष्ट्रीक, कीप्रतिकूल गतिविधियां राज्य सरकार के ध्यान में आयी है राज्य सरकार को इन सभी विदेशी राष्ट्रिकों को निष्कासित करने की सलाह दी गयी है। तथापि राज्य सरकार ने स्थिति की पुनरीक्षा की और सिफारिश की कि उनकी वृद्धावस्था, खराब स्वास्थ्य और लम्बे समय से देश में रहने के कारण इन मिशनरियों को भारत में रहने की अनुमति दी जाय बशर्ते कि उनका व्यवहार अच्छा हो। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और पहले जारी किए गए आदेश बदल दिए गए हैं।

**विदेशों में संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र**

[अनुवाद]

2554. **श्री बबनराव ढाकने** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत किसी संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र में भागीदार बना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र कहां स्थापित किया गया है और उसमें उर्वरकों का कितना उत्पादन होता है;

(ग) उक्त संयुक्त उद्यम में भागीदार भारतीय सार्थ संघ और उसकी कुल शेयर पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय सार्थ संघ ने उनके साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) जी हां।

(ख) संयंत्र, जो फास्फोरिक एसिड का उत्पादन करता है, डाकर सेनेगल (अफ्रीका) में स्थित है।

(ग) भारत की सहभागिता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

| | | (सेनेगल फ्रैंक मिलियन) |
|---|---|---|
| 1. भारत सरकार | | 2611.55 |
| 2. इफको | | 2611.56 |
| 3. स्पिक | | 652.91 |
| | योग | 5876.02 |

(घ) सार्थ संघ के दो उपभोक्ता सदस्यों, अर्थात् इफको और स्पिक ने सेनेगल में संयुक्त उद्यम कम्पनी के साथ खरीद करार किया है।

(ङ) 1882 में किया गया मूल करार, जो 15 वर्षों के लिए बंध है में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य एफ ओ बी डाकर या उत्पादन की लागत. इनमें जो भी उच्चतर हो, प्रति वर्ष 11000 टन फास्फोरिक एसिड के खरीद की व्यवस्था करता है। उत्पादन लागत की गणना 80 प्रतिशत क्षमता या वास्तविक उत्पादन, इनमें जो भी उच्चतर हो, से की जाती है। इसके अतिरिक्त 1986 से आगे औसतन 50,000 टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त आपूर्ति करने का भी प्रावधान है। अतिरिक्त मात्रा के मूल्य का निर्धारण प्रत्येक सत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

**राज्यों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धनराशि**

2555. **श्री बलराज क्लासी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान राज्यों को दी गयी धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावों को मंजूरी हेतु प्रस्तुत करने की निर्धारित प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) जी हां। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) को 1-4-89 से बंद कर दिया गया है।

(ख) ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

**विवरण-I**

वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत राज्यवार रिलीज की गयी निधियां

(लाख रुपये में)

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1987-88 | 1988-89 |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6425.69 | 7009.56 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 30.03 | 40.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | असम | 920.17 | 1547.33 |
| 4. | बिहार | 8525.36 | 11394.17 |
| 5. | गोआ | 75.24 | 74.76 |
| 6. | गुजरात | 2377.40 | 2686.19 |
| 7. | हरियाणा | 616.09 | 724.99 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 399.88 | 384.83 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 489.10 | 466.97 |
| 10. | कर्नाटक | 3097.83 | 3591.41 |
| 11. | केरल | 2502.85 | 2252.08 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 5498.88 | 6389.84 |
| 13. | महाराष्ट्र | 4094.45 | 6063.14 |
| 14. | मणिपुर | 68.68 | 51.84 |
| 15. | मेघालय | 96.50 | 90.51 |
| 16. | मिजोरम | 39.53 | 28.41 |
| 17. | नागालैंड | 113.48 | 90.46 |
| 18. | उड़ीसा | 4105.66 | 3690.16 |
| 19. | पंजाब | 693.21 | 685.20 |
| 20. | राजस्थान | 2739.59 | 3278.45 |
| 21. | सिक्किम | 101.76 | 44.43 |
| 22. | तमिलनाडु | 5476.48 | 6161.13 |
| 23. | त्रिपुरा | 241.43 | 174.44 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 11623.71 | 15480.84 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 4249.76 | 3592.00 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 62.81 | 28.08 |
| 27. | चंडीगढ़ | 16.62 | — |
| 28. | दादरा और नगर हवेली | 30.64 | 22.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 29. | दमन और दीव | • | 7.12 |
| 30. | दिल्ली | 36.74 | 36.79 |
| 31. | लक्षद्वीप | 31.56 | 14.08 |
| 32. | पांडिचेरी | 60.27 | 52.64 |
| | अखिल भारत | 64841.40 | 76155.04 |

• गोआ में शामिल : नोट—संसाधनों में रियायती दर पर खाद्यान्नों का मूल्य भी शामिल है।

**विवरण-2**

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत जारी की गई मार्गदर्शिकाओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाएं तैयार की गयी थीं तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थीं। कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में व्यवस्था थी कि कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं का एक 'शैल्फ' बनाया जायेगा। शैल्फ में काफी परियोजनाएं शामिल की जा सकती थीं। जिन पर राज्यों को कार्यक्रम के लिए योजना आवंटनों के आधार पर योजना अवधियों के दौरान अमल किया जा सकता है। परियोजनाओं के शैल्फ को तैयार करते समय विशेषकर उन कार्यों, जिनसे समुदाय का गरीब तबका लाभान्वित हुआ, को शामिल करने का सतत प्रयास किया गया था।

2. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में व्यवस्था थी कि कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाने वाली कार्य परियोजनाएं निम्नलिखित विवरणों के साथ तैयार की जानी चाहिए :—

1. परियोजना का उद्देश्य
2. परियोजना का स्थान
3. किए जाने वाले कार्यों का विवरण
4. परियोजना की अनुमानित लागत
5. परियोजना को पूरा करने तथा खर्च को चरणबद्ध करने के लिए आवश्यक समय
6. खाद्यान्नों का अनुमान
7. सृजित किए जाने वाले श्रमदिन
8. सामाजिक और आर्थिक लाभ
9. कार्यान्वयन एजेंसी
10. कल्याणकारी उपाय

11. परियोजना का रख-रखाव

12. की जाने वाली वसूलियां आदि ।

3. भारत सरकार को भेजने से पूर्व, परियोजनाओं को राज्य के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना था। परियोजना अनुमोदन बोर्ड को यह सुनिश्चित करना था कि परियोजनाएं कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं ।

**ईंधन की कम खपत करने वाले ट्रैक्टरों का निर्माण शुरू करना**

2556. **श्री दत्तनराव ढाकणे :**

**श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे किसानों में ईंधन की कम खपत करने वाले बहुउद्देश्यीय छोटे ट्रैक्टरों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे ट्रैक्टर का किन-किन राज्यों में इस्तेमाल शुरू किया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :—

(1) ट्रैक्टर हेतु ऋण लेने के लिए भू-स्वामित्व की सीमा को 8 एकड़ से घटाकर 4 एकड़ करना। तथापि, यह केवल 18 अश्व शक्ति से कम शक्ति वाले छोटे ट्रैक्टरों के लिये ही प्रस्तावित है।

(2) 4 से 8 एकड़ की जोत की श्रेणी में आने वाले किसानों को ब्याज की कम दरों पर ऐसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से ऋण दिया जाना चाहिये ।

(3) 4 से एकड़ तक भूमि वाले पात्र किसानों को एसे ट्रैक्टरों और उनके कलपुर्जों, जिनकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर है, के लिये 30 प्रतिशत की राजसहायता दी जायेगी, ताकि वे 18 अश्व शक्ति से कम शक्ति वाले ट्रैक्टर खरीद सकें। प्रस्ताव यह है कि यह राशि विद्यमान फसल योजनाओं से, सीमित संख्या के मामलों के लिये ही प्रयोग की जायेगी ।

(1) और (2) पर दिये गये निर्णय वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं और (3) पर दिये गये निर्णय पर मंजूरी के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) भारत के सभी राज्यों में ।

**बहरामपुर-एकलेश्वर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना**

[हिन्दी]

2557. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार बहरामपुर से एकलेश्वर राजमार्ग जो तीन राज्यों से होकर गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) से (ग) नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा अनेक कारकों पर निर्भर करती है जो इस प्रकार है—राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित आवश्यकताएं, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा की गई सिफारिशें, नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति, अखिल भारतीय आधार पर अलग-अलग सड़कों की पारस्परिक प्राथमिकता और इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त निधियों की उपलब्धता इत्यादि। आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले, बेहरामपुर से अंकलेश्वर तक की सड़क के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

**बिहार के जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी०/आई० एस० डी० की सुविधा**

[अनुवाद]

2558. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें एस० टी० डी०/आई० एस० डी० नेटवर्क से अभी जोड़ा जाना है;

(ख) इन स्थानों पर कब तक एस० टी० डी०/आई० एस० डी० सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च होगी ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र)** : (क) गोड्डा, लोहारदगा, गुमला, साहेबगंज, अररिया।

(ख) मार्च, 1991 तक

(ग) एस० टी० डी० सुविधा के अन्तर्गत व्यय के लिए अलग से कोई वित्तीय शीर्ष नियत नहीं हैं।

**मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत पर व्यय**

2559. **श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान पुणे-मुम्बई सेक्शन राजमार्ग के मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गयी; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए प्रस्ताव और आवंटित राशि क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) 1382.26 लाख रुपये।

(ख) 327.88 लाख रुपये।

(ग) बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 43 प्रस्तावों के सम्बन्ध में, जिसमें 21 चालू निर्माण कार्य भी शामिल हैं, 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में 948.98 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। इसी प्रकार पुणे-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 22 प्रस्तावों के सम्बन्ध में जिसमें 8 कार्यान्वयनाधीन प्रस्ताव शामिल है, चालू वार्षिक कार्यक्रम में 368.70 लाख रुपये का एक आबंटन मौजूद हैं।

## वृहत्तर मुम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

2560. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहत्तर मुम्बई में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ख) वृहत्तर मुम्बई में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने प्रयोक्ताओं के नाम हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की क्या योजना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वृहत्तर बम्बई में दिए गए नये कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गयी है :—

| वर्ष | उपलब्ध कराए गए कनेक्शन (सकल) |
|---|---|
| 1987-88 | 50894 |
| 1988-89 | 58927 |
| 1989-90 | 65894 |

(ख) 31-7-90 की स्थिति के अनुसार वृहत्तर बम्बई में टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 84370 है।

(ग) 31-7-90 की स्थिति के अनुसार शेष बचे आवेदन-पत्रों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन देने का प्रस्ताव है।

## हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार विभाग की इमारतों का निर्माण

2561. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने अपने सरकारी प्रयोग के लिए हिमाचल प्रदेश में इमारतों के लिए किराये पर कितना व्यय किया है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश में नई इमारतें बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

दूरसंचार

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा 1989-90 के दौरान हिमाचल प्रदेश में भवनों के लिए दिया गया किराया इस प्रकार है :—

(i) प्रशासनिक भवनों के लिए 98,224.00 रु०

(ii) टेकनीकल बिल्डिंग के लिए 1,?0,628.00 रु०

डाक

जहां तक डाकघरों के लिए किराये पर लिए गए भवनों का सम्बन्ध है, डाक विभाग ने 1989-90 के दौरान इस निमित्त 13,29,697 रु० (तेरह लाख उन्नतीस हजार छः सौ सतानवे रुपये) अदा किये हैं।

दूरसंचार

(ख) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर नये भवन बनाने का प्रस्ताव है :-

(i) सोलन, मण्डी, हमीरपुर और शिमला में प्रशासनिक भवन।

(ii) पौंटा साहिब, मनाली, परवाणू, शिमला बाउन्डरी एस्टेट, धर्मशाला, मण्डी, पालमपुर, रामपुर बुशहर में टेकनीकल बिल्डिंग।

डाक

1-4-90 की स्थिति के अनुसार 7 डाकघर भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनके अलावा वार्षिक योजना 1990-91 में 12 और डाकघर भवनों का निर्माण करना शामिल है।

**पम्प सेट लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए राज्यों को राशि**

[हिन्दी]

2562. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों और पम्प सेटों के लिए छिद्र करने के लिए, राज्यवार, अब तक कितनी अनुदान राशि दी गयी है;

(ख) राज्यवार कितने कुओं का निर्माण किया गया है और डीजल और बिजली के कितने पम्प सेट स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या किसानों को ऋण और अनुदान प्रदान करने के लिए कुछ अनियमितताएं बरती गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) 1983-84 से 1989-90 तक छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों को दी गयी अनुदान की राशि संलग्न विवरण-I में दी गयी है। अनुदानों का लगभग 70 प्रतिशत पम्प सेटों की बोरिंग और स्थापना सहित लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए रखा गया था इसके अतिरिक्त, 1988-89 से जुलाई, 1990 के दौरान विशेष खाद्यान्न

उत्पादन कार्यक्रम के लिए अभिज्ञात राज्यों में उथले नलकूपों/डगवेलों के निर्माण के लिए भी अनुदान निर्मुक्त किया गया जैसा कि विवरण-2 में दिया गया है। 1986-1990 के दौरान छोटे और सीमांत कृषकों को कृषि संयंत्रों के लिए दिया गया अनुदान विवरण-3 में दिया गया है।

(ख) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए एस० टी०/डी० डब्लू० सहित छोटे तथा सीमांत कृषकों को सहायता की उपर्युक्त योजना के अधीन छोटे तथा सीमान्त किसान की भूमि पर निर्मित कूओं/डगवेलों की संख्या और स्थापित पम्पसेटों डीजल इंजिनों बिजली के मोटरों की संख्या राज्यवार विवरण-4 में दी गयी है।

(ग) से (छ) किसानों को ऋण और अनुदान देने में किसी प्रकार की अनियमितता बरते जाने का मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

**विवरण-1**

1983-84 से 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की सहायता को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन निर्मुक्त किया गया सहायक अनुदान

(लाख रुपये में)

| क्र०सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | निर्मुक्त किया गया सहायक अनुदान |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3700.57 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 571.04 |
| 3. | असम | 1058.04 |
| 4. | बिहार | 6487.82 |
| 5. | गुजरात | 2429.19 |
| 6. | हरियाणा | 705.27 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 675.92 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 490.58 |
| 9. | कर्नाटक | 1788.04 |
| 10. | केरल | 1616.30 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 4305.21 |
| 12. | महाराष्ट्र | 3821.64 |
| 13. | मणिपुर | 209.22 |
| 14. | मेघालय | 130.57 |
| 15. | मिजोरम | 289.52 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. | नागालैंड | 307.05 |
| 17. | उड़ीसा | 2750.45 |
| 18. | पंजाब | 831.12 |
| 19. | राजस्थान | 2025.69 |
| 20. | सिक्किम | 46.60 |
| 21. | तमिलनाडु | 3863.43 |
| 22. | त्रिपुरा | 224.87 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 8620.91 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 2450.48 |
| 25. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 50.31 |
| 26. | चण्डीगढ़ | 10.43 |
| 27. | दादरा और नागर हवेली | 7.67 |
| 28. | दिल्ली | 50.31 |
| 29. | दमन और दीव* | 148.28 |
| 30. | लक्षद्वीप | 59.91 |
| 31. | पांडिचेरी | 51.35 |
| | योग | 49778.29 |

* जिसमें गोवा राज्य भी शामिल है ।

टिप्पणी : 70 प्रतिशत निर्मुक्त राशि बोरिंग और पम्पसेटों की अधिष्ठापन आदि सहित लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए है ।

विवरण-2

1988-89 से जुलाई, 1990 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए उथले नलकूपों/डगवेलों के निर्माण के लिए छोटे और सीमांत कृषकों की सहायता को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त सहायक अनुदान का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये में)

| क्रम सं० | राज्य | निर्मुक्त किया गया सहायक अनुदान |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1048.53 |
| 2. | असम | 239.97 |
| 3. | बिहार | 3459.52 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 93.75 |
| 5. | हरियाणा | 100.50 |
| 6. | कर्नाटक | 450.00 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 1338.76 |
| 8. | महाराष्ट्र | 466.10 |
| 9. | उड़ीसा | 892.29 |
| 10. | तमिलनाडु | 191.00 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 8288.73 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 1200.85 |
| | योग | 17770.00 |

## विवरण-3

7वीं पंचवर्षीय योजना (1986-1990) के दौरान उन्नत कृषि संयंत्रों और हस्तऔजारों की स्थापना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन विभिन्न राज्यों में छोटे और सीमांत कृषकों को दिया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

| क्रम सं० | राज्य | निर्मुक्त किया गया अनुदान |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 38.546 |
| 2. | असम | 22.310 |
| 3. | बिहार | 5.250 |
| 4. | कर्नाटक | 8.800 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 46.190 |
| 6. | महाराष्ट्र | 26.781 |
| 7. | उड़ीसा | 28.109 |
| 8. | राजस्थान | 52.151 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 22.129 |
| 10. | तमिलनाडु | 33.886 |
| 11. | पश्चिम बंगाल | 7.423 |
| | कुल | 291.575 |

विवरण-4

1983-84 से 1989-90 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत कृषकों की सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन निर्मित वेल्स/डग वेल्सों की संख्या और स्थापित पम्पसेटों/विद्युत मोटरों/डीजल इंजिनों की संख्या। इसमें 1988-89 और 1989-90 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम वाले राज्यों की योजना के अधीन निर्मित वेल्स ट्यूबवेलों की संख्या भी शामिल है।

| क्रम संख्या | राज्य/संघीय क्षेत्र | निर्मित वेल्स/ डगवेल्सों की संख्या | स्थापित पम्पसेटों/ डीजल इंजिनों/ विद्युत मोटरों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 142031 | 79628 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2379 | 74 |
| 3. | असम | 21467 | — |
| 4. | बिहार | 297047 | 36365 |
| 5. | गुजरात | 42467 | 49790 |
| 6. | हरियाणा | 18392 | 6637 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1649 | — |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 550 | 944 |
| 9. | कर्नाटक | 30342 | 25776 |
| 10. | केरल | 32364 | 107139 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 140579 | 104641 |
| 12. | महाराष्ट्र | भूमिगत जल संरचना का पुनः उपयोग करने के लिए समेकित पनधारा विकास के लिए निधियों का प्रयोग किया गया। | |
| 13. | मणिपुर | — | 36 |
| 14. | मेघालय | 7 | — |
| 15. | मिजोरम | 3921 हैक्टार क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | नागालैंड | 3380 हैक्टार क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया। | 263 |
| 17. | उड़ीसा | 79982 | 18743 |
| 18. | पंजाब | 23785 | — |
| 19. | राजस्थान | 30926 | 38479 |
| 20. | सिक्किम | 407 हैक्टार क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया। | |
| 21. | तमिलनाडु | 51630 | 124088 |
| 22. | त्रिपुरा | 653 | 1227 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 582501 | 143821 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 66257 | 32791 |
| 25. | अण्डमान और निकोबार | क्रियान्वित नहीं किया गया | |
| 26. | चण्डीगढ़ | क्रियान्वित नहीं किया गया | |
| 27. | दादर और नगर हवेली | 4 | — |
| 28. | दिल्ली | सूचित नहीं | |
| 29. | दमन और दीव* | 1051 | 157 |
| 30. | लक्षद्वीप | 1500 हैडपम्प वितरित किये गये। | |
| 31. | पांडिचेरी | 321 | 513 |
| | कुल | 1566384 | 771112 |

* इसमें गोवा राज्य भी शामिल है।

**स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी लम्बित मामलों का निपटाया जाना**

2563. श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री सी० श्रीनिवासन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1989 में यह घोषणा की थी कि स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी सभी लम्बित मामलों को बिना किसी विलम्ब के निपटा दिया जायेगा किन्तु मामलों को अभी भी अन्तिम रूप से निपटाया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी सभी मामलों को कब तक निपटा देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार, जहां तक संभव हो सका है स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन दिए जाने से संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाया गया है। लम्बित मामलों को सम्बन्धित राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण अथवा आर्य समाज आन्दोलन से सम्बन्धित मामलों के लिए गठित की गयी गैर सरकारी समिति की सिफारिशें कुछ ही समय पहले प्राप्त होने के कारण निपटाया नहीं जा सका। पहले वाले मामले में, केवल राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्त न होने के उपरान्त ही आवेदनों पर निर्णय लिया जा सकता है। बाद वाले मामलों में आवेदनों पर पहले से ही कार्रवाई की जा रही है।

**दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 को चौड़ा करना**

2564. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत अधिक संख्या में दुर्घटनाओं के होने और यातायात की भीड़भाड़ को देखते हुए दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राजमार्ग के कितने भाग को चौड़ा करने का प्रस्ताव है और उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय कार्यक्रम बनाया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी हां। 1990-91 के वार्षिक कार्यक्रम में, गाजियाबाद हापुड़ खंड (28.00 कि० मी० से 48.60 कि० मी०) को चौड़ा करके चार लेन का बनाने हेतु प्रावधान किया गया है। विस्तृत प्रस्तावों की प्राप्ति और अनुमोदन के बाद ही, कार्य पूरा करने की अनुसूची को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र**

2565. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उनको कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) क्या ये सभी केन्द्र स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) महोदय, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों और उनको दिये गये अनुदान से सम्बन्धित एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 15 केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के अन्तर्गत सीधे कार्य करते हैं और शेष 5 केन्द्र भा० कृ० अ० प० के विभिन्न संस्थानों के साथ संलग्न हैं, ताकि संस्थान के वैज्ञानिक शिक्षण से संबंधित वर्तमान मानव शक्ति और बुनियादी सुविधाओं का उपयोग इन केन्द्रों द्वारा किए जा सके।

विवरण

भा० कृ० अ० प० के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और प्रत्येक पर सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान किए गए वास्तविक खर्चे की सूची

| क्र०सं० | राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के लिए | सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान वास्तविक व्यय (करोड़ रु० में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मूंगफली (जूनागढ़) गुजरात | 3.74 |
| 2. | समेकित कीट प्रबन्ध, फरीदाबाद, हरियाणा | 0.50 |
| 3. | सोयाबीन (इन्दौर, मध्य प्रदेश) | 2.05 |
| 4. | ज्वार, (हैदराबाद, आंध्र प्रदेश) | 2.94 |
| 5. | फसल विज्ञान के लिए बीज-प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली | 1.38 |
| 6. | खुम्भी, (सोलन, हिमाचल प्रदेश) | 0.85 |
| 7. | नींबू, (नागपुर, महाराष्ट्र) | 1.01 |
| 8. | काजू, (उट्टूर, कर्नाटक) | 1.76 |
| 9. | मसाले, कालीकट | 2.69 |
| 10. | कृषि वानिकी (झांसी, उत्तर प्रदेश) | 0.61 |
| 11. | पूर्वी क्षेत्र के लिए पानी प्रौद्योगिकी, (भुवनेश्वर, उड़ीसा) | 0.20 |
| 12. | खरपतवार विज्ञान (जबलपुर, मध्य प्रदेश) | 0.19 |
| 13. | मिथुन (पचलेसांग, नागालैंड) | 0.18 |
| 14. | याक (दीरांग, अरुणाचल प्रदेश) | 0.09 |
| 15. | ऊंट (जोरबेर, राजस्थान) | 2.13 |
| 16. | अश्व (हिसार, हरियाणा) | 1.50 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | मांस और मांस उत्पाद प्रौद्योगिकी, (भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश) | क्रमश: संस्थान बजट के अन्तर्गत शामिल है। |
| 18. | पशु स्वास्थ्य का जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, (भारतीय पशु अनुसंधान केन्द्र, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश) | —वही— |
| 19. | पशु उत्पादन का बायो प्रौद्योगिकी केन्द्र, (राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा) | —वही— |
| 20. | ठंडा पानी मात्स्यिकी (हल्द्वानी, उत्तर प्रदेश) | 0.43 |
| | कुल | 22.25 |

**पंजाब में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति**

[अनुवाद]

2566. **श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 के दौरान पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : उपलब्ध सूचना के अनुसार 1989 में आतंकवादी गतिविधियों के कारण 2466 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

**ठाणे टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार**

2567. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठाणे टेलीफोन एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता कितनी है और 15 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र के कितने व्यक्तियों के नाम टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे; और

(ख) सरकार का पुराने एक्सचेंज को आधुनिक एक्सचेंज में बदलने और इसकी क्षमता का विस्तार करने के लिए कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र)** : (क) ठाणे टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता इस प्रकार है :

ठाणे-I : 5300 लाइनें

ठाणे-II : 8600 लाइनें

15-7-90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 14427 है।

(ख) बदलने की निम्नांकित योजनाएं हैं :

—1700 लाइनें : मार्च, 1991 के दौरान ठाणे-I एक्सचेंज को आंशिक रूप से बदलना।

—3600 लाइनें : मार्च, 1992 के दौरान थाणे-I का शेष बदलाव कार्य ।

—थाणे में निम्नलिखित नये आधुनिक एक्सचेंज खोलने की योजना है :—

—1990-91 के दौरान 7000 लाइनों का थाणे चेराई (इलेक्ट्रानिक) एक्सचेंज

—1990-91 के दौरान 1000 लाइनों का मुम्बरा (इलेक्ट्रानिक) एक्सचेंज

—1991-92 के दौरान 3000 लाइनों का थाणे चेराई (विस्तार) एक्सचेंज

—1991-92 के दौरान 4000 लाइनों का वागले एस्टेट (इलेक्ट्रानिक) एक्सचेंज

**विमान से कीटनाशकों का छिड़काव**

2568. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की तरह भारत में विमान से कीटनाशकों का छिड़काव करने पर कोई नियंत्रण है और यदि हां, तो ऐसे छिड़काव के लिए किन-किन कीटनाशकों की अनुमति दी जाती है; और

(ख) केवल अहानिकारक कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) और (ख) हमारे देश में हवाई छिड़काव का विनियमन कीटनाशी विनियम 1971 के अन्तर्गत किया जाता है । ऐसे विनियम मानव जाति एवं पशुओं की सुरक्षा तथा अनुमोदित कीटनाशियों के प्रयोग एवं हवाई छिड़काव के लिए उनको तैयार करने के सम्बन्ध में विभिन्न मापदंड निर्धारित करते हैं। ऐसे कीटनाशियों के प्रयोग के लिए अनुमोदन कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाये गये विनियमों के अन्तर्गत दिया जाता है । फसलों पर हवाई छिड़काव के लिए अब तक अनुमोदित कीटनाशियों की सूची विवरण के रूप में दी गयी है । ब्रिटेन सहित अनेक देशों में इसी प्रकार का नियंत्रण विद्यमान है ।

**विवरण**

फसलों पर हवाई छिड़काव के लिए अनुमोदित कीटनाशकों की सूची

| क्रम संख्या | कीटनाशियों के नाम | निर्माण का प्रकार | छिड़काव डस्टिंग के लिए ऊंचाई (मीटर में) | द्रव/धूल की मात्रा लीटर/गैलन प्रति हैक्टेयर | वायुयान का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कीटनाशी | | | | | |
| (क) क्लोरीनेटेड हाइड्रो कार्बन | | | | | |
| 1. | लिन्डेन | 20 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटरस | फिक्स विंग या हैलीकाप्टर |
| 2. | इंडोसल्फान | 35 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| 3. | बी० एच० सी० | 5—10 प्रतिशत/धूल | 2—3 | 15—25 कि०ग्रा० | —तदेव— |
| (ख) आर्गेनो फास्फोरस | | | | | |
| 4. | मेलाथियान* टैक्नीकल नहीं | 95 प्रतिशत से नीचे | 8—16 | 225—440 ग्राम | —तदेव— |
| 5. | मेलाथियान | 50 प्रतिशत ई०सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | फेनिट्रोथियान | 50 प्रतिशत 82.5 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| | | (राज्यों द्वारा किए जाने वाले हवाई छिड़काव के लिए) | | | |
| 7. | डाइमेथोएट | 30 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| 8. | आक्सीडीमेटोन-मेथाइल | 25 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| 9. | फास्फामिडोन | 85 प्रतिशत डब्ल्यू० एस०सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| 10. | विधनाल्फोस | 25 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| 11. | मोनोक्रोटोफास | 36 प्रतिशत डब्ल्यू० एस०सी० | 2—3 | 12—3 लिटर | —तदेव— |
| 12. | फेन्थोएट | 50 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| 13. | फोसालोन | 35 प्रतिशत ई० सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| (ग) कार्बोमेट | | | | | |
| 14. | कार्बेरिल | 85 प्रतिशत डब्ल्यू०पी० | 2—3 | 12—25 लिटर | फिक्स विंग या हैलीकाप्टर |
| | | (हवाई छिड़काव वाले ग्रेड) | | | |
| 15. | कार्बेरिल | 10 प्रतिशत धूल | 2—3 | 10—20 कि०ग्रा० | —तदेव— |
| 16. | कार्बेरिल | 40 प्रतिशत द्रव (मेलासिस) | 2—3 | 12—25 कि०ग्रा० | —तदेव— |
| | | (हवाई छिड़काव वाले ग्रेड के स्थान पर आधारित) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (घ) फफूंदनाशी | | | | | |
| 17. | कार्बेन्डेजिन | 50 प्रतिशत डब्ल्यू०पी० | 2—3 | 12—25 | —तदेव— |
| 18. | कापर आक्सी क्लोराइड | 50 प्रतिशत डब्ल्यू०पी० एण्ड आयल डाऊंड | 2—3 | 25—50 | —तदेव— |
| 19. | ज़ीरेब | 75 प्रतिशत डब्ल्यू०पी० | 2—3 | 12—25 | —तदेव— |
| 20. | ज़ीराम | 85 प्रतिशत डब्ल्यू०पी० | 2—3 | 12—25 | —तदेव— |
| 21. | हाइनोसन | 50 प्रतिशत ई०सी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |
| 22. | सल्फर* | 85 प्रतिशत माइक्रोनाइज्ड धूल | 2—3 | 10—20 कि०ग्रा० | —तदेव— |
| 23. | सल्फर** | 80 प्रतिशत डब्ल्यू०पी० | 2—3 | 12—25 लिटर | —तदेव— |

* सान्द्र यू० एल० वी० का छिड़काव करना।

** भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रूप में सल्फर का छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वायुयान की सुरक्षा भी सम्मिलित है :

### गेहूं, धान और मूंगफली की उत्पादन लागत

2569. श्री सुधाम देशमुख : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान और मूंगफली पर आकी उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का समर्थन मूल्य कितना-कितना था ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बीरेन्द्र कुमार) : (क) वर्ष 1987-88 से संबंधित गेहूं और धान तथा 1986-87 से संबंधित मूंगफली के लिए उत्पादन लागत के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

| फसल | राज्य | वर्ष | रुपए प्रति क्विंटल |
|---|---|---|---|
| गेहूं | पंजाब | 1987-88 | 139.95 |
| | हरियाणा | ,, | 139.64 |
| धान | पंजाब | ,, | 149.19 |
| | हरियाणा | ,, | 146.01 |
| मूंगफली | गुजरात | 1986-87 | 421.52 |
| | कर्नाटक | ,, | 387.26 |
| | उड़ीसा | ,, | 358.68 |

(ख) गेहूं, धान और मूंगफली के पिछले तीन वर्षों के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

| फसल | विपणन वर्ष | मूल्य (रुपए/क्विंटल) |
|---|---|---|
| गेहूं | 1988-89 | 173 |
| | 1989-90 | 183 |
| | 1990-91 | 215 |
| धान (सामान्य) | 1988-89 | 160 |
| | 1989-90 | 185 |
| | 1990-91 | 205 |
| छिलके वाली मूंगफली | 1988-89 | 430 |
| | 1989-90 | 500 |
| | 1990-91 | 580 |

### सी०-डाट के लिए आठवीं योजना में नए कार्यक्रम

2570. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराव वाडियर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी०-डॉट) के लिए आठवीं योजना में कोई नया कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सी-डॉट के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सी-डॉट के कार्यक्रमों के लिए आठवीं योजना में आवंटित प्रस्तावित राशि 230 करोड़ रुपये है।

(ग) सी-डॉट के विकास कार्यक्रमों में शामिल मुख्य उत्पाद संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

**विवरण**

आठवीं योजना अवधि के दौरान सी-डॉट के विकास कार्यक्रमों में शामिल उत्पादन

(क) स्विचिंग

1. 256 पी, पी बी एक्स
2. 256 पी, आर ए एक्स-आई एल टी सहित
3. 512 पी, रैक्स (सिंगल बेस माडयूल एक्सचेंज)
4. मैक्स-एल (4.1 कन्सन्ट्रेशन सहित 20000 लाइनों तक)
5. मैक्स-एक्स एल (4.1 कन्सन्ट्रेशन सहित 40000 लाइनों तक)
6. टी ए एक्स (ट्रंक आटो एक्सचेंज)
7. आई एल टी (इन्टीग्रेटेड लोकल एवं ट्रंक ट्रांजिट एक्सचेंज)
8. टेलीफोन
9. कम्प्यूटरीकृत ट्रंक करचस एक्सचेंज (सीटीएम एक्स)
10. सीसी आई टीटी नं० 7 सिगनलिंग प्रणाली सी-डॉट, डीएसएस उत्पाद समूह में शुरुआत।

(ख) पारेषण

1. 10 सरणि डिजिटल पराउच्च आवृत्ति
2. 120 सरणि डिजिटल पराउच्च आवृत्ति
3. 30 सरणि डिजिटल पराउच्च आवृत्ति
4. 140 एम बी/एम मैक्स
5. 2/8 और 8/64 एम बी/एस मैक्स

6. सीनेट (सिक्रोनस आप्टिकल नेटवर्क)

7. 2 एम बी/एस ओएलटीई (आप्टिकल लाइन टर्मिनल उपस्कर)

8. 6, 4, और 15 गेगाहर्टज आएफ उप प्रणाली

9. मोडेम/सुपरवाइजर्स

10. एमईआर टीएन (सेटेलाइट बेस सरल टेलीग्राफ नेटवर्क)

11. टीडीएमए (टाइम डिवीजन मल्टी एक्सेस)

12. वीएसएटी (वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल सेटेलाइट)

13. सेटेलाइट सिगनल प्रोसेसिंग

14. टीडीएमए-प्वाइंट टु मल्टीप्वाइंट (टीडीएमए-पीएमपी)

15. सिंगल चैनल रेडियो

16. 2/15 क्षेपर्ड रेडियो

17. 6 सरणि पराउच्च आवृत्ति

18. 8/64 और 4/32 क्षेपर्ड रेडियो

मात्स्यकी का विकास

2571. डा० असीम बाल :

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों में मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तत्संबंधी उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना में दोनों क्षेत्रों में मछली उत्पादन के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मछली उत्पादन का स्तर नीचे दिया गया है—

| वर्ष | समुद्री | अन्तर्देशीय | कुल (लाख मीटरी टन) |
|---|---|---|---|
| 1987-88 | 16.58 | 13.01 | 29.59 |
| 1988-89 | 18.17 | 13.35 | 31.52 |
| 1989-90 (अन्तिम) | 20.58 | 13.92 | 34.50 |

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मछली उत्पादन के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

**बरौनी में उर्वरक का उत्पादन**

2572. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मन्त्री चाय बागानों में उर्वरकों की खपत के बारे में 24 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10385 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में उत्पादित नेफ्था के लिए कच्चा माल कहां से आता है और कच्चा माल किस रास्ते से लाया जाता है;

(ख) क्या इस कच्चे माल का इस्तेमाल उत्तरी बंगाल में, कम खर्च पर उसी क्षेत्र के लिए उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्भावना का उपयोग करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में कृषि ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा)** : (क) अपरिष्कृत तेल, जिसमें बरौनी में नेफ्था उत्पादित किया जाता है, उत्तर पूर्व क्षेत्र से है। इसका परिवहन पाइप लाइन से किया जाता है जो उत्तरी बंगाल से होकर जाती है।

(ख) से (घ) अपरिष्कृत तेल का उर्वरकों के उत्पादन के लिए तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक इसे नेफ्था या ईंधन तेल के उत्पादन के लिए रिफाइनरी में परिष्कृत न किया जाए। उत्तर बंगाल में उर्वरक उत्पादित करने के लिए एक रिफाइनरी और उर्वरक संयंत्र स्थापित करना मितव्ययी नहीं होगा जबकि उस क्षेत्र में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की अपेक्षाएं वर्तमान नामरूप उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन से पूरी की जाती हैं यह संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है जो नेफ्था या ईंधन तेल की तुलना में अधिक मितव्ययी फीड स्टाक है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप यह बहुमूल्य स्रोत चुक जाएगा। इन कारणों से सरकार का अपरिष्कृत तेल से प्राप्त फीड स्टाक पर आधारित उत्तर बंगाल में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

**दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता**

2573. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों के दैनिक यात्रियों की संख्या में वर्ष 1988 के अंत में हुई वृद्धि की तुलना में वर्ष 1989 के अन्त में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) इस समय दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दैनिक यात्रियों के कितने प्रतिशत को बस-सेवा उपलब्ध की जाती है और बस-सेवा में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सन् 2000 ई० के अन्त तक दिल्ली परिवहन निगम के दैनिक यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है और तदनुसार आवश्यकता पूरी करने हेतु क्या भावी योजना है ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) दिल्ली परिवहन निगम के यात्रियों में वर्ष 1989 में 13.03% की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1988 में 4.06% की वृद्धि हुई थी।

(ख) दिल्ली में यात्री ट्रिपों के संबंध में हाल ही में कोई विशिष्ट माडल स्पलिट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, अनुमान है कि दिल्ली में परिवहन के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे कुल यात्रियों में से लगभग 47% दिल्ली परिवहन निगम की बसों का उपयोग करते हैं। सेवाओं में सुधार करने के लिए किये गए उपायों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गत वर्षों के प्रवृत्ति के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम के यात्रियों की संख्या में औसतन वार्षिक वृद्धि लगभग 8.5% रही है। इस दर से, 200 ई० सन् की समाप्ति तक यात्रियों की संख्या प्रतिदिन एक करोड़ हो सकती है। केवल बस प्रणाली पर निर्भर रहने की स्थिति में इन यात्रियों को लाने ले जाने के लिए 12,000 से अधिक बसों की आवश्यकता होगी।

विवरण

सेवाओं में सुधार करने के लिए दि० प० नि० द्वारा उठाए गए कदम

(i) 744 शहरी रूटों पर सामान्य रूट प्रचालित करने के अलावा दिल्ली परिवहन निगम इस प्रकार की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विशेष सेवाएं चलाता है जैसे— (1) ग्रामीण क्षेत्र, (2) पुनर्वास कालोनियां, (3) छात्र स्पेशल (4) महिला स्पेशल, (5) रेलवे स्पेशल, (6) पर्यटक सेवाएं इत्यादि।

(ii) समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं और ट्रैफिक-आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं में बढ़ोतरी की जाती है।

(iii) संसाधनों का लाभदायक उपयोग करने की दृष्टि से निरन्तर रूट योक्तिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

(iv) भीड़-भाड़ वाले समय में अधिक यात्रियों वाले स्थानों पर ट्रैफिक को तेजी से निकालने के लिए निरीक्षण कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

(v) रूटों पर दक्ष सेवा सुनिश्चित करने के लिए लाइन पर नियमित जांच कर्मचारियों की तैनाती के अलावा मोबाइल चैकिंग स्कवाड्स को भी सक्रिय सेवा में लगाया गया है।

(vi) महिला यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें निकास द्वार से बसों में चढ़ने की अनुमति दी गई है।

(vii) निर्धारित बस स्टापों पर उचित रूप से बसें खड़ी करना सुनिश्चित करने तथा ड्राइवरों को शिक्षित करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं।

अमरीका से कृषि नाशकों/कीटनाशकों का आयात

2574. श्री भवानी शंकर होटा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से आयात किए जा रहे कृषिनाशकों/कीटनाशकों के नाम क्या हैं और इनमें से कौन-कौन से प्रतिबंधित सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा का आयात किया गया है और इसका मूल्य कितना है; और

(ग) अमरीका में प्रतिबंधित इन कीटनाशकों का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) और (ख) गत तीन वर्षों (1987-88 से 1989-90) के दौरान अमरीका से आयातित कीटनाशकों के नाम, उनकी मात्रा और मूल्य सहित, जैसाकि आयातकों द्वारा बताए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनमें से ई० पी० ए० अमरीका को 1990 में प्रकाशित प्रतिबन्धित सूचि में केवल कैप्टाफोन है।

(ग) हमारे देश में कैप्टाफोल का उपयोग एक बीज ड्रेसर के रूप में किए जाने तक ही सीमित है। यह निर्णय सरकार द्वारा गठित विशेष समिति की सिफारिश पर आधारित है। चूंकि उपर्युक्त सीमांकन के साथ देश में इसके उत्पादन और प्रयोग को अनुमति है, अमरीका या अन्य किसी स्रोत से इसके आयात को अनुमति भी है। स्वदेशी उत्पादन के अतिरिक्त इसकी उपलब्धता को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जाता है।

**विवरण**

अमरीका से आयातित विभिन्न कीटनाशकों की मात्रा

1. तकनीकी ग्रेड में मात्रा (मीटरी टन)
2. मूल्य रुपए (हजार में)

| क्रम संख्या | कीटनाशक | 1987-88 मात्रा | 1987-88 सी.आई.एफ. मूल्य | 1988-89 मात्रा | 1988-89 सी.आई.एफ. मूल्य | 1989-90 मूल्य | 1989-90 सी.आई.एफ. मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्लोरडेन | 14.877 | 822 | 2.231 | 139 | 12.003 | 866 |
| 2. | कार्बारिल | 80.000 | 4091 | 178.0003 | 9611 | 26.000 | 1684 |
| 3. | हेप्टाक्लोर | 35.106 | 2016 | 41.815 | 2551 | 56.545 | 4633 |
| 4. | केप्टाफोल | 20.000 | 1429 | — | — | — | — |
| 5. | मैंकोजेब | 12.000 | 362 | 90.00 | 2990 | — | — |
| 6. | मिनोमाइल | — | — | 3.200 | 547 | — | — |
| 7. | एट्राजाइन | 25.920 | 1195 | — | — | — | — |
| 8. | एलाक्लोर | 4.989 | 218 | — | — | — | — |
| 9. | ब्यूटाक्लोर | 526.379 | 21650 | 559.645 | 23928 | 15.840 | 712 |
| 10. | डियूरोन | 6.000 | 326 | — | — | — | — |
| 11. | डाइकाम्बा | 205.011 | 43119 | — | — | — | — |
| 12. | इथोफोन | — | — | 1.018 | 475 | — | — |
| | योग | 930.281 | 75226 | 876.809 | 40241 | 110.388 | 7896 |

**बी० एस० एफ०, आई० टी० बी० पी० और सी० आई० एस० एफ०**
**में महिला बटालियनें**

[हिन्दी]

2575. **श्री तेज नारायण सिंह :**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (सी० आर० पी० एफ०) में कुल कितनी महिला बटालियनें हैं;

(ख) क्या सी० आर० पी० एफ० की तरह सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भी महिला बटालियनें गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :** (क) एक बटालियन।

(ख) से (घ) जी नहीं, श्रीमान्। बी० एस० एफ०, आई० टी० बी० पी० और सी० आई० एस० एफ० द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, इन बलों के लिए महिला बटालियनें बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

**आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम के निरसन का प्रस्ताव**

[अनुवाद]

2576. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 के बाद से "आवश्यक सेवाएं बनाएं रखने का अधिनियम" का कितनी बार प्रयोग किया गया है;

(क) "आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम" को प्रयोग करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने "आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम" को प्रयोग करने का विरोध किया है; और

(घ) क्या "आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम" को निरसित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :** (क) और (ख) 1 जनवरी, 1990 के बाद केन्द्र सरकार ने लोकहित में आवश्यक सेवाओं में हड़तालों को रोकने के लिए तीन आदेश जारी किए।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अधिनियम की वर्तमान अवधि 22 सितम्बर, 1990 तक है।

**पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में हिरासत में लिए गए आतंकवादी**

2577. **श्री पी० सी० थामस :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में कितने आतंकवादी हिरासत में लिए गए; और

(ख) यदि इनमें कोई पाकिस्तानी है, तो इनकी संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष के मई, जून और जुलाई महीनों के दौरान पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण क्रमशः 506 और 704 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ख) पूछताछ से यह पता नहीं लगा कि ऊपर उल्लिखित किसी आतंकवादी को पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त है ।

## "पहले ही बिगड़ गए उपकरण" शीर्षक समाचार

[हिन्दी]

2578. श्री० यदुनाथ पाण्डेय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1990 के "जनसत्ता" में "पहले ही बिगड़ गए उपकरण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों की खरीद और रख-रखाव पर प्रति वर्ष खर्च किए जा रहे व्यय का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन उपकरणों में क्या खराबियां पायी गयी हैं और इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) कुछ उपस्कर प्रचालन के दौरान खराब हुए थे जिन्हें वारंटी के अधीन मरम्मत करके ठीक किया गया । जिम्मेवारी निर्धारित करने की कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## कृषि आदानों की खरीद के लिए अल्पावधिक ऋण

[अनुवाद]

2579. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री गंगाचरण लोधी :

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों को उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों जैसे कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए अल्पावधिक ऋण प्रदान किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) खरीफ, 90 मौसम के लिए राज्यों को स्वीकृत की गई अल्पावधि ऋणों की राशि को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खरीफ 1990 मौसम के दौरान राज्यों को निर्मुक्त किया गया अल्पावधि-ऋण

(करोड़ रुपए में)

| क्रम संख्या | राज्य | राशि |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 21.85 |
| 2. | कर्नाटक | 11.50 |
| 3. | केरल | 2.00 |
| 4. | तमिलनाडु | 9.10 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 11.25 |
| 6. | महाराष्ट्र | 19.30 |
| 7. | राजस्थान | 8.60 |
| 8. | हरियाणा | 5.45 |
| 9. | पंजाब | 8.10 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 17.65 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 1.45 |
| 12. | असम | 3.40 |
| 13. | बिहार | 16.40 |
| 14. | उड़ीसा | 8.90 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 17.80 |
| 16. | मणिपुर | 0.50 |
| 17. | मेघालय | 0.15 |
| | योग | 163.40 |

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारत और पाकिस्तान सरकारों से परमाणु अस्त्रों का निर्माण न करने का अनुरोध

2580. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत और पाकिस्तान सरकारों से विश्व के इस भाग में परमाणु शस्त्रों का निर्माण न करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को जानकारी क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार यह नहीं मानती कि नाभिकीय हथियारों से उत्पन्न समस्या को द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर सुलझाया जा सकता है क्योंकि इन हथियारों से उत्पन्न खतरों का प्रभाव सार्वभौम है । वैज्ञानिकों के दल की अपील पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

**पंजाब में आतंकवादियों का पुलिस की हिरासत से भाग निकलना**

2581. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जुलाई, 1990 के महीने में पंजाब में खतरनाक आतंकवादी पुलिस की हिरासत से भाग निकले थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**पंजाब में सरकारी काम-काज में पंजाबी भाषा का प्रयोग**

[हिन्दी]

2582. स० अतिन्दर पाल सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत पंजाब सरकार के सभी विभागों में सरकारी काम-काज में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं और सभी विभागों में इस अधिनियम के कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन विभागों का विभाग-वार प्रतिशत कितना है जिसमें राजभाषा में काम किया जाता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों में पंजाबी भाषा का प्रयोग विभिन्न मात्राओं में किया जा रहा है । सभी विभागों में अब तक समस्त काम-काज

पंजाबी भाषा में न किए जाने का मुख्य कारण पंजाबी में समुचित दक्ष आशुलिपिकीय सेवाओं की कमी रहा है।

(ग) पंजाब सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विभागों में पंजाबी में किए जा रहे कामकाज का प्रतिशत उनके सामने दर्शाया गया :—

| विभाग का नाम | प्रतिशत |
|---|---|
| पुलिस | 85% |
| उत्पाद एवं कराधान | 68.8% |
| स्वास्थ्य | 73.3% |
| सिंचाई और विद्युत | 71.2% |
| उद्योग | 73.9% |
| उपायुक्त कार्यालय | 80.8% |
| लघु बचत | 40% |
| औद्योगिक प्रशिक्षण | 86.6% |
| वन | 83.4% |
| नगर योजना | 69% |
| जन-स्वास्थ्य | 71.4% |
| सहकारिता | 74.6% |
| अभियोजना एवं मुकदमा | 67% |
| रोजगार | 80.8% |
| कल्याण | 75.9% |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 82.2% |
| शिक्षा | 86.2% |
| खजाना | 82.8% |
| जन-सम्पर्क | 87.2% |
| मत्स्य पालन | 82.6% |
| पशु-पालन | 84.4% |
| परिवहन | 62.9% |

**पंजाब में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान**

2583. **स० अतिन्दर पाल सिंह :**

**श्री कृपाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में मारे गये व्यक्तियों के कितने मामलों में उनके परिवारों/आश्रितों को अभी तक अनुग्रह राशि/सहायता देने की मंजूरी नहीं दी गयी है; और

(ख) इन्हें अनुग्रह राशि कब तक दे दी जाएगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) से (ख) पंजाब सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**दिल्ली में प्रदूषण-रोधी उपाय**

[अनुवाद]

2584. **श्री आर० एन० राकेश :**

**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजधानी में विभिन्न प्रकार के वाहनों की शुरू की गयी प्रदूषण जांच दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर लागू नहीं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : (क) जी नहीं । परिवहन निदेशालय दिल्ली प्रशासन वाहनों को, जिसमें दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी शामिल हैं, प्रदूषण मानकों के अनुपालन हेतु जांच करता रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**विभिन्न संस्थानों द्वारा विदेशी सहायता का दुरुपयोग**

[हिन्दी]

2585. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

**प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

**श्री बलवंत मनवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इन संस्थाओं द्वारा विदेशी सहायता का दुरुपयोग किए जाने के मामलों का पता लगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी सहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : (क) विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वित करने के लिए विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु 30-6-90 तक 12734 संस्थाओं/संगठनों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ।

(ख) से (घ) एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करने वाले और विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले संस्थाओं/संगठनों को निर्धारित प्रारूप में और

नियत अवधि में सूचनाएं भेजना अपेक्षित है। उनसे यह भी अपेक्षित है कि ऐसे विदेशी अभिदाय केवल एक विशिष्ट बैंक एकाउण्ट से प्राप्त करें और उचित रूप से चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा सत्यापित लेखापरीक्षा किया हुआ एकाउण्ट भेजें। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस तिथि तक 27 संस्थाओं/व्यक्तियों पर विदेशी अभिदाय प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और 40 संस्थाओं को अधिनियम के अन्तर्गत किसी विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पहले पूर्व अनुज्ञा लेने का आदेश दिया गया है।

**कृषि श्रमिकों को रोजगार गारंटी सम्बन्धी योजना**

[अनुवाद]

2586. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सहित पूरे वर्ष रोजगार देना अनिवार्य बनाने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने वर्ष 1990-91 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और देश के चुनिन्दा क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारी की गंभीर समस्या वाले क्षेत्रों के लिए एक रोजगार गारन्टी योजना शुरू की जाएगी। योजना की ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

---

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुरेना जी आप बैठ जायें, आपको मौका मिलेगा, विजय जी आप भी बैठ जायें। आपका नोटिस आया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री दिनेश सिंह।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मुझे केवल एक मिनट बस कहने का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री कुरियन।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मुझे बड़ा हर्ष है कि श्री गुजराल वापिस आ गये हैं और यहां पर उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे लिखा कि वह 4 00 बजे वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : सारी सभा यह जानना चाहती है कि···

**अध्यक्ष महोदय** : कुरियन जी, श्री गुजराल 4.00 बजे वक्तव्य देंगे। आइए श्री दिनेश सिंह को सुनते हैं।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : वह यहां पर उपस्थित हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने मुझे लिखित रूप में सूचित किया है कि वह 4.00 बजे वक्तव्य देंगे। अब श्री दिनेश सिंह बोलेंगे।

**श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, सोमवार को आपकी अनुमति से मैंने माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मुद्दा उठाया था तथा इस सदन में यह आश्वासन देने के बावजूद कि वह इस कार्यक्रम में कांट-छांट नहीं करेंगे, उनके द्वारा 'खुला मंच' कार्यक्रम में कांट-छांट करने के विरुद्ध मैंने आपको विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। उन्होंने इस शब्द के पीछे अपना बचाव करने का प्रयत्न किया है कि कार्यक्रम में कांट-छांट नहीं की गई बल्कि इसका सम्पादन किया गया है। माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री को इन दोनों शब्दों के अर्थ जान लेने चाहिए। सम्पादन का अर्थ है वक्ता अथवा लेखक के शब्दों में कुछ जोड़ना अथवा काटना ताकि उन शब्दों को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि जो कुछ मंत्री महोदय को असुविधाजनक लगे, उसे सारे का सारा निकाल दिया जाये। 'सेंसर' से तात्पर्य यह है कि जो कुछ मन्त्री महोदय अथवा सरकार के लिए असुविधा जनक हो, उसे सारे का सारा निकाल दिया जाये। जो बातें मैंने कहीं हैं, सौभाग्य वश वर्तमान सरकार के एक माननीय मन्त्री श्री जार्ज फर्नांडीज, रेल मंत्री, जो कि एक कार्यक्रम के मुख्य-अतिथि थे, उन्होंने भी इन बातों का समर्थन किया है और मैं उन्हें एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 'खुला मंच' कार्यक्रम तथा समाचार पत्रों में इतने खुले रूप में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने शब्द जाल के पीछे आश्रय लेने का प्रयत्न नहीं किया जैसा कि सूचना तथा प्रसारण मन्त्री जी ने करने का प्रयत्न किया है। इससे मेरे मन में एक और सूचना तथा प्रसारण मन्त्री की याद आती है जिसका चयन कुख्यात हिटलर ने किया था; और उप मन्त्री ने भी 'सम्पादन तथा सेंसर' का वही कार्य अंजाम दिया जो कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोकतंत्र में सेंसर का यह कोई तरीका नहीं। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव देखूंगा तथा तभी निर्णय लूंगा।

**(व्यवधान)**

**श्री दिनेश सिंह** : मेरी समस्या यह है कि श्री उपेन्द्र मेरे मित्र हैं इसलिए उनके इस कार्य को व्यक्त करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेंद्र)** : महोदय, हम दोनों का आपसे में एक समझौता है जिसे इनको हर रोज समाचार में रखना है।

**श्री दिनेश सिंह** : जन आलोचना से सरकार की नीति और वास्तव में सरकार की नीतियों को बचाने की उनकी समस्या मेरी समझ में आ रही है और इसीलिए यह 'सेंसरशिप' का ढोंग रचा जा रहा है। अब यह सरकार जिसमें कि श्री पी० उपेन्द्र एक विशिष्ट मन्त्री हैं स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की बात करती है। अब इन्होंने इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यमों को स्वतंत्रता देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है परन्तु अब इससे उनकी ईमानदारी पर शंका उत्पन्न होने लगी है। **(व्यवधान)**

महोदय, मैं केवल निर्णय लेने में आपकी सहायता कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा का समय बचाइए।

**श्री दिनेश सिंह** : महोदय, मेरा वास्तविक मुद्दा यह है कि जब श्री जार्ज फर्नान्डीज से विशिष्ट रूप से यह पूछा गया कि क्या वह माननीय मन्त्री जी के इस वक्तव्य से सहमत हैं कि यह 'सेंसर' नहीं बल्कि 'सम्पादन' था; तो उन्होंने कहा "नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता।" इसलिए इस सरकार में भी एक साहसी मन्त्री है।

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : पिछली सरकार में ऐसे मन्त्री नहीं थे।

**श्री दिनेश सिंह** : यह मामला किसी राजनैतिक दल का मामला नहीं है। मैं किसी दल की ओर से यह मुद्दा नहीं उठा रहा। मैं जो मुद्दा उठा रहा हू, उसका सम्बन्ध सारे सदन में है कि क्या मंत्री इस सदन में आकर जानबूझ कर झूठ बोल कर इस सदन को गुमराह कर सकते हैं अथवा इस सदन में कार्यवाही इस गरिमापूर्ण वातावरण में चलेगी जिसमें मन्त्री उत्तरदायित्व की भावना से बोलेंगे ताकि उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों की विश्वसनीयता इस सदन में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बनी रहे। परन्तु हम जो यहां पर देख रहे हैं वह केवल एक ऐसा नाटक है जिनसे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है और मंत्री महोदय बड़ी लापरवाही से संसद में आकर बड़ी बहादुरी से वक्तव्य देते हैं। यह जानते हुए भी कि वे झूठ बोल रहे हैं। महोदय, यह काम दूरदर्शन के किसी क्लर्क अथवा आयोजक का नहीं है जिसने श्री जार्ज फर्नान्डीज के वक्तव्य में से कुछ हटा दिया। यह 'सम्पादन', जैसा कि श्री उपेन्द्र ने कहा है और यह 'सेंसर' जैसा कि हम सबका मानना है। स्वयं मन्त्री महोदय द्वारा श्री जार्ज फर्नान्डीज की आपत्ति के बावजूद जानबूझ कर किया गया। उनका यह कहना है कि वह इस पर विरोध करते रहे कि उनके वक्तव्य का कोई हिस्सा भी काटा न जाये फिर भी मंत्री महोदय इस सदन में आकर शब्द जाल के द्वारा सदन के भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं केवल आपकी सहायता कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो हम इस मुद्दे पर सभा में चर्चा करवा सकते है, परन्तु यह ज्यादा आसान रहेगा कि आप इस मुद्दे को तुरन्त 'विशेषाधिकार समिति' के सपुर्द कर दें ताकि इस विषय में वहां पर चर्चा हो सके।

**अध्यक्ष महोदय** श्री जनार्दन पुजारी का विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस भी मुझे मिला है। मैंने आपको बताया है कि ये नोटिस मेरे विचाराधीन हैं; परन्तु आप अपनी बात कह सकते है।

(व्यवधान)

**श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर)** : महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। संचार माध्यमों के साथ-साथ सारे देश का ध्यान इसने अपनी ओर आकृष्ट किया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा है कि वह दूसरे सदन में दिए गए अपने वक्तव्य पर अब भी अडिग हैं और यह कि उन्होंने कार्यक्रम का 'संपादन' किया है न कि 'सेंसर'। यही उन्होंने दूसरे सदन में कहा था और यही उन्होंने यहां पर कहा है 'सेंसरशिप' का अर्थ क्या है। आक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार 'सेंसरशिप' का अर्थ है, "एक पदाधिकारी जिसे सामान, तार, पत्र तथा फिल्मों की जांच तथा उन्हें विलोप करने का अधिकार प्राप्त हो।" विलोप करने की शक्ति ही 'सेंसरशिप' की मूल भावना है। उन्होंने जानबूझकर कार्यक्रम के कुछ ऐसे हिस्सों को हटाया तथा दिखाया है जो सरकार के लिए असुविधाजनक थे उनके अपने एक सहयोगी ने उन्हें बंगलोर से टेलिफोन पर यह कहा, "श्री उपेन्द्र जी, कृपया यह सुनिश्चित कीजिए

कि सारा कार्यक्रम बिना किसी काट-छांट अथवा बिना कुछ छिपाए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैंने जो कहा है; उसके परिणाम का मैं सामना करूंगा तथा उस पर आडिग रहूंगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा।" इतना ही नहीं। अपने सहयोगियों के साथ चर्चा के दौरान भी, जैसे कि 'इंडियन ऐक्सप्रेस' में आज प्रकाशित उनके साक्षात्कार जिसे उन्होंने···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले के गुण दोषों पर जायें। 'सेंसरशिप' के शाब्दिक अर्थ को उद्धृत करने का कोई लाभ नहीं है।

**श्री जनार्दन पुजारी** : रेल मन्त्री महोदय अपने सहयोगी से वास्तविक तथा ईमानदारी पूर्ण तरीके कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आग्रह कर रहे है जबकि सूचना तथा प्रसारण मंत्री महोदय कुछ शब्दों को छिपा रहे हैं तथा हटा रहे हैं। यह कुछ तथ्यों के छिपा तथा हटा रहे है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने आपको बताया है कि आपका विशेषाधिकार का प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है। मैं नही चाहता कि आप इस मामले के गुण दोषों में जायें। आपने इसका जिक्र किया है।

**श्री जनार्दन पुजारी** : अब आप को यह निर्णय करना है कि यह विशेषाधिकार का मामला है या नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : यही तो मैं कह रहा हूं। मैं इस मुद्दे पर कोई पूर्व निर्णय नहीं देना चाहता।

**श्री जनार्दन पुजारी** : विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। आज 'इण्डियन ऐक्सप्रेस' में प्रकाशित रिपोर्ट को देखने के पश्चात् मैंने भी अपना नोटिस दिया है। अब आपके पास सूचना एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय था मेरे सहयोगी श्री दिनेश सिंह ने भी नोटिस दिया है। हम एक सम्बन्ध में अभी आपका निर्णय प्राप्त करना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी बोलेंगे।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (नई दिल्ली) : जहां तक 'खुला मंच' प्रसंग का सम्बन्ध है, यह अरक्षणीय है। परन्तु, महोदय मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रक्रिया संबंधी नियम के नियम 222 के अन्तर्गत, जो कि विशेषाधिकार से सम्बन्धित है, आपको यह निर्णय लेना है कि क्या इस मामले को उठाने की अनुमति सम्बद्ध सदस्य को मिलनी चाहिए अथवा नहीं। यह इस सदन में होता आ रहा है, और मैं इसे देखता आ रहा हूं कि इससे पहले कि आप यह निर्णय लें कि क्या प्रस्तावित मामले में अनुमति देने का कोई प्रत्यक्ष कारण है, मामले को सदन में उठाया जाता है, और सभी तरह की बातें कही जाती हैं तथा चर्चा चलती रहती है जो कि मेरी विनम्र राय के अनुसार प्रक्रिया संबंधी नियमों के विपरीत है; इसलिए मेरा विचार यह है कि यहां पर दो नोटिस दिए गए हैं। दोनों ही सदस्य पिछले दो-तीन दिनों में कई बार बोल चुके हैं।

यह आप पर है कि आप संबंधित मंत्री से एक स्पष्टीकरण लें और यह निर्णय करें कि क्या अनुमति देनी चाहिए। अगर अनुमति दी जाती है, तो हमे भी इस बारे में काफी बातें कहनी है। हम अक्सर आने पर कहेंगे किन्तु इस प्रकार कभी कभी, अनियमित तरीके से नहीं कि कोई भी उठ कर अपनी बात कह रहा है। मैं संक्षेप में यही कहता हूं। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : महोदय, आपका निर्णय क्या है ? मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था यह है कि नोटिस मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि यह मेरे विचाराधीन है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री वसंत साठे : महोदय, अभी-अभी माननीय श्री आडवाणी ने आपका नियम 222 की ओर आकृष्ट किया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी ने इसका उद्धरण दिया था।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, यह तथ्य कि एक दिन आपने श्री दिनेश सिंह को यह कहने की अनुमति दी थी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव मे क्या है। कृपया नियम 222 देखिए···(व्यवधान) कृपया नियम पुस्तिका अपने पास रखिए। नियम 222 कहता है:

"कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के, या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो।"

इसलिए, जिस क्षण आपने माननीय श्री दिनेश सिंह को इसे सदन में रखने की अनुमति दी, तभी इस मामले को सदन में उठाने के लिए आपकी अनुमति मिल गई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : अन्यथा, अपने ही चेम्बर में आपने पहले से ही कह दिया होता कि आप इसे नहीं उठा सकते। आप इस प्रकार कह सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वसंत साठे : इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि··· (व्यवधान) अब चार दिन बीत चुके हैं। इमसे अधिक कुछ नहीं चाहिए···(व्यवधान) चार दिन बीत चुके हैं। आपको सदन को बताना पड़ेगा। आप हमें कह सकते हैं : "मैं अनुमति को अस्वीकार करता हूं।" मैं बुरा नहीं मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप अध्यक्ष को इस प्रकार या उस प्रकार कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : अब और क्या प्रमाण चाहिए ? जिस मंत्री ने, साथी ने वक्तव्य दिया है। वे यहां हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री साठे। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह मेरे विचाराधीन है। मैं निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री वसंत साठे :** कब ?

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** यह मैं नहीं कह सकता। मैं अपना निर्णय दूंगा। यह मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

**श्री वसंत साठे :** क्या हम इस सदन को अपनी मर्जी से चलाने जा रहे है ? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप मुझसे चैम्बर में मिल सकते हैं।

**श्री वसंत साठे :** हम आपसे मिल चुके हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप यह जानते हैं। मैं तत्काल कुछ नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

**श्री वसंत साठे :** जी।

इससे ज्यादा इन्फार्मेशन आपको क्या चाहिए ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** श्री अकबर, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) :** अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर ···

**अध्यक्ष महोदय :** खुराना जी, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कह कर, समाप्त करनी होगी।

**श्री मदन लाल खुराना :** अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेस में, दो सप्ताह से ज्यादा समय से, वहां के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की हुई है जिसके कारण कई रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है और जिस तरह से उस हड़ताल को खत्म करने के लिए, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह निन्दनीय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा—जहां तक उनकी मांगों का सवाल है, उनके बारे में

एक्शन कमेटी की केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसने स्वीकार कर लिया। मैं चाहूंगा कि उसके अनुसार काम हो। सरकार का यह रवैय्या कि हम इस हड़ताल को क्रश कर देंगे, ठीक नहीं है। किसी भी हड़ताल को क्रश करना हित में नहीं होगा। हमेशा के लिए मन में एक कुंठा बैठ जाएगी, जहर भर जाएगा। मैं दो निवेदन करना चाहता हूं, एक तो प्रधानमंत्री इसमें इन्टरवीन करें और सम्बन्धित मंत्रालय से बात करके इस हड़ताल का समझौता कराएं और दूसरे, होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को समझा लें कि वे हड़ताल को क्रश न करें। (व्यवधान)

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) : यह बड़ा गम्भीर मामला है, लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। मैंने ऐडजोर्नमैंट मोशन दिया है, श्री खुराना उसको सपोर्ट करें। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, यह एक स्ट्राईक का ही सवाल नहीं है, आल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसी एक प्रीमियर आर्गनाईजेशन के भविष्य का भी सवाल है। ऐसा कोई संस्थान देश भर में नहीं है। नई दिल्ली क्षेत्र में स्थित यह संस्थान एक स्ट्राईक के कारण, जिस स्ट्राईक के मुद्दे इतने छोटे हैं, वह स्ट्राईक करने वालों ने उचित किया कि नहीं किया इस बहस में जाए बिना मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि दो प्रमुख मांगें हैं। 1984 में एक कैडर रिव्यू हुआ था जिसमें कुछ कर्मचारी रह गए थे। उनकी मांग है कि जो कर्मचारी रह गए थे उनको भी कैडर रिव्यू मिलना चाहिए। डाक्टर टंडन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उस समिति ने सिफारिशें की थीं। उनकी मांग है कि वे सिफारिशें कार्यान्वित हों। मैं मान सकता हूं कि यदि समिति की सिफारिशें कार्यान्वित होती हैं तो ज्वाइंट काऊंसिल का भी उसमें हस्तक्षेप होता है, उसका परिणाम दूसरों पर होता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं और अगर कैडर रिव्यू का ही मामला मान लिया जाए कि बाकी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हड़ताल समाप्त हो सकती है। मैंने दो बार, तीन बार प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है, वित्त मंत्री से निवेदन किया है, स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन किया है। सार्वजनिक रूप से मैं पहली बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे से वित्तीय एमाउन्ट के कारण, पांच लाख या 19 लाख के तहत, इतनी छोटी सी राशि के कारण इतने बड़े संस्थान का सत्यानाश हो जाए, वह समाप्त हो जाए, यह उचित बात नहीं है। मैं इसलिए सार्वजनिक रूप से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि स्ट्राईक को जल्द से जल्द समाप्त कराने का कोई तरीका निकालें। जिस प्रकार से मेरे साथी ने कहा कि स्ट्राईक को तोड़ने के लिए और उन पर अत्याचार करना, पुलिस ज्यादती करना सर्वथा अनुचित है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : हम भी उनका समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार तुरन्त वार्ता शुरू करे और इस मामले को सुलझाए।

[हिन्दी]

**श्री हरीश रावत** : केवल 5 लाख 70 हजार रुपयों के लिए सरकार सारे लोगों को असुविधा में डाल रही है। इस मामले में केवल सरकार को छोड़कर सारा सदन एकमत है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : सदन की राय को कैबिनेट के सारे मंत्री सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री मदन लाल खुराना** : सरकार को आप निदेश दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : सारा हाउस कह रहा है मैं क्या कहूं । ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान में जब लगातार हड़ताल चल रही है तो हाउस की राय को सरकार समझकर इसके बारे में तुरन्त समाधान करने की कोशिश करेगी ।

(व्यवधान)

**श्री हरि केवल प्रसाद** (सलेमपुर) : मैं आपकी आज्ञा से सदन के सम्मानित सदस्यों के बीच में यह कहना चाहता हूं कि 1913 से अंग्रेजों द्वारा स्थापित दिल्ली में एक जिमखाना क्लब है । उस जिमखाना क्लब में अब तक उसकी जो नियमावली प्रक्रिया है उसमें भारतीय वेशभूषा में जिमखाना क्लब में कोई प्रवेश नहीं कर सकता । मैंने इस सिलसिले में मई के महीने में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि भारतीय वेशभूषा के तहत जिमखाना क्लब में प्रवेश पर तो वर्जित काम है, उस पर आप विचार करें और इसको राष्ट्रीय उद्योग घोषित करने का काम करें । माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पत्र के उत्तर में लिखा कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं और इसको दिखवा रहा हूं । 20 तारीख को मैं उनसे इस सम्बन्ध में मिला और मिलने के बाद पुन: उनसे कहा कि आपने मेरे पत्र के उत्तर में कहा था कि मैं इसे दिखवा रहा हूं तो उसको अभी तक दिखवाया क्यों नहीं ? जब मैंने उन्हें बताया कि भारतीय वेशभूषा में जिमखाना क्लब में कोई जा नहीं सकता है तो उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया । उन्होंने मुझसे पूछा कि यह जिमखाना क्लब कहां पर है ? मैंने कहा कि यह दिल्ली में अगर आपने 23 तारीख के चार बजे तक हमको इस बारे में कुछ नहीं बताया तो हम पांच बजे अपने साथियों के साथ भारतीय वेशभूषा में जिमखाना क्लब में प्रवेश करेंगे । मैं आपकी आज्ञा से इस चीज का यहां जिक्र कर रहा हूं । मेरा अनुरोध है कि···(व्यवधान)···

**अध्यक्ष महोदय** : आपका हो गया, आप बैठ जायें ।

**श्री हरि केवल प्रसाद** : मेरा अनुरोध है कि जिमखाना क्लब को 1987 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय उद्योग घोषित किया जाये ।

**प्रो० प्रेम कुमार धूमल** (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन का ध्यान और इस सरकार का ध्यान समाज के उस वर्ग की ओर दिलाना चाहता हूं जो कल वोट क्लब पर विकलांग लोग यानी कि अन्धे, लूले, लंगड़े और बहरे लोग भारी वर्षा में वहां रैली कर रहे थे । अगर समाज का और दूसरा कोई वर्ग होता तो वह शायद इतनी भारी वर्षा में वहां खड़ा न रहता । कल मैं, श्रीमती सुभाषिनी अली, श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री यदुनाथ पाण्डेय वहां गये तो भारी वर्षा में वह रैली कर रहे थे । वह मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे । उनके मन में ऐसी चिन्ता व्याप्त हो गई है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री आरक्षण बढ़ा रहे हैं अगर वह 50 परसेंट से ऊपर हो गई तो समाज का वह विकलांग अंग जिस पर समाज का दोष है ही, प्रकृति का भी है, वह आरक्षण सुविधा से वंचित हो जायेगा । हमारे कल्याण मंत्री जी ने आश्वासन दिया था राज्य सभा में कि मानसून अधिवेशन में एक विधेयक लाया जायेगा । प्रधानमंत्री जी का भी उनके पास आश्वासन है । 29-7-90 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वह इस सम्बन्ध में एक विधेयक लायेंगे । मेरा अनुरोध है कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम उठाये ।

**श्रीमती सुभाषिनी अली** (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी ने बताया, मैं आपके माध्यम से उसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी ताकि सब लोग यह समझ सकें कि कितना बड़ा

अन्याय उनके साथ हो रहा है। सारे देश के जो विकलांग लोग हैं, जो दृष्टिहीन लोग हैं, जो अन्धे हैं, अगर उनको किसी इम्तहान के लिए जैसे कि आई० ए० एस० की परीक्षा में बुलाया जाता है और रोल नम्बर भी दे दिया जाता है, जब वह इम्तहान देने जाते हैं तो उनको परीक्षा हाल से भगा दिया जाता है, जलील करके और यह कह कि आपको यहां इम्तहान देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि हम बेले में इम्तहान दे सकते हैं लेकिन उनकी यह मांग भी नहीं मानी गई है। इस तरह का अन्याय आज उनके साथ हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, अब आप बैठ जायें।

**श्रीमती सुभाषिनी अली** : मैं चाहती हूं कि पूरा सदन सख्त से सख्त शब्दों में इसका खंडन करे, इसकी निन्दा करे। उनकी जो परेशानियां हैं उन पर हमारी सरकार जल्द से जल्द ध्यान देने की कृपा करे। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें। आप सब खड़े हो गये, इस तरह नहीं करना चाहिए। जब आपका जी चाहे, तब खड़ा हो जाना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें। मैं आपको बुलाऊंगा।

**प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** (दिल्ली सदर) : माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के एक थाने में एक निर्दोष आदमी की कल पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई और उस हत्या के सम्बन्ध में पुलिस ने खुद कहा है कि वह निर्दोष था, हमने उसे पकड़ा नहीं था, वह खुद थाने में रहने के लिए आ गया। कोई आदमी खुद थाने में रहने के लिए क्यों जायेगा। पुलिस द्वारा उसकी वहां पर जिस प्रकार से हत्या हुई उससे आज वहां पर सारा इलाका बन्द है और लोग उसके शव को लेकर हजारों की संख्या में वहां पर बैठे हुए हैं। उसकी इन्क्वायरी सी० बी० आई० से कराई जाए, पुलिस के वहां जो अधिकारी हैं, उनको तुरन्त निलम्बित किया जाए और मृतक के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। मैं चाहता हूं, गृह मंत्री जी उनसे कहें कि वह इसके कारण बतायें, क्योंकि, इससे दिल्ली के थानों में जो लोग मर रहे हैं, उसके कारण से पुलिस बेलगाम हो गई है और बेलगाम होने पर अगर होम मिनिस्टर उसको चैक नहीं करेंगे और थाने में इस प्रकार की हत्याएं होंगी तो कैसे चलेगा। आप कम से कम उनसे कहें कि उनके बारे में क्या स्थिति है, वह बतायें। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें, मैं आ रहा हूं। कालका दास जी, एक मिनट में समाप्त करिये आप।

**श्री कालका दास** (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, कल दिल्ली में वर्षा से 4 बजे मेरे क्षेत्र में जहां भूले बिसरे गरीब कलाकार रहते हैं, जिनको कठपुतली कालोनी कहते हैं, उसमें वर्षा से दीवार गिरने के कारण तीन गरीब लोगों की मृत्यु हो गयी, 5 लोग गम्भीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनकी कंडीशन बहुत खराब बतायी जाती है। इस दीवार के साथ जो चार फीट ऊंची पटरी थी, वर्षा हो जाने से वह भी गिर गयी। अभी एक डेढ़ साल पहले ही यह बनी थी। यह दीवार स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मैटीरियल न लगने के कारण और सीमेंट कम लगने के कारण थोड़ी-सी वर्षा में ही गिर गयी,

सरकार के गलत काम करने के कारण तो एक तो इसकी जांच होनी चाहिए। इस दीवार को, जिसके गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गयी, ठेकेदार, इंजीनियर और उस समय के निगम पार्षद, तीनों ने मिलकर ऐसी दीवार बनवायी कि उसके साथ की पटरी भी गिर गयी। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करायी जाये और जो मर गये हैं उनको एक-एक लाख रुपया, जो सरकार की नीति है, गरीब लोगों को एक-एक लाख रुपया दिया जाये और जो जख्मी हुए हैं उनको 30-30 हजार रुपये दिए जायें और इसकी जांच कराकर जो लोग दोषी हैं, उनको दण्ड दिया जाए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें। आप रिपीट क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री सूर्य नारायण यादव** (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, आप समाजवादी हैं और आपसे इस देश में गरीब लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं। कल दिल्ली में अति वर्षा होने से 8 लोग मलबे के नीचे दब गये, जिनमें से तीन की स्पाट पर मृत्यु हो गयी और 5 आदमी डा० राम मनोहर लोहिया हास्पिटल में इलाज करा रहे हैं। सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं यह पूछना चाहता हूं, जब हिन्दुस्तान में और जगह···(व्यवधान)···यह सारे मजदूर बिहार के हैं और उस प्रान्त के लोगों के साथ इस तरह की घटना घटती है तो सरकार मुआवजा देने का काम करती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक मृतक परिवार को एक-एक लाख रुपया मुआवजा दे और उनका शीघ्र घर बनाने की व्यवस्था करे···

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें, हो गया।

**श्री सूर्य नारायण यादव** : आप बोलने ही नहीं देते हैं। 5 व्यक्ति घायल हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, उन्हें भी अनुदान दें और सरकार शीघ्र इसकी व्यवस्था करे। (व्यवधान)

**श्री हरीश रावत** : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन बार की बारिश में···(व्यवधान)···

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें। जब एक माननीय सदस्य को बुलाया है तो आप को सुनना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

**श्री हरीश रावत** : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन बार की बारिश में उत्तर प्रदेश की दो नदियों में जिनमें एक राम गंगा है और दूसरी कोसी है और गंगा नदी के कुछ भागों में भयंकर बाढ़ आयी है। उस बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर के कुछ हिस्सों और नैनीताल के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ से तबाही हुई है। उत्तर प्रदेश का कुछ पर्वतीय इलाका है, जहां उसी समय में भयंकर भू-स्खलन हुआ है और उस कारण भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।···(व्यवधान)··· नीलकंठ के क्षेत्र गढ़वाल में भयंकर तबाही हुई है और कई यात्री मारे गए हैं। लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार ने कोई मदद इस मामले में उत्तर प्रदेश को नहीं दी है और न उसका अध्ययन करने के लिए कोई टीम भी गयी है। आज हालत काफी खराब हो गयी है। पीलीभीत के इलाके में, नैनीताल के इलाके में और रामपुर के इलाके में महामारी फैली हुई है। दर्जनों बच्चे महामारी के कारण मर गए हैं। मैं समझता हूं कि बरेली के जो सांसद हैं और पीलीभीत के जो सांसद हैं, वे भी मेरी बात की ताईद करेंगे।···(व्यवधान)···

**अध्यक्ष महोदय** : सूर्य नारायण जी आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

**श्री हरीश रावत** : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया उन्हें कंट्रोल कीजिए।...(व्यवधान)... भयंकर बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में भी जमीन के सरकने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नीलकंठ के क्षेत्र में लोग मारे गए हैं। बरेली, पीलीभीत, रामपुर के इलाकों में महामारी फैली हुई है। सैकड़ों बच्चे मर गए हैं और लोग हैजा तक की बीमारी से परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि वहां एक डाक्टर्स की टीम भेजकर मदद दी जाए और दूसरे केन्द्रीय अध्ययन दल भेजकर उत्तर प्रदेश सरकार को वांछित मदद दें, ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। इस बात का समर्थन बरेली और दूसरे इलाकों के जो संसद सदस्य हैं, वे भी करेंगे। (व्यवधान)

**श्री सूर्य नारायण यादव** : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जायें। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

**श्री सूर्य नारायण यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं उठूंगा। आप अनुदान की घोषणा करवाइए, कफन तक के लिए उनके पास कपड़ा नहीं है।...(व्यवधान)...

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संसद की मर्यादा का पालन करें। उन्होंने जो मजदूरों के बारे में कहा है...

**अध्यक्ष महोदय** : संसद सदस्य हैं, लेकिन मर्यादा का पालन नहीं करेंगे।

**श्री सुबोध कान्त सहाय** : उन्होंने जो सवाल उठाया है, उनकी जो भावना है, उन्होंने कफन की बात कही है, मैं दिल्ली प्रशासन को निर्देश देता हूं कि उनके लिए सारी सुविधा करे। जो मर गए हैं, उनके लिए सब कराकर, अन्त्येष्टि करा दे। (व्यवधान)

**श्री राजवीर सिंह (आंवला)** : अध्यक्ष महोदय, बरेली, बदाऊं, नैनीताल, पीलीभीत में पहले बाढ़ आयी थी और फिर दोबारा बाढ़ आयी है। यहां कोई भी केन्द्रीय अध्ययन दल नहीं गया है और न ही केन्द्रीय सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी है। बरेली जिले में महामारी से 25 लोग मारे जा चुके हैं। विशेष रूप से मेरे चुनाव क्षेत्र में, जो दो बड़ी नदियों के बीच में पड़ता है, वहां पर केन्द्रीय सरकार ने कुछ भी अभी तक नहीं किया है और प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो सहायता दी जा रही है, वह एक व्यक्ति को दो सौ रुपये है।

मैं पूछना चाहता हूं केन्द्र सरकार से कि जिसका छप्पर बह जाता है, जिस गरीब का छप्पर बह जाता है, क्या 200 रुपये में उसका छप्पर बन सकता है। उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है, फसलें चौपट हो गई हैं और किसान भूखों मर रहा है, लोग मर रहे हैं, रास्ते बन्द हो गये हैं, दो-दो बार गंगा की बाढ़ से वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार उस क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाए और वहां के निवासियों को आर्थिक सहायता पहुंचाए। (व्यवधान)

**श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी से डेढ़ महीने से भयंकर बाढ़ आई हुई है और जमीन का भयंकर कटाव हुआ है, जिसकी वजह से दसियों गांवों ने जल-समाधि ले ली है और लाखों लोग बेघर हो गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई सहायता वहां के निवासियों को नहीं मिल रही है। सारे लोग तबाह हो रहे हैं, चारे और पानी तथा दवाइयों की भयंकर कमी वहां पर है, सारे लोग दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं। मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर विशेष टीम तुरन्त भेजकर अध्ययन करवाएं और चाचरा की बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए कोई स्थायी हल निकाला जाए, ताकि वहां के निवासियों को राहत मिल सके। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कुमारमंगलम।

(व्यवधान)

12.42 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम** (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मामले अर्थात तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियों पर नियम 193 में अंतर्गत चर्चा शुरू हुई थी और अभी आधी चर्चा भी पूरी नहीं हुई है। अभी हाल ही में स्थिति और भी बदतर हो गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 90000 शरणार्थी अब तमिलनाडु में पहुंचे हैं और उन्हें बांट दिया गया है। आर्थिक सहायता की बात तो छोड़िए उन्हें किसी प्रकार भी आवश्यक सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। उन्हें शिविरों में भी नहीं रखा गया। उन्हें सुनसान मैदानों में फेंक दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, 16 अगस्त को, जब भारत के राष्ट्रपति राजभवन में थे तो एक गंभीर घटना हुई। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने राजभवन में जहां राष्ट्रपति ठहरे हुए थे उसके बिल्कुल पास एक इन्सपेक्टर को गोली मार दी, तमिलनाडु में सुरक्षा का यह स्तर है। अतः, नियम 193 के अंतर्गत तमिलनाडु में लिट्टे की गतिविधियों पर चर्चा पर शीघ्र बहस होनी चाहिए। चर्चा सिर्फ लगभग आधे घण्टे तक हुई। अब यह सम्भित है। अतः, मैं अनुरोध करूंगा कि इसे शीघ्र रखने के लिए कार्य मंत्रणा समिति को सौंप दिया जाए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अग्निहोत्री।

[हिन्दी]

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र का प्रश्न है। आज सुबह ललितपुर जनपद से मेरे पास टेलीफोन से समाचार आया है कि वहां पर 200 किसानों को जेल में बंद कर दिया गया है और यातनाएं दी जा रही हैं। किसानों को यातनाएं इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने पुराना कर्ज अदा नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अब वर्षा का समय है और वहां पर पिछले 3 वर्षों से उपज नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर कर्ज वसूली के नाम पर उनको यातनाएं दी जा रही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वहां पर सिर्फ रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल उस जिले में नहीं होती। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि रबी की फसल तक वहां के किसानों को इस तरह से यातनाएं देना बंद किया जाए और वसूली को तत्काल रोका जाए।

**श्री एम० जे० अकबर** (किशन गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने सुना कि हमारे गृह मन्त्री जी ने पंजाब के बारे में एक अनाउंसमेंट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां के 30 हजार बेरोजगार

युवकों को एक-एक लाख रुपया दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब की गंभीर स्थिति के बारे में सब चिंतित हैं, हम सब जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और वहां के युवकों को टेररिज्म से हटाना चाहिए, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि 300 करोड़ रुपया, यह जो देने का वादा किया गया है, यह 300 करोड़ रुपया आएगा कहां से। दूसरी बात यह है कि पैसा फेंक कर आप क्या सिग्नल देते है। देश में जितनी कांस्टीट्यूएंसीज हैं, सब में बेरोजगार युवक भरे पड़े हैं। हम जाकर क्या बोलेंगे। एक लाख रुपया यूथ मांगेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। क्या यह कहना पड़ेगा कि संसेसनिस्ट मूवमेंट करो तब सरकार की तरफ से एक लाख रुपये मिलेंगे। आप क्या करना चाहते हैं और कहां से करना चाहते हैं ? किसान को 10 हजार रुपये आप आज तक दे नहीं पाए, एक लाख रुपया 30 हजार युवाओं को कहां से देंगे ? यह क्या इरिसपोंसिबिलिटी हो रही है। यह कैसे सम्भालेंगे आप ? सरकार इस बारे में ध्यान दे।

[अनुवाद]

**श्री ए० एन० सिंह देव** (आस्का) : महोदय, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम से निकाले गए लगभग एक हजार कर्मचारी पिछले तीन-चार दिनों से श्रम शक्ति भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। कल, वे पूरी तरह वर्षा में भीग गए और आज उनमें से कई बीमार पड़ गए। समस्या यह नहीं है कि सरकार आज नहीं सुन रही बल्कि पिछले तीन सालों से सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। पिछली सरकार ने और निगम ने सभी श्रमिकों की छंटनी कर दी और वे सिर्फ तीन हजार अधिकारियों को पाल रहे हैं जो तीन चार हजार रुपए मासिक वेतन पा रहे हैं। जब किसी निगम की स्थापना की जाती तो इसका फर्ज सिर्फ अधिकारियों को ही बल्कि श्रमिकों को भी काम देना होता है। उन्होंने इन श्रमिकों की छंटनी कर दी हैं और वे सारा काम ठेकेदारों से करवा रहे हैं। ठेकेदारों से बचने के लिए ही यह निर्माण कम्पनी बनाई गई थी। कांग्रेस शासन के दौरान ठेकेदारों की यह व्यवस्था लागू की गई थी। इन श्रमिकों को राहत देने के लिए मंत्री जी को तुरन्त कुछ कदम उठाने चाहिए···(व्यवधान)।

**श्री लोकनाथ चौधरी** (जगतसिंहपुर) : महोदय, उड़ीसा में आये हुए चक्रवात के बारे में, मैंने इस विषय को कल भी उठाया था, किन्तु ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह एक गम्भीर विषय बन गया है। यदि मन्त्री महोदय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, तो हमें क्या करना चाहिये ? इस सत्र में कोई कार्य नहीं होगा। सदन की कार्यवाही के उचित संचालन के लिए मन्त्री सहयोग नहीं कर रहे है ··(व्यवधान)

**श्री अन्बारासु इरा** (मद्रास मध्य) : माननीय सदस्य श्री कुमारमंगलम तमिलनाडु में 'लिट्टे' की आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्धित विषय को पहले ही उठा चुके हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तब आपको इस विषय को उठाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री अन्बारासु इरा** : मैं एक मिनट में ही आपको सारा घटनाक्रम बता दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सारा घटनाक्रम नहीं, कृपया संक्षेप में कहें।

**श्री अन्बारासु इरा** : 19 तारीख को, सोलह अन्य लोगों के साथ ई० पी०आर० एल०एफ० के महासचिव श्री पद्मनाभन की हत्या कर दी गई थी। हमने कई बार सदन में इस विषय को उठाया है, किन्तु किसी भी मन्त्री ने, चाहे वे विदेश मन्त्री हों या गृह मन्त्री, 'लिट्टे' की गतिविधियों सम्बन्धी वक्तव्य देने में जरा सी भी रुचि नहीं दिखाई है।

अन्य स्तब्धकारी बात यह है कि एक बन्दूक पेड़ से लटकी पाई गई थी और एक शरारती बच्चा लड़का पेड़ पर चढ़कर वह बन्दूक नीचे उठा लाया···(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक नियमित चर्चा नहीं है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री अन्वारासु इरा** : एक मिनट। महोदय, जब उस लड़के ने वह बन्दूक चलाई, तो उसे गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई।

महोदय, हमारे मछुआरों का अपहरण किया जा रहा है, हमारे सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों का अपहरण किया जा रहा है। तमिलनाडु में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं और यह सरकार इस विषय में बिलकुल भी रुचि नहीं दिखा रही है। यह एक गम्भीर समस्या है। तमिलनाडु में 'लिट्टे' की तस्करी की गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसलिए, जब तक संसदीय कार्य मन्त्री कोई वक्तव्य नहीं देते या नियम 193 के अधीन इस विषय पर यहां कोई चर्चा नहीं कराते हम इस स्थिति को जारी रखेंगे। इसलिए, मैं सरकार से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

**प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, बोट क्लब पर जो नेत्रहीनों, विकलांगों की रैली हुई थी, उसमें हम लोग भी गए थे, की ओर दिलाना चाहता हूं। आज समाज में उनकी स्थिति बहुत खराब है। आरक्षण का जो सवाल है, यह अनुसूचित जाति को मिल रहा है, जनजाति को मिल रहा है और पिछड़े वर्ग को मिल रहा है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो पीछे हैं, नेत्रहीन हैं, लूले-लंगड़े हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। वे प्रधान मंत्री के निवास पर उनसे मिलने गए थे, लेकिन वहां के जो सैक्रेटरी हैं, मैं उनको नहीं जानता, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, उन्होंने उन लोगों को प्रधान मन्त्री से मिलने नहीं दिया। इस समाज में इतनी उपेक्षा उनकी हो रही है। नेत्रहीन और विकलांग किसी पाप के भागी नहीं हैं और किसी हीन भावना से ग्रसित हैं और कुपोषण का परिणाम है। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों की मुलाकात प्रधान मन्त्री जी से करा दें। जो हीन भावना से ग्रसित रहे हैं उससे उनको उबारा जाए।···(व्यवधान)

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, नेत्रहीन और विकलांग लोगों ने कल बड़ी रैली की। पानी बरसने पर भी नेत्रहीन और विकलांग प्रदर्शन करते रहे। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब मैं पिछली बार सदस्य था तो उस समय मेरे आवेदन पर सरकार ने यह निर्णय दिया था कि विकलांगों को सी और डी वर्ग में तीन परसेंट आरक्षण दिया जायेगा। जब मैंने पिछले सत्र में प्रश्न पूछा तो शासन ने यह जरूर कहा कि ए और बी श्रेणी में भी तीन परसेंट आरक्षण दिया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि 50परसेंट से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। साढ़े बाईस परसेंट हरिजन-आदिवासियों को और 27 परसेंट मंडल कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्ग के लिए हो गया यानी साढ़े उनचास परसेंट हो गया तो परसेंट कहां तक हो पायेगा। वह तो पचास परसेंट से अधिक हो जायेगा। शासन द्वारा इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि नेत्रहीन और विकलांगों की जो आरक्षण व्यवस्था है, उसमें कोई अन्तर हो पाये।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : शास्त्री जी, आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

**श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : कुछ दिन पहले प्रधान मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस सैशन में विकलांगों के बारे में एक विधेयक आयेगा। अभी तक कोई विधेयक नहीं आया। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से और माननीय कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि विकलांग की स्थिति को देखते हुए तुरन्त ही उनके लिए बिल लाया जाए।

**श्री जे० पी० अग्रवाल** (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में···(**व्यवधान**)

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी से मिलने के लिए वे लोग घूम रहे हैं···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अपवाद के रूप में, एक मुद्दे पर एक या दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जा सकती है। यह एक नियमित चर्चा नहीं है।

(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

**श्री जे० पी० अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में बुरी हालत हो रही है। आज आठ-दस घन्टे बिजली नहीं आती। पुरानी दिल्ली की सारी गलियां अंधेरे में डूबी पड़ी हैं और पानी नहीं है और मकान बरसात के कारण गिरे पड़े हैं। मेरी कांस्टीच्युएंसी में सत्रह साल का लड़का मरा है और एक बुढ़िया का सिर फट गया। उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या हम दिल्ली वाले इसी तरह मरते रहेंगे। सारी बिजली और पानी मदर के अन्दर है। वहां से बी०जे०पी० के लोग जीते हुए हैं तो फिर हमारा गुनाह क्या है। (**व्यवधान**) ये लोग अपने घर पर लोगों को बुलाते हैं और डराते-धमकाते हैं और कहते हैं कि बिजली पानी नहीं आता। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली में लोगों को परेशान करेंगे और तंग करेंगे तो कि तरह इनके प्रति प्रदर्शन करेंगे। आपने दिल्ली का नाश कर दिया।···(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं एक सदस्य को एक ही मौका दूंगा, आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

**श्री आरिफ बेग** (तूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश अपने देश का सबसे बड़ा प्रान्त है और इतना बड़ा प्रान्त है कि कोई आयल रिफायनरी नहीं है, जबकि इसका फैसला हो चुका था। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के खिड़किया में आयल रिफायनरी भारत पैट्रोलियम कायम करने जा रहा है और लैटर आफ इन्टैंट भी इस्यू होने वाला है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समाचार-पत्रों से इस बात का ज्ञान हुआ है कि इस आयल रिफाइनरी को मध्य प्रदेश से हटाकर अन्यत्र कहीं ले जाया

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जा रहा है। मैं प्रधान मन्त्री से मांग करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और यह आयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में उसी स्थान पर लगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसी बातें उनसे कह दें।

**श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार)** : मैंने आज लोक सभा अध्यक्ष जी को नोटिस देकर उनका ध्यान इस बात पर आकर्षित करने की कोशिश की थी···

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर हर नोटिस के बारे में विचार करेंगे तो बहुत समय लगेगा।

**श्री जगपाल सिंह** : दूरदर्शन पर भेदभाव चल रहा है। इसका ज्वलन्त उदाहरण है कि 20 तारीख को मैंने लोक सभा में अपने क्षेत्र में गिराई गई मस्जिद के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन दूरदर्शन में उसका कोई जिक्र नहीं आया। क्योंकि वह मस्जिद का मामला था, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राम जन्म भूमि की कोई बात उठाते हैं तो दूरदर्शन उस पर एक्शन लेता है और उनकी खबर प्रसारित करता है। मैं अनुरोध करता हूं इस देश में एक आशंका फैल रही है कि पी० उपेन्द्र मन्त्री जी एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय दूरदर्शन को प्राइवेट लिमिटेड बनाते जा रहे हैं। मुसलमानों के लिए एक शब्द भी नहीं प्रसारित किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करिये। मैंने रेल मन्त्री से बात की, गृह मन्त्री से बात की। सरकार चाहती है कि वहां दो सौ-चार सौ हिन्दू-मुसलमान मरें तभी वहां मस्जिद का निर्माण शुरू कराया जाये। मेरी मांग है कि वहां पर रेल मन्त्री जी को भेजा जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप लम्बा मत करें, दूसरे साथी भी बोलना चाहते हैं।

**श्री हरिशंकर माहले (मालेगांव)** : बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर सेंट्रल हाल में लगाई गई है, तब से जो संसद समाचार दूरदर्शन पर आते हैं उनका मुखड़ा दिखाई नहीं देता है। दूरदर्शन पर उनका चेहरा भी आना चाहिए।

**श्री कालका दास (करोल बाग)** : अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जो पहले से चित्र दिखाया जाता था···

**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसे नहीं, कृपया आप बैठें। बाजपेयी जी।

**डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी (सीतापुर)** : आज के बिजनेस में 24 नम्बर पर

[अनुवाद]

"देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर अत्याचारों पर चर्चा"

[हिन्दी]

रखी गयी है जो बिलकुल आखिर में है। कल इस पर चार बजे डिसकशन शुरू हुआ था, ऐसा लगता है कि आज सरकार की इस पर डिसकशन कराने की मंशा नहीं है, वह इसे आज पूरा नहीं करना चाहती। इसलिए इसको आखिर में डाल दिया गया। समय खत्म हो जायेगा और लोग उठकर चले जायेंगे। मैं चाहता हूं कि चार बजे इस पर डिसकशन होगा, इसकी आप घोषणा करें। दूसरे काम रोककर चार बजे इस विषय पर चर्चा शुरू कराई जाये।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं विभिन्न दलों के सचेतकों से कहूंगा कि वे मिलकर इसका निर्णय लें और हमें बताएं।

[हिन्दी]

**श्री युवराज** (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में सबसे ज्यादा अभ्रक बिहार में पाया जाता है। उसका निर्यात माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन करता रहा है। जो कि पटना में है। 1971-73 में जब उसने पूंजी निवेश किया तो कुछ 16 करोड़ रुपया था, गत वर्ष 1988-89 में उसने 30 करोड़ रुपये का निर्यात किया। 1500 मजदूर एम० एम० टी०सी० में मर्ज होने के बाद बेरोजगार हो गये हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन मुख्यालय यथा पूर्ववत् कायम रखा जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह लम्बे रूप में चलने वाली चीज है।

[अनुवाद]

वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय होना चाहिए।

**श्री कमल चौधरी** (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंगलवार को भारतीय नौसेना का जल-पोत, अण्डमान, 128 कर्मचारियों सहित बंगाल की खाड़ी में डूब गया था। अब तक केवल 113 को ही बचाया जा सका है और 15 को बचाया जाना शेष है। ऐसी आशंका है कि शायद वे डूब गए हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह जलपोत, जो शान्ति-कालीन प्रशिक्षण मिशन पर था, यह एक सामान्य कार्यवाही है तथा जो पेत्या श्रेणी का जलपोत है—नष्ट हो गया है।

क्या मैं प्रधान मन्त्री से, जो रक्षा मन्त्री भी हैं, यह जान सकता हूं कि इस दुर्घटना का क्या कारण था; मौसम सम्बन्धी सूचना उपलब्ध क्यों नहीं थी जबकि भारत के पास मौसम सम्बन्धी निगरानी और भविष्यवाणी सम्बन्धी उपकरण विश्व स्तर के हैं। क्या मैं माननीय रक्षा मन्त्री से यह जान सकता हूं कि यह दुर्घटना किस कारण हुई और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी दुर्घटनाएं न हों, क्या कदम उठाए जाएंगे।

**1.00 म० प०**

[हिन्दी]

**डा० एस० पी० यादव** (सम्भल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सम्भल में इस समय गंगा नदी के कटाव से भयंकर विनाश लीला हो रही है। वहां पर हसनपुर का बांध कट रहा है और लगभग कट चुका है जिससे 1000 गांव गंगा के कटाव में डूब जायेंगे। इसके अलावा बदायूं जिले की सम्भोर तहसील में भी तीन गांव गंगा के कटाव द्वारा काट दिये गये हैं जिसकी सूचना मैं पहले ही सदन को दे चुका हूं। इस प्रकार मुरादाबाद जिले की हसनपुर एवं बदायूं जिले की सम्भोर तहसील बुरी तरह से गंगा के कटाव से प्रभावित हैं। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि वे वहां जायें, स्वयं सर्वेक्षण करें और प्रभावित लोगों को बाढ़ की विभिषिका से राहत पहुंचायें।

[अनुवाद]

**श्री मनोरंजन भक्त** (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : जल परिवहन अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के जीवन का आधार है। आप जानते हैं कि पिछले छः महीनों के दौरान अन्तः द्वीपीय जहाज रानी सेवा काफी खराब रही है, क्योंकि समुद्र में काम करने वाले कर्मचारी लम्बे समय से वेतनमान और अन्य लाभ की मांग कर रहे हैं। दुर्भाग्य से जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय और अन्य सम्बन्ध अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप, अण्डमान और निकोबार द्वीपों में लगातार आन्दोलन हो रहे हैं। जल-भूतल परिवहन के माननीय मन्त्री यहां पर हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया अण्डमान और निकोबार प्रशासन के अधीन नावों और जलपोतों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों की ओर ध्यान दें। उनके मन्त्रालय में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव लम्बित पड़े है। मैं उनसे इस सम्बन्ध में वक्तव्य चाहूंगा।

[हिन्दी]

**श्री कंकर मुंजारे** (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्वालियर जिले के अन्दर रायरू इलाके में शराब का बहुत बड़ा कारखाना चल रहा है। उस कारखाने से जो पानी निकल रहा है, उससे मवेशी, मेंढक और तालाब की मछलियां मर रही है। लोगों को आने-जाने में बहुत मुश्किल हो गयी है। उस पानी से ऐसी सड़ांध निकल रही है कि लोगों में बीमारी फैल सकती है। उस पानी के चलते जमीन परती होती जा रही है जिससे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेशनल हाईवे पर स्थित इस कारखाने के मालिक ने एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापारियों से मिलकर वाटर फिल्टर प्लांट लगाना चाहिये था, वह नहीं लगा रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सरकार को बताया गया है। मेरा आग्रह है कि इस कारखाने पर रोक लगायी जाये। अभी 20 तारीख को जनता दल की ओर से दो एम० एल० ए० सर्वश्री गजराज सिंह, तोषण सिंह एवं श्री विजेन्द्र तिवारी एवं मैं स्वयं एक मैमोरेंडम लेकर कलेक्टर के पास गये थे। प्रदर्शन एवं जुलूस निकाला गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित भी किया है कि इस मामले में शीघ्र कदम उठाये जायें और इस पर रोक लगायी जाये वरना वहां के लोगों ने रेल का चक्का जाम करने का निश्चय कर लिया है। चूंकि यह गंभीर मामला है, इसलिए सरकार तत्काल इस ओर ध्यान दे।

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुम्बई में एअरफोर्स का जहां डिपो है, वहां दीवार गिरने से कल दस लोग मर गये और उनमें से भी 6 व्यक्ति एक परिवार में हैं। यह एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। मैं प्रधान मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक्सीडेंट दुबारा न हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने मृत लोगों की सहायता के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? वहां पर जो और लोग रहते हैं, उनको आल्टरनेट दूसरी जगह देने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

**श्री संतोष कुमार गंगवार** (बरेली) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आज डाक एवं तार विभाग के पोस्टमैन और चतुर्थ श्रेणी के हजारों कर्मचारी प्रधान मन्त्री के निवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सन् 1984 से जो इनकी भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसे समाप्त किया जाये। सन् 1984 में इन कर्मचारियों की संख्या 6 लाख थी जो आज बढ़ने के बजाय 14 प्रतिशत कम हो गयी है जबकि प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में 200 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। चूंकि

माननीय संचार मन्त्री यहां सदन में बैठे हुए हैं, इसलिए में चाहता हूं कि मन्त्री जी उनकी न्यायोचित मांग पर शीघ्र ध्यान दें ताकि कारंवाई की जा सके।

[अनुवाद]

**श्री एन० सुन्दरराज** (पुडुकोट्टाई) : मैं इस सदन का और सरकार का ध्यान मद्रास में राज भवन में भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई सुरक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल ही में हमारे राष्ट्रपति मद्रास गये थे और वे राज भवन में ठहरे थे। ठीक उनके कमरे के सामने पुलिस अधिकारियों -- एक कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर के बीच गोली चलाने की घटना हुई थी। कांस्टेबल ने अपनी राइफल उठाई और सब इंस्पेक्टर पर तीन बार गोली चलाई। वह घायल हो गया और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। यह घटना राज भवन में राष्ट्रपति के कमरे के सामने हुई। तमिलनाडु में यह स्थान सबसे अधिक सुरक्षित स्थान माना जाता है। सरकार द्वारा राष्ट्रपति को इस प्रकार की सुरक्षा दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन के सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

---

1.05½ म० प०

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### मन्त्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1990 तथा राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 1990

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) मन्त्रियों के संबलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1990, जो प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ 10/9/90 एम एण्ड जी में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1252/90]

(2) राष्ट्रपति (उपलब्धि और पेंशन) अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) नियम, 1990, जो 30 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 676 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1253/90]

### महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)** : मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा०का०नि० 549 (अ), जो 13 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1990, का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 634 (अ), जो 13 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 635 (अ), जो 13 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) पहला संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1254/90]

[हिन्दी]

## महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमेश्वर सिंह)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी विधिनियम, 1956 की धारा 691क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1255/90]

———

1.06 म० प०

## प्राक्कलन समिति

### पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

**श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—सीमा-शुल्क—अधिकृत माल के लेखे, भण्डारण, मूल्य-निर्धारण तथा निपटान के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 75वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गृह मंत्रालय—अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 81वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

1.06½ म० प०

## लोक लेखा समिति

### पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) बोक्सन वैगनों के सम्बन्ध में 122वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में पहला प्रतिवेदन ।

(2) कोयला तथा कोक संचालन के सम्बन्ध में 64वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।

(3) मूल्यांकन कक्षों के कार्यकरण तथा स्थावर सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में 116वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में तीसरा प्रतिवेदन ।

(4) भारतीय वायु सेना में विमान लेने के सम्बन्ध में 127वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गयी कार्यवाही के बारे में चौथा प्रतिवेदन ।

———

1.07 म० प०

## याचिका

### (एक) इंडियन एयरलाइन्स में इन-फ्लाइट सर्विस विभाग का गठन

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : मैं इंडियन एयरलाइन्स में उड़ान के भीतर सेवा विभाग के गठन तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में श्री प्रोज्जवल कुमार बन्द्योपाध्याय तथा इंडियन एयरलाइन्स के केबिन कर्मी दल के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करती हूं ।

### (दो) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना

[हिन्दी]

श्री पुंडलिक हरी दानवे (जालना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक सांविधिक बोर्ड की स्थापना करने के बारे में सर्वश्री संजीव भास्कर देशपांडे, दिलीप भाउसाहिब तोउर तथा महाराष्ट्र के जालना जिले के अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

———

1.07½ म० प०

## स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : प्रो० मधु दण्डवते की ओर से मैं प्रस्ताव

* दिनांक 23-8-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित ।

करता हूं कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अनिल शास्त्री** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

1.08 म० प०

## अध्यादेश के बारे में विवरण

### स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार (संशोधन) अध्यादेश, 1990

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : प्रो० मधु दण्डवते की ओर से मैं स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के लिए कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1256/90]**

---

1.08½ म० प०

## विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक*

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : प्रो० मधु दण्डवते की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री अनिल शास्त्री** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 23-8-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

1.08½ म० प०

## अध्यादेश के बारे में विवरण

### विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : प्रो० मधु दण्डवते की ओर से मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के लिए कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1256/90]

———

1.09 म० प०

## संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक*

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : श्री पी० उपेन्द्र की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री सत्यपाल मलिक** : मैं विधेयकों पुर:स्थापित करता हूँ।

———

1.09½ म० प०

## चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) संशोधन विधेयक*

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अरंगिल श्रीधरन** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

———

* दिनांक 23-8-90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

---

2.15 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.15 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[हिन्दी]

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ऐटरोसीटीज आन वूमैन, जो श्रीमती गीता मुखर्जी ने उठाया था, उसे आपने समय का निर्णय किए बिना लास्ट में रख दिया है तो महिलाओं की क्या हालत है।

[अनुवाद]

यह संसद सदस्यों पर भी अत्याचार है।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : हम सभी उनका समर्थन करते हैं।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : विदेश मंत्री के वक्तव्य के तुरन्त बाद महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा के विषय को लिया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले भी यह मुद्दा उठाया गया था यहां पर। मैंने कहा था कि अलग-अलग पार्टियों के विप एक-दूसरे के साथ बात करके टाइम फिक्स करके बताएं कि किस टाइम करना चाहेंगे क्योंकि कुवैत के ईशू पर भी शायद कुछ लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। दोनों चीजें किस प्रकार से हो सकें, इसलिए मैंने बात करने के लिए कहा था। आप अपने विप को बुला लीजिए।

[अनुवाद]

उन्हें एकत्र होने दीजिए और मुझे सूचित करने दीजिए कि महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में इस चर्चा को किस समय शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : नियम 377 के तुरन्त बाद इसको ले लिया जाना चाहिए और चार बजे तक इसको चलाइए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप जो भी करना चाहते हैं, एक-दूसरे से बात करके हमें बता दीजिए।

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) हमने अपना दृष्टिकोण गवर्नमेंट को बता दिया है लेकिन गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है। हम तो चाहते हैं कि या तो ईमीडेटली ले लिया जाए नहीं तो चार बजे के बाद ले लें।

**श्री बसंत साठे** (वर्धा) : मैं यह कह रहा था कि ऐटरासीटीज आन विमेन आधा छूटा हुआ महत्व का विषय है। प्रसार भारती पर तो दो-तीन दिन तक बात चलेगी क्योंकि आठ घंटे हैं। इसलिए आज नियम 377 के बाद आधे छूटे हुए विषय को ले लीजिए, उसे समाप्त करके चार बजे गुजराल साहब का स्टेटमैंट होगा, उसके बाद प्रसार भारती शुरू कर दें तो सबके लिए अच्छा रहेगा। एक बार प्रसार भारती शुरू हो जाएगा तो वह देर तक चलेगा और दूसरे विषय को कब लेंगे क्योंकि हाउस छ: बजे तक है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐटरासीटीज आन वूमैन के विषय को नियम 377 के बाद ले लिया जाए और चार बजे स्टेटमैंट के बाद प्रसार भारती शुरू कर दें। इसमें आपको कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : महोदय, मैं चाहता हूं कार्यवाही कार्यसूची के अनुसार ही चलनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं है। इस मामले का समाधान एक-दूसरे की राय से किया जा सकता है।

**श्री बसंत साठे** : आप सभा की राय ले सकते हैं।

**श्री पी० उपेन्द्र** : हम प्रसार भारती पर चर्चा जारी रखेंगे। हम महिलाओं पर अत्याचारों के सम्बन्ध में बाद में चर्चा करेंगे···(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अपने विवेक का प्रयोग करूंगा। मेरे विचार से सभी दलों के अधिकांश सदस्य महिलाओं पर अत्याचार सम्बन्धी चर्चा करना चाहते हैं। नियम 377 के अधीन मामलों के बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे।

दूसरे, कुछ सदस्य कुवैत के बारे में भी पूछ रहे हैं कि उन्हें इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण विषय है।

**श्री बसंत साठे** : वक्तव्य के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। परन्तु कुछ सदस्य वास्तव में इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। आज हम वक्तव्य के तुरन्त बाद अथवा बाद में किसी समय कुवैत पर अल्पकालीन चर्चा करेंगे। परन्तु मैं इस निर्णय को सचेतकों पर छोड़ता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री, श्री उपेन्द्र की कठिनाइयों को समझता हूं क्योंकि उनके पास पारित करवाने के लिए अनेक विधेयक हैं। उनके पास यह सुनिश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उन्हें पारित किया जाए। परन्तु मैं अपने विवेक का प्रयोग कर रहा हूं और उसके तुरन्त बाद चर्चा की अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी० उपेन्द्र : हम कितनी देर तक बैठेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका हम निर्णय करेंगे । इसके लिए हम चैम्बर में बातचीत करेंगे ।

— — — —

2.28½ म० प०

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री लेइता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व) : अरुणाचल प्रदेश, 'लैंड आफ दी डाउन-लिट माउन्टेन्स' भारत के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा है और यह नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है । इसकी जनसंख्या 8 लाख से अधिक है, इसमें 20 से अधिक विभिन्न भाषाओं के, जिनकी संस्कृतियां, परम्पराएं और रीति-रिवाज अलग-अलग हैं, जनजातीय लोग रहते हैं । ये जनजातीय लोग बहुत अधिक ईमानदार, निश्छल और शान्तिप्रिय प्रकृति के होते हैं । वे लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं ।

समूची हिमालय श्रृंखला वर्ष में छः महीने बर्फ से ढकी रहती है । राज्य में प्रसिद्ध नदी ब्रह्मपुत्र तथा सैकड़ों प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व की झीलों के अतिरिक्त अनेक बारहमासी नदियां हैं । यहां की जलवायु बहुत स्वास्थ्यवर्धक विशेषत: ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक सुहावनी है ।

राज्य की लगभग 62 प्रतिशत भूमि हरे-भरे जंगलों से आच्छादित है । इसके जंगलों में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षी जैसे 'हार्नबिल', हरे कबूतर, जंगली बत्तख आदि और अन्य किस्म के वन्य प्राणी जैसे—हाथी, बाघ, जंगली सूअर, तेन्दुआ, पांडा, कस्तूरी मृग आदि रहते हैं । अरुणाचल प्रदेश में 500 से अधिक 'और्किडक' वनस्पतियां भी बहुतायत में पायी जाती है यहां अनेक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं जैसे—परशुराम कुंड, मालीनीथान और ट्वांग हैं । यह आकर्षक भूमि खोज करने वालों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और जिज्ञासु यात्रियों के लिए अपने रंगों की विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है । पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित कर दिया है । मैं सरकार से जोरदार अपील करता हूं कि देश में पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में अरुणाचल को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

### (दो) महाभारत महाकाव्य के अन्तिम प्रसंगों को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने की मांग

श्री वी० कृष्ण राव (चिक्कबल्लापुर) : टेलीविजन धारावाहिक महाभारत भीष्म की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया परन्तु इसमें पांडवों के स्वर्गारोहण को नहीं दिखाया गया । बाद की घटनाओं के लिए अनेक 'एपीसोड' की आवश्यकता होगी, जैसा कि अनेक लोगों ने अनुभव किया है । इस महाकाव्य ने करोड़ों व्यक्तियों का मन जीत लिया है तथा इसे पूरे देश में पसन्द किया गया है । लोगों ने महाभारत में बाद में बाद की घटनाएं देखने की इच्छा व्यक्त की है । इससे पहले जब रामायण टेलीविजन धारावाहिक समाप्त होने वाला था तो जनता की मांग पर इसका दूसरा भाग उत्तर रामायण दिखाया गया । बाद की घटनाएं दिखाने के लिए महाभारत धारावाहिक को आगे बढ़ाने की मांग देश में प्रतिदिन बढ़ रही है । पांडवों के स्वर्गारोहण को दिखाने के लिए महाभारत को आगे बढ़ाने की मांग

बहुत ज्यादा की जा रही है। इससे देश के लोगों, विशेषत: बच्चों को इस महाकाव्य को विस्तार से समझने का अवसर मिलेगा।

इसलिए, सरकार से मेरी मांग है कि भीष्म की मृत्यु के बाद की घटनाओं को दूरदर्शन पर दिखाया जाए।

**(तीन) उत्तर प्रदेश के सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर जिलों में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग**

[हिन्दी]

**श्री राम लाल राही** (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद सीतापुर, उत्तर भारत की मूंगफली की प्रमुख मण्डी है। क्योंकि, सीतापुर सहित इसके पड़ोसी जनपद हरदोई, लखीमपुर, शाहजहांपुर के अधिकांश क्षेत्र मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं।

तिलहनों के उत्पादन में मूंगफली का प्रमुख स्थान है। यह दुखद है कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर के मूंगफली उत्पादक क्षेत्र में मूंगफली के उत्पादन में इस समय व्यापक गिरावट आयी है। जहां सन् 1971-72 में सीतापुर की मण्डी में मूंगफली की आवक प्रतिदिन औसत साठ सत्तर हजार बोरी थी, वही घटकर अब मात्र दो तीन हजार बोरी प्रतिदिन रह गयी है। यही नहीं, जहां सन् 1971-72 में मूंगफली बाजार का सीजन 6 महीने का होता था, वही अब यह सीजन मात्र तीन महीने का रह गया है। कहने का तात्पर्य है कि मूंगफली का उत्पादन घटकर मात्र पन्द्रह प्रतिशत रह गया है। मूंगफली और तिलहन के उत्पादन में गिरावट के कारणखाद्य तेल मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है जहां खाद्य तेल नवम्बर, 1989 में 20 से 25 रुपये के बीच आमतौर से मिल जाते थे, वहीं आशंका है कि अगले आने वाले नवम्बर तक इसके भाव निश्चित रूप से 40 से 50 रुपये के मध्य तक हो जायेंगे। यदि बढ़ते हुए खाद्य तेलों के दामों पर नियन्त्रण करना है तो तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाना होगा। उत्तर भारत के उन क्षेत्रों में जैसे सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने होंगे।

हमारी सरकार से मांग है कि मूंगफली की क्वालिटी एवं क्वाण्टिटी में सुधार के लिए सीतापुर में हरदोई, लखीमपुर के मध्य एक रिसर्च सेन्टर स्थापित करें। मिट्टी का परीक्षण कराये और मिट्टी के अनुरूप व्यापक स्तर पर हर किसान को आवश्यकतानुसार अगली फसल के लिए सस्ती दरों पर अथवा मुफ्त में बीज दिया जाना सुनिश्चित करें, जिससे किसान मूंगफली की पैदावार बढ़ा सकें।

**(चार) बिहार में दूरसंचार संबंधी उपकरणों के निर्माण के लिए उद्योग स्थापित किए जाने की मांग**

**श्री छेदी पासवान** (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बिहार में दूर संचार से सम्बन्धित कोई बड़ा उद्योग नहीं है। भारत सरकार दूर संचार के संदर्भ में आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दे रही है और इस संदर्भ में अधिकांश राज्यों में दूरसंचार के बड़े उद्योग बनाये गये हैं। ऐसे बड़े उद्योगों का दूरगामी प्रभाव होता है, क्योंकि, इनके सहारे बहुत से सम्बन्धित छोटे-छोटे उद्योग स्वत: विकसित हो जाते हैं। अत: नियोजन बढ़ाने के लिए भी ऐसे बड़े उद्योग आवश्यक हैं। बिहार को भी दूर संचार साधनों के विकास में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम एक दूरसंचार से सम्बन्धित बड़ा उद्योग (मदर इण्डस्ट्री) कायम किया जाए।

(पांच) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री आग्नाता सिंह (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में करीब तीन लाख स्वतन्त्रता सेनानी कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने अभी तक उनके पेंशन के मामले नहीं निपटाये हैं। इससे पूरे देश के स्वतन्त्रता सेनानियों में बहुत ज्यादा असन्तोष व्याप्त है। अधिकांश मामलों में वे अपनी राज्य सरकारों से पेंशन लेते हैं, परन्तु केन्द्र के गृह मंत्रालय ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वे स्वतन्त्रता सेनानी है। श्री शीलभद्र याजी के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संघ सचिवालय के कार्यालयों में जगह-जगह भटक रहा है परन्तु उन्हें कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए, सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की तुरन्त जांच की जाए और लम्बित मामलों को अविलम्ब निपटाया जाए।

(छः) गिरिडीह और रांची के बीच रेल पथ निर्माण परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गिरिडीह से रांची वाया कोडरमा हजारी बाग टाउन तक 294 किलो मीटर तक रेल मार्ग निर्माण परियोजना की मांग 1977 से प्रारम्भ हुई। तत्कालीन सरकार ने सभी प्रकार सर्वेक्षण एवं यातायात मूल्यांकन किया। 1984 तक 18 लाख रुपये व्यय किए गए और रूट निर्धारण किया गया तथा पीलर गाड़े गए। यह रेल मांग—बिहार के सर्वाधिक उपेक्षित एवं पिछड़े-क्षेत्र—धनांचल या झारखंड के तीन प्रमंडलीय मुख्यालयों को जोड़ने वाला अत्यन्त लोक महत्व का है।

धनांचल आन्दोलन ने आज पिछड़ेपन को दूर कर विकास के लिए पृथक प्रान्त की मांग को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। हजारी बाग की चुनाव जनसभाओं में आज तक सभी प्रधान मंत्रियों ने आम जनता को इस रेल पथ निर्माण के लिए आश्वासन दिया है।

छोटा नागपुर एवं संथाल परगना रत्नगर्भा है। 46 प्रतिशत देश का खनिज इस धरती पर है। ठोस यातायात के अभाव में उद्योगों का लगना सम्भव नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है।

अस्तु, नई सरकार की नई योजनाओं के संदर्भ में आग्रह करना चाहता हूं कि गिरिडीह से रांची तक 262.47 करोड़ की प्राक्कलित राशि से बनने वाली रेल पथ निर्माण परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति प्रदान की जाए।

(सात) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, सिन्दरी की कृषि अनुसंधान शाखा का पुनर्गठन किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, हाल ही में बिहार के धनबाद जिले में सिंदरी स्थित

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कृषि अनुसंधान प्रभाग के आठ वरिष्ठ वैज्ञानिकों के स्थानान्तरण से बड़ा असन्तोष फैला है और यह आशंका है कि प्रोजेक्ट एण्ड डवलमेंट इंडिया लिमिटेड (पी० डी० आई० एल०) के 'डिजायून प्रभाग' की तरह इसे बन्द करने की कार्यवाही की जा रही है। इस विशेष अनुसंधान प्रभाग पर केवल सिंदरी को ही नहीं, बल्कि, भारत को भी गर्व है। यहां एक उर्वरक कारखाने के साथ-साथ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए पी० डी० आई० एल० जैसा अनुसन्धान संस्थान है तथा 100 एकड़ से अधिक नमूना फार्म है, जहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक के प्रयोग में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक निपुणता प्राप्त वैज्ञानिक और क्षेत्रीय अनुसन्धान कर्ता विभिन्न अनुसंधान कार्य करते हैं।

यह सच है कि कुछ समय से इसकी गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आ रही है और यह जमीन बिना उपयोग के पड़ी है परन्तु ऐसा कुप्रबन्ध के कारण है इसमें सिंदरी के वैज्ञानिकों और श्रमिकों की कोई गलती नहीं है।

कृषि अनुसंधान प्रभाग, सिंदरी के बारे में सरकार को अपनी योजना प्रस्तुत करना चाहिए और अनुसंधान कार्य को जारी रखने तथा भूमि के प्रभावी उपयोग के लिए इस प्रभाग के कार्यकरण में सुधार हेतु वैज्ञानिकों की एवजी अथवा उनके स्थान पर दूसरे वैज्ञानिकों को तैनात किए बिना, स्थानान्तरण आदेश रद्द किए जाने चाहिए ताकि वे आस-पास के किसानों को अपने अनुसंधान संबंधी नमूने दिखा सकें। यदि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम इस प्रतिष्ठित प्रभाग को चलाने में असमर्थ अथवा अनिच्छुक है तो इसका 'पी० डी० आई० एल०' के अनुसंधान प्रभाग में विलय कर दिया जाना चाहिए। यह भी सिंदरी ही में स्थित है परन्तु सिंदरी स्थित इस प्रभाग को किसी भी स्थिति में बन्द, स्थानान्तरित अथवा कमजोर नहीं बनाया जाना चाहिए।

(आठ) असम से कच्चे तेल की आपूर्ति अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण सिंह (बलिया): उपाध्यक्ष महोदय, आल आसाम स्टूडेंट यूनियन द्वारा आसाम में चलाए जा रहे तेल रोको आन्दोलन से गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप बोंगाई गांव एवं बरौनी तेल शोधक कारखाने बन्द हो गए हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने के बन्द होने से बरौनी खाद कारखाना और रिफाइनरी के वाय-प्रोडक्ट से चलने वाले एक दर्जन से अधिक लघु उद्योग बन्द हो गए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी के इस वक्तव्य से कि आसाम से सरप्लस आयल आसाम के बाहर नहीं भेजा जाएगा। इससे परिस्थिति और भी जटिल हो गई है और बरौनी रिफाइनरी के विस्तार की सारी संभावनायें समाप्त हो गई है। बिहार जैसे, औद्योगिक पिछड़े राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनायें धूमिल पड़ गई हैं। अगर ऐसी परम्परा चलाई गई कि किसी एक राज्य का सरप्लस कच्चा माल दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो देश के लिए इसका बड़ा ही नुकसान देह नतीजा निकलेगा।

ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि सरकार इस संबंध में कारगर कदम उठाए ताकि कच्चा तेल की आपूर्ति की गारन्टी सुनिश्चित की जा सके और बरौनी रिफाइनरी के विस्तार के लिए आवश्यक मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके।

(नौ) जयपुर में रामगढ़ झील के निकट राष्ट्रीय नौकायन प्रशिक्षण अकादमी स्थापित किए जाने की मांग

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

वर्ष 1982 में एशियाड के दौरान नौकायन की प्रतियोगिता जयपुर जिले की रामगढ़ झील पर आयोजित की गई थी। उस समय इस क्षेत्र को विकसित करने, जयपुर से झील तक के मार्ग को चौड़ा व सही करने आदि पर राज्य सरकार ने लगभग दो करोड़ रुपए खर्च किया था। वहां खेल गांव की स्थापना की गई थी व बोट शेड बनाया गया था। विभिन्न एशियाई देशों से आने वाली प्रतियोगी टीमों ने इस स्थल व यहां के प्रबंध की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। खेल गांव अभी भी पर्यटकों के विश्राम स्थल के रूप में काम में आता है व बोट शेड का सही रख-रखाव किया गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने 1986 में यह मत प्रकट किया था कि नौकायन प्रशिक्षण हेतु रामगढ़ झील देश में सर्वश्रेष्ठ स्थल है। इसी आधार पर केन्द्र ने 1986 में वहां पर एन एस एन आई एस स्थापित करने का निर्णय किया था।

केन्द्र ने राज्य सरकार को एशियाड के दौरान अर्जित भूमि व नौकायन कम्पलैक्स को स्पाइस्स के पक्ष में अन्तरित करने को कहा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना हेतु 2 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, परन्तु केन्द्र ने यह संस्थान सिकन्दराबाद स्थानांतरित करने का निर्णय ले आंध्र सरकार से मई 1990 तक भूमि देने को कहा था, परन्तु आंध्र सरकार से भूमि नहीं मिली है जबकि राजस्थान सरकार ने जुलाई 1989 में उपयुक्त स्थान देने की पेशकश कर दी है। राज्य संघ ने प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है व खेल प्राधिकरण ने चप्पू भी भेंट किए हैं। रामगढ़ बांध को पनास से जोड़कर लिफ्ट योजना से पूरा जल का भराव किया जाए व बाणगंगा नदी का पानी रामगढ़ बांध में सीधा आ सके, पूर्व बनाए गए 48 एनीकट्स को हटाया जाए।

मेरा निवेदन है कि विशेषज्ञों की राय, आंध्र द्वारा भूमि न देने व रामगढ़ झील पर करोड़ों रुपए खर्च कर सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अकादमी रामगढ़ झील पर ही स्थापित की जाए।

———

2.35 म० प०

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार--(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में आगे चर्चा करेंगे जिसे श्रीमती गीता मुखर्जी ने 22 अगस्त, 1990 को सदन में उठाया था। अब श्री लक्ष्मि दुर्रे बोलेंगे।

डा० लक्ष्मि दुर्रे (कक्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में इस सदन में नियम 193 के अधीन हो रही चर्चा में बड़े दुख के साथ भाग

ले रहा हूं। हमने इस सभा में इससे पूर्व भी अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है और माननीय सदस्यों ने इस बात को स्पष्ट किया था कि देश में हमारे महिला-समुदाय को किस प्रकार से अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। महोदय, भारतीय संस्कृति अत्यधिक प्राचीन है और इसका अपना गौरव रहा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, हम महिलाओं का सम्मान करते रहे हैं और हम स्त्रियों को देवी के रूप में पूजा करने के स्तर तक भी चले गए हैं क्योंकि उसे सम्पूर्ण मानव जाति को संरक्षण देने वाली समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि केवल स्त्री ही मातृत्व को प्राप्त कर सकती है और केवल स्त्री के कारण ही सभी मानव जीवित रह सकते हैं। ऐसा ही जानवरों के बारे में भी है।

महोदय, जब बच्चों का जन्म होता है, तो सर्वप्रथम माता ही उन्हें संरक्षण देती है और बड़े प्यार एवं सावधानी से उनका लालन-पालन करती है। आदमी उस कार्य को नहीं कर सकता है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता। भारतीय दर्शन में 'शक्ति' शब्द स्त्री का प्रतिरूप है। 'शक्ति' का सम्पूर्ण मानव जाति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। 'शक्ति' के प्रभाव के अभाव में कोई नहीं रह सकता। परन्तु वे दिन बीत गए हैं जबकि हम देवी की आराधना किया करते थे। आज क्या हो रहा है? हम अपने भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आप देखेंगे कि जानवरों के समुदाय में भी नर जानवर मादा जानवरों को कितना प्यार करते हैं और वे किस प्रकार मादा जानवरों की सहायता करते हैं। मैंने कहीं साहित्य में एक कहानी पढ़ी है। दो हिरन, अर्थात् एक नर और एक मादा हिरन एक मरुस्थल में जा रहे हैं। वे अत्यधिक प्यासे हैं और उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए। कुछ देर बाद, काफी दूर जाकर उन्हें एक पोखर मिल जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। यह पानी केवल एक के लिए ही पर्याप्त है। मादा हिरन चाहती है कि नर हिरन पानी पिये और अपनी प्यास बुझाये, यद्यपि यदि नर हिरन इस थोड़े से पानी को पी लेता है, तो मादा हिरन को बिना पानी के रहना होगा। परन्तु नर हिरन जिद करता है कि मादा को पानी पीना चाहिए। उन दोनों में इतना प्रेम है। परन्तु उनमें से कोई सा भी पानी नहीं पीता और शान्त खड़े रहते हैं। इसके बाद नर हिरन चाहता है कि किसी तरह से मादा हिरन पानी पी ले और वह उसे यह कहते हुए सुझाव देता है, 'हम दोनों एक साथ पानी पीते हैं।' तब वे दोनों पानी पीने का प्रयास करते हैं। नर हिरन पानी नहीं पीता है बल्कि वह पानी पीने का दिखावा करता रहता है। अन्ततः मादा हिरन पी लेती है। यही प्रेम है जिसे जानवर भी मादा जानवरों के प्रति रखते हैं। आज हम अपने समाज में क्या कर रहे हैं। क्या हम ईमानदारी से अपने मातृत्व की सहायता कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। हम इसी बात की आज चर्चा कर रहे हैं।

आप महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को ले लीजिए। हम उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। राजनैतिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वे राजनैतिक क्षेत्र में किस प्रकार कष्ट उठा रही हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन को भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वे किस प्रकार कष्ट झेल रही हैं। हम समाचार-पत्रों में इस प्रकार के अनेक समाचार पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ किस प्रकार के बलात्कार किये जाते हैं, केवल बलात्कार ही नहीं बल्कि उन्हें मार भी दिया जाता है। यह हो रहा है। केवल इतना ही नहीं। दहेज प्रथा की समाप्ति के बाद भी हमें प्रतिदिन दहेज के कारण होने वाली कितनी मौतों की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। कल हमारी सहयोगी, श्रीमती गीता मुखर्जी ने अत्यधिक दुख के साथ महिलाओं द्वारा उठायी गयी परेशानियों के बारे में कहा था। मैं उस समय पीठासीन था। मैं उस समय अत्यधिक दुखी हुआ जब वे वास्तव में रोयीं, वे अपनी भावनाओं को नियन्त्रित नहीं

[डा० तम्बि दुरै]

कर सकीं, परन्तु वे किसी तरह से संभल गयीं और हमारे समाज में महिलाएं किस प्रकार कष्ट उठ रही हैं, इस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये।

महोदय, दहेज प्रथा एक बुराई है जोकि हमारे समाज में प्रचलित है। हम अनेक कानून बना रहे हैं, परन्तु हम इस समस्या पर काबू नहीं पा सकते।

सती प्रथा के बारे में राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, उसे समाचार-पत्रों में पढ़कर हमें शर्म आती है। हमने पिछली लोक सभा के दौरान सती के बारे में चर्चा की थी। हम अनेक अधिनियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु ये अधिनियम वास्तव में हमारी महिलाओं की सहायता नहीं कर रहे। मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है। यदि आप आर्थिक क्रिया कलापों में उन्हें समान दर्जा देते हैं और यदि उन्हें आर्थिक दृष्टि से कुछ प्राप्त हो जाता है, तो हम निश्चित रूप से इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे वामपन्थी साथियों का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है। वे समाज में आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कराना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में ईमानदारी से इस बात के प्रयास करते हैं कि हमारी महिलाओं को समान अवसर मिलें, केवल रोजगार के अवसर ही नहीं, बल्कि राजनैतिक क्षेत्र के अवसर भी, तभी उनकी सहायता का समाधान किया जा सकता है। इसलिए, हम कम कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, हम केवल पिछड़ी जातियों के लिए ही आरक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है क्योंकि वे कमजोर हैं। हम अपने समाज में उन्हें संरक्षण देना चाहते हैं। इसी कारण हमने उनके लिए संसद में भी आरक्षण किया है। आज हम महिलाओं के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते। यदि आप वास्तव में ईमानदारी से महिलाओं की सहायता करना चाहते हैं, तो पहले इस कानून को बनाइये। महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करते समय भी आप श्रेणियां बनाइये, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियां, इस बात में मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु यह देखना होगा कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए क्योंकि वे कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं। (व्यवधान) हमें कानून बनाना होगा। हमें लोक सभा में भी यह देखना होगा कि महिलाओं को 50 प्रतिशत स्थान दिए जायें। केवल तभी हम कह सकते हैं कि हमने उनके साथ न्याय किया है। प्रजातन्त्र के नाम पर, प्रभुता के नाम पर यदि प्रत्येक चीज पर नियन्त्रण कर लिया जाता है, तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। मैंने कहा था कि हमारी महिला संस्कृति प्राचीन एवं गौरवपूर्ण रही है। हमने दिखाया है कि माता संसार की देवी है। हम इस सदन में इस बात का उल्लेख करते हुए एक कानून क्यों नहीं बना सकते कि हमारे राजनैतिक नेताओं में 50 प्रतिशत महिलाएं हों। यदि हमारी पद्धति में कोई कमी रह गई है, तो इसे पूरा करने के लिए हमें आगे आना होगा। मैं कहूंगा कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराए बिना हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते क्योंकि मानव की प्रवृत्ति यह है कि यदि आप इस संसार में जिन्दा रहना चाहते हैं, तो कुछ आप प्राप्त कीजिए, यह अत्यधिक आवश्यक है। उसके बिना वे किस प्रकार जीवित रह सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पहले महिलाएं भी पुरुषों के साथ कार्य किया करती थीं परन्तु अब शहरों में ऐसा नहीं हो रहा है, परन्तु इसकी प्रतिशतता नहीं के बराबर है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि आप इस समस्या का समाधान कर देते हैं, तो दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी क्योंकि उन्हें नियमित आय प्राप्त होनी आरम्भ हो जाएगी और वे

पुरुषों की सहायता के अभाव में भी जीवित रह सकती हैं। यदि आप इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं, तभी हम इस समस्या का समाधान कर सकते है। हम यहां केवल बड़े-बड़े भाषण दे सकते हैं और ये समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो जायेंगे।

राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाएं अत्यधिक कठिनाईयां सहन कर रही हैं। कल अनेक सदस्यों ने हमारी भूतपूर्व सदस्या कुमारी ममता बनर्जी के बारे में बताया था कि उन्होंने कलकत्ता में आन्दोलन के दौरान किस प्रकार की कठिनाईयों का सामना किया। हमारी समस्या श्रीमती गीता मुखर्जी और श्रीमती मालिनी जी ने उन पर हुए हमले की निन्दा की हैं। मैं भी उस हमले की भर्त्सना करता हूं। यदि महिलाओं को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वे राजनैतिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने के लिए किस प्रकार आगे आयेंगी? तमिलनाडु में क्या हो रहा है? सभी सदस्यों ने इसके बारे में क्या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। गत लोक सभा के दौरान हमने इस मुद्दे को उठाया था कि हमारी नेता कुमारी जयललिता के साथ तमिलनाडु विधान सभा में किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया और उन पर हमला किया गया। मैं इस घटना का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि यह चर्चा महिलाओं पर अत्याचार के बारे में है। तमिलनाडु विधान सभा में मंत्रियों ने किस प्रकार से एक प्रकार की 'महाभारत' की? मेरी नेता कुमारी जयललिता को नीचे गिराकर उनकी साड़ी और ब्लाउज फाड़ दिए गए। लेकिन किसी ने भी इसे गम्भीरता से नहीं लिया लोक सभा चुनावों में ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ था? इन कार्यों में शामिल लोगों को इस सभा में प्रतिनिधित्व के लिए एक भी स्थान नहीं मिला। क्या आप यहां पर डी० एम० के० का कोई सदस्य देख रहे हैं। जब मेरी नेता कुमारी जयललिता पांडीचेरी में अपना चुनाव अभियान समाप्त करके वापस आ रही थीं, तब उनकी कार में एक लारी द्वारा टक्कर मारकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया। मैं आपको लारी और उनकी कार के फोटो दिखा सकता हूं। यह पुलिस की मिली-भगत से हुआ है। हमें इसे अत्यन्त गम्भीरता से लेना चाहिए और इस प्रकार के कार्यों की निन्दा करनी चाहिए। अगर महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो वे राजनैतिक जीवन में कैसे भाग लेंगी? हम अभी भी यह देख सकते हैं कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार अपमानित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह विधान सभा में मेरी नेता कुमारी जयललिता पर हुए हमले तथा उन्हें मारने के प्रयास के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। इससे निश्चित रूप से महिलाओं में कुछ विश्वास उत्पन्न हो सकेगा और इसके फलस्वरूप वे राजनैतिक जीवन में भाग लेने के लिए आगे आ सकेंगी और समाज को सुधारने के लिए कुछ कर सकेंगी।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल एक और मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में महिलाओं पर अत्याचार रोकना चाहते है, तो आप पहले एक कानून बनाइए जिसके तहत आर्थिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण हो। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक के रूप में केवल महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए। बैंकों की तरह कुछ विशेष कार्य जो महिलाओं के लिए होते हैं, उन्हें दिए जाएं। यदि वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होंगी तो निश्चित रूप से वह पुरुषों की मदद के बगैर रह सकती है। फिर, महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा। केवल आपसी प्यार और सद्भावना से ही पुरुष और महिला एक साथ रह सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह हमारी महिलाओं की मदद के लिए संसद में कुछ अच्छे कानून बनाएं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं विभिन्न पार्टियों के सचेतकों से अनुरोध करता हूं कि वे कार्य सूची में

परिवर्तन के बारे में अपने साथियों को सूचित कर दें ताकि उन्हें यह शिकायत न रहे कि उन्हें सूचित नहीं किया गया और उन्हें बोलने का कोई अवसर नहीं दिया गया। यह परिवर्तन सभा में महिलाओं के कहने पर किया गया है।

**श्री वसंत साठे (बम्बई)** : महोदय, हमें यह चर्चा 3·30 म० प० तक समाप्त कर लेनी चाहिए, ताकि मंत्री महोदय 3·30 म० प० पर उत्तर दे सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे पास लम्बी सूची है। उन्हें चर्चा करने दें।

[हिन्दी]

**श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात पूरे सदन ने महसूस की होगी कि जहां भी औरतों का सवाल आता है—चाहे महिला आयोग की बात हुई हो या अत्याचारों का सवाल हुआ हो तो इस सदन में जितनी महिला सदस्यायें हैं, वे एक भावना और एकमत से इस सदन में अपनी बात को रखती हैं और मुझे लगता है कि उसके पीछे कारण यह है कि हम लोग जो चुनकर यहां आए हैं, उन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में चाहे एक पल के लिए या लम्बे अरसे के लिए महिला होने की कीमत को चुकाया है और उसका एहसास हमारे साथ इस सदन में आता है। हम आज अत्याचारों की बात कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि महिलाओं पर अलग-अलग कारणों से अत्याचार होते हैं और ये कारण किस प्रकार के हैं, हम लोगों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए।

एक प्रकार का अत्याचार वर्गीय होता है। मान लीजिए गांवों में गरीब लोग अपने अधिकारों के लिए या जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें दबाने के लिए उनकी लड़ाई को बिलकुल नेस्तानाबूद करने के लिए उनकी औरतों पर बलात्कार का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में होता है और उनके उत्साह की लड़ाई और भावना को बिलकुल चकनाचूर करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल आज हमारे समाज में होता है। दूसरे तरह का अत्याचार होता है राजनैतिक। राजनैतिक रूप से राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। तीसरा कारण जो है, वे समझती हैं कि समाज में जो औरतों का दर्जा है, वह दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर समाज में जीती है। वह हर तरह से उत्पीड़ित है अर्थात् सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से वह पीड़ित है। उसको एक आसान शिकार समझकर, एक अबला समझकर इसके ऊपर अलग-अलग तरह से हमारे समाज में अत्याचार किया जाता है। इसके साथ मैं यह जरूर जोड़ना चाहूं कि जब हम इन अलग-अलग तरह के अत्याचारों की बात करें तो समान रूप से हमें उन तमाम अत्याचार की घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए और अपना गुस्सा प्रकट करना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश की हरिजन महिलाओं पर बलात्कार होता है, खेत-मजदूर महिलाओं पर बलात्कार होता है तो उसकी निन्दा होनी चाहिए। हमारे अन्दर गुस्सा पैदा होना चाहिए। यदि कलकत्ता में हमारी एक बहिन ममता बनर्जी पर हमला होता है तो निश्चित रूप से सर्व-सम्मति से उस घटना की हम लोगों को निन्दा करनी चाहिए। जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इसकी शिक्षा दी जाए, इस बात की हम सबको मांग करनी चाहिए। इस देश में कहीं भी अगर 10 या 5 साल की बच्ची के ऊपर अत्याचार होता है तो निश्चित रूप से हम सब का सिर इस सदन के अन्दर शर्म से झुक जाना चाहिए। इसी भावना के तहत मैं कहना चाहूंगी कि अत्याचार की हर घटना पर अगर हम सबका एक रुख होने वाला है तो त्रिपुरा के अन्दर जो हमारी आदिवासी गरीब 80 साल की बूढ़ी से लेकर 12 साल की बच्ची पर अगर बलात्कार होता है तो उसकी भी निन्दा होनी चाहिए अगर उनकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं होती है। मैं इस सदन में कहना चाहूंगी कि अगर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है तो इस सदन की तमाम महिला

सदस्यों की एक टीम त्रिपुरा भेजी जानी चाहिए ताकि उन महिलाओं की पीड़ा को सुनकर उनकी बात को इस सदन में उठायें। यह भावना हम सब में होनी चाहिए। सारे देश में अत्याचार की जो घटनाएं होती हैं, इनकी निन्दा के साथ-साथ हमको मांग करनी चाहिए कि अत्याचार करने वालों को भी सजा दी जाये।

इसी संदर्भ में, मैं कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश में अत्याचारों का एक नया तरीका शुरू हुआ है, जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहती हूं। आज हमारे देश के कुछ हिस्से आतंकवाद से ग्रस्त हैं। बहुत से लोग आतंकवादियों को बहादुर भी समझते हैं लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि उनका महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता है। पंजाब में आतंकवादी महिलाओं का कत्ले-आम कर रहे हैं, लड़कियों को जबर्दस्ती उनके गांवों से मंगवाते हैं और 4-6 दिन अपने पास रखकर फिर उनके घरों को लौटा देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सके। किस तरह का अत्याचार आज पंजाब की औरतों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने सुना है और कश्मीर से भी कुछ इसी तरह की रिपोर्टें आयी हैं कि वहां हिजबुल मुजाहिदीन के लोग और जे० के० एल० एफ० के लोग औरतों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। वहां महिलाओं का गला काटा जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके ऊपर एसिड फैंका जाता है और उनकी लाशों को गन्दी नालियों में डाल दिया जाता है। इस तरह के अत्याचार आज हमारे देश में पोलिटिकल हिरोईज्म के कवर में जलाए जा रहे हैं। हमें उनकी असलियत को समझना चाहिए और ऐसे कृत्यों की भर्त्सना करनी चाहिए। इसके खिलाफ हम लोगों को पूरे देश में एक माहौल पैदा करना है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि एक और तरह का अत्याचार भी हमारे देश में महिलाओं के साथ होता है। हमारे जितने वर्दीधारी रक्षक हैं, वे भी महिलाओं पर अत्याचार करने के मामले में पीछे नहीं है। थानों में बलात्कार, जी० आर० पी० एफ० और आर० पी० एफ० के लोगों द्वारा बलात्कार के समाचार हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। इन भक्षकों से महिलाओं को कौन बचायेगा ? हम सब लोग राजनैतिक कार्यकर्ता हैं और हम सब पुलिस के रोल को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि हम सब कभी न कभी विपक्ष में रहे हैं और हम सबने पुलिस के डंडे खाये हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां आतंकवादियों की वजह से संविधान को ताक पर रख दिया गया है, जैसे पंजाब है, कश्मीर है। उन प्रान्तों की जनता को आज हम देश की मुख्यधारा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। असम में भी हमने सुना है कि बोडो महिलाओं के साथ वहां की स्थानीय पुलिस ने बलात्कार किया है। इस तरह की घटनाओं से क्या होता है ? हमारे गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वहां सीक्योरिटी फोर्सेज पर और ज्यादा निगाह रखने की आवश्यकता है। आज औरतों को उनकी अमानवीयता से बचाने की अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार के कंधों पर आ गयी है। हम चाहेंगे कि सरकार इसे बखूबी निभाये। यदि ऐसे प्रान्तों की जनता को हम देश की मुख्यधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हमें इसी ओर ध्यान देना होगा।

आखिर में, कहना चाहूंगी कि हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचारों की संख्या लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, इसके कारण क्या हैं। जहां मैं यह मानती हूं कि अत्याचार पहले भी होते थे, वहीं मेरा मानना यह भी है कि आज हमारे समाज में नई परिस्थितियां पैदा होती जा रही हैं। हमारे समाज का ढांचा चरमरा रहा है। आर्थिक संकट इतना गहरा होता जा रहा है कि बेकारी, मुफलिसी से सब परेशान हैं। रहने के लिए हमारे पास घर नहीं, और जिन घरों में हम रहते हैं उनमें हम अपने जानवरों को भी देखना पसन्द नहीं करेंगे। ऐसी जगहों पर आज हमारी जनता रहती है। इन तमाम

[श्रीमती सुभाषिनी अली]

कारणों से हमारे देश में अमानवीयता भी बढ़ रही है। आदमी आदमी को खा रहा है और इसका सबसे बड़ा शिकार हमारे समाज का दुर्बल वर्ग यानी महिलाएं बन रही हैं। हमें इस सामाजिक स्थिति को भी सुधारना होगा। वैसे तो हमें तमाम तरह की सैंक्शन्स मिली हुई हैं, जैसे सोशल सैंक्शन फार एट्रोसिटीज ऑन विमैन और मैं यहां धर्म की बात भी कहना चाहूंगी कि जहां शाहबानो मेरी मां है, वहीं रूपकंवर मेरी बहन है, रोज मेरी भी मेरी बहन है जो केरल में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। धर्म के नाम पर अब ज्यादा दिनों तक औरतों को दबाया नहीं जा सकता है।

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि पूजा किसकी होगी, यह तय करना पड़ेगा। सती माता की पूजा होगी या उन महिलाओं की पूजा होगी जिन्होंने अमृतसर में आतंकवादियों को पकड़कर मारा, यह सवाल है। हम क्या आदर्श पेश कर रहे हैं, हम क्या मिसाल पेश कर रहे हैं अपनी जनता के सामने ? हमें इन मिसालों को बदलना पड़ेगा। सामाजिक आदर्श हमको बदलने पड़ेंगे। आज तक धर्म का इस्तेमाल औरतों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए किया गया है उसका हम सबको मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ धर्म ही नहीं, अन्य चीजों का भी औरतों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बन्द होना चाहिए। आज तो धर्म का प्रसारण दूरदर्शन से हो ही रहा है, लेकिन नई मान्यताएं भी, न्यू वैल्यूज भी, दूरदर्शन के माध्यम से समाज के अन्दर फैलाए जा रहे हैं, ये नई मान्यताएं क्या हैं ? ये नई मान्यताएं—औरत का इस्तेमाल हर चीज को दिखाने के लिए दूरदर्शन पर किया जाता है। औरत को देवी के रूप में पूजते हैं, लेकिन दूरदर्शन पर औरत का इस्तेमाल, सिगरेट बेचने के लिए, रेडियो बेचने के लिए और चीज की बिक्री के लिए किया जाता है। हर चीज की बिक्री बढ़ाने के लिए औरत का इस्तेमाल दूरदर्शन पर करते हैं। यह कौन-सी मान्यता है ? यह कौन सा सामाजिक मूल्य है जिनका प्रसारण सरकार अपने माध्यम से कर रही है ? यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा, हमारे समाज के अन्दर अन्य तमाम माध्यम हैं जिनका इस्तेमाल औरत को दबाने के लिए, औरतों को अपनी हुविधा का शिकार बनाने के लिए किया जाता है। इस पूरी स्थिति में हमको परिवर्तन लाना होगा। यह परिवर्तन सिर्फ संसद में भाषण देने से नहीं होगा। औरतों को संगठित होकर के इस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए लड़ना होगा। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि जहां-जहां औरतें अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं वहां आपका रवैया क्या है ? आपका दृष्टिकोण क्या है ? हमको आरक्षण तो बाद में चाहिए, पहले हमको न्याय चाहिए। हमारे देश के गांवों में आंगनवाड़ी में लाखों औरतें काम करती हैं। अगर वे दिल्ली जुलूस में आती हैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनसे कहा जाता है—नेतागिरी करोगी ? उनको दिल्ली में आकर अपने हकों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। आंगनबाड़ी ही क्या, कहीं भी किसी भी जगह देख लीजिए, उनको दबाया और सताया जा रहा है। कोयला खानों में जहां-जहां औरतें काम करती हैं, अगर वे अपनी आवाज उठाती हैं, तो उनके ऊपर ठेकेदार, मालिकों के गुण्डे हमला करते हैं। हमारी सरकार क्या करती है ? मूकदर्शक बनकर उन औरतों को पिटने देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस सरकार का कर्तव्य है कि औरतों के आन्दोलन को संघर्षशील बनाइए, औरतों की लड़ाई के साथ सरकार अपने को जोड़े, उनके संघर्ष के साथ जुड़िए,

उनकी आवाज के साथ जुड़िए और जहां-जहां औरतें इस अमानवीय समाज के खिलाफ लड़ती हैं, वहां हमें देखना है कि हमारी सरकार उनके साथ खड़ी होगी। उनको पिटने नहीं देगी। उनके खिलाफ लाठी लेकर खड़ी नहीं होगी। यह रवैया सरकार का होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने महिलाओं का आयोग बनाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब बिना विलम्ब के जो हमारी प्रान्तीय सरकारें हैं और वहां के लोग हैं, उनको भी साथ बुलाइए, उनको कुछ पैसा दीजिए, कुछ वित्तीय इन्तजाम कीजिए और हर राज्य में महिला आयोग को गठित किया जाए और वहां भी महिलाओं को ताकत दी जाए। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए औरतें आज जाग गयी हैं। इस देश के अन्दर उनके मुंह पर जो पट्टी, अंधविश्वास की पट्टी बंधी थी, वह अब हटती जा रही है। वह कम हो गयी है। औरतें जाग गयी हैं, अपनी संगठन-शक्ति को पहचान गयी हैं और उनके संगठन के साथ ही अन्य तमाम जनवादी संगठनों को जोड़ना पड़ेगा। इस सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल उनके पक्ष में करना होगा। तभी महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं कम होंगी, तभी हमारा रोना, हमारा दुखड़ा कम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती विद्या चेन्नुपति** (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और हो रहा है मैं उसके बारे में आपकी नजर में कुछ लाना चाहती हूं। इससे पहले श्रीमती सुभाषिनी अली ने बहुत अच्छा कहा है। इस समाज में महिलाओं की जो समस्या है वह महिलाओं की ही नहीं है, पुरुषों की भी है क्योंकि हम इस समाज में तीन तरह से हैं, एक तो माता के नाते, एक पत्नी के नाते और बहन के नाते काम कर रहे हैं। इसलिए जहां भी हों, पुरुषों को इस समाज में हम जितनी रिसपेक्ट देते हैं उतनी पुरुषों से नहीं मिल रही है। इसमें जो भी पार्टी कसूर में हो, हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए इक्विल रिसपेक्ट होनी चाहिए। "गिव रिसपेक्ट एण्ड टेक रिसपेक्ट" यही हम चाहते हैं। हम जितना पुरुषों को रिसपेक्ट देते हैं उतनी रिसपेक्ट पुरुष हमें नहीं दे पा रहे हैं। मैं कुछ लोगों के बारे में ही बता रही हूं कि इस सदन में रेप के बारे में बोलने के लिए हमें बहुत दुख होता है। कुछ ऐसे पुरुष हैं, सबको मैं नहीं कहती हूं. कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनमें मानवता नहीं है। जो रेप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनमें मानवता कहां है? आप जानते हैं कि जो रेप करते हैं उनके लिए जीवन की सजा देने के लिए हमने 1983 एक्ट पास किया था। एक्ट हमारे लिए बहुत हैं लेकिन उनका पालन कहां हो रहा है? हम न्याय चाहते हैं। जिस पुलिस थाने में जाते हैं वही महिलाओं का रेप करते हैं तो इस सदन में हमें क्या मिलेगा? हम न्याय के लिए थाने में जाकर बैठते हैं लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता है। आज पुलिस रेप करने के लिए तैयार हो रही है। इस सदन में हम महिलाओं के बारे में क्या कहें। हमारे होम मिनिस्टर साहब इस बारे में कुछ सोचें। कभी-कभी इसमें आफिशियल्स का भी इनवाल्वमेंट होता है तो उसके लिए हमें दुःख होता है। हम देश के बारे में क्या कहें, किसको कहें? जिनको कहना है वहीं महिलाओं का रेप करते हैं, क्या कहें, कहां कहें? हम यहां पर इसलिए कहने के लिए आगे आये हैं कि क्या हो रहा है? आप जानते हैं, हमने यह भी देखा है कि नर्स के साथ रेप हुआ है। नर्स जो सारा जीवन त्याग करके बैठती हैं उनके साथ रेप हुआ है, आप उस केस को दबाकर रखना चाहते हैं। जिन नर्स के लिए हम सब कहते हैं कि इतना काम कर रही हैं, उनके साथ रेप होता है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, दादर एक्सप्रेस में उनका रेप कर दिया उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। वहां के होम मिनिस्टर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर क्या करती हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं? स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे इस देश के कोने-कोने में जाकर पढ़ते हैं, हमें

[श्रीमती विद्या चेन्नुपति]

आजकल डर लग रहा है कि हमारे बच्चे ठीक तरह से वापिस आयेंगे। आप इस पर सोच लीजिए। ट्रेन में जो बच्चे आते हैं उन्हीं बच्चों पर रेप किया जाता है। वहां जो मर्द लोग बैठे होते हैं उनमें से कोई भी ऐसे मौके पर कुछ नहीं बोलता है और न ही वे आगे आने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से आज कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाता है। आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति कहीं भी अच्छी नहीं है। यह किसी पार्टी का मामला नहीं है। महिलाओं की समस्याओं पर सब को बैठ कर विचार करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में नर्स के ऊपर जो रेप हुआ वह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। हम क्या करें, कहां जायें कुछ समझ में नहीं आता है। हम भी महिलाएं हैं, रात के समय हम बाहर नहीं निकल सकते। आज महिलाओं के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। सारे मर्दों की यह जिम्मेदारी है कि वह इस काम में आगे आयें और महिलाओं की रक्षा करें। हम एक माता के नाते बच्चों को जन्म देती हैं, पत्नी के नाते पति की पूजा करती है और हम अपने भाइयों की अच्छी सेहत चाहती हैं। नर्स के ऊपर जो हुआ उसके सम्बन्ध में जब हमने अखबारों में पढ़ा तो यह जानकर बहुत हैरानगी हुई कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आयी उसमें कहा गया कि उनके ऊपर कोई रेप नहीं हुआ। इसके क्या मायने हैं? हमारे होम मिनिस्टर जरा इस मामले को देख लें। ऐसे में हम क्या कहें, किस के बारे में कहें कुछ समझ नहीं आता है। महिलाओं की जो सेंट्रल टीम आयी और होम मिनिस्टर से मिली, उन्होंने वायदा किया कि कलप्रिट्स को पकड़ा जायेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिनमें मानवता नाम की चीज नहीं है वे ही ये सब कर रहे हैं। हम औरतें मर्दों के खिलाफ नहीं है। कोई भी महिला मर्दों के खिलाफ नहीं है। जिनमें मानवता नहीं है उनको आप पकड़े। उनको सजा देने के लिए कानून भी बना हुआ है। आप उस कानून का सख्ती से पालन करायें। रेप, डाउरी डैथ्स बढ़ती जा रही हैं। मैं किसी प्रदेश विशेष का इसमें जिक्र नहीं करना चाहती हूं। त्रिपुरा में यह ज्यादा हो सकता है, आंध्र प्रदेश में हो सकता है, यू० पी० में हो सकता है लेकिन कुछ जगहों से कम हो सकता है। महिलाओं पर होने वाले जुल्मों को आप रोकें। मर्दों के प्रति हमारे मन में बहुत स्नेह है। वे सब हमारे बहुत अच्छे भाई हैं। इसलिए इस सदन में इतने धीरज से मुझे यह बात कहने की हिम्मत हो रही है। महिलाओं पर जो जुल्म होते हैं उससे सम्बन्धित आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि उनको कहने का कोई फायदा नहीं है। यह एक अगस्त हाऊस है। यहां पर कही जाने वाली हर बात का बहुत अच्छा असर पड़ता है।

पिछले कुछ दिनों में यह देखने में आया है कि रेप और किडनेपिंग बहुत बढ़ गयी हैं। आप इसके बारे में गम्भीरता से सोचें। इसके अलावा कल यहां सती के बारे में बहुत जिक्र किया गया। सती के नाम पर जुलूस जायें और ऐसे में पुलिस कोई ऐक्शन नहीं लें आखिर इस सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है। सती माता की जय करने पर आप उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकें। सती के पूजा मन्दिरों में आपने लोगों को पूजा करने की परमिशन दे दी लेकिन आप कुछ नहीं कर सके।

सती के बारे में कल विजयराजे सिंधिया जी ने कहा कि वह वालयंटरी कर रहे हैं। वालेंटरीली कोई महिला सती होने के लिए तैयार नहीं होती है लेकिन उसको धर्म के नाम पर सती कराया जाता है। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ कदम उठाया था और लार्ड विलियम बेंटिक ने उसका समर्थन किया था, एण्टी सती एक्ट पास कर दिया था। किसी का पति मर गया तो

वह वालेंटरीली मरने के लिए तैयार हो तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहती हूं कि यदि आपकी पत्नी मर जाए तो आपमें से कोई सती होने के लिए तैयार है ? मैं होम मिनिस्टर साहब से आपके द्वारा यह पूछना चाहती हूं कि अगर सती का समर्थन करने वाले बैठकर पूजा करें, सती का समर्थन करें तो उस समय आप यह भी कहिये कि अगर पत्नी मर जाए तो पति भी उसके साथ सती हो जाए फिर हम तो बहुत खुशी से चले जायेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है अपने पति के साथ जाने में। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम पति के साथ जाना नहीं चाहते।...(व्यवधान)... मैं तो एट्रासिटीज के ऊपर ही पाइण्ट उठा रही हूं क्योंकि सती का समर्थन करने के लिए सरकार तैयार है। अगर नहीं है तो वहां पूजा करने के लिए क्यों परमीशन दी, वहां जो सती का मन्दिर है, क्या वह एण्डी सती है ? उसका समर्थन करने के लिए आप तैयार हैं। वहां जो जुलूस आया था उसने देवी माता की जय कही थी तो सती की जय करने के बाद जब वह सती का समर्थन कर रहे थे। अगर आप सती का समर्थन करेंगे तो कोई भी महिला, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वह आपके साथ नहीं रहेगी, इस देश की सारी महिलाएं एक हो जायेंगी और उस समय हम कहेंगे कि हम इसका समर्थन करने वाले नहीं थे। हमारी बहन सुभाषिनी जी ने कहा था कि महिला महिला ही है, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप देख लीजिए और इसके ऊपर कुछ कहिये, कुछ बताइये।

हमारे लिए राइट टू प्रापर्टी भी नहीं है तो सम्मान कहां है, डावरी डैथ आज भी चल रही है, आप इस पर सोचिए कि आप इस पर किस तरह का एक्शन लेना चाहते है। पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात महिलाओं के लिए सब पार्टियां करती है लेकिन आप महिलाओं के लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इस सदन में कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं। कोई भी पार्टी महिलाओं को रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं है कि महिलाओं को अपनी सीट दे दें। कोई सदस्य भी ऐसा करने के लिए यहां तैयार है क्या ? इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जब तक यहां ज्यादा महिलाएं नहीं आयेंगी, जब तक रिजर्वेशन महिलाओं का नहीं होगा, अभी थम्बि दुरई ने कहा था कि महिलाओं का रिजर्वेशन 50 परसेंट होना चाहिए लेकिन कोई पार्टी यह देने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानती हूं, हमने 30 परसेंट मांगा था, वह भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। महिलाओं की समस्या कहने के लिए बार-बार इण्टरप्रिटेशन आता है लेकिन हमारे लिए समय कम हो जाता है, महिलाओं की समस्याओं के लिए समय की कमी है। हम 50 परसेंट से ज्यादा हैं लेकिन इस सदन में हमारे को बहुत दुख होता है कि महिलाओं के बारे में समय नहीं मिलता। हम होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए।

पुलिस थाने में पुलिस वाले जो रेप करते हैं उनको आप कठिन से कठिन सजा दीजिए उनको नौकरी से निकाल दीजिए ताकि उनको यह मालूम हो कि उन्होंने कितना गम्भीर अपराध किया है।

**श्री सूर्य नारायण यादव** (सहरसा) : सारे दलों की महिलाएं जनता दल में आ जाइए, हम सबको मंत्री बना देंगे।

**श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : इस पर कोई अलग बोलने वाला नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, सभी ने इसका समर्थन किया है। गीता मुखर्जी ने ठीक कहा कि सारे मर्द हमारे भाई हैं, आप इसका समर्थन कर दीजिए। महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम उनको किस प्रकार से मिटा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक महिला भगिनी से प्रार्थना करूंगा कि वे दूसरी महिला भगिनी के लिए थोड़ा समय दें।

श्रीमती गिरिजा देवी : महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में माननीय सदस्या, श्रीमती गीता मुखर्जी जी ने नियम 193 के तहत जो चर्चा उठाई है, मैं उसका समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री बसई चौधरी (रोसेड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आजादी के बाद लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। खास तौर से जो गांवों में रहने वाली हरिजन आदिवासी महिलायें हैं या कमजोर तबके की महिलायें हैं, उन पर ज्यादा अत्याचार होता है। आज बलात्कार, उत्पीड़न और दहेज के कारण ये हत्यायें की जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसी भी महिला पर अत्याचार होता है तो आज कोई उसकी गवाही नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो अत्याचार करने वाले तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो सामन्तों के संरक्षण में रहते हैं, जो बड़े नेताओं कैंसर ग्रस्त में रहते हैं, उनको संरक्षण प्रशासन की तरफ से भी मिलता है। उसका नतीजा यह हो जाता है कि कोई भी मुकद्दमा अगर महिला की तरफ से किया जाता है, वह मुकद्दमा चल नहीं पाता है और समाप्त हो जाता है।

मेरे से पूर्व हमारी बहन जी बतला रहीं थीं कि महिला के साथ बलात्कार होता है और डाक्टरी रिपोर्ट यह दी जाती है कि महिला के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ऐसी एक-दो घटनायें नहीं हैं, अनेक घटनायें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे केस हैं, जो वास्तव में बलात्कार के होते हैं, लेकिन डाक्टर के पास केस जब डाक्टरी जांच के लिए जाता है तो सही रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इससे पहले ही जो असामाजिक तत्व बलात्कार करता है, डाक्टर के पास जाकर पैसा देकर उसको अपनी तरफ मिला लेता है। उसी तरह से बरोया के बारे में कहा गया है। आज हमारे थानों में स्थिति क्या है ? किसी भी महिला पर अत्याचार होता है तो केस दर्ज नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को ऐसे सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि अगर कोई भी डाक्टर, जिसके पास कोई बलात्कार का केस जांच के लिए जाता है, रिपोर्ट सही नहीं देता है···

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्वाइंट पहले भी कहा जा चुका है। आप कृपया किसी दूसरे प्वाइंट पर आइए।

श्री बसई चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसा कानून बनाने की जरूरत है कि अगर कोई डाक्टर डाक्टरी जांच के बाद सही रिपोर्ट नहीं देता है, तो उसके डिसमिसल का प्रावधान होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो पहले से ही कानून में है।

श्री बसई चौधरी : मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी पार्टियां अपनी नीति बताते समय इस बात का प्रावधान करें कि चाहे हमारा कोई कार्यकर्ता या हमारा कोई नेता महिला के साथ अत्याचार में भागीदार हो या महिला पर अत्याचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को वह सहायता करता है, मदद करता है, तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ मांग रखना चाहता हूं। महिला थाने का गठन किया गया है। हम अपने बिहार में देखते हैं। बिहार

में पटना में महिला थाने का गठन किया गया है। जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि महिला थाने का गठन जिले में हो और उसमें महिला पदाधिकारी को पदासीन करें, ताकि जो गलत भावना लोगों में है कि अत्याचार होते हैं, केस दर्ज नहीं किए जाते हैं, वे मिल सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अलग से महिला कोर्टस् की भी स्थापना की जानी चाहिए। आज महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, कोर्ट में जाने पर उनको गवाही नहीं मिलती, गलत भावना के कारण उनको वास्तव में न्याय नहीं मिल पाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि महिलाओं के लिए कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ उनको मुफ्त कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। आज गांवों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अत्याचार होने के बावजूद वे मुकद्दमा नहीं लड़ पातीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रबंध किया जाना चाहिए, ताकि उनको न्याय मिल सके।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, इसके कारण भी आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस विभाग में अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती की जाए, अधिकारियों के पद महिलाओं से भरे जाएं और फिलहाल जो वेकेंसीज निकाली जाएं वे सिर्फ महिलाओं द्वारा ही भरी जाएं, ताकि उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, शोषण होता है, उससे उनको मुक्ति मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारी महिला कल्याण संस्थाएं चल रही हैं, सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि जो लाखों रुपया सरकार द्वारा इन संस्थाओं को दिया जाता है उसका कितना उपयोग हो रहा है। मेरा अपना अनुभव है कि एक पैसा भी महिला कल्याण पर खर्च नहीं किया जाता। इस तरह के संस्थानों पर कार्रवाही की जानी चाहिए और चलाने वाले लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, ताकि महिला कल्याण के लिए दिए गए पैसे का उपयोग हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी** (सीतापुर): उपाध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में आज हम जिस विषय पर बहस कर रहे हैं वह भारतीय संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाज ने और हमने राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं का जो स्थान स्वीकार किया है, आज जो घटनाएं हो रही हैं, वे ठीक उसके विपरीत हो रही हैं। आज हमारे समाज में जिस तरह की बुराइयां आ गई हैं, उनको देखकर आश्चर्य होता है, आज हमारा देश किधर जा रहा है। जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में हम नीचे जा रहे हैं, हमारा डेटीरियोरेशन हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा नैतिक पतन भी हो रहा है। ये दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज बहुत तकलीफ के साथ यहां पर खड़ी होकर इन बातों का जिक्र करना चाहती हूं जो मैं इतनी उम्र होने के बाद कह रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश उत्तरप्रदेश में आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, अखबार उठाने के साथ-साथ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो भारत की संस्कृति का प्रतीक रहा है, सब मनीषी वहां पैदा हुए, धर्म का स्थान रहा है, रामकृष्ण की भूमि रही है, आज वहां पर क्या हो रहा है। जहां हम सीता-राम कहते हैं, राधा-कृष्ण कहते हैं, वहां दूसरी ओर क्या हो रहा है। कल माननीय जो कह

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

रही थी, शूद्र-गंवार-ढोल-पशु-नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, लेकर उसका वर्णन इस प्रकार नहीं है, जिस प्रकार बेकार रह गा जहां पर बात मुख्य पात्र द्वारा न कही गई हो, उसका महत्व नहीं होता है। जब श्री राम समुद्र पार करने के लिए जाते हैं तो समुद्र डर कर उठ कर कहता है, तो वह आदर्श की बात नहीं मानी जा सकती, राम अगर यह बात कहते तो तब दूसरी बात होती, लेकिन एक जड़ ने यह बात कही है। समाज में नारी का क्या स्थान है, हिन्दू धर्म में नारी का बहुत ऊंचा स्थान है, अर्द्धांगिनी कहा गया है, कोई भी काम, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना स्त्री को साथ लिए पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आज क्या हो रहा है। मैं कुछ घटनाएं जो इधर हुई हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यूं तो कई रूप में अत्याचार होते रहे हैं।

पिछले वर्षों में दहेज के कारण नव-वधू, औरतें, लड़कियां जलायी जाती थी। ये घटनाएं तो दब गयीं, आज उसकी जगह आए दिन बलात्कार की घटनाओं ने ले ली है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। दो-एक घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। रपड़ा की घटना है, यह 31-7-90 के नवजीवन एवं अमर उजाला अखबार में छपी थी, जैतीपुर थाना, शाहजहांपुर की घटना, शहर रामेश्वरीपुरी में अस्ती, 30-7-90 की घटना, ग्राम सैदपुर थाना मवई, बाराबंकी, थाना बड़ी, ग्राम गूजरपुर राजपुर, बसंत कालोनी, दक्षिण दिल्ली।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप यह जानकारी मन्त्री महोदय को दे दें। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। मुझे खेद है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

**श्री राजेन्द्र कुमार बाजपेयी :** समय की कमी के कारण में डिटेल में नहीं जा रही हूं। इसमें से एक-दो घटनाएं, जो बहुत ही स्टर्लिंग हैं उनका जिक्र करूंगी। आज इतनी भयानक स्थिति पैदा हो गयी है। सिकन्दर राऊ, अलीगढ़, राजपुर, कानपुर देहात, मेरठ फर्रुखाबाद, बिराती रेलवे स्टेशन, कलकत्ता, गजरौला, मुरादाबाद, इन्होना रायबरेली आदि इस तरह की दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं। फतेहपुर में एक-दो नहीं छः घटनाएं घटी हैं लखनऊ, सैदपुर, धौलपुर, लमेटा, शाहपुर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं कहना चाहती हूं कि 11 बरस की, 13 बरस की लड़की के साथ रेप किया गया। इटावा में 13 साल की लड़की के साथ एक दिन, दो दिन सात दिन तक रेप किया गया। उसके बाद उसको मार कर खेत में डाल दिया गया। जब वह भरी हुई पाई गयी गई तो उसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था। किसी को पकड़ा नहीं गया। बाद मैं केस को दबाने की कोशिश की गयी। इसी तरह से नर्स के साथ गजरौला काण्ड हुआ था। वहां पर डाक्टरस् की रिपोर्ट को भी दबाने की कोशिश की गयी। मैं जब वहां पर गयी, सिस्टर्स से बात की, तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट गलत है। उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार की महिला मिनिस्टर वहां गयीं थीं। नर्स ने जो कहा उससे वे दुःखी थीं। मैंने साफ कहा कि मैडिकल रिपोर्ट को बदला गया है और इसे देखना चाहिए। उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जिसने इसको दबाने की कोशिश की। बाद में दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वहां गए थे। हमारी बात सही मानी गयी और मैडिकल डाक्टर को वहां से हटाया गया। जो अधिकारी हैं, दरोगा है, पुलिस अधिकारी है उनको भी वहां से हटाया गया। ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ खास तरीके से दबाव डाला जाता है कि जो लोग ऐसे अपराधी काम करते हैं उनके खिलाफ एक्शन न लिया जाए। रपड़ की बात मैंने कही। यह ऐसा गांव है जो चारों

तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उस गांव में बहुत लूटपाट हुई है। लूट लेते तो कोई बात नहीं, वहां पर तीस दर्जन औरतों का रेप किया गया। कोई भी बदान लड़की और औरत नहीं बची जिसका रेप न किया गया हो। एक-एक औरत ने मुझसे यह बात कही, अगर कोई दूसरा यह बात कहता तो मैं शायद न मानती। वहां जाना बहुत मुश्किल था। मैं बैलगाड़ी पर चढ़ कर गयी, क्योंकि रास्ता नहीं था। नाव से गयी, क्योंकि रास्ता नहीं था, नाला पड़ता था। जिस दिन मैं गयी हूं, घटना के 12-15 दिन बीत चुके थे, कोई भी व्यक्ति उन लोगों को देखने नहीं गया, जन-प्रतिनिधि नहीं गया, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। श्रीमती पाजे जी ने द्रौपदी और चीर-हरण की बात की थी। उस गांव में लोगों ने सब कुछ उठा लिया और सबको नंगी छोड़कर लूटकर चले गए। उन औरतों को बेइज्जत किया था। मैं इसलिए खुलकर कह रही हूं कि आजकल लोग इस कदर नीचे गिर गए हैं और शासन पंगु हो गया है और कोई कार्यवाही नहीं होती। एक भी आदमी वहां पकड़ा नहीं गया। बाद में लोग यह कहते रहे कि वहां कुछ नहीं हुआ है। अखबार वाले भी वहां पर गए।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : इन घटनाओं पर मत बोलिए। हम देश भर में महिलाओं पर अत्याचार के विषय में चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी** : मैंने उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कही कि यह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। दक्षिण दिल्ली में बसन्त कालोनी में तिब्बती महिला के साथ हुआ और कलकत्ता में भी महिला के साथ बहुत कुछ हुआ। आजकल देश में जो कुछ हो रहा है उससे बहुत बड़ी गिरावट आई है। इस बारे में हमें और आपको विचार करना है कि आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है। हमने कानून बनाया था कि जब कोई महिला अरेस्ट होती है तो उसके साथ महिला पुलिस होनी चाहिए और रात को थाने में नहीं रखना चाहिए। उसके बावजूद भी उसको थाने में रखा जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में सूरजा देवी के साथ बहुत कुछ किया गया और बहुत ज्यादा प्रचार किया गया। कानून को मानने वाले जो लोग हैं, उनको कानून की रक्षा करनी चाहिए। वही लोग आज भक्षक बने हुए है। अपनी रक्षा के लिए पूछते है कि किसके पास जाएं। अगर यह सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती है तो फिर जनता क्या करे। चारों तरफ आन्दोलन हो रहा है और अपनी रक्षा के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जो सवाल उठाया गया है, यह महिलाओं के लिए है। हरिजन महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इनके घरों को लूटा जाता है और वहीं पर औरतों को जलील करते हैं। घर को लूटने के बाद जो घर के मनहूस मर्द होते हैं तो उनके सामने खड़े होकर औरतों की इज्जत ली जाती है। यह सबसे ज्यादा शर्मनाक और दुखद बात है। सरकार को और पूरे सदन को यह सोचना चाहिए कि क्या तरीका अपनाएं जिससे इनकी रोकथाम कर सकते है। फतेहपुर के घनराज स्थान पर कुचली देवी को जला दिया गया और अभी सिकन्दर राऊ में क्या हुआ।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : महोदय, कृपया इन घटनाओं का उल्लेख न करें।

[हिन्दी]

**डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी** : गृह मन्त्री जी अपना जवाब देते हुए यह प्रकाश डालेंगे कि सरकार क्या कर रही है और जनता दल की सरकार जब से आई है तबसे यह क्यों बढ़ रहा है, यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ए० के० राय। आप ही को शैली में कृपया कुछ मिनट ही लें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उनके लिए तो कई घंटे और हमारे लिए केवल कुछ मिनट। ऐसा क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप थोड़े से समय में अधिक बातें कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० के राय : मैं यहां पर अपने अनेक महिला सदस्यों के जोशीले भाषण सुनता रहा हूं। मैं उनकी अत्यधिक प्रशंसा करता हूं और मुझे इस संबंध में कुछ डर भी है। मैं निवेदन करता हूं कि जैसा दर्शाया गया है, पुरुष उतने बुरे नहीं हैं। सारे पुरुष मूर्ख हैं आप सहित मानवीय संसद सदस्य भी मूर्ख है और विधि निर्माता भी इसी श्रेणी में आते है क्योंकि उनके कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। सिर्फ चिल्लाने से यह समस्या खत्म नहीं होगी। अगर आप इस बारे में पूर्णतया जानना चाहते हैं तो हमें इस मुद्दे की गहराई में जाना होगा। मैं विशेष रूप से महिला सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे यह देखें कि आम आदमी महिलाओं पर अत्याचार नहीं करता। परिश्रमी आदमी, कृषक, चालक, हरिजन, कृषि मजदूर महिलाओं पर अत्याचार नहीं करते। ऐसा तो केवल भद्र पुरुष करते हैं। आम आदमी तो अमीर के सहारे गुजारा करता है जबकि भद्र पुरुष गरीब का शोषण करके जीता है। ये भद्र पुरुष अर्थात् पुलिस-कर्मी, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री व्यवसायी, सरकारी आदमी, प्रेस-कर्मी, सभी अत्याचार करते हैं। ऐसा आदिवासियों द्वारा नहीं बल्कि सत्ताधारी वर्ग द्वारा किया जाता है। मैं सुन रहा था कि यह चर्चा दलगत विचारों से ऊपर उठकर रही। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस मामले में एक वर्ग की सीमा को नहीं तोड़ा जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार तो उस सत्ताधारी वर्ग का काम है जो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते और अपनी रोजी-रोटी ईमानदारी पूर्वक मेहनत से अर्जित नहीं करते। आदिवासी समाज में क्या दहेज की प्रथा है ? क्या आपने इस बारे में कभी भी सुना है। हम बलात्कार पर ही चर्चा करते रहे हैं और सभा इस मुद्दे में व्यस्त है। क्या आपने कभी ऐसा एक भी मामला सुना है जिसमें एक आदिवासी आदमी द्वारा एक आदिवासी महिला का बलात्कार किया गया हो। नहीं। इतनी नैतिकता उनमें है। अतः एक आम आदमी नहीं बल्कि एक भद्र पुरुष ही महिलाओं पर अत्याचार करता है।

विभिन्न राज्यों में हो रही घटनाओं पर सभा के समक्ष अनेक आंकड़े रखे गए हैं। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विगत 3-4 वर्षों में बलात्कार का एक भी मामला नहीं घटा ये मामले दिल्ली में ही हो रहें हैं। क्यों। ऐसा इसलिए है कि भद्र पुरुष तो दिल्ली में रहता है जबकि वहां पर तो आम आदमी रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके मुताबिक भद्र पुरुष की परिभाषा क्या है।

श्री ए० के० राय : मैंने यह परिभाषा बताई है। आम आदमी अमीर के सहारे गुजारा करता है और भद्र पुरुष गरीब का शोषण करके अपना जीवन निर्वाह करता है। जार्ज बरनार्ड शॉ ने यह परिभाषा दी है। आप भी जानते हैं कि मानव जाति के प्रारम्भिक काल में ये भद्र पुरुष कहां थे।

ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भगवान को हव्वा से विवाह करने हेतु आदम को दहेज देना पड़ा था। यह एक तथ्य है। आपको समझना चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार का सम्बन्ध समाज में हो रहे आम शोषण से है। नारी प्रधान समाज समाप्त हो गया तथा

पुरुष प्रधान समाज का उदय हुआ। सम्पूर्ण नारी जाति के लिए वह दिन भारी हार का दिन था। यह वहीं से शुरू हुआ था।

"मेमोरेबल बुक" में आपने निश्चित रूप से परिवार का उदय तथा निजी सम्पत्ति इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा। फ्रेडरिक एंगल्स जो एक महान मार्क्सवादी था उसी ने सर्वप्रथम विश्व में व्याप्त शोषण तथा यौन-शोषण का पूरा चित्र प्रस्तुत किया था। अतः जो उसने कहा था वह इस प्रकार है:

"श्रम का प्रथम विभाजन पुरुष तथा स्त्री के बीच में है तथा उत्कृष्ट कोटि का शोषण पुरुष द्वारा ही महिलाओं के साथ किया जाता है।"

महोदय उसने कहा है कि नारी को मुक्ति दिलाने के लिए सर्वप्रथम सामाजिक स्तर पर स्त्रियों को पुरुष के साथ ही समान स्थान दिया जाना चाहिए। केवल तभी हम उन्हें समान स्तर दे सकते हैं।

मैं पूछना चाहूंगी कि दहेज क्या है? दहेज कुछ नहीं है बल्कि एक सामाजिक सहायता है। महोदय, आप मांग तथा आपूर्ति के नियम को जानते हैं। जब मांग अधिक होती है तथा आपूर्ति कम होती है तब कीमतों में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र का यही मूलभूत सिद्धान्त है। परन्तु यहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। अतः यह स्वाभाविक है कि स्त्री महत्व अधिक होना चाहिए। परन्तु जो इस समय हो रहा है वह बिल्कुल उल्टा है। उन्हीं सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक मूल्यों के कारण महिलाओं का महत्व कम होता जा रहा है तथा इस प्रकार हमारे समाज में महिलाओं को बहुत ही कम महत्व दिया जा रहा है। महोदय क्या आपने इस पर ध्यान दिया है?

अतः मुख्य प्रश्न हमारे सामाजिक कार्य में महिलाओं के हिस्से के बारे में उठता है। सारी बात यहीं पर आकर रुकती है। मैं अभी इसी का उल्लेख कर रहा हूं।

फ्रेडरिक एंजल्स के अनुसार, उसने जो लिखा था वह इस प्रकार है:

"हम यह भी कह सकते हैं कि स्त्री को स्वतन्त्र कराना तथा उसे पुरुष के समकक्ष लाना उस समय तक असम्भव है जब तक कि स्त्री को सामाजिक रूप से उत्पादक श्रम से अलग रखा जाता है तथा उसे केवल निजी घरेलू काम काज तक ही सीमित रखा जाता है। स्त्री की मुक्ति तभी संभव होगी जबकि वे व्यापक सामाजिक स्तर पर उत्पादन में भागीदार बनें तथा घरेलू कार्यों में उनका बहुत ही कम समय लगे। उसने उस समय यही सब लिखा था। अनेक सदस्यों ने भी इसी आर्थिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कहा है। परन्तु देश भर में क्या हो रहा है?

वर्ष 1951 में वस्त्र उद्योग में पच्चीस प्रतिशत महिला कामगार हुआ करती थी। वर्ष 1971 में यह प्रतिशत घटकर पांच प्रतिशत रह गया तथा वर्ष 1980 के पश्चात् यह 3·5 प्रतिशत रह गया है।

कोयला उद्योग में, हाल ही में, हम मंत्री महोदय के साथ चर्चा कर रहे थे जब श्री आरिफ मोहम्मद खान भी वहां पर उपस्थित थे, तथा उस समय मैंने इसका उल्लेख किया था। कोयला उद्योग में आधुनिकीकरण तथा मशीनीकरण के नाम पर सभी महिला कामगारों को हटाया जा रहा है तथा इस समय कोयला उद्योग में उनकी संख्या पच्चीस प्रतिशत से घटकर दस प्रतिशत से भी कम रह गई है।

[श्री ए० के० राय]

खनन उद्योग के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, कृपया घड़ी मत देखिए। हमें खनन उद्योग में भी उनकी स्थिति को देखना चाहिए तथा उसके बाद हम समय की ओर देखेंगे—वहां की स्थिति भी ठीक वैसी ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो बात कही है उसमें वह विषय भी आ जाता है।

श्री ए० के० राय : सार्वजनिक उपक्रमों में क्या स्थिति है ? क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम में महिलाओं का क्या अनुपात है; यह केवल 2·39 प्रतिशत है। सार्वजनिक उपक्रमों में सम्पूर्ण महिला कामगारों की यही संख्या है तथा दिन पर दिन आधुनिकीकरण तथा मशीनीकरण के नाम पर यह कम होती जा रही है।

वर्ष 1985 में नैरोबी में महिलाओं के सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रयोजित एक सम्मेलन बुलाया गया था। उसमें कुछ प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये थे तथा राष्ट्रीय महिला संघ ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों तथा संगठित क्षेत्रों में भी नौकरियों में महिलाओं के लिए पच्चीस प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी।

इन विभिन्न पहलुओं से हमें विचार करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम न केवल एक कदम आगे विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं बल्कि हम दो कदम और पिछड़ते जा रहे हैं। हम महिलाओं को अधिक रूप से दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर बना रहे हैं जिसके कारण वे अत्याचारों का शिकार हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या का प्रश्न नहीं है, यह नारीवाद का प्रश्न नहीं है, यह महिलाओं के शोषण का प्रश्न है। इसीलिए इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार तभी से शुरू हो जाते हैं जबकि वे मां के गर्भ में होती हैं। कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि व्यक्ति का जीवन नारी के गर्भ से शुरू होता है। परन्तु दुर्भाग्यवश इसी कारण कि बच्चा इस संसार में आने वाला है उसे गर्भाशय में ही मार दिया जाता है। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो वर्ष 1977 में एमनियन सिंथेसिस परीक्षण का आविष्कार हुआ जिससे यह निर्धारित किया जा सकता था कि गर्भस्थ शिशु लड़की है अथवा लड़का। गर्भवती महिला के पेट में एक सुई तथा लम्बी सिरिंज लगाई जाती है जो शरीर से गर्भ में जाती है—एमनियोटिन तरल पदार्थ को एकत्र करना कितना कष्टदायक होता होगा। इस एमनियोटिन का परीक्षण करके इस दुर्भाग्यपूर्ण देश का अभिजात्य वर्ग गर्भाशय में ही शिशु की हत्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आप देखेंगे कि देशभर में सौ से भी अधिक ऐसे क्लिनिक हैं जो यह पाशविक परीक्षण करने के लिए तैयार हैं।

एलबर्ट आइनस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=एम०सी० 2 का विनाशकारी बम बनाने के लिए दुरुपयोग किया गया था। इसी प्रकार इन परीक्षणों का भी बालिका शिशु की हत्या करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को इस परीक्षण की जानकारी नहीं है अथवा जिनके पास इस परीक्षण तथा गर्भपात के लिए धनराशि नहीं है वे व्यक्ति यदि शिशु लड़की है तो उसकी हत्या कर देते हैं महोदय आप विश्वास कीजिए कि समाज में कुछक समाज में कुछ परम्पराएं हैं कि परिवार में लड़की केवल एक ही होनी चाहिए कभी-कभी गीले कपड़े नवजात शिशु के चेहरे पर उसकी हत्या करने के लिए डाल दिए जाते हैं कभी-कभी जब बच्चा चीखता है तब उसे मारने के लिए उसके मुंह में बाल भर

दिया जाता है। कभी-कभी गर्म राख उसके मुंह में भर दी जाती है। कभी-कभी कुछ जंगली पौधों का जहरीला दूध उसके मुंह में डाल दिया जाता है। कभी-कभी 'अराली' फल को दूध के साथ मिलाकर पीसा जाता है तथा उसके मुंह में डाल दिया जाता है।

वर्ष 1985 की जनगणना के अनुसार उस वर्ष एक करोड़ बीस लाख बालिका शिशुओं ने जन्म लिया था। परन्तु एक वर्ष के अन्तर्गत उस एक करोड़ बीस लाख शिशुओं में से 13 लाख शिशुओं की मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु दर का मुख्य कारण बालिका शिशु की देख भाल में अत्यधिक लापरवाही बरतना है। यह मेरा विश्वास है। एक वर्ष से कम आयु के बालिका शिशु पर इस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। महोदय, समय की कमी के कारण मैं इस बात का यहां पर उल्लेख नहीं कर रही हूं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का विनम्रता पूर्वक अमृतसर के एक क्लिनिक के बिल्कुल आगे की ओर लिखे हुए इस वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि "आप आज 500 रु० खर्च करके कल होने वाले 50,000 रु० के खर्च को बचा सकते हैं।" बालिका शिशु के गर्भपात कराने के लिए यह लिखा गया है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1972 से दुर्भाग्यवश समाज विरोधी तत्वों का बचाव हो जाता है।

महोदय, एक साठ अथवा सत्तर वर्ष का वृद्ध व्यक्ति छः अथवा सात वर्ष की बालिका के साथ, बलात्कार करता है तो यह समाचार लोगों के लिए एक मनोरंजक खबर हो सकती है। वह निर्दयी आदमी अपनी जिन्दगी के अन्तिम पड़ाव पर है। परन्तु उस अबोध शिशु का क्या होगा? उस खूबसूरत फूल का क्या होगा जो निर्दयी मानव के हाथों कुचला गया? कोई भी व्यक्ति जानते बूझते उसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा। उसके यौन जीवन में भी मनोवैज्ञानिक उदासीनता आ सकती है।

माताएं अपने लड़कों को पन्द्रह या सोलह वर्ष की आयु में रक्षक के रूप में देखती हैं। परन्तु उसी आयु की लड़कियों के बारे में वे सशंकित रहती हैं। एक वयस्क लड़की की सुरक्षा को किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जब ऐसे प्रज्वलित किस्से सुनते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि माताएं बेवकूफ होती हैं?

केरल में चिरनावाया में सुजाता अयागोपन नामक महिला हत्या कर दी गयी थी। अभियुक्त श्री बबूहर एक स्कूल मास्टर है। वह दुर्भाग्यशाली महिला दो बच्चों की मां थी। उस खूबसूरत महिला का अपराध यह था कि वह उस व्यक्ति के नीच इरादों के आगे नहीं झुकी। यह कितने खेद की बात है कि उसके शव पर 28 घाव थे।

पमवस्सी में कहा जाता है कि ओमाना नामक स्त्री तथा उसके पांच वर्षीय पुत्र को उसके पति, चन्द्रन पिल्लई ने इसी महीने, जिसे यदि हम अपनी स्वतन्त्रता के साथ जोड़ें तो पवित्र समझा जाता है, बेरहम से जख्मी कर दिया।

इडाचेरी में, रेमला, जो तीन बच्चों की मां थी और जिसकी उम्र 32 वर्ष थी, को एक कुएं में मृत पाया गया। उसके पति ने उसे 5 वर्ष पूर्व छोड़ दिया था। यह कहा जाता है कि उसे कुछ मानसिक समस्या थी। यदि किसी स्त्री के पास दो वक्त का भोजन न हो तो क्या वह सामान्य हो सकती है? यह घटना भी इसी महीने हुई।

भारतीमे, जिसके पिता का नाम कक्कायेकारा पप्पाक्वींयिल कुट्टन है, बीस साल की आयु में आत्म हत्या कर ली। वह कुंवारी बाला गर्भवती थी। उसके जीवन का मोल कौन देगा? यह घटना भी इसी महीने हुई।

[प्रो० सावित्री लक्ष्मणन]

अहमदाबाद में एक पति ने अपनी पत्नि को 3000 रुपये में बेच दिया जबकि हम अपनी स्वतन्त्रता की वर्ष गांठ मनाने की तैयारियां करते हैं।

कश्मीर में सुरक्षा कार्यवाही तथा पूछताछ के नाम पर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार साधारण बातें हैं। क्या हमें यह सुन कर शर्म आएगी कि अपराधी हमारी अपनी सेना-सुरक्षा सेना से हैं ? जब सरकार कश्मीर घाटी को सुरक्षा हेतु 120 सशस्त्र कम्पनियों पर 12 करोड़ रुपये खर्च करती है, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसी कारणवश कई कश्मीरी लड़कियां अपना बहुमुल्य कौमार्य लुटा बैठी। जब मुझे हमारे राज्यों के एक मुख्य मन्त्री के ये शब्द "बलात्कारों पर चिन्ता मत करिए; वे इतने निरन्तर और सामान्य हैं जैसे कि अमरीका में चाय" याद आते हैं, मैं सभा के समक्ष भारी मन से अपना गहन दुःख व्यक्त करती हूं।

कलकत्ता में परगना जिले में एक शरणार्थी शिविर में 7 औरतों के साथ बलात्कार किया गया। 15 लड़कियों को उनके माता-पिता, भाईयों तथा अन्य लोगों के समक्ष नंगी चलने पर मजबूर किया गया। बासला में तीन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बलात्कार किया गया।

चोरी के सिलसिले में हत्या और बलात्कारों की संख्या अनगिनत है। पुरुष के मुकाबले स्त्री की शारीरिक संरचना उस आक्रमण का सामना करने में अक्षम है। मुझे आशंका है कि यदि मैं राजरोला में हुई घटनाओं के विस्तार में जाऊंगी तो मुझे आ जाएगा। कसारगोडू में एक बीपाथुम्मा नामक महिला जो अपने घर में अकेली थी, की हत्या पांच गिन्नियों की सोने की चेन के लिए कर दी गई। मैं इस तरह की घटनाओं का उल्लेख नहीं करूंगी।

हमारे भारत वर्ष में दहेज सम्बन्धी मौतें सामान्य बातें हैं। यदि हम पिछले दो महीनों के आंकड़े एकत्र करें तो ऐसी मौतों की संख्या भयंकर होगी। कोचीन में, दो बच्चों, जो दूसरी तथा तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, की मां अपने पति के घर मृत पाई गई। उसकी आयु केवल 26 वर्ष थी। चूंकि उसका बड़ा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, इससे लगता है कि उसकी शादी किशोर-अवस्था में ही हो गई होगी।

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदया, यह आवश्यक नहीं है। इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। केवल उद्धृत करने के लिए हम आपको समय नहीं दे सकते। वर्ण आवश्यक नहीं है।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : इसलिए, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं। तमिलनाडु सरकार मुम्बई के लाल बत्ती क्षेत्र से मुक्ति एक्प्रेस द्वारा 85 बच्चों सहित 854 महिलाओं को लाई थी। क्या उन्हें अपने भयावह जीवन से वास्तव में मुक्ति मिल गई? पहले तो 'एलिसा टेस्ट' ने यह साबित कर दिया कि उनमें से दो-तिहाई महिलाएं एड्स से पीड़ित हैं। फिर 'वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट' से पता चला कि उन्हें यह रोग नही है। परन्तु उनके रिस्तेदार उन्हें स्वीकार करने हेतु राजी नहीं हैं। राज्य सरकार उनका पुनर्वास कैसे कर सकती है ? जब हम महिलाओं पर अत्याचार की बात करते हैं तो हमें इसके बारे में भी सोचना होगा।

यहां तक कि पुलिस विभाग में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इस बात पर सभा में चर्चा

हो चुकी है। इसलिए, मैं इस विषय को छोड़ रही हूं। कभी-कभी पुलिस अधिकारी भी हमारे सामने अपराधियों के रूप में आते हैं। मैं इस विषय को नहीं ले रही हूं।

जब हम महिलाओं पर अत्याचारों की बात करते हैं तो हम हरिजनों या ब्राह्मणों पर अत्याचारों की चर्चा नहीं करते परन्तु यह चर्चा कुल मिला कर स्त्रित्व के बारे में होती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। महिलाओं पर अत्याचार कब खत्म होंगे या सांसद श्री सुनील दत्त की महिलाओं पर अत्याचार पर बनी फिल्म के शीर्षक को उद्धृत करना बेहतर होगा कि "यह आग कब बुझेगी।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय मन्त्री को आधा घंटा चाहिए। मेरे विचार में आप इस पर अगली बार बोल सकते हैं। एक या दो सदस्य और हैं जो बोलना चाहते हैं। मैं देखूंगा कि यह कैसे हो सकता है।

विदेश मन्त्री यहां उपस्थित हैं। अन्य माननीय सदस्य भी उनकी बात सुनने के इच्छुक हैं।

अब, विदेश मन्त्री बोलेंगे।

---

4.02 म० प०

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### खाड़ी संकट के संबंध में विदेश मंत्री द्वारा मास्को, वाशिंगटन, अम्मान, बगदाद तथा कुवैत का दौरा

**विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल)** : जैसा कि सदन को मालूम है मैं पिछले सात दिन से खाड़ी क्षेत्र के मौजूदा संकट के सम्बद्ध कुछ प्रमुख देशों की यात्रा पर था। अपनी इस यात्रा की वापसी के बाद सबसे पहले मैं सदन को इस यात्रा की प्रमुख बातों के विषय में विस्तार से अवगत कराना चाहूंगा। इस यात्रा क्रम में मैं सबसे पहले यहां से मास्को गया था, फिर वाशिंगटन और वहां से अम्मान, बगदाद और कुवैत। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है मेरे साथी नागर विमानन मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान ने भी हाल ही में खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों की स्थिति खुद देखने के उद्देश्य से असहाय लोगों के देश प्रत्यावर्तन का वहीं से प्रबन्ध करने और वहां की सरकारों को हमें तेल की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाड़ी के कई देशों का दौरा किया। मुझे विश्वास है कि यह सदन उनकी कोशिशों की प्रशंसा करना चाहेगा और उन्हें अपनी कोशिशों में कामयाब होने के लिए बधाई देना चाहेगा।

2. कुवैत में और खाड़ी में अन्यत्र रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, कल्याण, सुरक्षा और उनकी राजी-खुशी को लेकर हमारे मन में जो चिन्ता है, वह चिन्ता ही इस यात्रा का प्रमुख कारण थी। कुवैत में अन्दाजन 1,72,000 भारतीय रहते हैं और खाड़ी के पूरे क्षेत्र में कुल मिलाकर कोई 15 लाख।

3. मैं करीब दो दिन कुवैत में रहा और भारतीय समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश की। मैं उनके स्कूलों में गया, उनके रिहायश के इलाकों में गया और राजदूतावास में मैंने दो बैठकें बुलायीं जिसमें हमारे हजारों लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा मैंने दो सभाएं उनके रिहायशी इलाकों में भी कीं और इन दोनों सभाओं में भी हजारों लोग शामिल हुए। ये लोग जहां

रहते थे, वहां जाकर और दूसरी जगहों पर भी मैंने लोगों से अलग-अलग और समूह में बातचीत की। उनमें जबरदस्त जोश था। मेरी तकरीर के दौरान कई बार "भारत-माता की जय" का नारा उन लोगों ने लगाया और तालियां बजाकर पूरी गर्मजोशी के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया। इस समय वहां भविष्य के विषय में चिन्ता होना बड़ा स्वाभाविक है और बहुत तनाव भी है। फिर भी कुवैत की कई जगहों पर अपने दौरे में मैंने यह देखा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति हालांकि सामान्य नहीं है फिर भी गम्भीर चिन्ता की कोई बात नहीं है। लूटपाट के भी कुछ मामले हुए जिनमें कुछ भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति भी लूटी गयी। लेकिन वहां के अधिकारियों ने सख्त कदम देने के कदम उठाए हैं और यह समस्या मोटे तौर पर अब काबू में कर ली गयी है। बिजली, पानी और अनिवार्य सेवाएं सामान्य हैं। आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा सेवाएं भी सुलभ हैं। बैंकों की बन्दी अपने आप में एक समस्या थी लेकिन जिस दिन मैं वहां पहुंचा उसी दिन एक बैंक खुल गया था और उम्मीद है कि दूसरे बैंक भी कुछ दिन में खुल जायेंगे ताकि लोग अपनी जरूरत के पैसे वहां से निकाल सकें। बेशक कुवैत में खाने-पीने की चीजों की कमी नजर आने लगी है जिसकी वजह से राशन प्रथा जरूरी हो गयी। प्रायः सभी दुकानें बन्द हैं लेकिन अनिवार्य चीजें और खाने-पीने की चीजें बेचने वाले कुछ सहकारी स्टोर खुले हुए हैं लेकिन जहां तक मैंने भारतीयों से बातचीत की तो उन्होंने और एसोसिएशनों के नेताओं ने मुझे बताया कि बहुत सी चीजें नहीं मिल रही हैं और ज्यादातर दुकानें बन्द हैं लेकिन फिलहाल जरूरी राशन मिल रहा है। भारतीय समुदाय के निहायत जरूरतमन्द लोगों के लिए सोलह रसोइयां खोल दी गयी हैं और इन रसोइयों में 6000 से अधिक लोगों को नियमित रूप से खाना दिया जा रहा है। मैंने इन नेताओं से और जो और लोग भी मुझसे मिले उनसे भी मैंने यह कहा कि उनके परिवार के लोग और उनके मित्र आदि उनकी राजी-खुशी की खबर पाने के लिए व्याकुल हैं इसलिए वे अपनी-अपनी चिट्ठियां लिखकर मेरे साथ भारत भेज दें। मैं चिट्ठियों के ऐसे 15 बड़े थैले अपने साथ लाया हूं जिन्हें डाक से भिजवाया जा रहा है।

4. इस मौके पर मैं कुवैत स्थित अपने राजदूत का और राजदूतावास के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशंसात्मक उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा जिन्होंने तनाव और रोज-ब-रोज की मुश्किलों के बावजूद बहुत अच्छी तरह से काम किया है तथा वे दिन-रात काम करके इस कोशिश में लगे रहे हैं कि जैसे भी हो इस कमी के वक्त में जो भी साधन उपलब्ध हों उनसे भारतीय समुदाय की जरूरतें पूरी की जायें और उनके कल्याण का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये। मैंने खुद उस भारी भीड़ को देखा है जो रोज राजदूतावास पर एकत्र होती है जिनमें वे लोग हैं जिन्हें यात्रा के या दूसरी तरह के दस्तावेजों की जरूरत है, या जो ये सलाह लेने आते हैं कि वे क्या करें अथवा जो देश प्रत्यावर्तन के प्रबन्धों के लिए अनुरोध करते हैं। ऐसी आपात स्थिति में हमारे राजदूतावास में कर्मचारी बहुत सीमित होते हैं, इस पर भी हालात से निपटने में बहुत ही अच्छा काम किया है। इसी तरह बगदाद स्थित हमारे राजदूत और राजदूतावास के कर्मचारी भी प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि वे देश की वापसी का रास्ता बगदाद होकर ही है जहां सड़क के रास्ते सैकड़ों भारतीय राष्ट्रिक रोज पहुंचते हैं और हमारे राजदूतावास को उनके भोजन की व्यवस्था और उनकी देखभाल करनी होती है और उनके परिवहन के पर्याप्त प्रबन्ध भी करने होते हैं। हमारे राजदूत ने और उनके सहयोगी कर्मचारियों ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने आपको दिन-रात इस काम में लगा रखा है हालांकि रहने की जगह और परिवहन की कमी को लेकर उनके सामने बहुत सी रुकावटें आती हैं।

5. कुवैत में अपने राजदूतावास के भविष्य के सम्बन्ध में भी वहां के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इराक ने फैसला किया कि 24-8-90 के बाद किसी भी राजदूतावास

उसे वहां काम नहीं करने दिया जायेगा। कुवैत में स्थित मिशनों के समक्ष इस फैसले पर अमल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भारतीय समुदाय की ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए तथा उनकी देश वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए, जिसके लिए संभवत: बसरा का रास्ता ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, हम वहां पर अपने प्रधान कौंसलावास को मजबूत करने के कदम उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रबन्ध संतोषजनक होगा। हम इस काम को सुविधाजनक बनाने की गरज से बसरा स्थित अपने प्रधान कौंसलावास के साथ संचार सम्पर्क के साधनों को भी बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

6. कुवैत के प्राधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रिकों के साथ अत्यन्त शिष्टतापूर्ण और मानवोचित व्यवहार किया है और इस संदर्भ में कहीं से कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है। तथापि, मैं अत्यन्त खेद के साथ इस सम्माननीय सदन को यह बताना चाहूंगा कि दो अगस्त को दुतरफा गोलीबारी में दो भारतीय राष्ट्रिकों की जान चली गयी। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ यह सदन भी इन मृतकों के परिवारों को गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करेगा। हमने प्रत्येक परिवार को 25-25 हजार रुपये का अनुदान देने का भी फैसला किया है तथा उनकी जो रकम उनके नियोक्ताओं की तरफ निकलती थी, उसे भी हासिल करने का मामला उठाया है। एक अन्य भारतीय के भी मारे जाने की खबर थी लेकिन इसके बारे में अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा भी एक भारतीय गम्भीर रूप से घायल हो गया था और कुछ दूसरे लोगों के भी मामूली चोटें आने की खबरें हैं। हमें लगता है कि भारतीयों के बारे में अथवा इराकी प्राधिकारियों द्वारा उन्हें रोक लिए जाने की भी खबरें मिली थी। मैंने अपनी बातचीत में इन बातों को उठाया था और उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि कोई भारतीय नागरिक इस समय नजरबन्द नहीं है। फिर भी मेरे अनुरोध पर इराक के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इस बात के लिए राजी हो गये कि वे सम्बद्ध इराकी प्राधिकारियों को इस बात के लिए खास हिदायत जारी करेंगे कि इस बात की जांच कर ली जाए कि भूलवश कहीं कोई भारतीय राष्ट्रिक नजरबन्द न कर लिया गया हो और ऐसा हो गया हो तो उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जाए। पहले ही दिन यानी 2 अगस्त को 507 भारतीयों को रोका गया था। लेकिन अब इन्हें रिहा कर दिया गया है और वे लोग बगदाद से अम्मान के लिए रवाना हो गए हैं जहां से वे भारत लौटेंगे। कुछ खास-खास दूसरे मामले भी मेरे ध्यान में लाए गए थे। एयर इंडिया के विमान का चालक दल कुवैत में फंस गया था। सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस चालक दल के सदस्य अब स्वदेश लौट आए हैं। ब्रिटिश एयर-वेज के एक विमान में सवार कुछ भारतीय राष्ट्रिक भी कुवैत में अटक गए थे। इनमें से कुछ महिलाओं और बच्चों को मैं उस विशेष विमान से अपने साथ ले आया हूं जिसमें मैं जा रहा था। दूसरे लोगों को भी स्वदेश लाने का इन्तजाम किया जा रहा है।

7. यहां मैं कुवैत स्थित भारतीय एसोसिएशनों के नेताओं की तथा अन्य समुदाय सेवकों की भी प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कड़ी मेहनत और कोशिश की कि भारतीय समुदाय के सामने पेश इस मुश्किल के वक्त में उनकी ठीक देखभाल हो। उनकी कल्याण सम्बन्धी जरूरतें पूरी हों और उन्हें खाना-पीना मिलता रहे। वहां जो अपेक्षाकृत समृद्ध भारतीय हैं, वे अपने-अपने घरों पर सैकड़ों जरूरतमन्द भारतीयों को खाना खिला रहे हैं। उनके पास जो कुछ भी है उसे वे समुदाय के बाकी लोगों के साथ उनके हित में उसे बांट रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि इतने बड़े भारतीय समुदाय के लिए उन्होंने जो सेवा कार्य किया उसको भारत की जनता और भारत की सरकार हृदय से सराहना करती है। मुझे विश्वास है कि यह

सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि इस मुसीबत के वक्त में वे लोग जो योगदान दे रहे हैं वह हमारी श्रेष्ठ परम्पराओं के अनुरूप है।

8. मैंने भारतीय समुदाय के लोगों से यह कहा कि जो लोग वस्तुतः मुसीबत की वजह से, चिकित्सा सहायता या अन्य मानवीय कारणों से वहां से जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं लेकिन हमें जल्दबाजी अथवा घबराहट में कुवैत छोड़ने का कोई कारण नजर नहीं आता। हमारे लोगों ने वहां अच्छा काम किया है तथा राष्ट्र के विकास में उन्होंने योगदान दिया है और मौजूदा परिस्थितियां मुश्किल जरूर हैं लेकिन इनकी वजह से घबराहट या जल्दबाजी में नहीं चल देना चाहिए। मैंने भारतीय समुदाय के नेताओं और सदस्यों को यह सलाह दी कि उन्हें अपने स्वयंसेवी संगठनों को और मजबूत करना चाहिए जिन्होंने अब तक समुदाय के लोगों का हौसला ऊंचा रखने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमने उनसे कहा कि वे देश प्रत्यावर्तन की प्राथमिकता क्या हो, इसके बारे में खुद आपस में तय करें। साथ ही मैंने उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि हम स्थिति पर निगाह रख रहे हैं; हमने नियमित आधार पर भारतीय राष्ट्रिकों को प्रत्यावर्तित करने के इन्तजाम भी किए हैं और देश प्रत्यावर्तित किए जाने वाले लोगों की संख्या में भी हम धीरे-धीरे वृद्धि करेंगे। इनके बारे में कुवैत के स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मैंने ब्यौरेवार बातचीत की है और वे लोग भारतीय समुदाय को सभी सुविधाएं देने को तैयार हो गए हैं। वास्तव में उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय को वहीं रहकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए। मैं खुद अपने साथ भारतीय वायुसेना के विमान में अपने 200 राष्ट्रिकों को, जिनमें कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ अन्य महिलाओं, बच्चों और संकटग्रस्त लोगों को लाया हूं। यात्रा की परिस्थितियां मुश्किल थीं लेकिन मांग को देखते हुए मुझे यह लगा कि जहां तक मुमकिन हो, उनकी मदद की जानी चाहिए। मैं भारतीय वायुसेना के इस विमान के कप्तान और कर्मीदल के अन्य सहयोगी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उड़ान के दौरान हमारी सहायता की।

9. देश प्रत्यावर्तन का मौजूदा रास्ता बहुत असुविधाजनक है। पहले कुवैत से बगदाद तक सड़क के रास्ते आना होता है और वहां से अम्मान, जहां से एयर इंडिया इन्हें लाती है। मौजूदा हालत में, इस यात्रा में 48 घंटे या उससे ज्यादा भी समय लग जाता है। यह यात्रा निहायत तकलीफ-देह और थकाऊ है और महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमने इराकी सरकार के अनुमोदन से यह इन्तजाम किया है कि बसरा से जो कि कुवैत के नजदीक है इसे इराकी विमान चार्टर करेंगे जो भारतीय राष्ट्रिकों को अम्मान ले जाएगा जहां से एयर इंडिया उन्हें लाएगा। इस समय हमारी योजना एक उड़ान रोज भरने की है लेकिन अगर जरूरत हो तो बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इराकी प्राधिकारी भी बगदाद अथवा बसरा से भारत के लिए सीधी उड़ान के हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई है कि यात्री जहाजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह बात निषेधात्मक नीतियों की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेगी और हम इसके बारे में और स्पष्टीकरण ले रहे हैं। जो भी हो, हम इराक जोर्डन सीमा के दोनों ओर अपने कार्यालय स्थापित कर रहे हैं ताकि सड़क के रास्ते यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके। दो कर्मचारियों को जोर्डन की तरफ पहले ही तैनात कर दिया है और दो को इराक की तरफ तैनात किया जा रहा है। बम्बई और त्रिवेन्द्रम में अगवानी का पर्याप्त प्रबन्ध करने के लिए और आगे की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिसके लिए रेल मंत्री ने मुफ्त टिकट देना स्वीकार कर लिया है।

अनिवासी भारतीयों का एक जहाज, एम० वी० स्फीन इस संकट के शुरू होने के वक्त से ही कुवैत में हैं। मेरी बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि जहाज को और इसके यात्री दल को रिहा कर दिया जाएगा। इस बात का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि क्या भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों को इस जहाज में भी देश वापस लाया जा सकता है।

10. इसके अलावा इराक सरकार के साथ भारतीय समुदाय को खाद्यान्न की आपूर्ति के संबंध में भी बातचीत हुई। मैंने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से इस बात का जिक्र किया कि उनके सामने चीजों का अभाव है और राशन की कठिनाई है और यह स्वीकार किया गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो कुछ भी सम्भव होगा वह उनके लिए नियत किया जाएगा। असल में जरूरत इस बात की है कि वहां चीजों की उपलब्धता की स्थिति बेहतर हो और इसके बारे में मैं अभी फिर चर्चा करूंगा।

11. राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, विदेश मंत्री तारिक अजीज और अन्य इराकी नेताओं के साथ बातचीत के दौरान मैंने उनका ध्यान कुवैत में भारतीय समुदाय के सामने उपस्थित अनेक समस्याओं की ओर आकर्षित किया। मैंने कहा कि उन्हें सड़क के रास्ते अथवा हवाई जहाज से यात्रा के लिए अधिक सुविधाओं की जरूरत है, आवश्यक दस्तावेज तैयार करने की व्यवस्था करना जरूरी है, जिन इलाकों में वे लोग रहते हैं वहां कानून और व्यवस्था का लागू किया जाना जरूरी है तथा चिकित्सा सुविधा आदि की भी व्यवस्था किया जाना जरूरी है। उन्होंने इन समस्याओं को भी सुलझाने का वायदा किया है। मैं राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और इराकी प्राधिकारियों के प्रति खासतौर पर अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उस तमाम मदद के लिए जो वे भारतीय समुदाय के लोगों को दे रहे हैं।

12. वाशिंगटन में विदेश मंत्री, बेकर के साथ निषेधाज्ञा के सवाल पर बातचीत हुई और मुझे यह बताया गया कि मानवीय प्रयोजनों के लिए समुद्र के रास्ते खाद्य आपूर्ति तथा चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति को नहीं रोका जाएगा। तथापि, हमें यह देखना है कि क्या यह वस्तुतः सम्भव हो पाता है कि नहीं।

13. खासतौर पर मास्को और वाशिंगटन में मैंने जिस एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बातचीत की, वह समुचित दामों पर तेल की सप्लाई का सवाल था। जैसा कि सदन को मालूम है हम अपने कुल तेल आयात का 40 प्रतिशत हिस्सा, जिसमें सोवियत संघ से आने वाला तेल भी शामिल है, वस्तुतः इराक और कुवैत से ही आता है। मास्को और वाशिंगटन में अपनी बातचीत के दौरान मुझे जो प्रतिक्रिया देखने में मिली, वह वस्तुतः उत्साहवर्धक थी। श्री बेकर ने मुझे बताया कि अमरीका इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि खाड़ी के और अन्य उत्पादक देश तेल का उत्पादन बढ़ा दें जिससे कि कुल कमी के प्रभाव को कीमत की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से जितना कम किया जा सके, किया जाये। सोवियत संघ की सरकार ने तत्काल यह बात मान ली कि वह तेल सप्लाई के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगायेंगे जो अब तक मूलतः इराक से आता रहा है और उन्होंने कहा कि इसका ब्यौरा तैयार करने के लिए अगर तत्काल भारत से एक प्रतिनिधिमंडल आये तो इसका स्वागत करेंगे। उन्होंने सोवियत मूल के तेल की भी पेशकश की। हम इस पेशकश पर विचार करके यह देखेंगे कि क्या भारत इसका लाभ उठा सकता है।

14. खाड़ी की मौजूदा घटनाओं के कारण भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कुप्रभाव का भी समग्र प्रश्न है, खासतौर पर सुरक्षा परिषद द्वारा लगाये गये प्रादेशात्मक प्रतिबन्धों को लागू करने के बारे में। जहां तक स्वयं इन प्रादेशात्मक प्रतिबन्धों का प्रश्न है, भारत निःसंदेह विश्व

समुदाय के साथ कदम मिलकर चलना चाहेगा। तथापि, आज के अन्योन्याश्रित संसार में अगर कहीं बहुत सकल उपायों से काम लिया जाता है तो शेष संसार पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इस समस्या का ख्याल रखा गया था, हालांकि उस सीमा तक नहीं जितना कि आज महसूस हो रहा है और इसीलिए यह व्यवस्था की गयी थी कि अगर कोई खास समस्या उठे तो उसके समाधान के लिए सुरक्षा परिषद में पहुंच की जाए। मास्को में बातचीत के दौरान सोवियत सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है जिससे कि भारत जैसे देशों पर बोझ कम हो जिन पर इसका भारी असर है वाशिंगटन में भी इसके बारे में विचार-विमर्श हुआ जहां मुझे बताया गया कि अमरीका भी यही मानता है कि भारत जैसे देशों पर बोझ कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अवश्य होना चाहिए। जिन पर इनकी वजह से सबसे ज्यादा असर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कार्रवाई करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हमने न्यूयार्क में ऐसे कई देशों के साथ पहले ही विचार-विमर्श शुरू कर दिया है जो हमारी ही तरह प्रभावित हुए हैं।

15. अब मैं खाड़ी की स्थिति के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहना चाहूंगा। मैं जिन-जिन राजधानियों में गया, वहां सभी जगह विस्तार से इसके बारे में चर्चा हुई। भारतीय समुदाय के लोगों का भविष्य, तेल की सप्लाई और उसकी कीमतें तथा प्रतिबन्धों का बोझ ऐसी समस्याएं हैं, जो भारत के लिए सर्वाधिक चिन्ता का विषय है इसके साथ ही इसके पूर्व की संकट बढ़ाकर अपनी लपेट में सारे संसार को ले ले, इसे शान्त करने के लिए मौजूदा संभावनाओं के बारे में भी हमें सोचना है। इस संघर्ष को रफा-दफा करने के लिए जो भी कदम उठाया जाए, वह सार्वभौम, तनाव शैथिल्य और शांति को सुदृढ़ करने की हाल के वर्षों में परिलक्षित सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए।

16. भारत में हम लोग अपने क्षेत्र पर इस संकट के अस्थिरताकारी प्रभावों को लेकर भी उतने ही चिंतित हैं। खाड़ी का क्षेत्र, दक्षिण एशिया का पड़ोसी है। अगर वहां तनाव या संघर्ष बढ़ता है तो इसका हमारे ऊपर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। हम यह देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बंगलादेश ने खाड़ी के तनावग्रस्त क्षेत्र में अपने सैनिक भेजने का फैसला किया है। इसे इन देशों के और अधिक सैन्यीकरण की आड़ बनाया जा सकता है जो इस तमाम क्षेत्र को सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। इसकी वजह से हम सभी लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है कि संकट के कारणों को छितराने और तनाव को दूर करने की संभावनाओं का पता लगायें।

17. मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम अपने ऊपर किसी तरह की मध्यस्थता करने अथवा अपने प्रभाव से काम लेने की भूमिका को जिम्मेदारी से लें। इसके बारे में मैंने उन सभी नेताओं को स्थिति स्पष्ट कर दी थी जिनसे मैं मिला था। फिर भी, हमारी बातचीत का एक लक्ष्य यह पता लगाना अवश्य था कि क्या इस बढ़ते हुए संघर्ष की दिशा को वापस मोड़ने की कोई संभावना है। मौजूदा परिस्थितियों में हम इसका अस्थायी तौर पर ही पता लगा सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान मेरी जो बातचीत हुई उसमें सहमति के क्षेत्र का कहीं कोई खास पता नहीं चला। लेकिन यह जरूरी है कि इस दिशा में प्रयत्न होता रहे।

18. यह बहुत साफ है कि हमारे दिमाग में मानवीय कारण सबसे ऊपर है क्योंकि उस क्षेत्र में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, बेशक वहां अन्य देशों के राष्ट्रिक भी हैं जिनमें इराक और कुवैत के राष्ट्रिक भी शामिल हैं, जिन पर खाने-पीने की चीजों और अन्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा था सभी पक्षों में इस पर सहमति है कि मानवीय प्रयोजनों से

खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा सकती है लेकिन मौजूदा "निषेध" की नीति के संदर्भ में हम नहीं कह सकते कि इस पर वस्तुतः अमल हो सकेगा। हम भारत से खाद्यान्न का एक जहाज भेजने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं ताकि मौजूदा संकट में ग्रस्त सभी राष्ट्रिकताओं के लोगों की तकलीफों को कम किया जा सके। यह भी एक अच्छा विचार होगा कि इस बात का पता लगाया जाए कि "रेड क्रीसेंट" या रेडक्रास सोसायटियां इराक और कुवैत में रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के लिए क्या कोई भूमिका निभा सकती है।

19. और अन्त में इस मौके का लाभ उठाकर खाड़ी के संकट के कुछ प्रमुख पहलुओं पर अपनी स्थिति दोहराना चाहूंगा। इस संकट के शुरू होने के तत्काल बाद ही हमने इस बात पर खेद व्यक्त किया था कि इराक और कुवैत अपने आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर नहीं कर सके और इसके साथ ही हमने अपनी इस सर्वविदित स्थिति को भी दोहराया था कि हम अन्तर्राज्यीय संबंधों में किसी भी रूप में शक्ति का प्रयोग किये जाने के विरुद्ध है और कहा था कि इराकी फौजों को कुवैत से यथाशीघ्र हटा लिया जाना चाहिए। इसके साथ हमने यह भी कहा था कि सुरक्षा परिषद द्वारा तय किए गए प्रादेशात्मक प्रतिबन्धों को किसी भी एक देश द्वारा अथवा देशों के किसी भी एक समूह द्वारा संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा से बाहर निकलकर एकतरफा तरीके से लगाए जाने के हम खिलाफ हैं। हम इस क्षेत्र में विदेशी फौजी ताकतों के आने या उनकी मौजूदगी के भी खिलाफ है।

20. हम उम्मीद करते हैं कि पिछले तीन सप्ताह में खाड़ी के क्षेत्र में तनाव में जो वृद्धि हुई है अगले दिनों में कम होगी और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस तनाव को दूर करने के लिए और इस क्षेत्र में शांति तथा स्थायित्व स्थापित करने के लिए कृत-संकल्प प्रयास करेगा। इस संदर्भ में अरब लीग और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, दोनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

**प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा)** : महोदय इस विषय पर समस्त सभा चिन्तित है और बहुत से स्पष्टीकरणों की जरूरत है। इसलिए मेरा सुझाव है कि नियम 193 के अधीन चर्चा होनी चाहिए बशर्ते सरकार को कोई आपत्ति न हो।

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : महोदय इस विषय में फैसला आपके और कार्य मंत्रणा समिति के हाथों में है।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह)** : महोदय, हम चर्चा के विरुद्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

जो हालात है उनको देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कोई बिल पास नहीं हो रहा है और कुछ काम नहीं हो पाता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय मंत्री ने विस्तृत वक्तव्य दिया है। इसमें बहुत-सी बातें शामिल हैं। मुझे कई सदस्यों से पर्चियां मिली हैं जो बोलना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि कई प्रश्न होंगे। वक्तव्य में उल्लिखित सभी पहलुओं पर आज ही चर्चा करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। इसलिए इस पर चर्चा करने हेतु हम कल का दिन तय कर सकते हैं। इस वक्तव्य पर हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। सभी सदस्य, जो अपने प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहते हैं वे कल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। यह माननीय सदस्यों के भी हित में होगा। वक्तव्य काफी विस्तृत है तथा जो बातें

इसमें कही गई है आप उनका आकलन करना चाहेंगे और आप बहुत तीखे तथा प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहेंगे। मैं यह मान लेता हूं कि यह सभा की आम सहमति है कि हम इस पर चर्चा कल करेंगे और स्पष्टीकरण चाहने वाले प्रश्न तत्काल पूछे जा सकेंगे। क्या मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप सभी इस मुद्दे पर चर्चा करने के इच्छुक हैं कल होने वाली चर्चा, जिसका उल्लेख नियमों में नहीं, बहुत संक्षिप्त होगी अथवा नहीं भी हो सकती है।

**श्री अजीत पांजा** (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या वक्तव्य की प्रतियां परिचालित की जाएंगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां।

**श्री इन्द्र कुमार गुजराल** : मुझे अभी-अभी एक रिपोर्ट मिली है कि बगदाद से अम्मान तक भू-मार्ग किसी महामारी के कारण बन्द कर दिया गया है। अतः लोगों को बसरा तथा बगदाद से सीधे वायुमार्ग से अम्मान लाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

**श्री यादवेन्द्र दत्त** (जौनपुर) : मैं आपके जरिये माननीय मंत्री से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें कितनी ही बातें शामिल हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इस मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत हो जायेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही सहमत हैं। इस बात पर पहले ही सहमति हो चुकी है कि हम कल इस पर चर्चा करेंगे। हम कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद छोटे मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। हमें कल के लिए इन्तजार करना चाहिए। हमारे पास इसके लिए काफी समय रहेगा। श्री एडुआर्डो फैलीरो, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** (मारमागाओ) : मैं केवल कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब नहीं। कल आप रख सकते हैं।

**श्री ए० विजय राघवन** (पालघाट) : केरल सरकार ने अपना मंत्री खाड़ी देशों में भेजा है। वह बहरीन में इन्तजार कर रहे। मेरा विदेश मंत्री से अनुरोध है कि इराकी अधिकारियों से सम्पर्क करें और केरल के मंत्री महोदय के वापसी के लिए आवश्यक प्रबन्ध करें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप यह बात कल कह सकते हैं। अब हम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक लेंगे।

**श्रीमती जे० जमुना** (राजामुन्द्री) : महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा के बारे में क्या कर रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा है कि आपको अवसर मिलेगा।

———

**4.24 म०प०**

## प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक — (जारी)

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम प्रसार भारती विधेयक पर विचार करेंगे जिसे श्री पी० उपेन्द्र ने 21-8-1990 को प्रस्तुत किया था। श्री वसंत साठे बोल रहे थे और आज भी वह अपना भाषण जारी रखेंगे। और पिछली चर्चा के लिए हम एक ठीक तारीख निश्चित करेंगे ताकि हम कुछ माननीय

सदस्यों के साथ-साथ माननीय मंत्री को कुछ और समय दे सकें। अब श्री बसंत साठे बोलेंगे।

**श्री बसंत साठे (वर्धा)** : कल मैंने कहा था कि इस विधेयक में हम कुछ एक बोर्ड बना रहे हैं जो सरकारी क्षेत्र के कोल इण्डिया और कई अन्य विभागों की तरह दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों के नियोक्ता बन जायेंगे। हमारी इस प्रबन्ध व्यवस्था में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक और अन्य अधिकारी होते हैं-- जो कि सीधे विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अधीन होते हैं।

हम पहले ही श्रमिकों के प्रबन्ध में भागीदारी के बारे में बात कर रहे हैं। यह सरकार ऐसी स्थिति लाने के लिए एक विधेयक लायी है— जहां कामगारों को प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार होगा। दुर्भाग्य से इस विधेयक में आप धारा 9,10 और 11 को देखें तो पता चलेगा कि सारे कर्मचारी जिनकी संख्या 38000 से अधिक होगी इस नये प्रबन्धक मंडल के, जिन्हें शासक बोर्ड कहा जाएगा, कर्मचारी हो जायेंगे। उन्हें प्रबन्ध व्यवस्था में कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। कृपया इस बात पर भी विचार करें कि इसमें बाहर के लोग आ जायेंगे। और वे जो मूल रूप से गवर्नर बन जायेंगे और जो प्रबन्ध कार्य संभालेंगे केवल तीन या चार लोग होंगे। वे कार्यकारी शासक-शासक वित्त शासक कार्मिक और नामांकित शासक कहलाएंगे यही चार लोग इसमें होंगे और चेयरमैन सहित बाकी लोग अंशकालिक कर्मचारी होंगे।

जैसे कि मैंने कल कहा था कि जो अर्हतायें इन पदों के लिए आवश्यक है आपको वह नहीं मिलेंगी, यदि आप उन अर्हताओं और 62 वर्ष के कार्यकाल पर विचार करें। मैं अभी अपने अच्छे मित्र श्री उपेन्द्र से पूछ रहा था कि उनके जहन में कौन है और कौन इन पदों पर अंशकालिक चेयरमैन के रूप में आने लिए राजी होगा। जरा कल्पना कीजिए। हम प्रतिष्ठित लोगों की बात कर रहे हैं इसके लिए प्रचार माध्यम से जुड़ा कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति आयेगा? मुझे खेद है— कि श्री उपेन्द्र एक नौकरशाह और अब एक राजनीतिज्ञ के अपने पिछले अनुभव के बतौर इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि उन्होंने किसी तरह से प्रचार माध्यम के प्रतिष्ठित लोगों पर भी ऐसा अधिकार जमाया कि श्री बी० जी० वर्गीज, श्री प्राण चोपड़ा जैसे और अन्य लोगों को मनाकर इस विधेयक का मसविदा बनाने और इसे तैयार करने के लिए राजी किया। इसके बाद आज स्थिति यह है कि आपको इन्हीं में से किसी को यहां आने के लिए कहना पड़ेगा। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा किया है।

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : उन्होंने विधेयक का मसविदा तैयार नहीं किया है।

**श्री बसंत साठे** : मैंने उन्हें देखा था, मैं उनसे मिला था, वे विभिन्न बैठकों में बातें कर रहे थे।

**श्री पी० उपेन्द्र** : मैंने उनके साथ इस मामले पर चर्चा की है।

**श्री बसंत साठे** : ठीक है, आपने उनके साथ इसकी चर्चा की है। कृपया इस मामले में आप पता लगाईए कि आज कौन से प्रतिष्ठित पत्रकार, श्री खुशवन्त सिंह, श्री प्रितीश नंदी और यहां तक कि श्री.....

**एक माननीय सदस्य** : श्री एम० जे० अकबर।

**श्री बसंत साठे** : श्री एम० जे० अकबर इस पेशे में नहीं है, उन्होंने हमारा देश अपना लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि एक कार्यकारी गवर्नर के अधीन कौन अंशकालिक चेयरमैन के रूप में काम करना चाहेगा और कम-दर्जा चाहेगा। अतः इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से

[श्री वसन्त साठे]

इन सभी प्रचार माध्यम के लोगों को इस मार्ग से हटा दिया है। वे इस निगम को अब नहीं छेड़ेंगे, कोई प्रतिष्ठित आदमी, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। आयु सीमा भी 62 वर्ष है। यह क्या प्रबन्ध करेंगे ? इस पर हम सबको बुद्धिमता पूर्वक विचार करना चाहिए। क्या प्रबन्ध मंडल में आप निजी क्षेत्र के लोगों को भी लेंगे ? क्योंकि वहां से आपको संभवतः प्रशासक प्रबन्ध विशेषज्ञ आदि मिल सकते हैं। क्या आपके जहन में यही सब है ? मैं समझता हूं कि यही खतरे वाली बात है। महोदय, देखिए, आपके जहन में वास्तव में कुछ सरकारी क्षेत्र के लोग हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये लोग कौन हैं। ये सुपर प्रबन्धक कौन होंगे ? हमने किसी भी सरकारी क्षेत्र के उद्यम में ऐसी बात कभी भी नहीं देखी है। महानगर टेलीफोन निगम या टेलीफोन रेलवे जैसे किसी अन्य कार्यालय में लोग अपने यहां ही पदोन्नति पाकर आगे पहुंचते हैं। मैं जानता हूं ऐसे नियम हैं लेकिन यहां आप शासक के रूप में बाहर के लोगों को लाओगे तो नियम 9, 10 और 11 के अन्तर्गत नियोक्त कौन होगा और ये सब 38 हजार लोग जिन्होंने जीवन पर्यन्त काम किया है, जो मुख्य अभियन्ता, महानिदेशक दूरदर्शन, महानिदेशक आकाशवाणी के पदों तक गये हैं— इस सुपर बोर्ड के कर्मचारी होंगे। यह कैसी व्यवस्था है ? वे कैसे काम करायेंगे ? मैं वास्तव में यह जानना चाहता हूं। जब वे सरकार का ही हिस्सा है, जब एक विभाग के सचिव या मंत्री भी सरकार के उस विभाग का ही हिस्सा है, फिर आप काम नहीं ले सकते हैं; और जब आप आज उन पर आरोप मढ़ रहे हैं या उन पर आरोप लगा रहे हैं तो यदि कुछ गलती हो जाती है यह कुछ काट-छांट की जाती है और कुछ चीजें सेंसर की जाती है तो आप कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं ? महानिदेशक ने यह किया है या अमुक व्यक्ति ने यह किया है·······

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा था। यह ठीक नहीं है

श्री वसंत साठे : मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं श्री फर्नांडीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस सम्बन्ध में अभी बाद में बात करूंगा। मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने किसी पर दोष नहीं लगाया था। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : अतएव मैं यह कहना चाहूंगा। क्या आप कल यह स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि अंशकालीन अध्यक्ष तथा कार्यकारी शासक जिसे आप कोई भी प्रसिद्ध नाम दे सकते हैं मैं बुरा नहीं मानूंगा—चाहे आप उन्हें शासक कहें अथवा आप उन्हें महाशासक कहें, मैं परवाह नहीं करता हूं परन्तु प्रश्न यह है कि वे कार्य कैसे करा पायेंगे; आप ऐसे विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि कल आपको वास्तव में कठिनाई का सामाना करना पड़ेगा। संसद का नियंत्रण समाप्त हो जाता, हमारा भी उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की जाएगी। हम यहां पर केवल उनकी आलोचना तथा टीका-टिप्पणी ही कर रहे होंगे। आपने वास्तव में संसद को इतना असहाय, कमजोर बना दिया है। आप कहेंगे, स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात, तथा यह सब कर लेने के पश्चात यदि वे ऐसा नहीं करते तब हम संसद में इस सम्बन्ध में बताएंगे। संसद एक संकल्प पारित करेगी। क्या आप जानते है कि इसे क्या कहा जाता है ? संस्कृत में इसे कहा जाता है, कि संसद 'भंहुमा मैहुन' अथवा अपना असहाय रोष प्रकट कर रही होगी। नियमों के अन्तर्गत उसे कोई शक्ति नहीं है। यदि आप एक संकल्प पारित भी कर देते हैं तब भी सरकार कहेगी कि आपके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। यहां पर एक ऐसा निगम होगा जिसके नियंत्रण में कई करोड़ों रु० की सम्पत्ति होगी

तथा आप असहाय हो जाएंगे तथा इस देश की संसद को भी आप असहाय बना देंगे। आप यही सब करने जा रहे हैं तथा यह सर्वाधिक खतरनाक बात है।

**श्री इन्द्र जीत** (दार्जिलिंग) : हम जानना चाहते है कि आप क्या प्रस्ताव कर रहे हैं।

**श्री वसंत साठे** : इस सम्बन्ध में चर्चा की जाएगी। हमने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। आपने संशोधन पढ़े थे। मेरे सहयोगी उन संशोधनों को देख रहे होंगे। मैं तो इस पर सामान्य रूप से चर्चा कर रहा हूं।

महोदय, दूसरी अन्य सर्वाधिक खतरनाक बात यह है। धारा 12, उप खंड (4) अत्यन्त संवेदन शील है। इस खंड में कहा गया है :—

> "उपधारा (2) और उपधारा (3) की कोई बात निगम को केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसे निबंधनों और शर्तों के अन्दर जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विदेश सेवा के प्रसारण और केन्द्रीय सरकार द्वारा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए ठहरावों के आधार पर भारत के बाहर के संगठनों द्वारा बनाए गए प्रसारणों के अनुश्रवण का प्रबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

महोदय, यह कितनी गंभीर बात है यदि इस देश की सुरक्षा इसमें सम्मिलित है। बाहरी प्रसारण के लिए वास्तव में एक विशेष डिवीजन है। इस समय इस डिवीजन को भी अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने एक विशेष सम्मेलन तथा एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने उस तरीके का विरोध किया था जो उनके साथ आज किया जा रहा है। कल क्या होने जा रहा है? क्या इस बोर्ड में ऐसे विशेषज्ञ होंगे जिसके अन्तर्गत इस निगम द्वारा बाहरी प्रसारणों पर निगरानी रखी जाएगी। संघर्ष कैसे किया जाए, इससे सम्बन्धित नीति को आप छोड़ने का विचार कर रहे हैं। यदि कल पाकिस्तान की ओर से कुछ किया जाता है अथवा वह युद्ध जैसी स्थिति में आ जाता है तब इन सब की देखभाल कौन करेगा। सरकार कहती है कि इस समय भी कम से कम विदेश प्रभाग, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के अपने आदमी वहां पर इन सब बातों की देखभाल करने के लिए है। आज इस निगम में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अत: इस देश के बाहरी प्रचार अथवा बाहरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप हितों की देखभाल कैसे करेंगे? इन सबको अदालत के भरोसे छोड़कर हम किस प्रकार का परिहास करने जा रहे हैं? क्या यह सर्वोत्तम निकाय होगा जिसे "शासक दल" के नाम से कहा जाएगा? इस देश की बाहरी प्रसारण सेवा तथा उसकी निगरानी का कार्य आप किसको सौंपने की सोच रहे हैं? मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त खतरनाक कार्य है जो यह सरकार करने का प्रयत्न कर रही है तथा इस प्रकार देश के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। जैसा कि मैंने कहा है क्या संसद का बाहरी मामलों में भी नियंत्रण समाप्त हो गया है क्योंकि अब वह प्रावधान समाप्त हो गया है? यदि वे कुछ करते हैं तब इसे अधिग्रहीत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। यदि निगम की ओर से कोई गंभीर बात अथवा भूल हो जाती है तब आपका इस घातक बोर्ड पर क्या नियंत्रण होगा? क्या आप इसको रद्द करने के लिए एक दूसरा कानून अथवा एक विशेष कानून पारित करने के लिए यहां आयेंगे? उससे और भी अधिक सवैधनिक कठिनाइयां बढ़ेंगी। अतएव मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार से कार्य मत कीजिए। मैं अपने सभी सहयोगियों से निवेदन करूंगा। हम इस मामले के पक्ष में है इसी कारण हम इसे दमनत भावनाओं से अलग रख रहे हैं। यह राष्ट्र हित का मसला है। अतएव, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

[श्री बसन्त साठे]

इस समय एक अन्य आश्चर्यजनक पहलू के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूंगा। यदि आप धारा 12 के खंड (6) को देखेंगे, जिसमें कहा गया है;

"निगम को विज्ञापनों और ऐसे कार्यक्रमों के लिए या उनकी बाबत जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, फीस और अन्य सेना प्रभार अवधारित और उद्गृहीत करने की शक्ति होगी।"

इस विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय विवरण के पैरा (6) में अत्यन्त स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है:—

"निगम समय के साथ-साथ सरकारी बजट में से सहायता पर निर्भरयता को कम करने का प्रयास करेगा।"

वित्तीय विवरण के पैरा (4) में कहा गया है:—

"...निगम की मुख्य प्राप्ति वाणिज्यिक विज्ञापनों की आय से है जो 1989-90 में लगभग 230 करोड़ रुपए (सकल) है।"

यदि आप चाहते हैं कि यह निगम तथा शासक बोर्ड वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो जाए तब आय का मुख्य स्रोत क्या होगा? जैसा कि आज सरकार कर रही है, वही पूंजी देगी। इस समय सरकार गैर-योजनागत खर्चों के लिए 58.2 करोड़ रु० तथा योजनागत खर्चों के लिए 408 करोड़ रु० की निधियां दे रही है। आगे भविष्य में यह धनराशि बढ़ जाएगी। आप धनराशि देंगे। आप इसे संसद से पारित करा लेंगे तथा उन्हें निधियां प्रदान करेंगे। परन्तु आपसे मूल व्यय राशि लेने के पश्चात उनका मुख्य आवर्ती व्यय तथा आय, जैसा कि आप स्वयं कर रहे हैं, वह सब वे व्यवसायिक विज्ञापनों तथा प्रायोजित कार्यक्रमों के जरिये अर्जित कर लेंगे। तब उसके पश्चात क्या होगा? जैसी कि स्थिति आज है, हम इन दो बातों को मिला रहे हैं। हमने वर्ष 1981 में इन दो गतिविधियों का अत्यन्त स्पष्ट विभाजन करने के लिए स्वयं एक योजना तैयार की थी।

हमारे जैसे विकासशील देश में जनता के प्रतिनिधि के रूप में सरकार को एक बड़ी भूमिका अदा करनी है तथा जनता के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाना है। हमें केवल उपलब्धियों, लाभ तथा राजस्व के रूप में ही नहीं सोचना चाहिए। जनता के कल्याण तथा शिक्षा के लिए यह एक आवश्यक व्यय है। यह मुख्य बात है। अतएव, हमारे यहां यह राष्ट्रीय चैनल होना ही चाहिए। यदि आप एक व्यवसायिक चैनल चाहते हैं तो हमारे यहां एक अलग से व्यावसायिक चैनल होना चाहिए जिसे हम पूरी तरह से केवल व्यावसायिक आधार पर ही चलायें। उसमें प्रतिस्पर्धा का तत्व भी शामिल होगा। उस सम्बन्ध में हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

यह अच्छी बात है। परन्तु इस समय हम क्या कर रहे हैं? आप एकाधिकार समाप्त नहीं कर रहे हैं। इस निगम द्वारा आप दूरदर्शन तथा रेडियो दोनों के लिए केवल एक संगठन बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। महोदय, यदि केवल एक ही संगठन है तथा वह भी व्यावसायिक अर्जन पर निर्भर रहता है तब वे किसके निर्देश पर कार्य करेंगे? आज भी समृद्ध व्यक्ति, पूंजीपति लोग तथा एकाधिकार वर्ग ही दूरदर्शन तथा रेडियो में विज्ञापन देते हैं। अब यह सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी आमंत्रण देने का प्रयत्न कर रही है। मुझे भय यह है कि इस तथाकथित स्वायत्त, परन्तु वास्तव में

स्वतंत्र निकाय जिसे आप संसद की शक्तियों को कम करने के लिए बना रहे हैं, उसकी आय का मुख्य स्रोत बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त होने वाला धन हो जाएगा। वे बुतियादी तौर पर विज्ञापन दिया करेंगे। वे इस समूह को अथवा उन चार व्यक्तियों वाले समूह को धनराशि दे दिया करेंगे जो मुख्यत: इस काम को देखेंगे तब अन्य शासकों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। अत: इसी प्रकार से आपका निगम उनके अधीन हो जाएगा तथा आप केवल एक मूक दर्शक बने रहे जाएंगे। अतएव, मुझे यह डर है कि यदि सरकार यही सब करने जा रही है तब कल हम हम स्वयं यह देखेंगे कि बाहरी व्यक्ति हमारे देश में कितनी आसानी से घुसपैठ करेंगे। हम हमेशा विदेशी हितों तथा घुसपैठ इत्यादि के बारे में बात करते हैं। संचार माध्यम के कार्यक्रमों आदि पर नियंत्रण करने का उनके लिए यही सर्वोत्तम स्थान है। आप बाहरी व्यक्तियों तथा एजेंसियों के लिए अपने देश में घुसपैठ करना अत्यन्त आसान कर देंगे। अत: कृपया इन सब बातों पर विचार कीजिए। यही संकट उत्पन्न होगा।

मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाता कि श्री उपेन्द्र को इस मामले में इतनी बलबलाहट करने की क्या आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आज मन्त्री के हस्तक्षेप के उदाहरण दिए जा रहे हैं। क्या आप बदहवासी में कार्य कर रहे हैं? क्या आपको यह डर है कि कल आपसे सत्ता छीन ली जाएगी और तब तक जो कुछ आप चाहें, कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण क्यों बन रहा है। यह इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के कुछ निर्णय लिए गए हैं और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। मैं नहीं जानता कि यह सब आपकी अनुमति से किया जा रहा है या नहीं। यदि ऐसा किया जा रहा है तो आपको इसका उत्तर देना होगा। 8-2-89 को आकाशवाणी (आल इण्डिया रेडियो) के महानिदेशक द्वारा एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के अनुसार, "सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या 5/51/85 बी० (पी०) दिनांक 27-10-88 के अनुसार आकाशवाणी की सिविल निर्माण शाखा को सुदृढ़ बनाने के परिणाम स्वरूप सी० ई० (सी०) II का कार्यालय नागपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।" इस प्रकार यह निर्णय लिया गया।

**श्री पी० उपेन्द्र** : इस आदेश की क्या तारीख थी?

**श्री बसंत साठे** : यह 8-2-89 का है। मैं कह रहा हूं कि एक निर्णय लिया गया था। उस समय हमारी सरकार थी। परन्तु आपके आने के पश्चात --'आपसे' मेरा तात्पर्य आपके विभाग या मंत्रालय से है – आपने इस निर्णय के आदेश को वापस लेकर कार्यालय को नागपुर स्थानान्तरित करने को स्थगित कर दिया। ऐसा क्यों? इस प्रकार के निर्णय किसे लिए जा रहे हैं? क्या आप 'खुला मंच' की तरह आज बदहवासी में कार्य कर रहे हैं? मैं इस मसले को फिर से नहीं उठाना चाहता। इस पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा—

[हिन्दी]

इस खुला मंच में जो जार्ज फर्नान्डीज साहब ने आज कहा, उसमें तो आपकी बिल्कुल पूरी पोल खोल दी, आज आप ही के आदमी ने, मियां की जूती, मियां के सिर, आप ही का तमाचा, वह जो चीफ गैस्ट थे, वही कह रहे हैं कि आपने सेंसर किया है···बार-बार कहने पर भी, उनके सेंसर न करने को कहने पर भी आपने कहा, नहीं यह तो करेगा ही।

[अनुवाद]

मैं इस सरकार के बदहवासी में कार्य करने के तरीके को देखकर वास्तव में हैरान हूं। दुर्भाग्य से यह सरकार जल्दबाजी में काम कर रही है। यह सरकार एक के बाद दूसरे लोगों को सुझाने वाले

[श्री बसन्त साठे]

कार्यक्रम और नीतियां ला रही है और वे भी इस सोच के साथ कि यह सब उन्हें एक वर्ष के अल्प समय में पूरा करना है और इससे अधिक केवल इसी सत्र में यह सब करना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधान मन्त्री ऐसी बातों की घोषणा करते हैं जिन्हें यहां तक कि संसद के समक्ष लाया ही नहीं गया। क्या चुनाव होने वाले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं और सूचना और प्रसारण मन्त्री को हमें अवश्य ही यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

**श्री इन्द्रजीत :** चुनावों के प्रश्न पर वे आपको केवल गलत सूचना दे सकते हैं।

**श्री बसत साठे :** नहीं यह आपके विभाग का कार्य है।

महोदय, मैं इस सरकार को घबराई हुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने युद्धोन्माद से आरम्भ किया तत्पश्चात इनके दूसरे भागीदार भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने धार्मिक युद्धोन्माद आरम्भ कर दिया। महोदय, मैं युद्ध मनोविकृति की बात कर रहा हूं यह सरकार इस देश को तोड़ने की स्थिति में ले जा रही है। हमने जाति युद्ध देखा, धर्म के नाम पर युद्ध देखा और अब आपने भाषा के आधार पर लड़ाई शुरू करा दी है। आपने एक राष्ट्रीय युद्ध की धमकी से आरम्भ किया और अब और आगे बढ़ते हुए देश में जाति युद्ध आरम्भ कर दिया है। सबसे खतरनाक बात आपने यह की कि आपने सत्ता में लाने वाले अपने भागीदार से भी सलाह नहीं की। उस दिन सदन में श्री आडवाणी जी ने स्वयं कहा कि उनकी पार्टी से या उनसे परामर्श नहीं किया गया। मैं नहीं जानता कि इस मामले में या अन्य किसी मामले में आपने अपने दोनों समर्थक दलों में से किसी से विचार-विमर्श किया या नहीं।

**श्री पी० उपेन्द्र :** महोदय, इसका प्रसार भारती से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री बसत साठे :** मैं आपकी नीति के बारे में बात कर रहा हूं न कि प्रसार भारती के बारे में।

[हिन्दी]

अरे, प्रसार भारती को तुम डिस्ट्राय कर दोगे। देश का मिडिया तुम्हारे हाथ में है।

[अनुवाद]

घबराहट में इस सरकार ने एक के बाद दूसरे मन को लुभाने वाले नारे और नीतियां प्रस्तुत किए है। और इसकी सबसे बुरी देन जाति युद्ध है। मैं यह कहूंगा कि जाति पर आधारित आरक्षण लागू करने की घोषणा द्वारा आप इस समाज को बांट देंगे। मैं नहीं जानता कि वे देश को कहां ले जा रहे हैं।

उन्होंने यह कहना आरम्भ किया कि खजाने खाली हैं और दूसरी ओर उन्होंने किसानों के 10,000 रुपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की है। परन्तु हुआ क्या ? आपने किसानों के साथ धोखा किया उन्हें कोई नए ऋण नहीं मिले क्योंकि आप उन्हें दिवालिया घोषित करना चाहते थे।

**एक माननीय सदस्य :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम प्रसार भारती विधेयक पर चर्चा कर रहे है परन्तु ये इसमें इतने सारे विषय शामिल कर रहे हैं।

**श्री बसत साठे :** आपको अभी बहुत कुछ सीखना है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इसकी नीति क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है और

यह राष्ट्र को कहां ले जाना चाहती है। आज ही यह बात उठायी जा रही थी कि एक ओर तो सरकार यह कह रही है कि खजाने खाली हैं और दूसरी तरफ यह कह रही है कि तीस हजार लोगों को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा केवल पंजाब में ही क्यों किया जा रहा है, कश्मीर और देश के अन्य भागों में क्यों नहीं, जहां पर बेरोजगार लोग हैं। बेरोजगार व्यक्ति वहां पर हैं। परन्तु खजाने खाली हैं। खाली खजानों से तीन सौ करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, दस हजार करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। आप लोग किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? यह एक हजार करोड़ रुपये और प्रसार भारती के नाम में और पूरा का पूरा साम्राज्य उन्हें दिया जा रहा है।

कृपया धारा 15 देखें। यह क्या कहता है। स्पष्टत: इसके अनुसार: "समस्त सम्पत्ति और आस्तियां (जिसके अन्तर्गत अभ्ययगत निधि भी है) जो आकाशवाणी या दूरदर्शन या दोनों के प्रयोजन के लिए उस दिन के ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार में निहित थी, निगम को अन्तरित हो जाएंगी।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

आप लोग इसको समझ लो, आपके हित में बोल रहा हूं, नहीं मानना है तो मत मानो, जो मर्जी है करो, लेकिन इस तरह से डुबो दोगे, जिस तरह से लुटाने की बात चल रही है, वह देश की दौलत जिसको इतने सालों से जनता के नुमाइंदों ने जनता के पैसे से बनाया है, आज जो 11 आदमी चुनेंगे या 4 खास लोग, जैसा मैंने बताया, उनके हाथ में यदि आप इसको लुटा देंगे और जो कर्मचारी है, उनका कोई अधिकार नहीं होगा तो ऐसी स्थिति होगी, आप देखेंगे कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी इस मीडिया की कि आपके हाथ से तो चला ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों के हाथ में जाएगा, वे गुलाम बनेंगे कैपिटलिस्टों के, क्योंकि सब कुछ वहां से आने वाला है, पूरी की पूरी व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी, आपके हाथ से निकल जाएगी, एक सवाल भी आप नहीं पूछ सकेंगे यहां, यह हालत आपकी हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कांसेप्ट है और जिस तरीके से यह लाया गया है, पूरा का पूरा ढांचा आज जैसा है, वह आटोनमी के खिलाफ है, जैसा मैंने कल कहा कि स्वायत्तता के खिलाफ है, संपूर्णत: देश हित के खिलाफ है, पार्लियामेंट के अधिकार को सम्पूर्ण तरीके से नष्ट करने वाला है और इसलिए मैं इस सारे बिल का विरोध करता हूं। मूल उद्देश्य के ही खिलाफ यह बिल लाया गया है, इसको सुधारने के लिए बहुत से अमेंडमेंट हम लोगों ने और दूसरी पार्टियों के सदस्यों ने दिए हैं, आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेजिए, अभी जल्दी क्या है, अगले सेशन के पहले सप्ताह में इसको लाया जा सकता है, हां अगर आपको अगला सेशन होने में शंका है, इसलिए आप इसको जल्दी लाना चाहते है तो अलग बात है, इसलिए आप डर रहे हैं। (व्यवधान)

हम तो तैयार हैं, आपको अगर भरोसा है कि आप 5 साल रहने वाले हैं तो फिर घबरा क्यों रहे हैं, यह घबराहट किस बात की है, यह जल्दबाजी क्यों है। (व्यवधान)

मुझे तो डर है मक्कागार जी, एक बार यदि यह कारपोरेशन बन गया तो फिर बोलने का मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए अभी बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए —"विनाश काले विपरीत बुद्धि" इस दुर्बुद्धि को आप सुधारिए, यदि बरबाद ही होना है तो फिर कौन किसे बचा सकता है। यही बुद्धि कौरवों की हुई थी, यही रावण की हुई थी, इस तरह की दुर्बुद्धि का हम क्या कर सकते हैं।

**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी)** : क्या आपके नेता की नहीं हुई थी ।

**श्री वसन्त साठे** : वह तो जनता-जनार्दन की मर्जी है । मैंने एक बार कहा है कि टर्राइए मत, मगराइए मत, इसलिए मत मगराओ कि आपको जितने वोट मिले हैं, जनता दल और नेशनल फ्रन्ट वालों के जितने 143 एम पीज हैं, उनको जितने वोट मिले हैं, आज भी उनसे कई गुना ज्यादा हमको वोट मिले हैं । हमारे मेम्बर्स ज्यादा आए हैं, देश की जनता का विश्वास आज भी हमारी पार्टी में है, कांग्रेस में है, यह मैं बताना चाहता हूं, आपको टर्राने की या मगराने की जरूरत नहीं है ।

**5.00 म० प०**

लंगड़े लोग, कुबड़ियों पर चलने वाले ज्यादा मुहजोरी न करें । ऐसी बात न करें कि हम दौड़ सकते हैं । यह आपको शोभा नहीं देता, लंगड़ों को शोभा नहीं देता । छेड़छाड़ तो तुम और हम दोनों कर सकते हैं । छेड़ना तुम्हें महंगा पड़ेगा । (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : हम लोग लंगड़े हो सकते हैं, लेकिन हम मैंटली रिटार्ड नहीं हैं । (व्यवधान)

**श्री वसन्त साठे** : हम केवल नाम लेते हैं तो आपको बिच्छू काट जाता है । किसी ने राजीव गांधी का नाम लिया तो सारे खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई बिच्छू काट गया हो । आपके राजीवलोचन प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में भी सोचो । बड़े चरित्र की बात कर रहे हो, नीति की बात कर रहे हो, नीयत की बात कर रहे हो । पी० उपेन्द्र जी की नीयत दिखायी "खुला मंच" ने । दूसरी नीयत, आपके नेता श्रीमान् प्रधानमंत्री जो बड़े चरित्र की बात, मूल्यों की बात, वैल्यूबेस्ड, इक्वेस्ड करते हैं । एक "शिशु" अपने रिश्तेदार के लिए जो कुछ किया आपने, वह रोज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं । इतने चरित्रवान आदमी हैं, उसको राज्य सभा में ले आए । इतना चरित्र है इस पार्टी का ।

[अनुवाद]

**श्री पी० उपेन्द्र** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस सदन के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य पर लांछन लगाया जा सकता है ? कृपया आप अपनी व्यवस्था दें ।

**श्री वसन्त साठे** : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है । मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है । मैंने केवल यह कहा है कि उन्हें एक सांसद के रूप में लाया गया है । अब इसमें क्या बात है ? मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं ।

[हिन्दी]

चरित्र की बात, मूल्यों की बात, नीति की बात, नैतिकता की बात, इस सरकार को आज करने की आवश्यकता नहीं है । इनका दावा नहीं है, इनका मुंह नहीं है । यह मैं कहना चाहता हूं । सारा बिल जो ला रहे हो, बहुत जल्दबाजी से ला रहे हो, देश के साथ धोखा, देश की जनता के साथ धोखा, सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है, देश की जनता की नुमाइंदगी करती है, उस पार्लियामेंट के साथ आप धोखा करने वाले हैं । यही मैं आपको कहना चाहता हूं । हम इसका विरोध करते हैं ।

इसेलिक्ट कमेटी को भेजा जाए, यह हमारी मांग है । शांति से वहां इस पर विचार करें, अमेंडमेंट्स पर विचार करें, यदि आप चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए, मूल उद्देश्य को पूरा किया

जाए। आटोनॉमी ए० आई० आर० और दूरदर्शन को देने की बात है, लेकिन उन लोगों को आटोनॉमी देने की बात है, जो इसको चलाते हैं, उनको अधिकार देने की बात है। इसके लिए हम शत प्रतिशत इसकी सपोर्ट करते हैं। ऐसा सुधार आप कीजिए, उनको आटोनॉमी दीजिए। वे अपने भाई हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने काम किया है, इसको चलाया है, उनको आटोनॉमी दीजिए। जितने मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन्होंने जिन्दगी भर इसके लिए कहा है। यह मेरे भाई भी जानते है। मैं आटोनॉमी के कंसैप्ट का समर्थन करता हूं। आपने दूरदर्शन और ए० आई० आर० को आटोनॉमी देनी है, लेकिन कुछ चुने हुए 10-12 लोग नौ दो ग्यारह होकर निकल जायेंगे। उनके हाथ में सारी दौलत सौंप दोगे, ए० आई० आर० और दूरदर्शन पूंजीपतियों के हाथों में, मल्टी-नेशनल्स के हाथों में सौंप दोगे तो जिन्दगी भर इस देश को पछताना पड़ेगा। इस कुकर्म को भगवान के लिए आप न करें, यही मेरी सलाह है।

**श्री सन्तोष भारतीय** (फर्रुखाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक घंटा और पच्चीस मिनट के लगभग साठे जी ने अपनी बात कही। सचमुच इन्होंने मुझे सोचने के लिए काफी कुछ दिया। कल साठे जी ने एक बात कही थी, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। लोगों के प्रति चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते हमारा कुछ कर्तव्य होते हैं। इन्होंने अपने भाषण के समय शुरुआत के तीन मिनट में कहा था और जब यह कहा था तो उस समय मेरे दिमाग में 75 और 76 के सुनहरे दिन घूम रहे थे कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के क्या कर्तव्य होते हैं। मुझे 5१ वां संविधान संशोधन याद आ रहा था कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या कर्तव्य होता है। जब मैं इनकी बात सुन रहा था तो मेरा ज्ञान इस संदर्भ में बढ़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे गांव में एक कहावत होती है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री ए० चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : उस समय श्री वी० पी० सिंह कहां थे? (व्यवधान) यह मेरा काम है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको भी इतना ही समय दूंगा आप चिन्ता न करें। यदि आप चाहते हैं तो आपको और अधिक समय मिलेगा।

[हिन्दी]

**श्री सन्तोष भारतीय** : जो कहावत मुझे याद आई है, उसको हरीश रावत जी जानते हैं। "लाभा भले मानसों के लिए होता है, चोरों के लिए नहीं होता है"। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह दृष्टिकोण का फर्क है। जब साठे जी ने भाषण दिया तो इन्होंने ईमानदारी के साथ एक दृष्टिकोण को रखा और नियम और कानून के दृष्टिकोण को जो अपनी तकिक परिधि में अपने भरोसे पर पहुंचा दिया है। जो सारे कानून, सारी नीति, एक आदमी की इमेज और बुरे कामों को बचाने में, उनको संभालने में, उनको अच्छा स्वरूप देने में काम में लाया जाए। शुरू में उपेन्द्र जी ने जो कहा वह नेशनल फ्रन्ट के मेनिफैस्टो में है। हम व्यक्तिपूरक नहीं, हम हिन्दुस्तान के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी ज्ञान संवर्धन के लिए, उनके दुख-तकलीफ के लिए लड़ने वाले की उस रूप में प्रसार माध्यमों और आकाशवाणी और दूरदर्शन की कल्पना करते है और उसी रूप में हम उनको गढ़ना चाहते है। साठे साहब ने जो दृष्टिकोण रखा तो मैं उनकी ताईद करता हूं। जो नियम और नीति हमने देखी है उसमें वही हो सकता है और जो कहे कि व्यक्तिगत रूप से उनको मानते हैं या

[श्री सन्तोष भारतीय]

नहीं, वह एक अलग चीज है। हम वह रखना चाहते हैं। हम हिन्दुस्तान के लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि उन्हें भविष्य में कभी जहर को खाना हो तो वह मिठाई के रूप में न खाए। उनको आत्मघात करना हो तो जानकर खाएं और यह सोचकर करें। वस्तुस्थिति यह है कि जो अर्थतन्त्र और जो बिगड़ा हुआ राजतन्त्र मिला है और जिन स्थितियों में हम जी रहे हैं, वह स्थिति आम आदमी के लिए जीने योग्य नहीं है जो कि विरासत में मिला है और उसकी तरफ मुस्कराया जाए। यहीं पर मीडिया का रोल आता है। मैं थोड़ा बहुत अखबार की दुनिया से जुड़ा रहा हूं। मीडिया का यह रोल होता है कि वह सरकार को आम जनता की तकलीफों के बारे में बताए कि जनता किन दिक्कतों से गुजर रही है और सरकार की नीतियां पहुंच रही हैं या नहीं। और दूसरी ओर जनता को यह बतायें कि सरकार उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या काम कर रही है।

जब हम यह देखते हैं कि यह मुख्य रोल सिद्धान्त रूप में मीडिया का होता है तो हमको कुछ चीजों की ओर ध्यान देना पड़ता है और उसके दो, चार, पांच बिंदु होते हैं। जैसे क्या देश की एकता और अखंडता और संविधान में दिये गये लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को हमारा मीडिया सुरक्षित या अक्षुण्ण रख रहा है, क्या नागरिकों के इस अधिकार को सुरक्षित रख रख रहा है कि उसे सार्वजनिक हित में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की सत्य और स्वतन्त्र लगभग सारी जानकारी मिल सके, क्या मीडिया शिक्षा और साक्षरता के प्रसार में, पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण जैसे विषयों को पूरा स्थान दे रहा है, क्या ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है जिसमें देश के सारे हिस्सों की संस्कृति का दर्शन हो, क्या खेल-कूद, क्रीड़ा आदि कार्यक्रमों को समय दे रहा है, क्या महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों की जानकारी देने के लिए मीडिया के पास पर्याप्त स्थान है, क्या सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने वाले और शोषण, असमानता और छुआछूत जैसी बुराइयों का प्रतिरोध करने वाले कार्यक्रमों या ऐसी सत्य घटनाओं का दर्शन मीडिया में स्थान पा रहा है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। यह होता है मीडिया का रोल।

मुझे तारीख याद नहीं है, साठे साहब मंत्री थे उसके पहले दूरदर्शन शुरू हो गया था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बना ? मेरे खयाल से बीस साल पहले शुरू हुआ था। दिल पर हाथ रखकर लेखाजोखा करना चाहिए कि मैंने जितनी बातें कही हैं जो कि कम से कम मुझे समझ में आती हैं, बाकी मेरे बाद बोलने वाले सदस्य बतायेंगे, क्योंकि इस तरह से और भी ज्यादा लक्ष्य होंगे, लेकिन जितनी चीजें मैंने कही हैं उनमें कितने प्रश्नों को अमल में आते हमने देखा होगा। हम इससे सम्बन्धित कितने कार्यक्रमों की सूची बना सकते हैं, दस-बीस, डेढ़ सौ या दो सौ। पिछले बीस सालों में कितने प्रोग्राम्स की सूची बना सकते हैं। अगर हमने यह सब दिखाया तो आज यह स्थिति क्यों आ गई है, देश में इतना हाहाकार और अत्याचार क्यों है, लोगों को हम क्यों नहीं सचेत कर पाये। मीडिया का जो रोल होता है, लगता है हमने कुछ नहीं किया। पिछले सालों में यह देखा कि कैसी भी स्थिति रही हो, आपदा रही हो, अग्निकांड हुआ हो या तबाही हुई हो, गरीबी और भूख से कालाहांडी में मौतें हुई हों, कुछ भी रहा हो, हमने रोज सुबह और शाम दूरदर्शन पर एक मुस्कराता हुआ चेहरा देखा। एक तरफ तो आपदा का समाचार आता था, अत्याचार का समाचार आता था और उसके साथ हमको मुस्कराता हुआ चेहरा नजर आता था।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में दूरदर्शन का नाम एक व्यक्ति विशेष के नाम का दर्शन पड़ गया था। मैं इसलिए कह रहा हूं और यह बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि इस देश के

नहीं हैं, इस देश में 80 प्रतिशत गांवों में अस्पताल नहीं हैं, पीने का पानी
शिक्षा नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो यह दूरदर्शन पिछले बीस
हिन्दुस्तान के लोगों को जो कि उसको रेवेन्यू देते हैं जिसकी चर्चा आप कर
ध होने का दावा कर रहे हैं क्या उसको समझा पाये कि पिछले 40 सालों
स्तान के लोगों को क्यों नहीं दीं। कौन-से कारण थे जिनकी वजह से नहीं
कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, हम कर्जा कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ले
ाता है शायद उस पर ढाई हजार रुपये का कर्जा पैदाइश से ही चढ़ जाता
ा है, आपने दूरदर्शन क्यों बनाया, क्यों रंगीन दूरदर्शन लेकर आये, किस
कुछ लोगों की एय्याशी के लिए। क्योंकि गरीब आदमी को, इस देश के
लीफ के बुनियादी कारणों की जानकारी देने में यह मीडिया दूरदर्शन और
ा विफल रहा है। इसीलिए हमने यह वायदा किया था कि पचास करोड़
प्रसारण माध्यम को हम गुलामी से मुक्त करायेंगे। यह वही गुलामी है,
व्यक्ति के अच्छे और बुरे किये गये कामों को बचाना, यह जो मानसिक
करेंगे।

ड़बड़ी करता है तो उसे जनता के सामने उजागर करेंगे। लेकिन जो लोगों
तकलीफें हैं, लोगों को जिस दिशा में आगे बढ़ना है, लोगों को जिस चीज
हम एक आजाद, एक स्वायत्त, एक ज्यादा खुला, एक ज्यादा कारगर
आकाशवाणी और दूरदर्शन का संगठन बनायेंगे, यह हमारा वायदा था।
अपने उस वायदे को पूरा करने के लिए सदन में यह बिल लेकर आयी हैं।
ौर शायद आगे भी जितने दिन इस बिल पर सदन में बहस होगी, वह काल
इस्ट्री में स्वर्णिम काल होगा जब हम पहली बार यह विचार कर रहे हैं कि
ाहिए। अन्यथा, हमेशा यह सोचा जाता रहा है कि हमें क्या चाहिए। यदि
में आ गये तो लोकसभा में आने के बाद हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया।
लोकसभा में आने के बाद, लोकसभा के बाहर, इस देश के रहने वाले जितने
सी चीज ज्यादा सही और कारगर हो सकती है, उनके हितों के लिए क्या
ा मीडिया इस देश में चाहते हैं, उनकी जरूरतें किस तरह की है, आज हम
जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं आज एक ऐतिहासिक
हुआ हूं, इसका भी मुझे गर्व है। हम चाहते हैं कि इस देश के लोगों को
मैं अपने दोस्तों को यहां याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने कभी
ा कि लोगों को सही बातों की जानकारी मिले। आपके समय में कभी
मलती थी। उसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। वह असंतोष
ा होता जा रहा था हमसे पहले जो लोग सत्ता में थे, उनमें ज्यादातर
दार लोग भी थे और उन्हीं की वजह से कम से कम कुछ चीजें बाहर
फिलिपीन्स में हुआ था, उससे बहुत अच्छा हाल हमारे मुल्क में होने वाला
से सदन में दहाड़े थे कि हमारे सदन नहीं था। अभी मैं इतने सदस्य हैं,
हूं कि मार्कोस के पास आपसे भी ज्यादा सदस्य संख्या थी लेकिन उसका
च्छा के विपरीत जीतकर, लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ जाकर, लोगों
ाप किसी तरह से जीत कर भी आ गये तो उस जीत के बावजूद आपको

[श्री सन्तोष भारतीय]

किस तरह से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, उसके उदाहरण आज के जमाने में आपको अनेक मिल जायेंगे। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं। इसलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को आजादी मिलना बहुत महत्वपूर्ण है और हम सचमुच आज एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह वास्तव में दूसरी आजादी की लड़ाई है।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने अपने समय में इस मुल्क को आर्थिक गुलामी के जाल में जकड़ दिया था। उस आर्थिक गुलामी से मुक्ति की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई है। इसमें हम लोगों को शामिल होना है और जो लोग आर्थिक बोझ से दबे हैं, जो लोग आर्थिक शोषण के शिकार हैं, और जिन लोगों को आर्थिक अपराधियों के शिकंजे में जकड़ दिया गया है, ऐसे दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले निरक्षर, गरीब, मजदूर, बेजुबान लोगों के पास पहुंचने का एकमात्र साधन यही आकाशवाणी और दूरदर्शन है। ऐसे लोगों के पास पहुंचने का साधन अखबार नहीं हो सकते क्योंकि वह तो सिर्फ पढ़े-लिखे लोगों के पास तक ही पहुंच सकते हैं। इस देश की 50 करोड़ जनता तक पहुंचने का एकमात्र साधन रेडियो और दूरदर्शन ही है जिसके माध्यम से हम उन्हें इस नई आजादी की लड़ाई में शिरकत करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, उन्हें इस देश के पुनर्निर्माण में लगने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, उनमें चेतना पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज आकाशवाणी और दूरदर्शन के तन्त्र का सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना अति आवश्यक है और यह मुक्ति उन्हें एक नई लड़ाई की ओर प्रेरित करेगी, इसमें कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम इस मुल्क के लोगों को आतंकवादियों से परिचित कराना है। आतंकवादी सिर्फ वे नहीं हैं जो पंजाब और कश्मीर में हैं। इनके अतिरिक्त, माननीय, हमारे देश में आतंकवादियों की एक और श्रृंखला भी है, जिनसे कभी अब तक की सरकार ने लोगों को परिचित नहीं कराया था और वे लोग हैं आर्थिक आतंकवादी, इकॉनोमिक टैररिस्टस। उन इकॉनोमिक टैररिस्ट्स के साथ मिलकर अब तक जो लोग राज करते रहे थे, जिन्होंने सत्ता को पूंजीपतियों, कुछ चुने हुए लोगों और अफसरों का गठजोड़ बना दिया था उसके ऊपर प्रहार करने का सबसे सशक्त माध्यम दूरदर्शन और आकाशवाणी है और दूरदर्शन और आकाशवाणी को निगम बनाने के बाद सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि वह आर्थिक आतंकवादियों की पहचान कराएं जिन्होंने इस देश को एक तरीके से बंधक बना रखा है। जो किसी भी, देश की तकलीफ को अपने हित में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी राष्ट्रीय आपदा को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं और इतना ही नहीं संसद के चुने हुए प्रतिनिधि उनकी चाल में चले जाते हैं। जो उनकी चाल में फंस जाएं, जो उनके जाल में फंस जाएं, जो उनका प्रतिनिधित्व करें और उनकी भाषा यहां संसद में बोलें, वे बड़ी आसानी से पहचान भी लिए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जो भी इसका विरोध करते हैं उनका विरोध बेईमानी का विरोध नहीं है, उनका विरोध ईमानदारी का विरोध है, क्योंकि ये इसी चीज में भरोसा करते हैं कि हम किस तरह का सत्ता-तन्त्र चलाना चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था चलाना चाहते हैं, किस तरह का राज चलाना चलाना चाहते हैं और हम इसमें किस तरह के लोगों को भागीदारी और हिस्सेदारी में भरोसा करते हैं। इसलिए कम से कम मुझे इस मसले में किसी किस्म का गिला-शिकवा नहीं है कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना लाग-लपेट के, सबसे पहले आप, निगम बनने के साथ ही, उन लोगों को जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के संगठन में रहे हैं, यह डरे हुए लोगों का संगठन रहा है, इनका डर दूर कीजिए। इनके मन में

हमेशा यह डर व्याप्त रहता है कि अगर हमने कुछ अच्छा कर दिया, तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। आपने इन डरे हुए लोगों को आजाद करने का जो वायदा किया है, आप इन लोगों को वह आजादी हिम्मत के साथ दीजिए। ताकि वे लोग इस देश के लोगों को बिना लाग-लपेट के, बिना जलेबी बनाए हुए, कार्यक्रम दिखा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में इतनी अधिक गरीबी, आपदा, शोषण और अत्याचार बढ़ गया है, इसके बुनियादी कारण क्या हैं। हमारी इस आर्थिक कमजोरी के कारण क्या है ? हम डेबिट ट्रैप में क्यों फंस गए, हम पावर्टी ट्रैप में क्यों फंस गए ? यह बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम, लोगों को यह चीज नहीं बताते हैं। इसलिए यदि हम लोगों को यह चीज नहीं बताएंगे, तो जो वायदा हमने लोगों के साथ किया है, हम उससे मुकर जाएंगे, हट जाएंगे। जो वायदा हमने हिन्दुस्तान के लोगों के साथ किया है, यदि हम उसे पूरा नहीं करेंगे, तो यह अच्छा नहीं होगा, हमारे और देश के हित में नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में पूरा आकाशवाणी और दूरदर्शन बिचौलियों के चंगुल में फंस गया था, बिचौलियों के सिस्टम में बदल दिया गया था। इसी प्रकार से लोगों को शंका है कि जो अब तक राज्य कर रहे थे, वे बिचौलियों की गिरफ्त में थे। उसी प्रकार से दूरदर्शन के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी बिचौलिये खड़े कर दिए थे। दूरदर्शन क्योंकि यह एक दुधारी तलवार है, इस बिचौलिए-पन ने, इधर बैठने वालों को, उधर बैठाल दिया। मैं इधर बैठने वालों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बिचौलिएपन को समाप्त करने के लिए, इस प्रकार से सोचने के तरीके के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे और अगर इस तरह के कामों को आपने बन्द नहीं किया, जो कि देश के लोगों के सोचने की प्रक्रिया को कुन्द और बन्द करते हैं, देश के लोगों को सोचने की कोई सामग्री नहीं देते हैं, उनको एक अजीब तरह के अफीमी कार्यक्रम में फंसा देना, ठीक नहीं होगा। यदि यह बन्द नहीं हुआ तो आप भी उसी गलती के शिकार होंगे, जो इन्होंने जानबूझकर की थी और आप अनजाने में करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि दूरदर्शन पर सामाजिक चेतना को बढ़ाने वाले कार्यक्रम दिखाए जाएं और वे तब तक नहीं दिखाए जा सकते जब तक कि वे लोग सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं होते। यह मांग होना आवश्यक है। अगर लोगों में सामाजिक चेतना नहीं बढ़ती है, तो इस देश के लोग यह कभी नहीं जान पाएंगे कि इस संसद में बैठकर हम बिल और कानून बनाते हैं वे क्यों बनाते हैं। उनके सामने तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बना जाता है, लेकिन हम वे कानून क्यों बनाते हैं, वे यह नहीं जान पाते हैं। हमने उनसठवां संविधान संशोधन पास किया, इसके बारे में लोगों को आज तक पता नहीं कि वह हमने क्यों पास किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिले, यह आवश्यक है। आपने एक शब्द खासकर के "प्राइम टाइम" इजाद किया था।

जब सारे देश के लोग दूरदर्शन देख रहे होते हैं उस समय वहां पर आप उनको ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसको सोचने से कोई ताल्लुक नहीं होता है। मेरा यह अनुरोध है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी का कार्पोरेशन बनने के साथ इसका पूरे का पूरा नक्शा बदलना चाहिए और इस देश के लोगों को उस मुख्य समय में, जब ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हों, देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जुड़े हुए कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिएं, मनोरंजन के कार्यक्रम उसके बाद या उसके पहले दिखाए जा सकते हैं। मैं जब यह कह रहा हूं तो यह बात इसमें निहित है कि दूरदर्शन के ऊपर पिछली सरकार ने जो बड़े घरानों का एकाधिकार कायम कर दिया था वह एकाधिकार इस सरकार को खत्म

[श्री सन्तोष भारतीय]

करना चाहिए। दूरदर्शन कमाई का साधन नहीं है, दूरदर्शन बड़े घरानों की जेबी चीज नहीं है। आप साठे जी जो बात कह रहे थे वह वस्तुतः आप ही ने पैदा कर दी थी और आप भूलकर कह रहे हैं कि यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपने तो कर दिया था? हम उसको समाप्त करना चाहते है और समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आकाशवाणी और दूरदर्शन को मिलाकर कार्पोरेशन बनाना है ताकि उनके ऊपर पैसे को लेकर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सके। तब जब यह सरकार कहती है कि हम इसके प्लान और नान प्लान जितने भी खर्चे है, उन सारे खर्चों को हम पूरा करेंगे, ऐडवर्टाईजमैंट्स पर होने वाली जितनी भी आय है वह सरकार के पास जाएगी। दूरदर्शन के जितने भी प्लान, नान प्लान खर्चे हैं, उनको हम देंगे तब यह खतरा पैदा नहीं होगा जो आपने पैदा कर दिया था। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार कुछ चीजें जरूर करे लेकिन वह सीधे न करे और कुछ लोगों को अपने में शामिल करके करे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सारी चीजें सरकार के हाथ से निकालकर सरकार को करने के लिए आप बोल रहे हैं।

**श्री सन्तोष भारतीय** : मैं जो कह रहा हूं वह बता रहा हूं। मेरे बिना कहे आपने कैसे कहा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यही कि ये सारी चीजें सरकार के हाथ से निकालकर सरकार को करने के लिए आप बोल रहे है।

**श्री सन्तोष भारतीय** : मैं सरकार से यह कह रहा हूं कि इन सारी चीजों को करने के साथ वह ऐसे लोगों को इसमें शामिल करे जो कम से कम क्वालिटी कंट्रोल कर सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि ये सारी चीजें उनकी अथारिटी में तो नहीं रहेंगी।

**श्री सन्तोष भारतीय** : मेरा ख्याल है कि आपको विपक्ष की तरफ से नहीं बोलना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे मन में जो प्रश्न है मैं पूछ रहा हूं। यह अधिकार उनकी तरफ से निकल जाएगा तो कैसे करेंगे।

**श्री सन्तोष भारतीय** : आप अनुमति दें तो मैं दुबारा पूरा बता दूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सिर्फ इतना ही बता दीजिए।

**श्री सन्तोष भारतीय** : इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें क्वालिटी कंट्रोल हों।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है, इसमें कौन-सा प्रोवीजन है इतना ही बता दीजिए।

**श्री सन्तोष भारतीय** : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार किन चीजों को कंट्रोल कर सकती है, मैं कह रहा हूं कि सरकार को क्वालिटी कंट्रोल करने का तरीका निकालना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ये चीजें श्री उपेन्द्र जी कैसे करेंगे, इतना ही बता दीजिए।

**श्री सन्तोष भारतीय** : मैं बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। आप मुझे कहने दें, आप ही मुझे रोकेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा।

**श्रीमती विद्या चेन्नुपति** (विजयवाड़ा) : सरकार के हाथ में कितना रहेगा और कार्पोरेशन के हाथ में क्या रहेगा ?

**श्री सन्तोष भारतीय** : माननीय महोदया, अभी हम जिस बिल को पास करने जा रहे हैं, उसमें जो धाराएं हैं और जिन लोगों को हम शामिल करेंगे, ये सारी चीजें उसमें निहित हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : भारतीय जी, आप अपनी बात जारी रखें। यह आप पर कोई आक्षेप नहीं है। यह केवल एक व्यवधान था। आप इस ओर ध्यान न दें।

[हिन्दी]

**श्री सन्तोष भारतीय** : मान्यवर, बोर्ड में जो लोग आएं, मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसे लोग आएं जो अपने क्षेत्र में अच्छे तो हों ही लेकिन किसी प्रकार की प्रतियोगिता से भी निकलकर आएं। नहीं तो जिस तरीके से अब तक दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कुछ लोगों का विशेषाधिकार बना हुआ था, जैसे कल श्री उपेन्द्र जी ने कहा कि हमने कुछ लोगों को पिछले सालों में लखपति बनाया और काफी अच्छी तरह लखपति बनाया। मैं चाहता हूं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी लोगों को लखपति न बनाये। वह ऐसे लोगों को सामने लाने में अपना रोल प्ले करे जो सचमुए टैलेन्ट हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। आपको कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि इसमें वे लोग आयें जो अपने क्षेत्र की किसी न किसी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा से निकल कर आयें। न्यूज और व्यूज तथा टी० वी० सीरियल ये दो प्रकार की चीजें हैं। जो अब तक उसमें थे जिन्होंने पिछली नवम्बर से पहले अपनी परिकल्पना को अंजाम दिया उन लोगों को शायद टेलीविजन, नाटक, फिल्म, न्यूज और व्यूज ये सब एक ही चीज के दो पहलू दिखाई दे रहे थे। मेरी यह मान्यता है कि न्यूज और व्यूज तथा टी० वी० सीरियल इन दोनों चीजों के लिए अलग-अलग लोगों को इसमें शामिल किया जाये। एक ही तरह के आदमी दोनों चीजों की क्वालिटी और कंटेंट के बारे में फैसला सही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता और योग्यता बिलकुल अलग-अलग है।

इसके अलावा एक और सुझाव मैं इस सदन के सामने और इस सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस पर गम्भीरता से विचार करें : संसद की कार्यवाही और इसकी कमेटियों की कार्यवाही दूरदर्शन पर दिखायी जाये। यह दिखाया जाना इसलिए जरूरी है कि देश के लोगों को यह पता लगे कि जीरो आवर के बाद किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार होता है तो...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री पी० चिदम्बरम** (शिवगंगा) : हम इसका समर्थन करते हैं। माननीय मन्त्री महोदय को इसकी घोषणा करने दें। (व्यवधान)

**श्री बसंत साठे** : अब हम भी इसका समर्थन करते हैं। सरकार इस पर विचार करे और इस पर निर्णय ले।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

**श्री पी० उपेन्द्र** : कुछ समय पहले यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था परन्तु कांग्रेस पार्टी ने उस समय इसका कड़ा विरोध किया।

**श्री पी० चिदम्बरम** : हम इसका समर्थन करते हैं। इस सत्र के अन्त में उन्हें इसकी योजना की घोषणा करने दें। कार्यवाही में यह बात जानी चाहिए कि हमने इसका समर्थन किया और इस सत्र के अन्त में एक योजना की घोषणा की जाए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि चर्चा में एक बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। इस बात पर दोनों पक्षों की सहमति नजर आ रही है और यदि सरकार भी इसमें इच्छुक है और सभी पक्ष इच्छुक हैं तो साथ-साथ बैठकर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

**श्री इन्द्र जीत** : महोदय, क्या आप वास्तविक 'खुला मंच' की अवधारणा का समर्थन करते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : पीठासीन अधिकारी निश्चय ही सदन में होने वाली चर्चा में रुचि लेंगे :

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें इस पर चर्चा करने दें। हम इस पर अभी निर्णय नहीं ले सकते।

[हिन्दी]

**श्री संतोष भारतीय** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग इसलिये रख रहा हूं क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, पहले का मुझे नहीं मालूम, जीरो ऑवर के बाद जब किसी विषय के ऊपर बहस होती है चाहे वह चर्चा शिक्षा पर हो, चाहे स्वास्थ्य पर हो और चाहे दूसरे किसी विषय पर हो, अक्सर सीटें खाली होती हैं। इस देश के लोगों को यह पता होना चाहिये कि चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस सदन में जो भी चुनकर आते हैं वह इस सदन के सदस्य हैं वे विभिन्न विषयों के बारे में उनकी तकलीफों के बारे में किस तरीके से बात करते हैं, किस तरह से विचार करते हैं और जब कोई दर्द की बात आती है तो किस तरीके से ठहाके भी लगाते हैं।

मेरी इच्छा है कि यह चीज देश के लोग जानें इसलिए मैं यह मांग रख रहा हूं कि यह दिखाना चाहिए। माननीय, साठे जी ने इसकी एक-एक धारा को पढ़कर सुनाया, मैं इसकी एक-एक धारा को, जो आपने बीच में मुझे टोका, एक अच्छे जज की तरह से इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि मेरी नजर में, जो मैंने शुरू में कहा था, उसमें यह निहित था, क्योंकि, आप कोई भी धारा, कोई भी कानून, कोई भी उप-धारा बनायें, वह राजनैतिक इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। जब आपात काल लगाने से कोई किसी को नहीं रोक सका, जब उनसठवां संविधान संशोधन, जिसने जान लेने का हक आदमी से छीन लिया, एक राज्य के लोगों से आपने बुनियादी हक छीन लिया और कोई आपको नहीं रोक सका तो हम इसकी एक धारा या उप-धारा को इधर या ऊधर कर भी देंगे तो जिस दिन अगर कभी ईश्वर ने चाहा और कभी आप सत्ता में आये, अगर खुदा ने मजे को नाखून दिये तो आप इसको फाड़कर फेंक देंगे, आप दूसरा बना देंगे इसलिए यह कहने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए, माननीय, मैंने उप-धारा के बारे में इसीलिए कोई बात नहीं की, लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक वह चीज कहना चाहता हूं, जो इस बिल में नहीं है। मैं यह मांग करना चाहता हूं, क्योंकि, मैंने यह देखा है, अभी एक उदाहरण आया है, जिसकी बात बार-बार श्री साठे कर रहे हैं और जिसके बारे में होता क्या है कि जब हम लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं तो यह सही है कि बार हमीं को झेलना पड़ता है, क्योंकि, आपने तो गुलाम बनाकर रखा था, आपके खिलाफ कोई बोलता क्या, या

तो आपसे कोई बड़ी बन्दूक उठाता, तब आपसे बोलता, तो हमने जब आजादी देने की बात कही तो वह आजादी यहां तक पहुंच गई कि पिछली सरकार के प्रधान मंत्री के दो मीडिया एडवाइजर आज हमारे दूरदर्शन के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, करण थापर और सुमन दूबे हमारे टेलीविजन के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, यही लोकतन्त्र की पराकाष्ठा है, लोकतन्त्र का सबूत है। यह लोकतन्त्र का सबूत एक चीज और दर्शाता है, वह यह दर्शाता है कि किस तरीके से बड़े घराने, बड़े अखबार वाले और सरकार का गठजोड़ होता है। जैसे ही सरकार गई, उसके दो लोग दो बड़े घरानों ने अपने यहां तुरन्त रख लिये, वह दो लोग टेलीविजन प्रोग्राम के जरिये यहां पर आ गये। मेरा सिर्फ यह कहना है कि आप यह बिल लाये तो बहुत अच्छा है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक प्रिण्ट मीडिया कारपोरेशन से सम्बन्धित बिल भी लाएं, क्योंकि, सरकार और पूंजीपतियों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए अखबारों का बड़े घरानों के हाथ से निकलना बहुत जरूरी है और ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त के ऊपर अखबार में काम करने वालों को अखबार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके आधार पर कुछ लाना चाहिए। मैं खुश हूं कि कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन किया, जो आज तक इसका विरोध करते रहे। यह समर्थन जो आप अभी ताली बजाकर कर रहे हैं, शायद आप यह ताली बजाने के अधिकारी होते, अगर नवम्बर से पहले कम से कम हाऊस के किसी अदना सदस्य ने यह बात भी कही होती। इसलिए यह जो घड़ियाली आंसू आप दिखा रहे है, मेरा यह मानना है कि आप यह चीज लायें और उस समय कांग्रेस के लोगों का क्या रोल है, कांग्रेस के लोगों का क्या रुख है, यह साफ होगा।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि प्रिण्ट मीडिया कारपोरेशन जैसी चीज अवश्य अगले आने वाले समय में इस देश के सामने रखी जाए ताकि देश के लोगों को, देश का एक और बड़ा हिस्सा, जो इन्होंने बन्धक बनाया रखा था, गठजोड़ करके, वह भी यहां आजादी की सांस ले सके।

**प्रो० राम गणेश कावले (ठाणे)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण शुरू होने के पहले यह सुझाव आया कि संसद की गतिविधियों को दूरदर्शन पर दिखाया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं और अभी चिदम्बरम जी ने भी कहा कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। इसका मतलब जिम्मेदार अपोजीशन बनने की तैयारी में कांग्रेस आज है, ऐसा उसका अर्थ होता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गैर जिम्मेदार व्यवहार अपोजीशन में रहते हुए करते हो, वह बन्द करने का निर्णय आज आपने जाहिर किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिन-भर का कार्य दूरदर्शन पर दिखाया जाए, जीरो आवर का आपका व्यवहार दिखाया जाए और यहां का कारोबार दिखाने के बाद लोग ही समझेंगे कि आज कांग्रेस किस तरह से विपक्ष व्यवस्था यहां बनाना चाहती है।...(व्यवधान)... मैं सपोर्ट दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...साठे जी, जो आपने भाषण दिया, उसमें आखिर में आपने विनाशकाले विपरीत बुद्धि की बात बताई। मैं ऐसा मानता हूं कि स्वायत्तता का विरोध करना, साठे जी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि है और कुछ नहीं है।

**श्री वसंत साठे** : सारी रामायण सुनने के बाद आदमी कहता है कि राम की सीता कौन थी। यह आपकी हालत है। मैं स्वायत्तता के विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। मैं बराबर दो दिन के अपने सारे भाषण में कहता आ रहा हूं कि मैं स्वायत्तता के पक्ष में हूं, लेकिन अलग बोर्डी बनाने के विरोध में हूं।

**प्रो० राम गणेश कापसे :** साठे जी, जो आपने कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

**श्री बसंत साठे :** स्वायत्तता की सत्ता का हरण रावण न कर ले जाये, इसके मैं विरोध में हूं।

यह मैं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

**प्रो० राम गणेश कापसे :** मैंने आपका भाषण सुना और सुनने के बाद कहता हूं कि यह भी विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, जो आप बोल रहे हो कि स्वायत्तता ग्यारह लोगों को नहीं 38 हजार लोगों को देनी चाहिए। स्वायत्तता जब विश्वविद्यालय को दी जाती है, स्वायत्तता जब न्यायालय को दी जाती है, स्वायत्तता जब इलैक्शन कमीशन को दी जाती है, स्वायत्तता देने के बाद उनके अलग-अलग हक्स होते हैं, तब स्वायत्तता मिलती है। आज कह रहे हो कि 38 हजार लोगों को स्वायत्तता देने के बाद प्रसार भारती को विधेयक के रूप में आने की जरूरत नहीं है, यह बात तो आप अपने दिल में रखो।

आप लोगों ने इस मिनिस्ट्री को जिस तरह से चलाया, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहली बात मैं श्री के० के० तिवारी के बारे में कहना चाहता हूं। श्री के० के० तिवारी जैसा आदर्श राज्य मन्त्री आपने यहां रखा...

**श्रीमती विद्या चेन्नुपति :** जो व्यक्ति यहां संसद में नहीं है, उसका नाम आप नहीं ले सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

**प्रो० राम गणेश कापसे :** ये मन्त्री थे, इसलिए नाम ले सकता हूं। साठे जी से भी कहना चाहता हूं कि वे मेरी बात गौर से सुनें। सन् 1947 से 1976 तक सात डायरैक्टर जनरल (न्यूज) थे। उसके बाद 13 वर्ष में क्या हुआ। तेरह वर्ष में दस लोग यहां आए किसी को गुवाहाटी में हटाया गया, क्योंकि वह आपकी दृष्टि से स्वायत्त नहीं रहता था, किसी का ट्रांसफर कर दिया, मैं पूछता हूं, क्यों कर दिया ?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप अभी कर्मचारियों की स्वायत्तता की बात कह रहे थे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के हर जगह आपको कर्मचारी मिलेंगे, जो कहेंगे कि कांग्रेस आई थी राज में, गए दस वर्ष में जिस तरह से आपने व्यवहार किया, आप उनको गुलाम समझते थे और कुछ नहीं समझते थे। दस वर्ष पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपने एक मन्त्री रहे हैं।

जिसके बारे में हमारे दोस्त ने कहा कि यह बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, इसके बारे में अच्छी तरह से बोलना चाहिए, सेंसिटिविटी की बात की, लेकिन उन्होंने स्वयं कुछ सेंसिटिविटी नहीं समझी, उनका तो इमरजेंसी के दौरान सिर्फ एक ही काम करना था, इंदिरा जी की और संजय गांधी की प्रतिभा को बनाना है, बस यही काम है उनके लिए। आज ये स्वायत्तता की बात कह रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य :** उस समय कौन मिनिस्टर थे।

**प्रो० राम गणेश कापसे** : वी० सी० शुक्ला। (व्यवधान)

**श्री बसन्त साठे** : आजकल शुक्ला जी कहां हैं।

**श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा)** : उपाध्यक्ष महोदय, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए।

**प्रो० राम गणेश कापसे** : इन्होंने पूछा, इसलिए मैंने नाम लिया।

**श्री बसन्त साठे** : अब शुक्ला जी कहां हैं।

**प्रो० राम गणेश कापसे** : आप लोगों के साथ बैठने की वजह से ही शुक्ला जी इस तरह का व्यवहार करते थे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : सामान्यतया, यदि आप नीतियों की आलोचना करते हैं और किसी का नाम लेते हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु नियम यह है कि नाम का उल्लेख न किया जाए और केवल यह संकेत किया जाए कि वह व्यक्ति कौन था। यह बेहतर होगा यदि आप नाम का उल्लेख न करें।

यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं केवल आपकी और अन्य सदस्यों की जानकारी के लिए इसे पढ़ूंगा :

> "ऐसा वांछनीय है कि जहां तक सम्भव हो किसी सदस्य का हवाला उसके नाम से नहीं बल्कि किसी अन्य उपयुक्त तरीके से दिया जाना चाहिए, उदाहरणार्थ, "वे सदस्य जो अन्त में बोले", "....चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य", "....से सदस्य" इत्यादि। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो पूरे नाम का प्रयोग किया जा सकता है।"

जहां तक सम्भव हो, आप इस नियम का पालन करें।

**प्रो० राम गणेश कापसे** : अब से मैं केवल यह कहूंगा।

[हिन्दी]

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जी ने 3 वर्ष पूर्व पत्रकार परिषद में कहा था—

[अनुवाद]

जहां तक मीडिया का प्रश्न है हम अभी स्वायत्तता के लिए तैयार नहीं हैं।

[हिन्दी]

तो आप स्वायत्तता के विरोध में नहीं बल्कि पक्ष में हैं, इसका मतलब क्या है। आज हम मानते यदि आप इसका सपोर्ट करते, कुछ धाराओं में परिवर्तन तो आगे भी हो सकता है।

[अनुवाद]

**श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन)** : हमारा घोषणा पत्र पढ़ें।

[हिन्दी]

**प्रो० राम गणेश कापसे** : आपका मेनीफेस्टो मैंने देखा है, कल भी साठे साहब ने पढ़कर बताया था, लेकिन हम यह मानते हैं, आपने सब बात कही, लेकिन आज कहते हो कि 38 हजार लोगों को स्वायत्तता दो। हम पूछते हैं कि "वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मेनेजमेंट" की बात आप करते हो, क्या आप उस बिल का सपोर्ट करेंगे ?

**श्री बसन्त साठे** : बिल्कुल करेंगे, आप लाइए।

**प्रो० राम गणेश कापसे** : ठीक है, तब देखेंगे कि इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें मालूम है।

**श्री शोपत सिंह मक्कासर** (बीकानेर) : "गली गली में शोर है" उस डायरेक्टर की क्या हालत की थी ? (व्यवधान)

**प्रो० राम गणेश कापसे** : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े से सपने ऐसे होते हैं जो जिन्दगी में पूरे हो जाते हैं। हम लोगों ने युवावस्था में यह सपना देखा था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता मिलेगी। आज मैं देख रहा हूं कि हमारी जिन्दगी का वह सपना सफल होने जा रहा है। हमारे नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सन् 1980 में एक कोशिश की आपने वह सपना पूरा होने में मदद तो नहीं दी बल्कि बाद के 10 वर्षों में ऐसा व्यवहार किया कि स्वायत्तता के मायने ही जनता के दिल से निकल गए। मैं इस बात को मानता हूं कि स्वायत्तता का सपना तभी पूरा होगा जब वे लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन को देखना-सुनना शुरू कर देंगे, जिन्होंने इनको देखना और सुनना बन्द कर दिया है।

[अनुवाद]

**श्री एस० कृष्ण कुमार** : श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय केवल स्वायत्तता कही थी, स्वतन्त्रता नहीं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (नई दिल्ली) : मैं अभी भी यही मानता हूं। यह विधेयक बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने 1979 में प्रस्तुत किया था। लगभग वैसा ही। परन्तु इसमें कुछ छुटपुट परिवर्तन किए गए हैं···(व्यवधान) जिनमें से कुछ बहुत ही उपयोगी हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राम गणेश कापसे** : आडवाणी जी तब जो मानते थे, उसे आज भी मानते हैं। आडवाणी जी ने जो कार्य करके दिखाया है, वह भी आप ध्यान में रखिए। चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार करने का अधिकार देने के संदर्भ में कब से इलेक्शन कमीशन कह रहा था, 1971 के बाद उसने यह बात भी छोड़ दी, लेकिन आडवाणी जी ने करके दिखाया। आज ये यहां बैठे हुए हैं, इस बिल के पास होते हुए ये लोक सभा में रहेंगे, इस बात का हमें हर्ष है। इस चुनाव के बाद 15 दिन में उपेन्द्र जी ने यह विधेयक तैयार किया। बाद में कुछ कार्यक्रम इस तरह के आए कि हमें लगा कि बहुत जल्दी स्वायत्तता यहां आ जाएगी। बूथ कैपचरिंग का कार्यक्रम इन दिनों में आया है, चुनाव विश्लेषण इन दिनों में किया गया। मुझे ऐसा लगा कि अच्छी तरह से स्वायत्तता की ओर हम जा रहे हैं। "खुला मंच" के बारे में मेरी राय है कि बहुत ही गलत तरह से इसमें

व्यवहार किया गया है। इससे हमें मालूम होता है कि स्वायत्तता देना बहुत आसान नहीं है। स्वायत्तता देने के लिए आई० एण्ड बी० मिनिस्टरी का दूर रहना बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : शायद शान्ति का अन्तिम बार प्रयोग किया गया है। (व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे : यह एक अच्छा सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

कथनी और करनी में अन्तर न रहे, नीयत जनता की साफ हो, यह मैं भी मानता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को किसी भी हालत में प्रसार भारती के कार्यक्रमों की स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार नहीं रहना चाहिए। स्वायत्तता दे दीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए, जिम्मेदारी के साथ काम जरूर होते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आर्थिक स्वायत्तता सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं कि संसद में प्रसार भारती के लिए चार्जड अमाउंट रहे। विकासशील देशों के लिए यह जरूरी है कि हम दूरदर्शन और आकाशवाणी पर खर्चा करें। जिस तरह से चार्जड अमाउंट कुछ बातों के लिए रखते हैं जैसे राष्ट्रपति के वेतन वगैरह के लिए, उसी तरह से प्रसार भारती के लिए रखना मैं जरूरी समझता हूं।

जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय शरीर के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, मन के स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाला डिपार्टमेंट प्रसार माध्यमों के बारे में जरा अवश्य ध्यान दे, यह मैं मानता हूं। निजीकरण करने का समय नहीं आया है, प्राइवेटाइजेशन की बात आप न कीजिए। इसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन आज नहीं, आज तो हमें पैसा खर्च करना है। रोजमर्रा के व्यवहार के बारे में यहां रोज चर्चा करने के लिए यह स्वायत्तता हम देना नहीं चाहते, यह भी हम समझ लें। दूरदर्शन को बाजारी और व्यापारी बनाने से भी बचना चाहिए। किस तरह के विज्ञापन हों, इस बारे में स्वायत्त संस्था को बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, मेरा यह सुझाव है इस पर आप जरूर विचार कीजिए। कार्यक्रमों का स्तर बढ़ाने के लिए ज्यादा सुविधाएं और ज्यादा प्रशिक्षण देना चाहिए। जो प० नेहरू चाहते थे, जो केसकर जी ने 10 वर्षों में किया, वह आप क्यों नहीं करना चाहते। केसकर जी के 1952 से 1962 तक के 10 वर्ष आकाशवाणी के लिए सुनहरा काल था।

राजा-महाराजा गए। लेकिन शास्त्रीय संगीत और भारतीय संगीत के लिए केसकर जी ने जितना किया वह किसी ने नहीं किया। पण्डित नेहरू प्रधानमंत्री थे, इसका भी स्मरण करना चाहिए। उन्होंने 49 में कहा था कि बी० बी० सी० का हम अनुसरण करना चाहते हैं। आज भी अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए और जब तैयार नहीं होते हैं और वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो और 38 हजार वर्कर्स को सत्ता दो, इस बारे में फंस जाते हैं। आप पंडित नेहरू के शिष्य नहीं बल्कि राजीव गांधी के शिष्य हो। आपने कहा, इसलिए कह रहा हूं।...(व्यवधान) आपने जो सुझाव दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। चेयरमैन पूर्णकालिक हो और सब गवर्नर्स गए तो पूर्णकालीन होना बहुत जरूरी है। आप समझते हैं कि पार्ट टाइमर अलाउड नहीं है। यह बराबर नहीं है। यह कह देंगे कि पार्ट टाइमर

[प्रो० राम गणेश कापसे]

काम करना चाहते हैं। एक नाम देता हूं। जे० आर० डी० टाटा एयर इंडिया के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं थे। कौन अध्यक्ष है, इसका कितना परिणाम होता है। अपाइन्टमेंट के बारे में सुझाव आए हैं। अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद, अध्यक्ष-संघ लोक सेवा आयोग और लोकपाल भी जल्दी आने वाला है और आप सपोर्ट करेंगे और प्रधान न्यायाधीश भी। जब तक लोकपाल नहीं है और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि यहां न रहे, यह मेरा सुझाव है। इस बारे में आप विचार कीजिए। ब्राडकास्टिंग काउन्सिल के बारे में मेरा एक सुझाव है। कुछ लोगों को वहां लाना बहुत जरूरी है जैसे एन० एफ० डी० सी० से। कलावालों की कितनी संस्थाएं हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष उसमें शामिल किए जायें। प्रसारण परिषद के बारे में मेरा एक सुझाव है। निगरानी का उनका काम है। निगरानी रखने का अधिकार उन्हें देना बहुत जरूरी है। उपेन्द्र जी और आगे आने वाले सूचना-प्रसारण मंत्रियों के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि मौखिक सूचना बिल्कुल न दी जाए। जो आगे आयेंगे उनके लिए मेरा सुझाव यह रहेगा कि चार सप्ताह के लिए नियुक्ति की सूचना की जाए। कभी-कभी निर्णय होता है और निर्णय होने के बाद अमल में नहीं लाया जाता इसलिए बहुत जल्दी कोशिश करनी चाहिए। केवल समाचार और सामूहिक विषयों की स्वायत्तता नहीं, शैक्षणिक, सामाजिक इन सब विषयों के लिए कोई स्वायत्ता का विचार आप कीजिए। मेरा सुझाव है कि वर्ल्ड अफेयर्स के समान राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम तैयार किए जायें। केवल एक व्यक्ति के पास यह काम सौंपने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे लोग देश में हैं। जहां तक इस प्रोग्राम का सवाल है तो कम्पीटीटिव नेचर होनी चाहिए। आधुनिक सामग्री, नयी तकनीकी सुविधाएं और प्रशिक्षित कर्मचारी का स्पेशलाइजेशन हो, इस बारे में ध्यान दिया जाए। वर्गिज कमेटी ने यह नहीं कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्ता हो। फिर भी उन्होंने कहा है कि इसका विचार होना चाहिए। जल्दी से जल्दी आकाशवाणी और दूरदर्शन के दो अलग-अलग विभाग बनाए जायें और इन्टर-ट्रांसफेरेबिलीटी बिल्कुल बन्द हो जाए।

**6.00 म० प०**

आकाशवाणी में जो आदमी नहीं चाहिए उसे दूरदर्शन में भेज दो, जो दूरदर्शन में है उसे आकाशवाणी में लाओ, तैयारी की चाइल्ड प्रोग्राम की और भेजा युवा कार्यक्रम वाले को, इस तरह की बातें जो गये 10 वर्षों में होती रहीं, अब यह नहीं होनी चाहिए। जो हम करना चाहते हैं उस विषय में श्वेत पत्र जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए और पाक्षिक पत्रिका आकाशवाणी में पहले निकलती थी···

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कितना समय और लेंगे।

**प्रो० राम गणेश कापसे** : मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। तो पाक्षिक पत्रिका शुरू करना जरूरी है, क्योंकि विद्वानों से, कलाकारों से सम्वाद करना जरूरी है स्वायत्त प्रसार भारती में। इसलिए मेरा कहना है, कांग्रेस (आई) के लोगों के लिए भी मेरी अर्ज है कि आप स्वायत्तता का समर्थन करें, इस बिल का समर्थन करें। मैंने पहले कहा था कि जो अच्छे संशोधन हैं हम पास करने के लिए तैयार हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री पी० चिदम्बरम** : वे कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) मैंने कहा था, हमने संशोधन प्रस्तुत किए हैं और हम इन संशोधनों पर अलग-अलग चर्चा करेंगे। अब भी, वे कुछ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री पी० उपेन्द्र** : महोदय, मैंने अन्य दलों के साथ कांग्रेस दल को अलग से चर्चा के लिए आमन्त्रित किया था, और उनके प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा, 'हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बनाया है।' वे दो बार आए। एक बार उन्होंने मुझे बैठक को लम्बित करने के लिए कहा। मैंने इसे लम्बित कर दिया। लम्बित बैठक में भी आकर उन्होंने यह कहा, 'उप-समिति को कांग्रेस दल की ओर से सूचित कर दिया गया था; हमने अभी अपना दृष्टिकोण नहीं बनाया है।' इसलिए, यह सच नहीं है कि मैंने उनके साथ बातचीत नहीं की। (व्यवधान)

**श्री पी० चिदम्बरम** : हमने अपने संशोधनों के बारे में सूचना दे दी है। जैसा कि श्री माठे ने कहा कि हमारे पास बहुत से संशोधन हैं। अब हम इन संशोधनों पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

**श्री पी० उपेन्द्र** : मैंने इस पर चर्चा कर ली है। मैंने आरम्भ में ही कह दिया था। (व्यवधान) मैं इन संशोधनों पर विचार करूंगा। (व्यवधान)

**श्री पी० चिदम्बरम** : ठीक है, हम वाद-विवाद कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि, 'हम यह वाद-विवाद नहीं करेंगे'। मैं केवल यह कह रहा हूं कि 'हमें अलग से बैठकर इन संशोधनों पर चर्चा करनी चाहिए'। महोदय, वे इन संशोधनों पर चर्चा कब करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री भोगेन्द्र झा** : अब भी बहुत देर नहीं हुई है। (व्यवधान)

**श्री पी० उपेन्द्र** : महोदय, मैं तैयार हूं, मैं उनसे अब भी विचार-विमर्श करने को तैयार हूं। (व्यवधान) अब भी, मैं किसी भी संशोधन पर चर्चा करने को तैयार हूं। मैं इस पर विमर्श करूंगा। (व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (मवेलीकारा) : यह सच है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम ये संशोधन सत्र के दौरान प्रस्तुत करेंगे और हम इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। वह चर्चा जो आपने नहीं कराई। (व्यवधान)

**श्री पी० उपेन्द्र** : अब, मैं तैयार हूं। हम इसके लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस वाद-विवाद से यह आदान-प्रदान हुआ है क्योंकि मैं मानता हूं कि स्वायत्तता प्रदान करना एक बहुत ही साहस का कार्य है। यह देश के हित में होगा यदि हम इस पर सहमत हो जायें कि इस स्वायत्तता की प्रकृति क्या होनी चाहिए। अब, जबकि सभी दल इन माध्यमों की स्वायत्तता के लिए वचनबद्ध हैं, तो यह कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें देश का हित हो। इसलिए, यदि कोई सुझाव हों, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार उन पर विचार करेगी, क्योंकि मैं यह कह सकता हूं कि मैं महसूस करता हूं कि जिन संशोधनों का बाद में इस विधेयक के लिए प्रस्ताव किया गया था वे स्वायत्तता की किसी भी धारणा की महत्ता को पूरी तरह कम कर देंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इन्हें न मानें। कुछ सदस्य शायद

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

मेरे दृष्टिकोण या अन्य दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। किन्तु, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार, मुझे उम्मीद है कि यदि कोई अच्छा सुझाव है, तो सब इस पर विचार करेंगे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह कह सकता हूं कि इन दिनों में एक धारणा बनी है। यह गलत भी हो सकती है, शायद इसका कोई आधार नहीं हो। किन्तु, हमें ऐसा महसूस होता है कि विशेषत: इसी विधेयक में देरी की जा रही है। (व्यवधान)

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आप मेरी गलती को सुधार सकते हैं। मुझे जानकर खुशी है कि जब मंत्री महोदय ने मुझे बताया था; उन्होंने बैठक के लिए कांग्रेस दल को भी आमन्त्रित किया था; वे एक बार आए और उन्होंने कहा, 'हम तैयार नहीं हैं'; यहां तक कि उन्होंने सम्बित बैठक में भी कहा था, 'हम तैयार नहीं हैं।'

आखिरकार, इस स्वायत्तता के मुद्दे पर कई दशक से चर्चा हो रही है। इसलिए, तैयार नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब भी, मेरे विचार में सोमवार से पहले सरकार का इसे पारित करने का प्रस्ताव नहीं है। हम इसे केवल सोमवार को ही पारित कर सकते हैं। इस चर्चा के लिए आठ घंटे पूरे करने हैं। इसलिए, हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे। (व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : यह मत कहिए कि हम तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त न करें।

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मुझे साफ-साफ कहने दीजिए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा सोचा था।

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। हमने यह कभी नहीं कहा था कि हम तैयार नहीं हैं। हमने यह कहा था कि इस सत्र के दौरान जब इस विधेयक पर चर्चा चल रही हो तो हम इस पर और आगे वाद-विवाद करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कुरियन, आपने अपनी-अपनी बात समझा दी है।

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मैंने उन्हें यह भी कहा था कि इस बीच हम अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है।

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मैं एक और बात कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। आप उन्हें अपना भाषण समाप्त क्यों नहीं करने देते ?

(**व्यवधान**)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : दूसरे, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसके द्वारा हमने कई महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। (**व्यवधान**) हमने इस विधेयक को लम्बित करने का प्रयत्न कभी नहीं किया। मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा। हम इस पर एक चर्चा चाहते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**श्री भोगेन्द्र झा** : महोदय, मैं पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहता ठीक है, हमें ऐसा महसूस हुआ था कि इस पक्ष से देर की जा रही थी। किन्तु, इसे भुला दिया जाना चाहिए। अब भी, मैं यह मानता हूं कि कुछ संशोधन स्वीकार्य होंगे, चाहे उस विशेष रूप में न हों, जिसमें वे प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस विषय पर, हितों का ऐसा कोई बड़ा टकराव नहीं है, जिस पर हम सहमत न हों। यदि हम इसे एकमत से पारित कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। (**व्यवधान**) इसके लिए हम सब उत्तरदायी हैं। (**व्यवधान**)

**श्री इन्द्रजीत** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे मित्र श्री झा ने एक मिनट पहले कहा था, यह एक अच्छी शुरुआत है जो स्वागत योग्य है। मेरा विशेष प्रस्ताव है कि सोमवार तक प्रसार भारती विधेयक पर आगे विचार किए जाने को लम्बित कर दिया जाये और बीच की अवधि का प्रयोग इस विधेयक सम्बन्धी योजना बनाने के लिए सर्व-दलीय चर्चा में करना चाहिए। (**व्यवधान**) वैसे भी, इस विधेयक पर कल चर्चा किए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि आपने पहले ही निश्चित कर लिया है कि आज आप विदेश मन्त्री श्री गुजराल द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस चर्चा को कल जारी करने के बजाए, इसे सोमवार से शुरू करें। (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चिदम्बरम, आप कुछ कहना चाहते थे।

**श्री पी० चिदम्बरम** : मेरे पास इस समय इसके बारे में कहने के लिए कुछ और नहीं है।

**श्री पी० उपेंद्र** : सोमवार को इस चर्चा को जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है। कल मैं सब दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाऊंगा और हम संशोधनों पर चर्चा करेंगे। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

**प्रो० राम गणेश कापसे** : मैंने जो सुझाव दिया है, उसका स्वागत सब लोगों ने किया है और मैं इसीलिए उनको धन्यवाद देता हूं। आपसे मैंने 5 मिनट का समय और मांगा था जिसमें 2-3 मिनट ऐसे ही चले गये। अभी जो जनता दल का मैनिफैस्टो आया है उसमें आटोनिमस कारपोरेशन के बारे में कहा गया है :

[**अनुवाद**]

"यह ध्यानयोग्य बात है कि राष्ट्रीय मोर्चा ने 20 अक्तूबर, 1989 को प्रकाशित अपने घोषणा पत्र में दूरदर्शन और आकाशवाणी माध्यमों के लिए अलग-अलग नियम स्थापित करने

[प्रो० राम गणेश कापसे]

के लिए अर्थात स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध किया था।"

[हिन्दी]

तो मेरा यह सुझाव है जिस पर विचार किया जाये। मैंने अमेंडमेंट दिया है कि जो गवर्नर शब्द कांस्टीट्यूशनल दिया है, वहां ट्रस्टी शब्द लगाया जाये। जब गवर्नर शब्द भाषान्तरण में शासक बन गया है, यह बहुत गलत है। इसलिए इस पर विचार किया जाये। आप सबके अमेंडमेंट ध्यान से लें ताकि स्वायत्तता अच्छी तरह से आ जाये, इसका मैं स्वागत करूंगा और जिन्होंने मेरे भाषण के दौरान सुझाव दिए हैं, उनका स्वागत करता हूं और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बस यही बात कहकर मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

6.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 अगस्त, 1990/2 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6